अष्टम माला, खंड 1, अंक 1

शुक्रवार, 25 जनवरी 1985

5 माघ 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र
(आठवीं लोक सभा)

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 25 जनवरी, 1985। 5 माघ, 1906 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 13, "स I" के स्थान पर "सभा" पढ़िये।

पृष्ठ 14, पंक्ति 16, "भाई" के स्थान पर "भोई" पढ़िये।

पृष्ठ 15, पंक्ति 3 "श्री बी0डी0 पाटिल" के स्थान पर "श्री डी0बी0 पाटिल" पढ़िये

पृष्ठ 18, पंक्ति 25, "जनर्दन" के स्थान पर "जनार्दन" पढ़िये।

पृष्ठ 37, पंक्ति 5 के नीचे अ0प्र0संख्या 309 के ऊपर बाईं ओर कोने में "(हिन्दी)" पढ़िये।

पृष्ठ 37, पंक्ति 16 के नीचे अ0प्र0संख्या 310 के ऊपर बाईं ओर कोने में "(अनुवाद)" पढ़िं

पृष्ठ 80, पंक्ति 21, "टी0जे0" के स्थान पर "पी0जे0" पढ़िये।

पृष्ठ 99, पंक्ति 20, "श्री सैफुद्दीन सोज" के स्थान पर "श्री सैफुद्दीन चौधरी" पढ़िये।

पृष्ठ 124, पंक्ति 6, "श्री सुधीर राय" के नाम के ऊपर बाईं ओर "(अनुवाद)" पढ़िये।

पृष्ठ 127, पंक्ति 26, "प्रो0 नारायण चन्द पराशर" के नाम के ऊपर बाईं ओर "(अनुवाद)
पढ़िये।

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 1, पहला सत्र, 1985/1906 [शक]

अंक 9, शुक्रवार, 25 जनवरी, 1985/5 माघ, 1906 [शक]

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 99 से 104, 106 से 109 ..	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 97, 98,105, 110 से 116	21-27
अतारांकित प्रश्न संख्या : 290 से 326, 328 से 377	28-83
सभा पटल पर रखे गये पत्र	83
राज्य सभा से संदेश .. — ..	97
गंगटोक नगर निगम (संशोधन) विधेयक	98
राज्य सभा द्वारा यथापारित	
स 1 का कार्य	98
प्रशासनिक अधिकरण विधेयक—पुरः स्थापित	100
साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक ..	101-115
विचार करने के लिए प्रस्ताव ..	
श्री जनार्दन पुजारी ..	101
डा० दत्ता सामंत ..	103
श्री अजय विश्वास	105
श्री थम्पन थामस	107
श्री नारायण चौबे	108
श्री चंदुपाटला जंगा रेड्डी	110
खंड 2 से 6 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	115

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प
और
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विधेयक .. 116-156

विचार करने के लिए प्रस्ताव

प्रो० सैफुद्दीन सोज 116

श्री अब्दुल गफूर 117

श्री बड्डे सोभानेद्रीश्वर राव 118

श्री गिरधारी लाल व्यास 120

श्री सुधीर राय 124

श्री एन० टोम्बी सिंह 125

श्री विजय कुमार यादव 126

प्रो० नारायण चन्द पराशर 127

श्री जगदीश अवस्थी .. 133

श्री चन्द्रपाटला जंगा रेड्डी 135

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 137

खंड 2 से 41 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री अब्दुल गफूर .. 139

विधेयक—पुरः स्थापित .. 157

[1] प्रो० मधु दंडवते का संविधान [संशोधन] विधेयक [अनुच्छेद 371 का संशोधन] .. 157

[2] प्रो० मधु दंडवते का संविधान [संशोधन] विधेयक [अनुच्छेद 102 आदि का संशोधन] .. 157

[3] श्री हरीश रावत का इलाहाबाद उच्च न्यायालय [बरेली में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना] .. 158

[4] श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति का हिन्दू उत्तराधिकार [संशोधन] विधेयक [नये अध्याय 2क का अंतः स्थापन] .. 158

[5] श्री सत्यगोपाल मिश्र का संविधान [संशोधन] विधेयक [आठवीं अनुसूची का संशोधन] 158

[6] प्रो० सैफुद्दीन सोज का दल-बदल निवारण विधेयक 159

[7] श्री जी०एम० बनातवाला का संविधान [संशोधन] विधेयक [अनुच्छेद 338 के स्थान पर नये अनुच्छेदों का प्रतिस्थापन आदि] 159

[8] श्री जी०एम० बनातवाला का संविधान [संशोधन] विधेयक [अनुच्छेद 44 का लोप] 159

[9] श्री जी०एम० बनातवाला का प्रवासी भारतीय नागरिक [चुनावों में मतदान का अधिकार] विधेयक .. 159

विषय			पृष्ठ

गरीबी समाप्त करने के उपायों के बारे में संकल्प 160-192

श्री हरीश रावत 160
डा० दत्ता सामन्त 164
श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ 168
श्री जी०जी० स्वैल 171
श्री आर० अन्ना नाम्बी 174
श्रीमती कृष्णा साही 176
श्री के० डी० सुलतानपुरी 177
श्री रामावतार प्रसाद सिंह 178
श्री चन्दुपाटला जंगा रेड्डी 180
श्री गिरधारी लाल व्यास 181
श्री भालारेड्डी रघुमा रेड्डी 183
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर 183
प्रो० मधु दण्डवते 188

रेगिस्तान विकास कार्यक्रम के बारे में संकल्प 193-195

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 194

लोक-सभा

शुक्रवार, 25 जनवरी, 1985/5 माघ, 1906 [शक]

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री के० टी० कोसलराय—उपस्थित नहीं, श्री वी० एस० विजयराघवन—उपस्थित नहीं। अब प्रश्न संख्या 99

प्रो० पी० जे० कुरियन—आपने नीरसता खत्म की है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

खाड़ी के देशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा धन भेजना

*99. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी के देशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा वर्ष 1984 के दौरान कुल कितनी धनराशि भेजो गई;

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में उनके द्वारा भेजी गई धनराशि में कुछ कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं ?

वित्त तथा वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) विदेशों में काम कर रहे भारतीयों से प्राप्त रकमों के बारे में सूचना देश-वार नहीं रखी जाती।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मेरे पास उत्तर है लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं क्या पूछूं क्योंकि वास्तव में मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है। माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया है कि विदेशों से भेजी जाने वाली धनराशियों में कोई कमी हुई है लेकिन सचाई यह है कि विदेशों से भेजी जाने वाली धनराशियों विशेषकर खाड़ी के देशों से भेजे जाने वाली रकमों में कमी हुई है। ये रकमें प्राय: एन० आर० ई० और एफ० सी० एन० आर० के जरिए भेजी जाती हैं। वर्ष 1983 में 890 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी गई थी जबकि वर्ष 1984 में यह केवल 740

करोड़ रुपये है। केवल एफ० सी० एन० आर० के लेखों में ही वर्ष 1983 में 370 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जबकि 1984 में यह 240 करोड़ रुपये है। इसका स्पष्ट आशय है कि भारत को भेजी जाने वाली विदेशी धनराशि में कमी हुई है। वित्त मंत्रालय को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिये। इसका कारण यह कहा जा सकता है कि विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि जब वे हमेशा के लिए वापस आ जाते हैं तो उनकी समस्त आय को सात वर्षों के लिए धन कर से छूट दी जाएगी। लेकिन जब वे अपने देश में वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वास्तव में वापस आने पर उनके द्वारा लाई गई राशि को ही धन कर से छूट प्राप्त है। इससे खाड़ी के देशों में काम कर रहे भारतीयों के लिए कुछ भ्रान्ति तथा कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। अत: इनमें से कुछ व्यक्ति भारतीय बैंकों से बचने का प्रयास करते हैं। दूसरे विदेशी बैंक भारतीय बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज और अधिक प्रोत्साहन दे रहे हैं। मेरे विचार से ये दो मुख्य कारण हैं जिससे धनराशि भेजने में कमी हुई है। मैं इस बारे में मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : तथ्यों को छिपाने का कोई इरादा नहीं था। हमने इस प्रकार का उत्तर केवल इसलिये दिया क्योंकि माननीय सदस्य ने विशेष रूप से खाड़ी के देशों के बारे में पूछा था और हमारे पास विदेशों से प्राप्त धनराशि के देशवार आंकड़े नहीं हैं। लेकिन सामान्यतया कुल गैर-निर्यात संबंधी प्राप्तियों में कमी हुई है।

हालांकि पहले 1982 के आंकड़ों की तुलना में 1983 में गैर-निर्यात संबंधी प्राप्तियों में 50.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी तथापि 1984 में इसमें 7.08 प्रतिशत की कमी हुई है। इसी प्रकार एन० आई० ई० में भी कमी के बारे में कहूंगा कि प्राप्त होने वाली राशि में कमी हुई है। एक कारण यह है कि खाड़ी के देशों में जब पहले तेल के मूल्य में वृद्धि हुई थी तो कार्य में वृद्धि हुई थी और अधिक धनराशियां भेजी गई थी। तेल के मूल्यों में मंदी आ जाने से तेल का उत्पादन करने वाले देशों ने उत्पादन में स्वैच्छिक कमी करने का निर्णय किया। इससे इनके राजस्व में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिससे उनकी विकास गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ा और इससे धनराशियां के भेजने पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अन्य देशों द्वारा अधिक ब्याज दिये जाने के बारे में माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मुद्दे के बारे में भी यह कहना चाहता हूं कि यह भी संभवतया एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन हमारी कठिनाई यह थी कि यह खाड़ी के देशों के लिये विशेष रूप से पूछा गया था। सामान्यतया यह प्रवृत्ति देखी गई है लेकिन यह उतना चिंताजनक नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं लेकिन निश्चित रूप से यह प्रवृत्ति है। धनकर आदि के छूट के बारे में जमाराशि पर ब्याज से होने वाली आय को भारतीय आय कर से छूट दी गई है और लेखे में रखी गई शेष राशि को भी धन कर से छूट दी गई है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं और हम सावधानी बरत रहे हैं कि स्थिति को किस प्रकार सुधारा जाये।

प्रो० पी० जे० कुरियन : माननीय मंत्री इस बात से सहमत हो गये हैं कि धनराशियां भेजने में कमी हुई है। अत: वह विदेशों से अधिक धनराशियां प्राप्त करने तथा इनमें वृद्धि करने के लिये क्या उपाय करेंगे ? क्या हमारे देश में पहुंच रही विदेशी धनराशियों के उत्पादक उपयोग के लिये उनके मंत्रालय की कोई योजना है, क्योंकि इसमें से अधिकांश राशि का उपयोग गैर-उत्पादक कार्यों विशेष रूप से भूमि खरीदने, और इमारत बनाने जैसे कार्यों के लिये किया जाता है और सरकार की कोई समुचित योजना नहीं है जिससे वह पूंजी निवेश के लिये इन लोगों

को निदेश दे सके। इस बारे में मुझे बताया गया है कि केरल सरकार ने अनिवासी भारतीयों की धनराशि के उत्पादक उपयोग के लिये एक योजना प्रस्तुत की थी। क्या सरकार को यह मिल गई है ? क्या आपकी कोई योजना है ताकि इनके पूंजी निवेश का उत्पादक कार्यों के लिये उपयोग किया जा सके।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनमें से एक है धन कर की छूट फिर एक वर्ष तथा इससे अधिक की नई जमाराशियों की परिपक्वता पर ब्याज दर में उन्हें देश में रखे गये चालू लेखे की तुलना में दो प्रतिशत अधिक ब्याज दिया जाता है उन्हें यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के यूनिट खरीदने तथा सरकारी प्रतिभूति आदि में पूंजी निवेश करने की अनुमति है। जमाराशियों पर ब्याज, सरकारी प्रतिभूतियों आदि पर ब्याज उनके लेखे में आसानी से जमा किया जा सकता है। स्थानीय वितरण के लिये लेखे के नामे डालने को पूरी तरह से अनुमति दी गई है। खाताधारक भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही किसी भी समय ब्याज सहित इस शेष राशि को भारत से बाहर भेज सकता है। भारत में दिये गये दान को दान कर से छूट है। अनिवासी भारतीयों से धनराशि प्राप्त करने के लिये ये कदम उठाये गये हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : उत्पादक कार्य के बारे में किया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : भूमि तथा पट्टे के पूंजी निवेश पर प्रतिबंध है।

जिला लीड बैंक योजना की पुनरीक्षा

*100. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिला लीड बैंक योजना के कार्यकरण की, विशेषरूप से समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और 20 सूत्री कार्यक्रम जैसे गरीबी दूर करने, कल्याण तथा विकास कार्यक्रम में उनके योगदान के संबंध में, जांच/पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षा के क्या निष्कर्ष हैं और क्या लीड बैंक योजना का ब्लाक स्तर तक विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो किस तारीख तक ऐसा किये जाने की संभावना है और प्रत्येक ब्लाक को कब तक एक राष्ट्रीयकृत बैंक को सौंपा जायेगा जिससे कि वह ऐसे कार्यक्रमों के समन्वय और कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभा सकें; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की दिशा में और जिला स्तर के नीचे बैंकों की भूमिका के सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यकारी दल ने लीड बैंक योजना की पुनरीक्षा की थी। इस दल के विचारणीय विषयों में लीड बैंक योजना के महत्वपूर्ण पहलू और जिला ऋण

आयोजनाओं को, जिनमें गरीबी दूर करने तथा विकास संबंधी अनेक कार्यक्रमों के लिये बैंक ऋणों के लक्ष्य निर्धारित किये जाते है, तैयारी और कार्यान्वयन संबंधी उसकी प्रक्रिया भी शामिल है। कार्यकारी दल ने महसूस किया कि जिला ऋण, आयोजनाओं को अधिक कारगार बनाने के लिये वित्तपोषक एजेंसियों और विकास कार्य में लगे पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।

जिला ऋण आयोजनाओं में भी ऋण संवितरण के लिये ब्लाक-वार लक्ष्य रखे गये हैं। लीड बैंक योजना को ब्लाक-स्तर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अलबत्ता, सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को दिये जाने वाले ऋणों के निर्विघ्न प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये ब्लाक-स्तर पर सलाहकार समितियां गठित करने का सुझाव दिया था।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि लीड बैंक योजना केवल जिलों के लिए ही है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम विशेष रूप से विकास खण्ड स्तर पर लागू किये जाते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि खण्ड स्तर पर भी कोई लीड बैंक योजना हो। जिला एक बहुत बड़ी इकाई है, इसलिए विकेन्द्रीकरण के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या ब्लाक स्तर पर भी ऐसी लीड बैंक योजना खोलने पर विचार किया जायेगा ?

श्री जनार्दन पुजारी : एक जिला ऋण योजना है। इस दस्तावेज में बैंक-वार और क्षेत्र-वार कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो सुझाव दिए गये हैं उन्हें ध्यान में रखा जाएगा और सही दिशा में कदम उठाये जाएंगे। हम आपके सुझाव पर विचार करेंगे और उस पर कार्यवाही करेंगे।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : वार्षिक योजना के अनुसार, जहां तक हिमाचल प्रदेश का संबंध है, इन कार्यक्रमों का निष्पादन काफी सन्तोषजनक है, यह 124 प्रतिशत रहा जबकि अखिल भारतीय कार्यनिष्पादन केवल 99 प्रतिशत ही रहा। इस तरह इनका कार्यनिष्पादन निश्चित ही बेहतर रहा। लेकिन फिर भी हम आपके सुझाव पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वे बोनस के हकदार हैं।

श्री पी० कोलन्दैवेलू : समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान मापदण्डों के अनुसार प्रति विकास खण्ड 600 परिवार ही शामिल किए जाते है। क्या इस योजना के अन्तर्गत और परिवारों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ? इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक जब भी ऋण मंजूर करते हैं तो वे प्रतिभूति की मांग करते है। इसके अलावा वे केवल शहरों और शहरी क्षेत्रों में ही अपनी शाखाएं खोल रहे हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं दूसरे भाग का उत्तर पहले दे रहा हूं। जहां तक समेकित ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत योजनाओं का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार ने स्पष्ट अनुदेश जारी किये हैं कि कोई भी बैंक अधिकारी जमानत की मांग

नहीं करेगा । शब्द है 'की मांग करना' यानि 5,000 रु० तक के ऋण के लिए जमानत नहीं मांगी जाएगी । इस ऋण के फलस्वरूप जो संपत्ति बनेगी उसकी जमानत मांगी जाएगी । कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसलिए हम इस पर निगरानी रख रहे हैं । इस सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट अनुदेश जारी किये हैं ।

श्री पी० कोलनदईवेलू : वित्त मंत्री के तमिलनाडू के दोरे और उनके स्पष्ट कहने पर भी वे इसे लागू नहीं कर रहे हैं ।

श्री जनार्दन पुजारी : हम इस पर निगरानी रख रहे हैं । और हम कह रहे हैं कि इन अनुदेशों को लागू किया जाना चाहिए । जहां तक इस कार्यक्रम का संबंध है, यह सत्य है कि हम प्रत्येक जिले के 600 परिवारों को ही शामिल कर पा रहे हैं । देश के 5,011 ब्लाकों से हमें 3,000 करोड़ रु० की राशि बांटनी है । छटो योजना के अन्तर्गत, इसके पांच वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम में शामिल बकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से 3,000 करोड़ रु० की यह राशि दी जायेगी । इस प्रकार बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से प्रति वर्ष 600 करोड़ रु० बांटे जायेंगे ।

जहां तक 1982-83 तक की कार्य निष्पत्ति का संबंध है, हमने 600 करोड़ रु० के लक्ष्य के मुकाबले 730.98 करोड़ रु० दिए हैं । 1983-84 में हम 600 करोड़ रु० के लक्ष्य के मुकाबले 779 करोड़ रु० बांट पाये है । इसमें पिछला बकाया भी शामिल है । यह उपलब्धियां रही हैं ।

श्री महेन्द्र सिंह : जहां तक गरीबी दूर करने के उपायों का संबंध है, बैंक अधिकारियों और खण्ड अधिकारियों में समन्वय न होने की वजह से, लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है । इस बारे में कई शिकायतें हैं । क्या मंत्री महोदय इन शिकायतों की तरफ ध्यान देंगे ? ये शिकायतें भ्रष्टाचार के बारे में भी हैं । विशेषकर उस समय जब कि कलक्टर इन शिकायतों पर कार्यवाही करता है । बैंक कर्मचारी ट्रेड यूनियनों के पास चले जाते हैं और किसी प्रकार की कार्यवाही का विरोध करते हैं । गरीब किसानों की रक्षा तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जनार्दन पुजारी : हमें देश के भिन्न-भिन्न भागों से ये शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि यह सहायता कमजोर वर्गों के लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं । कुछ अंश भ्रष्टाचार का भी है । यही नहीं रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों का भी पालन नहीं किया जा रहा और कुछ बैंक तो इनका तब पालन करते हैं जब सरकार इन शिकायतों पर ध्यान देकर कुछ अनुदेश जारी करती है मैं इस पर निगरानी रखने के लिए जगह-जगह जाता रहता हूं । हम कमजोर वर्गों को सूचित कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी व्यक्ति को एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है । हम बैंक अधिकारियों को भी कह रहे हैं कि उन्हें जमानत मांगने की आवश्यकता नहीं हैं ।

डा० कृपासिन्धु भोई : देश में कई ऋण मेले लगाये गये हैं । माननीय मंत्री ने सम्भलपुर ढेंकानाल और अन्य स्थानों के ऋण मेलों के लिए कई दफा उड़ीसा का दौरा किया है । समेकित ग्रामीण विकास योजना और अन्य योजनाओं के अन्तर्गत अभी भी 20,000 से अधिक लोगों को ऋण मिलना बाकी है । इस योजना के अन्तर्गत कितने क्लर्क और अन्य लोगों को पदोन्नति देकर परिवीक्षा अधिकारी बना दिया गया है । देश ने यह महान कार्य हाथों में लिया है । पिछले

वर्ष की अपेक्षा 1982 से 1984 में बैंकों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है। वह इस समस्या को कैसे सुलझाने जा रहे हैं—यानि कि सेवा की अवधि की बजाय उन लोगों को पदोन्नति दी जाए जोकि वास्तव में तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से विशेषज्ञ हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : अगर आप प्रश्न पर नजर डालें तो सेवा की शर्तें, पदोन्नति आदि इस प्रश्न के दायरे में नहीं आते। जहां तक कमजोर वर्गों को ऋण न वितरण किये जाने का संबंध है, तो यह बात अभी तक हमारी जानकारी में नहीं लाई गई है। अगर लिखित में शिकायत दी जाए तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ये ऋण उन्हें वितरित किए जाए। अगर मंजूरी पत्र जारी कर दिये गये हैं और पैसे नहीं दिये गये तो हम निश्चित ही उन मामलों में कार्यवाही करेंगे।

वित्तीय वर्ष को बदलने संबंधी समिति की रिपोर्ट

*101. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को वित्तीय वर्ष बदलने के संबंध में समिति से रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया है और इसे राज्यों को उनके विचार जानने के लिए भेज दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार कब तक निर्णय करेगी ?

वित्त तथा वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री गिरिधर गोमांगो : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह वित्तीय वर्ष बदलने के संबंध में है। 1867 में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च किया गया था। यह ब्रिटिश परम्परा के अनुसार था। 1956 में यह विषय राष्ट्रीय विकास परिषद में उठाया गया था और मुख्य मंत्री सिद्धांत रूप में इस पर सहमत हो गए थे। 1958 में प्राक्कलन समिति ने भी इस पर सिफारिश की थी। 1984 में सरकार ने इसके लिए एक समिति का गठन किया था जिसको अक्तूबर, 1984 तक प्रतिवेदन देना था। उस समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं और वह सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कितना समय और लेगी ताकि उचित समय पर उचित निर्णय लिया जा सके।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह समिति मई, 1984 में गठित की गई थी। अक्तूबर 1984 में इसने अपना प्रतिवेदन देना था। समिति ने प्रश्नसूची राज्य सरकारों, सार्वजनिक

निकायों व व्यक्तियों को भेज दी है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर राज्य सरकारों की राय लेना आवश्यक है। कुछ राज्य सरकारों ने उत्तर दिया है कुछ ने नहीं दिया है। अतः इस समिति का समय बढ़ाना उचित समझा गया ताकि सब राज्य सरकारें अपनी राय भेज सकें। इसलिए इस समिति का समय दिसम्बर तक बढ़ा दिया गया। समिति के सभापति ने सभी राज्य सरकारों को लिखा है। लेकिन तब तक लोक सभा के चुनाव आ गये। अतः ऐसा सोचा गया कि चुनाव के बाद समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती है। यह आशा की जाती है कि फरवरी के अन्त तक समिति अपना प्रतिवेदन दे देगी। फिर भी 8 फरवरी को समिति की बैठक हो रही है और तभी अन्तिम निर्णय का पता लगेगा।

श्री गिरिधर गोमांगो : 1960-61 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने प्रतिवेदन में तीन विकल्प सुझायें थे। उनमें पहला यह था कि ऐसा तरीका विकसित किया जाये जिसमें किसी वर्ष विशेष में जो अनुदान स्वीकृत हुए हैं वे अनुवर्ती वर्ष में भी खर्च के लिए उपलब्ध होंगे अतः प्रशासन को स्कीम को पूरा करने के लिए पूरे 12 मास मिल सकें। दूसरा सुझाव यह था कि केन्द्रीय मार्ग आरक्षी निधि की तरह का एक न समाप्त होने वाली जनजाति विकास निधि बनाई जाये। और तीसरा सुझाव यह था कि वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च से बदल कर जुलाई-जून कर दिया जाए। उस आधार पर क्या सरकार वित्तीय वर्ष बदलने का निर्णय लेगी? क्या सरकार पहले दो सुझावों जिसमें जनजाति क्षेत्रों के विकास कार्य पूर्णरूप से लागू किए जा सकें को स्वीकार करने पर विचार करेगी?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय सदस्य ने वित्तीय वर्ष को बदलने के लिए कुछ दलीलें पेश की हैं। एक सुझाव, जिस पर मैं भी सहमत हूं यह है कि वित्तीय वर्ष में काम करने का समय अधिक समय होना चाहिए क्योंकि वित्तीय वर्ष मानसून के दौरान विभाजित हो जाता है और इससे कार्य की गति टूट जाति है, व वर्षा के बाद कृषि उत्पादन का सही अनुमान लगाया जा सके व वित्तीय वर्ष में उसका ख्याल रखा जा सके। परन्तु, वर्तमान समिति की सिफारिश का इंतजार किए बगैर सुझाव को लागू करने को स्वीकार करना मेरे विचार में उचित नहीं होगा विशेषतः जबकि समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने ही वाली है........ **(व्यवधान)**

प्रो० एन०जी० रंगा : उस पैसे का क्या होगा जो खर्च नहीं होगा?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ये सुझावों की बारीकियां हैं कि हम पैसे को किस प्रकार प्रयोग करेगें। अब प्रश्न वित्तीय वर्ष से संबंधित है और जहां तक वित्तीय वर्ष का संबंध है मेरे विचार में हमें समिति के प्रतिवेदन का इंतजार करना चाहिए।

श्री ए०ई०टी० बैरो : क्या मैं यह जान सकता हूं कि वित्तीय वर्ष को बदलने के प्रश्न पर विचार करते हुए स्कूलों व महाविद्यालयों की परीक्षाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उस प्रश्न पर भी विचार किया गया है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ये सब बातें ध्यान में रखी गई हैं, यहां तक कि जब इसको लागू किया जाएगा तो संसद के माननीय सदस्यों का बजट सत्र में भाग लेने की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है।

इस्पात और इस्पात की छड़ों की कीमतों में वृद्धि

*102. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दिनांक 11 जनवरी, 1985 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय का समाचार देखा है कि इस्पात की छड़ों की कमी तथा उनके मूल्य में वृद्धि के कारण इस्पात री-रोलिंग उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उद्योग को पर्याप्त मात्रा में इस्पात की छड़ें उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में इस्पात मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है जैसा कि समाचार में कहा गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री नटवर सिंह) : (क) और (ग) जी हां, हमने रिपोर्ट देखी है। हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुनर्वेलन उद्योग में किसी प्रकार का संकट प्रतीत नहीं होता है। पिछले तीन वर्षों में मुख्य उत्पादकों के बिलेटों के मूल्य में औसतन मात्र तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। यह वृद्धि उत्पादन की बढ़ी हुई लागत की आंशिक पूर्ति करने के लिए की गई है।

(ख) अर्ध तैयार इस्पात (बिलेट भी शामिल है) छड़ों, गोल छड़ों, हल्के संरचनात्मकों जैसे तैयार उत्पादों के लिए कच्चा माल है। सामान्यत: ये उत्पाद देश के सभी भागों में आसानी से उपलब्ध हैं। "सेल" ने पुनर्वेलन उद्योग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अर्ध-तैयार इस्पात का उत्पादन अपनी मूल योजना के मुकाबले बढ़ा दिया है। "सेल" इनके उत्पादन, प्रेषण और लाने ले जाने पर भी लगातार नज़र रख रही है। मुख्य उत्पादकों ("सेल" और "टिस्को") से कहा गया है कि वे पुनर्वेलकों को उनके द्वारा भूत में की गयी खरीद के आधार पर अर्ध-तैयार इस्पात (बिलेट भी शामिल है) सप्लाई करें।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : महोदय, रिरोलर्स संगठन के अध्यक्ष की शिकायत है कि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि कीमत 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1981 व 1984 में एक कम्पनी के बिलेट का प्रति टन मूल्य क्या था ?

श्री नटवर सिंह : वास्तविक स्थिति इस सम्बंध में यह है कि बिलेटों की बिक्री लघु इस्पात संयंत्रों व मुख्य उत्पादकों ('सेल' व 'टिस्को') द्वारा की जाती है। लघु इस्पात क्षेत्र के उत्पाद के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। 1-8-1981 को बिलेटों के मुख्य उत्पादक का मूल्य 3,645 रुपये प्रति टन था व 22-6-1984 को यह मूल्य तीन वर्षों में बढ़कर 4,000 रुपये प्रति टन हो गया। तीन वर्षों में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी अन्य इस्पात उत्पादों के मुकाबले बहुत कम है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : कच्चे माल की उपलब्धि व मांग के सम्बंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि पुनर्वेलकों को बिलटों की कुल कितनी मात्रा की आवश्यकता है व उनको अब कितनी मात्रा उपलब्ध कराई जाती है।

श्री नटवर सिंह : छड़ों, गोल छड़ों, व हल्के संरचनात्मकों की मांग पूर्ति या तो मुख्य उत्पादकों द्वारा सीधी की जाती है या पुनर्बेलकों द्वारा की जाती है। उत्पादन का 70 प्रतिशत भाग निजी क्षेत्र में व 30 प्रतिशत भाग मुख्य उत्पादकों अर्थात् टिस्को व इस्को की होती है।

अब मैं उत्पादन के आंकड़े दूंगा। 1981-82 में, पुनर्बेलकों द्वारा 33 लाख टन व मुख्य उत्पादकों द्वारा 14 लाख टन, 1982-83 में मंदी के कारण उत्पादन का स्तर गिरा था, पुनर्वेलको द्वारा 32 लाख टन व मुख्य उत्पादकों द्वारा 14 लाख टन। सब मिलाकर 46 लाख टन होता है। 1983-84 में पुनर्वेलकों द्वारा 33 लाख टन व मुख्य उत्पादकों द्वारा 11 लाख टन। कुल 44 लाख टन। अब 1984-85 वर्ष में 47 लाख टन मांग की आशा है व अनुमानित उपलब्धता मुख्य उत्पादकों द्वारा 15 लाख टन है व पुनर्बेलकों द्वारा 34 लाख टन है। कुल 49 लाख टन बनती है।

श्री पी० शनमुगम : मैं जानना चाहता हूं कि क्या चालू वर्ष में कोई अन्य इस्पात उद्योग शुरू करने का सरकार विचार कर रही है। अगर ऐसा है तो किस राज्य में इसको स्थापित करने का विचार है।

श्री नटवर सिंह : महोदय, सदन के समक्ष जो प्रश्न है यह उससे सम्बन्धित नहीं है।

क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना

*103. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना के अधीन विकास के मामले में क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ताकि ग्रामीण जनता की सहायता की जा सके; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायण) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

1. अन्तार-राज्यीय क्षेत्रीय असंतुलनों की समस्या इस समय केन्द्रीय सरकार स्तर पर एक फार्मूले के अनुसार जो पिछड़े राज्यों के पक्ष में है, संसाधन हस्तांतरण के माध्यम से हल की जा रही है।

2. अन्तर-राज्यीय क्षेत्रीय असंतुलनों की समस्या मुख्यतया राज्य सरकारों से संबंधित है। राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम आरंभ करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की जाती है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए अलग से भी विशेष केन्द्रीय सहायता निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत रेगिस्तानी क्षेत्रों और सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों के विकास के लिए 50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार करती है। पिछड़े जिलों का त्वरित औद्योगिक विकास करने के लिए निवेश राजसहायता और रियायती वित्त का प्रावधान है।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकारें भी अपने राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करती हैं और योगात्मक योजना धनराशि के प्रावधान के माध्यम से अपने विकास की समस्या हल कर रही हैं।

4. राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा जुलाई, 1984 में अपनाए गए सातवीं योजना के नीति पत्र में विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या हल करने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया है। नीति पत्र के अनुसार "(समस्या का) कुछ समाधान कम विकसित क्षेत्रों में कृषि के विकास में है लेकिन यह एक बहुत ही व्यापक समस्या है और इसके समाधान के लिए वित्त प्रभाग के लिए तंत्रओद्योगिक अवस्थिति से संबंधित नीतियों, सिंचाई और आधार संरचना में निवेशों के वितरण और अन्य परिपोषी मामलों के संबंध में पुनः परीक्षा की आवश्यकता है। यह अनिवार्य है कि विकास के क्षेत्रीय आयाम के बारे में सातवीं योजना के अभिन्न अंग के रूप में विचार किया जाए।"

श्री अमर राय प्रधान : हम अब सातवीं पंचवर्षीय योजना शुरू करने जा रहे हैं। प्रत्येक योजना नीति पत्र में, इस बात पर बल दिया जाता है कि क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त किया जायेगा लेकिन हमारा यह अनुभव रहा है और यह बहुत दुःख की बात है कि यह क्षेत्रीय असंतुलन अभी तक समाप्त नहीं किया गया। यह असंतुलन अपेक्षाकृत और बढ़ा है चाहे हम अंतर्राज्य असंतुलन को लें अथवा राज्य के भीतर के असंतुलन को लें। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहूंगा कि राज्यों में क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने के लिए, विशेषकर उत्तरी बिहार, उत्तरी बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों जैसे इलाकों में, क्या कदम उठाये गये हैं। इन स्थानों की स्थिति अब काफी विस्फोटक है।

श्री के०आर० नारायणन : यह सच है कि प्रत्येक योजना में क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने का प्रयास किया जाता है लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार द्वारा योजना के माध्यम से इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है। वस्तुतः क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने संबंधी नीति में दो बातें हैं। एक तो राज्यों के बीच अंतुलन के बारे में है। इस प्रकार के असंतुलन दूर करने के लिए योजनाओं में विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए सहायता की व्यवस्था की जाती है। जैसाकि आप जानते हैं कि यह सहायता लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए दी जाती हैं। माननीय सदस्य देखेंगे कि संशोधित गाडगिल फार्मूले में जो अन्य राज्यों पर लागू है में इस प्रकार की बात है कि जनसंख्या के आधार पर 60 प्रतिशत धन की व्यवस्था की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि इतनी धनराशि आम जनता के जीवन स्तर में सुधार के लिए जाती है।

इसके बाद एक अन्य बात का भी ध्यान रखा जाता है। 20 प्रतिशत धनराशि उन राज्यों को जाती है जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत आय से कम है। यह विशेष रूप से लोगों का जीवन सुधारने के लिए किया गया है।

दूसरी बात राज्यों के भीतर व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन है। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाये गये हैं एक कदम है, पिछड़े इलाकों, अविकसित क्षेत्रों, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर विचार करना और फिर देश के अधिक गरीब और अविकसित क्षेत्रों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं।

श्री अमर रायप्रधान : अध्यक्ष महोदय, यह सब ठीक है। लेकिन जिन क्षेत्रों का मैंने अभी-अभी उल्लेख किया है ये अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्र हैं और यहां अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की संख्या अधिक है। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से छठी योजना अवधि तथा सातवीं योजना अवधि के बारे में जानना चाहूंगा। छठी योजना अवधि में मूलभूत सुविधाओं में कितनी प्रगति हुई है और इस उद्देश्य के लिये सातवी योजना अवधि में कितना धन आबंटित किया गया है।

श्री के० आर० नारायणन : सातवीं योजना के लिये अभी तक धन का आबंटन नहीं किया गया है क्योंकि अभी योजना बनाई जानी है और उसे अंतिम रूप दिया जाना है। हम आवश्यकताओं का हिसाब लगा रहे हैं। आपको पता है कि छठी योजना अवधि के लिये कितना धन आबंटित किया गया है।

श्री अमर रायप्रधान : आपने कितना धन आबंटित किया है और वे आधारभूत सुविधाएं कौन-कौन सी हैं ?

श्री के०आर० नारायणन : अभी विचार-विमर्श होगा और उसके बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। साधनों की स्थिति के विषय में हमें पता है कि केन्द्र कितना दे सकता है और राज्य कितना दे सकते हैं। लेकिन आपको मालूम ही है कि राज्यों की विशेष श्रेणी के लिए योजना में 3251 करोड़ रुपये रखे गए हैं और पहाड़ी क्षेत्रों के लिये 560 करोड़ रुपये। जन-जातीय क्षेत्रों के लिये यह धनराशि 470 करोड़ रुपये है और पूर्वोत्तर परिषद् के लिए 340 करोड़ रुपये रखे गये हैं। छठी योजना में ये राशियां इन अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिये अलग से रखी गई थी।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों दोनों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं जोकि राज्यों के भीतर ही हैं। यह सच है कि कमजोर वर्गों के विकास के लिये भी योजनाएं हैं। लेकिन राज्यों के भीतर ही पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्र सरकार की कोई योजना नहीं है। क्या मंत्री महोदय, इस बारे में किसी विशिष्ट योजना के संबंध में बताएंगे ?

श्री के०आर० नारायणन : पहाड़ी क्षेत्रों के लिये आबंटित की गई राशि विशिष्ट योजनाओं के लिये होती है ताकि राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों का विकास किया जा सके।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : महोदय, पिछड़े क्षेत्रों से मेरा तात्पर्य पहाड़ी क्षेत्रों से नहीं था। उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और रायलसीमा जैसे पिछड़े क्षेत्र हैं। लेकिन राज्य में ही ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिये कोई केन्द्रीय सरकार की योजना नहीं है।

श्री के०आर० नारायणन : यही विभाजन है केन्द्र और राज्यों के बीच। मेरे विचार से अधिकांश विकास राज्य में ही शुरू होना है और केंद्र इसके लिए सहायता दे सकता है।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये योजनाएं बनाते समय और उनका मूल्यांकन करते समय

349/Lok Sabha/85—3

क्या मंत्री महोदय पिछली परम्परा से हट कर काम करेंगे। मेरा अभिप्राय यह है कि राज्य सरकारों से ज्ञापन और कागजपत्र मंगाने की बजाय क्या योजना आयोग के अधिकारी इस बार देश के उन स्थानों का दौरा करेंगे जिन्हें पिछड़े इलाके कहा जाता है और योजना मूल्यांकन के लिए दिल्ली में प्राप्त हुये कागजातों पर निर्भर रहने की बजाय, स्थान पर ही निर्णय लेंगे? मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं—मुझे इस बात का पता नहीं कि मंत्री महोदय जी को इस बात की जानकारी है या नहीं—कि पिछली छठी पंच वर्षीय योजना में चाय, पटसन और इमारती लकड़ी से प्राप्त हुआ अधिकांश राजस्व उत्तरी बंगाल से ही आया था लेकिन छठी पंच वर्षीय योजना में उस क्षेत्र से हजारों ज्ञापन मिलने के बावजूद समूचे उत्तरी बंगाल में न तो कोई बड़ा उद्योग लगाया गया न कोई बड़ी सिंचाई योजना आरम्भ की गई न कोई बड़ा कृषि कार्यक्रम शुरु किया गया।

श्री के०आर० नारायणन : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, योजना आयोग के अधिकारी दिल्ली में विचार-विमर्श करने के साथ-साथ राज्यों का दौरा कर रहे हैं और वहां विचार-विमर्श कर रहे हैं। जहां तक विशिष्ट क्षेत्रों का दौरा करने का प्रश्न है, इस मामले पर विचार किया गया है और प्रायः ऐसा किया जाता है।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गान्धी) : मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि कुछ राज्यों में योजनागत व्यय का गैर-योजनागत क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अन्तरण हुआ है। हम इसकी जांच करेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे।

समेकित वित्त-सूचना प्रणाली शुरू करना

*104. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई समेकित वित्त-सूचना प्रणाली शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या शीघ्र ही कोई क्रियात्मक लेवी प्रणाली शुरू किये जाने का भी विचार है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे प्रशासनिक ढांचे में सुधार करने और कार्य के शीघ्र निपटाने में कहां तक सहायता मिलेगी?

वित्त तथा वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). वित्त मंत्रालय ने एक कम्प्यूटर आधारित सूचना प्रणाली शुरू की है जिसमें भारत सरकार के इलेक्ट्रानिकी आयोग के राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र के "निकनेट" नामक तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए, वित्त मंत्रालय में एक कम्प्यूटर टर्मिनल चालू किया गया है और संभावित अनुप्रयोगों का पता लगाया जा रहा है।

और यंत्रेतर सामग्री (सॉफ्टवेयर) विकसित की जा रही है। यह कम्प्यूटर टर्मिनल राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र के मुख्य कम्प्यूटर से जुड़ा हुआ है जहां से यह प्रणाली अन्य मंत्रालयों से भी डाटा प्राप्त कर सकती है। टर्मिनल में एक स्वाधीन अतिरिक्त प्रणाली भी है और कुछ समय में एक डाटा आधारित सूचना प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव है। यह सूचना-प्रणाली कम समय में, सामग्री के संग्रह और पुन: प्राप्ति की सुविधाएं भी प्रदान करेगी।

(ग) और (घ). यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य द्वारा 'प्रयुक्त क्रियात्मक लेवी प्रणाली' (फंक्शनल लेवी सिस्टम) शब्दावली का क्या अर्थ है।

(ङ). यह आशा की जाती है कि उपर्युक्त प्राचलों (पेरामीटर्स) के आधार पर एक सूचना प्रणाली विकसित करने से मंत्रालय के कार्य-निष्पादन का सुधार करने में सहायता मिलेगी। इस सूचना प्रणाली से विभिन्न निर्देशकों (इंडीकेटर्स) का पता चलेगा और इनसे निर्णय करने वालों को तत्परता और शीघ्रता से निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

डा० कृपा सिंधु भोई : महोदय, जहां तक इस विषय विशेष का संबंध है, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता।

तत्कालीन संसद सदस्य तथा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने वित्त विधेयक और 1983-84 के बजट पर अपने भाषण में कुछ ऐसा कहा था, जो इस प्रश्न के विषय में काफी संगत है। इसके उत्तर में माननीय वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 5 जनवरी 1985 को समाचार पत्रों में एक वक्तव्य दिया था जिसमें इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। लेकिन सदन को जो आलंकारिक उत्तर दिया है वह जनता में वैज्ञानिक रुचि पैदा करने के लिये देश को दलित लोगों से प्रभावित नहीं कर पायेगा।

मैंने उनसे प्रैस में दिये गये उनके वक्तव्य से परे प्रश्न नहीं पूछा है। सभा पटल पर रखे गये अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा है :

> 'यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य द्वारा प्रयोग किये गये वाक्यांश 'फंक्शनल लेवी सिस्टम' का क्या अभिप्राय है।"

मैंने 'फंक्शनल लेवी सिस्टम' वाक्यांश का प्रयोग उनके प्रैस वक्तव्य में दी गई जानकारी के आधार पर किया गया है।

मुझे इस संबंध में सरकार को बधाई देनी चाहिये और मैं उनके उस कार्य निष्पादन से असहमत नहीं हूं जो वह अपने मंत्रालय में कर रहे हैं। इसके साथ ही, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में दिया गया उत्तर सरकार के कार्यकरण के बारे में जनता में वैज्ञानिक अभिरूचि पैदा करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

उसी के आधार पर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां आम जनता से सीधा सम्पर्क होता है, उन मामलों में कैसे तेजी आयेगी। इससे सरकार की बजट नीतियां बनाने और बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में कहां तक सहायता मिलेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो फंक्शनल लेवी प्रणाली आरम्भ की जाएगी उसकी विशेषताएं क्या होंगी, इस पर

कितना व्यय होगा और इसे प्रत्येक क्षेत्र, अर्थात सरकारी क्षेत्र तथा आधुनिक डिजाइन सहित..........में उपयोग में लाने में कितना समय लगेगा।........(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या पूछ रहे हैं? (**व्यवधान**) कितने प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उत्तर देने के लिये वे कम्प्यूटर हैं।

डा० कृपा सिंधु भोई : आप उस प्रैस वक्तव्य को पढ़िये जो इन्होंने दिये हैं। मैं उसी के आधार पर प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सर्वप्रथम सार्वजनिक व्यवहार में तत्परता लाने के उद्देश्य से मैंने माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त सभी पत्रों को कम्प्यूटरी कृत करने के लिये कहा है ताकि उनके उत्तर भेजने और उन पर की गई कार्यवाही के विषय में उचित निगरानी रखी जा सके।

डा० कृपा सिंधु भोई : सरकारी क्षेत्र के बारे में आपका क्या कहना हैं, क्योंकि आप समूची सरकार के शीर्षस्थ मंत्री हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह एक संगत प्रश्न है कि सरकारी क्षेत्र के कार्य-निष्पादन की निगरानी रखी जा सकती है और यही बात हमारे दिमाग में भी है। लेकिन यह शुरूआत है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीजे भी कम्प्यूटरीकरण के लिये आएंगी।

डा० कृपा सिंधु भाई : मैं यह जानना चाहूंगा कि इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी फालतू हो जायेंगे और उनकी सेवाओं का कैसे उपयोग किया जाना है। इस कम्प्यूटर प्रणाली एकीकृत वित्त सूचना सेवा प्रणाली जो आप शुरू करने जा रहे हैं के लागू करने से विदेशों के साथ होने वाले समझौतों को कैसे जल्दी अंतिम रूप दिया जायेगा?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कम्प्यूटरीकरण से कोई कर्मचारी फालतू नहीं होगा। यह प्रणाली कुछ कर्मचारियों को फालतू घोषित करने के लिये शुरू की जा रही हैं। इसका उद्देश्य जल्दी कार्य करना है। इससे आंकड़े एकत्र करने और आर्थिक विश्लेषण के उपयोजन में सहायता मिलेगी।

बिक्री कर समाप्त करना

*106. **श्री नवीन रावणी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के सभी वर्गों से देश में बिक्री कर को समाप्त करने तथा इसे उत्पादन शुल्क आदि में बदलने की जोरदार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) देश में बिक्री कर प्रणाली को समाप्त करने के संबंध में सरकार की नीति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) समाज के कतिपय वर्गों की ओर से बिक्री कर को समाप्त करने तथा उसके स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की मांग की जाती रही है।

(ख) फरवरी, 1981 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसार, पांच जिन्सों पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की योजना लागू करने के वित्तीय प्रभावों तथा इस बात का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी कि राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है। श्री कमलापति त्रिपाठी, संसद सदस्य की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट 19-1-1983 को प्रस्तुत की थी जिसे 29-4-1983 को दोनों सदनों के पटलों पर रखा गया था।

(ग) चूंकि बिक्री कर मुख्यतः राज्य कराधान का विषय है इसलिए बिक्री कर की प्रणाली में कोई भी सुधार राज्यों के परामर्श तथा सहयोग से किया जा सकता है।

श्री नवीन रावणी : श्री कमलापति त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या कमलापति त्रिपाठी समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिये किसी राज्य ने केन्द्र से परामर्श किया है। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जनार्दन पुजारी : बहुत से मुख्य मंत्रियों ने इस सिफारिश तथा प्रस्ताव का स्वागत किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री इस सिफारिश से सहमत नहीं थे और कुछ मुख्य मंत्री चाहते थे कि इस सिफारिश को सरकारिया आयोग के समक्ष रखा जाये।

जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में बताया है, यह राज्य का विषय है तथा केंद्र राज्यों पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता।

श्री नवीन रावणी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या रिपोर्ट मिलने के बाद उसमें दी गई उस सिफारिश पर किसी राज्य ने केन्द्र से विचार-विमर्श किया है ?

श्री जनार्दन पुजारी : 2-11-1983 को मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था और यह सिफारिश मुख्य मंत्रियों के सामने रखी गई थी उसी समय मुख्य मंत्रियों ने यह सुझाव दिया था। जैसाकि मैंने कहा है, इसे थोपा नहीं जा सकता। राज्यों के साथ विचार-विमर्श करके तथा उनके सहयोग से ही हल निकाला जायेगा।

श्री नवीन रावणी : समिति की मुख्य सिफारिश क्या है और समिति की सिफारिशों के बारे में राज्यों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : जैसाकि मैंने पहले बताया था, इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया था इसे देखा जा सकता है।

श्री बी० डी० पाटिल : बिक्री-कर विधा अपने आप में प्रतिगामी है। इसे समाप्त किया जाना चाहिये। इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या राय है ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने इसे स्पष्ट कर दिया था कि इस बारे में राज्य सरकारों ने राय दी है विपक्षी दलों के कुछ मुख्य मंत्रियों ने यह सुझाव दिया था कि यह प्रस्ताव सरकारिया

आयोग को भेजा जाना चाहिये। लेकिन केन्द्र का यह मत है कि सरकारिया आयोग केन्द्र-राज्य संबंधों पर विचार कर रहा है और इसे आयोग के पास भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित सा है।

श्री विनेश सिंह : उत्तर से ऐसा लगता है कि आयोग की सिफारिशों से कुछ राज्य सहमत हैं और कुछ नहीं। क्या जिन राज्यों ने इस पर सहमति प्रकट की है वे आयोग की सिफारिशों को लागू करने जा रहे हैं? और इस बारे में केन्द्र कितनी सहायता देने जा रहा है? कुछ राज्यों द्वारा इन्हें लागू करने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या अन्य राज्यों को भी उन्हें लागू करने के लिए मनाना संभव होगा?

श्री जनार्दन पुजारी : जैसा कि मैंने पहले कहा है, हम सभी राज्यों में सहमति लाने की चेष्टा कर रहे हैं। यह किसी एक या किसी अन्य राज्य में लागू नहीं की जा सकती जैसा कि मैंने कहा है कि हमें इसकी आवश्यकता और समस्या की जानकारी है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय ने कहा है कि राज्य सरकारों के परामर्श से ही पिछली कर-प्रणाली में कोई परिवर्तन किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूं क्या कुछ महीने पहले भारत सरकार ने एक सम्मेलन बुलाया था जिसमें राज्यों के मुख्य मन्त्री एवं वित्त मन्त्री उपस्थित हुए थे, उस बैठक में क्या कोई निष्कर्ष इस बारे में निकले थे? यदि निकले थे, तो भारत सरकार ने उसके बाद उस पर क्या कार्यवाही की?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने पहले ही बता दिया है।

सामूहिक बैंक ऋण योजना

*107. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामूहिक बैंक ऋण योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1984 तक कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया है;

(ख) उन ऋणों को देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये; और

(ग) क्या सरकार के पास कोई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनसे पता चल सके कि इन ऋणों का किस विशेष कार्यों के लिए उपयोग किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंक "सामूहिक बैंक ऋण योजना" नाम की कोई योजना नहीं चला रहे हैं। बैंक, अलबत्ता, ऋण प्रस्तावों की अर्थक्षमता की सही छानबीन और भारतीय रिजर्व

बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के तहत कमजोर वर्गों के लोगों को ऋण सहायता दे रहे हैं। मोटे तौर पर ऋण सहायता का उपयोग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कार्यों के लिए किया जाता है। दिसम्बर, 1983 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की 14057 करोड़ रुपए की रकम बकाया थी। इसमें से कमजोर वर्गों के नाम 114 लाख ऋण खातों के अधीन 2824 करोड़ रुपए की रकम बकाया थी।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : मुझे खेद है कि प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे यह पता लगाया जा सके कि जिस कार्य के लिए ऋण दिया गया है उसी के लिए उसका उपयोग किया गया है।

श्री जनार्दन पुजारी : जी हां, व्यवस्था है। जिला स्तर पर जिला सलाहकार समिति और खण्ड स्तर पर भी सलाहकार समिति हैं जोकि इसके कार्यान्वयन के बारे में नजर रखती है। जहां तक आई०आर०डी०पी० के विशेष कार्यक्रम का संबंध है, हमने मुख्य मंत्रियों को सलाह दी है कि वे अपने यहां खण्ड स्तर पर सलाहकार समितियों का गठन करें। कुछ मुख्य मंत्री इससे सहमत नहीं थे, लेकिन कुछ मुख्य मंत्रियों ने सलाहकार समितियां गठित की हैं।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : कुल जितनी राशि ऋण के रूप में दी गई है, उसमें कमजोर वर्गों को दिये गये ऋण का प्रतिशत बहुत कम है। कमजोर वर्गों को इस योजना से लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : भूतपूर्व और वर्तमान सरकार ने यह वादा किया हैं कि हम विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उत्पादन प्रयोयनों के लिए कमजोर वर्गों की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत मार्च, 1985 तक जो धन दिया जाना था, इसमें से 40 प्रतिशत कमजोर वर्गों को दिया जायेगा, यानि कुल अग्रिम धनराशि का 10 प्रतिशत कमजोर वर्गों को दिया जायेगा। हाल ही में 'कमजोर वर्गों' की एक नई परिभाषा दी गई है। जहां तक प्राथमिकता क्षेत्र में कमजोर वर्गों के लिए हिस्से का संबंध है, स्थिति यह है।

श्री राजेश पाइलट : पिछले वर्ष दिये गये एक वक्तव्य में माननीय मंत्री ने कर्नाटक में कहा था कि सरकार बैंकों से ऋण लेने में बिचोलियों को समाप्त करने की हर सम्भव कोशिश कर रही है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि कुछ जगह अभी भी व्याप्त इस प्रवृति को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

श्री जनार्दन पुजारी : कुछ शिकायतें हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, बिचौलिये हैं। कुछ भ्रष्टाचार भी है, जिसके फलस्वरूप ऋण का राजसहायता अंश कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए सरकार ने उपाय किये हैं। मैं अपनी ओर से कह सकता हूं कि मैं जगह-जगह जा कर इस पर व्यक्तिगत तौर पर निगरानी रख रहा हूं और लोगों को इस बारे में जानकारी दे रहा हूं ताकि यह उन तक सीधे ही पहुंच सके और कोई बिचौलिया न रहे, कहीं भ्रष्टाचार न हो। हम न केवल बैंक वालों को सलाह और निदेश दे रहे हैं कि किसी बिचौलिये की मदद न लें बल्कि इस प्रणाली पर निगरानी भी रख रहे हैं। हम बैंकों से यह भी कह रहे हैं कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लोगों की सही शिनाख्त करें। यही नहीं बैंकों के

अलावा स्थानीय प्रशासन, दिल्ली विकास प्राधिकरण, आदि भी आई०आर०डी०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों का पता लगा रहे हैं। उनका पता लगाने के बाद वे उनके प्रार्थना-पत्रों को बैंकों को प्रेषित कर देते हैं और बैंक उन पर कार्यवाही करता है। और उसके बाद ऋण मंजूर करता है।

[हिन्दी]

श्री डालचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, शासन की नीति के अनुसार कमजोर वर्ग को ऋण प्राप्त होना चाहिए, लेकिन बैंक वाले कमजोर वर्ग के लोगों को परेशान करते हैं। इन लोगों को एप्लीकेशन देने के बाद बैंकों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसके बावजूद भी जो राशि मंजूर होती है, वह भी पूरी प्राप्त नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बैंकों में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, जितना पैसा हमारे कमजोर वर्ग के भाईयों को ऋण के रूप में प्राप्त होना चाहिए, उतना तो उनको मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है कि बैंक के अधिकारियों के खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह तो सजेशन है। आप पूछिए—क्या एक्शन आप लेंगे या नहीं लेंगे ?

[अनुवाद]

श्री जर्नादन पुजारी : अपने मुख्य उत्तर में मैंने कमजोर वर्गों पर बकाया राशि का उल्लेख किया है। 114 लाख ऋण खातों के अधीन 2,824 करोड़ रुपए की रकम बकाया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि केवल आई०आर०डी०पी० के अन्तर्गत ही हम 120 लाख से अधिक लोगों को ऋण दे पाये हैं। छठी पंच वर्षीय योजना के लिए 1.5 करोड़ के लिए है और 3,000 करोड़ रु० देने का लक्ष्य रखा गया है। हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और हम पहले ही इसके नजदीक पहुंच चुके हैं।

श्री माला रेड्डी/रघुमा रेड्डी : क्या कमजोर वर्गों में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग भी शामिल हैं। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों में भी कई लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। उनके लिए क्या कार्यक्रम है ?

श्री जनर्दन पुजारी : कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। इसके अलावा उनके लिए विभेदी ब्याज दर का कार्यक्रम भी है। इसके इलावा, युवकों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए प्रधान मंत्री की शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजना है। आई०आर०डी०पी० के अलावा, भूमिहीन गारंटी योजना है। राज्य सरकारों के माध्यम से इसे लागू किया जा रहा है।

मुद्रा संबंधी घोटाला

*108. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री मोहन भाई पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में सहर पुलिस द्वारा करोड़ों रुपए की मुद्रा के घोटाले का भंडाफोड़ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उनकी राष्ट्रीयता क्या है;

(ग) क्या इस घोटाले में कुछ सीमाशुल्क अधिकारी भी शामिल हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) पकड़ी गई भारतीय और विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : एक विवरण सदन-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (घ). सहार पुलिस थाने के अधिकारियों द्वारा सहार हवाई अड्डे पर काम करने वाले एक मजदूर, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र सतम को दिनांक 3-1-1985 को पकड़ा गया था जिसके पास से 48,871.50 रुपए मूल्य की समतुल्य विदेशी मुद्रा और 810 रुपए की भारतीय मुद्रा मिली थी । यह मुद्रा उसके कब्जे से उस समय बरामद की गई जब वह निर्गमन कक्ष (डिपार्चर लाउंज) से बाहर जा रहा था । इस मामले के सिलसले में, छानबीन किए जाने के आधार पर पुलिस ने श्री सतम और भारतीय राष्ट्रिकता के दो अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है । अब तक जो छानबीन की गई है उससे इस मामले में किसी सीमाशुल्क अधिकारी के अंतर्ग्रस्त होने का संकेत नहीं मिलता है । अभिगृहीत भारतीय तथा विदेशी मुद्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) भारतीय मुद्रा—810 रुपए

(2) विदेशी मुद्रा :—

(i) अमेरिकी डालर—1950

(ii) सऊदी रियाल—4030

(iii) कुवैत दिनार—140

(iv) ओमानी रियाल—50

श्री चिन्तामणि जेना : मैं वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश में व्यापत इस प्रकार के घोटालों को रोकने के लिए गहरी दिलचस्पी ली इन घोटालों से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पश्चात् क्या व्यक्तिगत लोगों के घरों की छानबीन की गई और यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या है और उन्हें यह विदेशी मुद्रा कैसे प्राप्त हुई और ऐसे कौन-कौन से स्रोत हैं जहां से उन्हें यह राशि प्राप्त हुई और भविष्य में इस प्रकार के घोटालों को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की ।

श्री जनार्दन पुजारी : श्री सतम और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है । जांच जारी है । अभियुक्त से जो मुद्रा बरामद हुई है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

भारतीय मुद्रा—810 रु०

43,871.50 रु० के कीमत की विदेशी मुद्रा ।

जहां तक इन मामलों में की जाने वाली कार्यवाही का संबंध है, मैं इस सम्मानित सभा के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। हमने इन अधिकारियों को बिलकुल स्पष्ट कह दिया है कि वे बिना किसी भय और पक्षपात के कार्यवाही करें और उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें। हमने उनसे कहा है कि प्रशासन को चुस्त करें और अगर कहीं अकुशल व्यक्ति हैं तो उन्हें हटाया जाए और उनकी जगह चुस्त और कुशल व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए, ताकि परिणाम सामने आ सकें।

श्री चिन्तामणि जेना : मेरे पूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने हमें बताया है कि उनके मंत्रालय ने सीमा शुल्क और अन्य लोगों को की जाने वाली कार्यवाही के बारे में स्पष्ट निदेश जारी किए है। श्रीमन्, अब हमारे प्रिय नेता श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में नई सरकार ने स्वच्छ प्रशासन देने और सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के बारे में प्रण लिया है। क्या मैं मंत्री महोदय से इस बारे में किए जाने वाले उपायों के बारे में जान सकता हूं, ताकि तस्करी और इस प्रकार के घोटालों को भविष्य में रोका जाए? इस प्रकार की विदेशी मुद्रा देश में न आ सके, इस बारे में क्या उपाय किए जा रहे हैं? मैं की गई कार्यवाही और भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा जानना चाहता हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

श्री मोहन लाल पटेल : कितने व्यक्तियों का पता लगाया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री जनार्दन पुजारी : इस प्रश्न का भी मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

*109. **श्री हरीश रावत :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में देश में पर्वतीय क्षेत्रों में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु शत-प्रतिशत अनुदान के आधार पर विशेष केन्द्रीय सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है; और

(ख) क्या इस योजना प्रारूप में इन क्षेत्रों में संचार, परिवहन, बैंक और अन्य सुविधाओं के विस्तार हेतु वर्तमान निर्धारित मानदण्डों में ढील दिये जाने की भी व्यवस्था है?

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अभी तैयार किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

टायर उद्योग से उत्पाद शुल्क की बकाया राशि की वसूली

*97 **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्माणोत्तर खर्चों के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद उत्पाद शुल्क की बकाया राशि को विशेष रूप से टायर उद्योग से वसूली करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : उच्चतम न्यायालय ने, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा-4 के अधीन शुल्क-निर्धार्य मूल्य में निर्माणोत्तर-व्यय को शामिल किए जाने के मुद्दे पर मई, 1983 में एक आदेश पारित किया था और अक्तूबर, 1983 में इस विषय पर एक विस्तृत निर्णय दिया था। उक्त निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख भी था कि उक्त निर्णय को मद्देनजर रखते हुए उचित आदेश हेतु अलग-अलग अपीलों, रिट याचिकाओं, विशेष अनुमति याचिकाओं और अन्तरित मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा।

शुल्क-निर्धारण के अनिर्णीत पड़े मामलों में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की वसूली हेतु जो कार्यवाही की गई थी, वह निम्नलिखित के सम्बन्ध में थी—न्यायिक और न्यायिक-कल्प प्राधिकरणों के समक्ष, जिनके पास मामले विचाराधीन पड़े थे, उक्त मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में फैसला करवाने हेतु समावेदन करके तथा ऊपरउलिखित अलग-अलग मामलों आदि में निर्णय हेतु उच्चतम न्यायालय के समक्ष समावेदन करके केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालयों द्वारा शुल्क-निर्धारण के अनिर्णीत पड़े मामलों को अन्तिम रूप दिया जाना।

जिन मामलों में शुल्क निर्धारण के अनिर्णीत पड़े मामलों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप अन्तिम रूप दिया गया है, उनमें भी शुल्क की अन्तिम रूप से प्राप्य रकमों की वसूली के लिए कार्यवाही की गई है।

उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों ने अभी तक ऐसे किसी मामले-विशेष में निर्णय नहीं दिया है, जिसका प्रभाव टायर उद्योग से सम्बन्धित निर्माणोत्तर व्यय पर पड़ता हो।

थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट

*98. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में गिरावट की प्रवृति रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत गिरावट आई ; और

(ग) गिरावट की प्रवृत्ति जारी रखने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) . (क) से (ग) . थोक मूल्य सूचकांक (1970-71=100) का स्तर 5 जनवरी, 1985 को 337.6 (अनंतिम) था, जिसकी तुलना में इसका स्तर 7 जनवरी, 1984 को 321.0 था। 5 जनवरी, 1985 को मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 5.2 प्रतिशत थी जिसकी तुलना में पिछले वर्ष इसी तारीख को यह 10.6 प्रतिशत थी। सरकार मूल्य स्थिति पर सावधानी से नजर रखती है और ऐसे उपाय करती है जो मूल्यों को उचित नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक होते हैं। विशेष रूप में, खाद्यान्न के संकटकालीन भण्डार (बफर स्टाक) तैयार करने, अन्य संवेदनशील वस्तुओं जैसे कि चीनी और खाद्य तेलों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था में कुल मांग में होने वाली वृद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए कदम उठाए गये हैं।

हिन्द-महासागर में अमरीकी सेना की उपस्थिति

*105. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह रोधी और अन्तरिक्ष युद्ध के लिए औद्योगिकी में विकास और आधुनिकीकरण के साथ-साथ हिन्द महासागर में अमरीकी सेना की उपस्थिति बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी०वी नरसिंह राव) : (क) और (ख) . पिछले कई वर्षों से हिन्द महासागर में अमरीकी नौसेना की उपस्थिति में सामान्यतया वृद्धि होती रही है यद्यपि इसमें कभी-कभी घट-बढ़ भी हो जाती है। अमेरिका नौसेना को उपग्रह रोधी तथा अंतरिक्ष युद्ध संबंधी कार्यों में सहायता के लिए तैनात किए जाने की कोई पक्की सूचना नहीं है हालांकि इस संभावना से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है।

भारत सरकार हिन्द महासागर में आधुनिक हथियारों के जमाव पर इस दृष्टि से बराबर नजर रखती है ताकि खतरे की स्थितियों का सामना करने के लिए अपनी नौसेना योजनाओं को अद्यतन बनाया जा सके।

राजनयिक दृष्टि से भी सरकार इस बात का प्रयास और समर्थन करती रही है कि हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाए रखा जाए।

कोयले के मूल्यों में वृद्धि

*110. **श्री अमल दत्त :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद से अब तक कोयले के मूल्य कितनी बार बढ़ाए गए हैं;

(ख) तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है और कोयले के मूल्यों में वृद्धि करने के कारण क्या हैं।

(ग) इसका आम आदमी, उद्योगों और सामान्य मूल्य स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) कोयले के मूल्यों में ऐसी नियमित वृद्धि से कोयला उत्पादक राज्यों को कितना लाभ पहुंचा है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) राष्ट्रीयकरण से अब तक कोयले की कीमतों में छः बार संशोधन किया गया है ।

(ख) संशोधन का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

संशोधन की तारीख	**औसत खान-मुहाना कीमत (प्रतिटन)** कोल इंडिया लि०	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०	साफ्ट कोक की कीमत
1.4.1974	रु० 47.50	रु० 50.50	रु० 86.00
1.7.1975	रु० 64.92	रु० 67.65	रु० 86.00
17.7.1979	रु० 101.18	रु० 99.92	रु० 110.00
14.2.1981	रु० 128.02	रु० 136.85	रु० 150.00
27.5.1982	रु० 145.90	रु० 154.75	रु० 175.00
8.1.1984	रु० 183.00	रु० 192.00	रु० 175.00

कोयले की उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण कोयले की कीमतों में वृद्धि आवश्यक हो गई थी । उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण हैं मजदूरी, बिजली, भंडार सामग्री, विस्फोटक पदार्थ, पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई जैसी उत्पादन सामग्री की कीमतों में वृद्धि, मूल्यह्रास और व्याज में वृद्धि का भार आदि । राष्ट्रीयकरण के बाद कामगारों की मजदूरी में तीन राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौतों के कारण काफी वृद्धि हुई है । यह तीन समझौते क्रमशः 1.1.1975, 1.1.1979 और 1.1.1983 से लागू हुए थे । मजदूरी की लागत कोयले की कुल उत्पादन लागत का लगभग 60 प्रतिशत होती है ।

(ग) उपभोक्ता उद्योगों पर कीमतों में संशोधन का बोझ बहुत अधिक नहीं रहा है । कीमतों में पिछली बार संशोधन 8.1.1984 से किया गया था । इस संशोधन का जो प्रभाव रेलवे, इस्पात, बिजली और सीमेंट जैसे प्रमुख उपभोक्ता उद्योगों पर हुआ था उसका निम्नलिखित अनुमान लगाया गया था :—

उद्योग	**कुल लागत के प्रतिशत के रूप में बोझ**
रेलवे	1.86
इस्पात	3.5
बिजली	1.5 से 1.7
सीमेंट	4.39

कीमतों में पिछले संशोधन के समय आम आदमी के ईंधन अर्थात् साफ्ट कोक की कीमत नहीं बढ़ाई गई थी। यह कीमत रु० 175.00 प्रति टन ही चलने दी गई है। यह कीमत 1982 से चल रही है और इस ईंधन की वास्तविक उत्पादन-लागत से भी काफी कम है।

(घ) कोयले की कामतों में वृद्धि से कोयला-उत्पादक राज्यों को कोई सीधा लाभ नहीं होता है। परन्तु राज्यों को अप्रत्यक्ष लाभ जरूर होता है क्योंकि कोयले की बिक्री पर राज्य सरकारें बिक्री-कर लेती हैं और यह कर आमतौर पर मूल्य के आधार पर होता है। यद्यपि राज्य सरकारों को देय कोयले की रायल्टी टनों के आधार पर तय की जाती है और कोयले की कीमतों से इसका संबंध नहीं होता, तो भी कुछ राज्य सरकारें कोयले पर उपकर लेती हैं और यह उपकर कोयले की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ गए हैं। उपकरों की दरें एक समान नही होती है और इनमें अलग-अलग राज्यों में और अलग-अलग वर्षों में अन्तर रहता है।

दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में राष्ट्रीय कैडेट कोर

*111. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि इस संगठन का दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में विकास किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो समिति का यह मत है कि इस समय राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रशिक्षण में साहसिक पहलू पर अधिक बल दिया जाता है और एक प्रकार से सैन्य पहलू की उपेक्षा की जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पड़ौसी देशों से संभावित खतरे को देखते हुए उक्त प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) दूसरी रक्षा पंक्ति को बेहतर बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ङ). राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है कि इस संगठन का दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में विकास किया जाना चाहिए। फिर भी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के लक्ष्यों, उद्देश्यों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों पर विचार करने के लिए एक मूल्यांकन समिति का गठन करने के बारे में 15-3-1984 को हुई समिति की बैठक में राष्ट्रीय कैडेट कोर का दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में प्रयोग करने की सम्भावना पर भी विचार किया गया था।

2. केन्द्रीय सलाहकार समिति ने सिफारिश की थी कि इन सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए। इस समिति के गठन का प्रश्न विचाराधीन है।

[हिन्दी]

फिल्म उद्योग में काला धन बनाया जाना

*112. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फिल्म उद्योग में बड़े पैमाने पर काला धन बनाए जान के संबंध में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने फिल्म उद्योग में ऐसे काले धन के बडे पैमाने पर बनाए जाने के कारणों की जांच कराई है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) सरकार ने फिल्म उद्योग में काले धन के प्रवेश को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार फिल्म उद्योग में कार्यरत ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का है जो काले धन के निवेश और आय-कर अपवंचन में लगे हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को फिल्म उद्योग में हुए कर-अपवंचन की जानकारी है।

(ख) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान से, अन्य बातों के साथ-साथ, अर्थव्यवस्था के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का जिनमें काला धन पनपता है और उन कारणों का पता लगाने को कहा गया है जो इसकी वृद्धि करते है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) जब भी कभी कर-अपवंचन की कोई विशिष्ट सूचना मिलती है, तो संगत अधिनियमों के अंतर्गत समुचित कार्यवाही की जाती है।

(घ) सरकार समुचित विधायी और प्रशासनिक उपायों के माध्यम से काले धन के प्रचलन और प्रसार को रोकने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है।

[अनुवाद]

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति

*113. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति से विभिन्न राज्यों में हुई प्रगति/उपलब्धियों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों द्वारा 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है;

(ग) यदि हां, तो समिति के क्या निष्कर्ष हैं; और

(घ) देश के गरीब आदिवासियों के हित में देश भर में 20-सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) :(क) त्रिपुरा और नागालैंड को छोड़कर, जिनके संबंध में सूचना नवम्बर, 1984 तक है, सभी राज्यों में दिसम्बर, 1984 तक 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति संबंधी विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 413/85]

(ख) और (ग) यद्यपि राज्यों में 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है तथापि योजना आयोग और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा मासिक और तिमाही आधार पर कार्यक्रम का नियमित प्रबोधन किया जा रहा है। राज्यों में विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन और प्रबोधन समितियां भी गठित की गई है।

(घ) अनुसूचित जनजातियों का विकास जनजातीय उप योजना के जरिए सुनिश्चित किया जाना है। इसके अंतर्गत लाभग्राही परिवारों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और उन्हें गरीबी की रेखा पार करने में समर्थ बनाने के लिए, उन्हें आय सृजित करने वाली स्कीमें देने के लिए सेवा-संवेष्ठन उपलब्ध कराया गया है।

जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक प्रगति

*114. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रगति के मामले में जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा अत्यधिक कम रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) और (ख). ऐतिहासिक कारणों से, जम्मू और कश्मीर राज्य औद्योगिक रूप में अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ रहा है। सरकारी नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन ठीक और देश के पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण करना है। यह करने के लिए सरकार, जम्मू और कश्मीर के मामले में, इस राज्य को प्राथमिकता देकर इसके प्राकृतिक साधन सम्पन्नता और संवृद्धि संभाव्यता के अनुकूल उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है। इस प्रयोजन के लिए अपनाए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल है :--

(1) जम्मू और कश्मीर में एकाधिकार प्रतिबंधित व्यापार प्रणाली अधिनियम (एम०आर०टी०पी० एक्ट) के उपबंध लागू नहीं हैं।

(2) संपूर्ण राज्य 'ए' श्रेणी का पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है। अतः यह राज्य 25 लाख रु० की उच्चतम सीमा तक अधिकतम 25 प्रतिशत केन्द्रीय निदेश राजसहायता पाने का हकदार है। यह राज्य कच्चा माल लाने-ले जाने और तैयार माल को जम्मू अथवा पठानकोट रेल-केन्द्र जो भी नजदीक हो, राज्य से बाहर ले जाने के लिए 75 प्रतिशत परिवहन राज सहायता के रूप में पाने का हकदार है। ऐसे जिलों को देय आधार संरचनात्मक सहायता को राज्य में सात 'उद्योग विहीन' जिले भी पाने के हकदार हैं।

(3) राज्य में उपलब्ध कुशल कारीगरी और दशाओं के अनुकूल केन्द्रीय सरकार के उद्यम वहां स्थापित किए जाने का विचार है। राज्य में रेशम कीट पालन और हस्तशिल्प उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है।

बिहार में परित्यक्त कोयला खानें

*115. **श्री विजय कुमार यादव : क्या इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य खनन विकास निगम ने कुछ ऐसी कोयला खानों को जिन्हें कोल इंडिया लि० ने बन्द कर दिया था, को चलाने में गैर-सरकारी पार्टियों की सेवाओं को लेने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) बिहार राज्य सरकार ने 14-12-34 को सर्वोच्च न्यायालय के एकतरफा आदेश प्राप्त कर लिये थे जिनमें उसे बिहार खनिज विकास निगम के जरिए दो कोयला खानों में काम करने की अनुमति दी गई थी। यह खानें हैं खास जगेश्वर और जगेश्वर कोलियरियां। इस एकतरफा आदेश का पता चलते ही कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० ने इस आदेश के निरसन/संशोधन के लिए न्यायालय में एक याचिका दायर की थी क्योंकि यह एकतरफा आदेश खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं था। दिनांक 25-10-1984 को न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश के संबंध में स्पष्ट किया कि प्रश्नाधीन कोयला खानों में केवल नियमों और विनियमों के अनुसार ही काम किया जाए। राज्य सरकार ने अब तक भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

रक्षा उत्पादन में आत्म निर्भरता

*116. **श्री चित्त महाटा : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने रक्षा उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो पड़ोसी देशों द्वारा प्राप्त किए जा रहे अत्याधुनिक अस्त्रों को ध्यान में रखते हुए भारत ने कहां तक आत्म-निर्भरता प्राप्त की है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना सरकारी नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। यह एक निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है इसलिए सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकता के हथियारों और उपस्करों के क्षेत्र में काफी आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है। आयुद्ध निर्माणियों और सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के माध्यम से जिन हथियारों और उपस्करों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है उनके अंतर्गत फील्ड गन, हल्के और भारी मोर्टार, छोटे हथियार, इनसे सम्बद्ध गोला-बारूद, बम, राकेट, सुरंगें, हथगोले, जलबम, आतिशबाजी-गोला-बारूद, लड़ाकू पोत, विमान और एयरो-इंजिन एवयोनिक्स, रडार, रेडियो संचार उपस्कर आदि आते हैं। 1980-81 की तुलना में 1983-84 के अंत में 110% मूल्य का अधिक उत्पादन हुआ है और इस वर्ष (1984-35) में 19% और वृद्धि होने की संभावना है।

वर्तमान आयुध निर्माणियों को आधुनिक बनाया जा रहा है और नए उत्पादन यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं।

इस संबंध में आगे और ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

मगध ग्रामीण बैंक, गया में चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्ति न किया जाना

290. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मगध ग्रामीण बैंक, गया के चुने गए उम्मीदवारों से चयन के बावजूद उनकी नियुक्ति न किए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार को कुछ व्यक्तियों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें वह कहा गया है कि यद्यपि उनके नाम मगध ग्रामीण बैंक, गया में नियुक्ति के लिए घोषित उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि वे संभावित रिक्त स्थानों और इसके अलावा आंकी गई आवश्यकताओं के लिए 10% तक के बराबर भरती परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों की सूचियां तैयार करें। यह अतिरिक्त व्यवस्था चुने हुए उम्मीदवारों द्वारा नियुक्तियों के प्रस्ताव से इन्कार कर देने, आवश्यकताओं में वृद्धि होने आदि के लिए है। ऐसी सूचियां प्रायः एक वर्ष के लिए वैध होती हैं। इन सूचियों में से नियुक्तियां सूची की अवधि के दौरान उपलब्ध रिक्त स्थानों के अनुसार की जाती हैं। अतः सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल होना अनिवार्य रूप से नियुक्ति की गारंटी नहीं है।

पश्चिम बंगाल में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के एकक की स्थापना

291. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का कोई एकक स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री॰ पी॰ वी॰ नरसिंह राव): (क) से (ग). भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड की एक यूनिट स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल समेत देश के कई संभावित स्थानों के बारे में विचार किया गया था। सभी सम्बद्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद सरकार ने भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की नई यूनिटें, हरियाणा में पंचकुला और उत्तर प्रदेश में कोटद्वार नामक स्थानों पर स्थापित करने की स्वीकृति दी है।

पेंशन आयोग की नियुक्ति के लिए ज्ञापन

292. **श्री वसुदेव आचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन भोगियों की स्थिति में सुधार करने में अब तक के वेतन आयोगों के

लगातार असमर्थ रहने को देखते हुए केन्द्रीय सरकार को, केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों की ओर से पेंशन भोगियों को विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए, वेतन आयोग की नियुक्ति के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख). पेंशनभोगियों की समस्याओं की जांच करने के लिए पेंशन आयोग का गठन करने के बारे में केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों से कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। वेतन आयोग सेवारत कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों, सेवा शर्तों और मृत्यु-एवं सेवा-निवृत्ति लाभों की जांच करते हैं। चतुर्थ वेतन आयोग सेवारत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सम्बन्धी हकदारी की पहले ही जांच कर रहा है। जहां तक वर्तमान पेंशन भोगियों का सम्बन्ध है, पेंशन आयोग के गठन संबंधी मांग को स्वीकार करना सरकार के लिए सम्भव नहीं हुआ है क्योंकि सेवानिवृत्ति लाभ सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति को तारीख को लागू नियमों द्वारा शासित होते हैं। तथापि, पेंशन भोगियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जैसे सेवारत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की पद्धति पर तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई राहत की मंजूरी, पेंशन में तदर्थ वृद्धि, समय समय पर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था, आदि।

कलकत्ता स्थित अलीपोर में आर्डनेन्स ट्रांजिट डिपु को बनाए रखना

293. **श्री सैयद मसुदल हुसैन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता स्थित अलीपोर में आर्डनेन्स ट्रांजिट डिपु को यहां से समाप्त कर देने संबंधी पहले के आदेश को रद्द करते हुए उसे वहीं पर बनाए रखने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): (क) और (ख). सरकार ने 1980 में आर्डनेंस डिपु कलकत्ता को बन्द करके उसके स्थान पर आर्डनेंस ट्रांजिट डिटैचमेंट स्थापित करने का निर्णय लिया था। अच्छी तरह से विचार करने के बाद, इस डिपो को बन्द करने के विरुद्ध प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के आधार पर, आर्डनेंस डिपु कलकत्ता को फिर से बनाए रखने का निर्णय लिया गया।

विदेशी मुद्रा की आमदनी में वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की कुछ धाराएं लागू करना

294. **श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विदेशी मुद्रा की आमदनी में वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की उपधारा संख्या 3 से 5 जोड़ी है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार (वाणिज्यिक) कर तथा धार्मिक दान विभाग की जी० ओ० संख्या 1055 दिनांक 20 सितम्बर, 1984 द्वारा उसमें एक पक्षीय संशोधन कर दिया जिसमें उपर्युक्त उद्देश्य समाप्त हो जाता है;

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई ऐसा निर्णय दिया गया जिसमें केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम को वैध करार दिया है;

(ङ) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में नई धारा जोड़ने के बाद केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु सरकार से यदि कोई स्पष्टीकरण मांगा है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) . राज्य के भीतर होने वाले माल के क्रय अथवा विक्रय पर कर लगाया जाना संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 11 की प्रविष्टि 54 के अन्तर्गत कराधान का राज्यगत मामला है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत माल की अन्तरराज्यीय बिक्री पर लगाये जाने वाले केन्द्रीय बिक्री कर से होने वाली आय संविधान के अनुच्छेद 269 (1) (छ) के अधीन राज्यों को सौंप दी गई है। चूंकि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 को प्रशासन कानून द्वारा राज्यों के सुपुर्द कर दिया गया है, इसलिए संगत सूचना तमिलनाडु सरकार से एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जनसंख्या के दबाव से पारिस्थितिकीय असंतुलन

295. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकीय संतुलन के बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संतुलन की रक्षा हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या उपाय किए गए हैं और क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ख) इस संबंध में अब क्या कदम उठाए जा रहें है तथा पिछली योजनाएं तैयार करते समय इस पहलू पर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने के क्या कारण थे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) . सातवीं योजना तैयार करने में पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी संतुलन की रक्षा हेतु कई उपायों का निर्धारण और कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। पर्यावरणीय संरक्षण के साथ एक विकास कार्यनीति तैयार करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, प्राकृतिक पारिस्थितिकीय व्यवस्था की पुष्टि के लिए एकीकृत और बहुआयामी कार्यक्रमों को तेज किया गया है और नई नीतियां तैयार की गई हैं। कुछ मुख्य कार्यक्रमों में ये शामिल हैं :

—विश्वविद्यालयों/स्वैच्छिक अभिकरणों को सक्रिय भागीदारी के साथ एकीकृत पारिस्थितिकी विकास अनुसंधान कार्यक्रम;

–पारिस्थितिकी-विकास कैम्पों का आयोजन ;

–भू-संरक्षण, वन उद्योग और कमजोर ढालों को मजबूत बनाने के लिए पारिस्थितिकी कृतिक बलों की तैनाती;

–जलसंभर प्रबंध, शुष्क भूमि विकास, कच्छ वनस्पति के संदर्भ में अवक्रमित पारिस्थितिकी व्यवस्था का पारिस्थितिकीय विकास;

–राष्ट्रीय पार्कों, मृग-वनों, जीव-मण्डल निलयों का सृजन;

–एकीकृत पर्वत विकास;

–पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण और जानकारी;

–पर्यावरणीय अनुसंधान प्रोत्साहन;

–प्रदूषण प्रबोधन और नियंत्रण;

–पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन;

–प्राकृतिक संसाधन संरक्षण;

–पर्यावरणीय कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए राज्यस्तर पर संरचनाओं (ढांचे) की स्थापना; आदि।

नवम्बर, 1980 में केन्द्र में एक अलग पर्यावरण विभाग बनाया गया। इससे पहले पर्यावरणीय संरक्षण और बचाव कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वन विभागों, शैक्षिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं, निर्माण और आवास मंत्रालय आदि के माध्यम से निर्धारित और कार्यान्वित किए जाते थे। छटी योजना अवधि में एक विभाग से बनाए जाने के बाद से पर्यावरणीय नीतियों और मामलों को सुव्यवस्थित रूप से प्रोत्साहन दिया गया और तब से सतत व्यवस्थित प्रयत्न किए गए हैं। सातवीं योजना में बल वाले नए क्षेत्रों पर ध्यान देने के अलावा, छटी योजना में निर्धारित किये गये कार्यक्रमों को और तेज किया जायेगा।

मुद्रास्फीति को रोकने के लिए किए गए उपाय

296. **श्रीमती चन्द्रभानु देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में मुद्रास्फीति की दर क्या रही है;

(ख) सरकार ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इन उपायों से मुद्रास्फीति को रोकने में कितनी सफलता मिली है?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) बिन्दु-प्रतिबिन्दु आधार पर थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रा स्फीति की दर 1982-83 में 7.1 प्रतिशत, 1983-84 में 8.3 प्रतिशत और चालू वित्तीय वर्ष में 5 जनवरी, 1985 तक 4.8 प्रतिशत थी।

(ख) जो उपाय किये गये हैं उनमें दालों से भिन्न अनाजों की खरीद और संकटकालीन भंडारण सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, ऐसी वस्तुओं जैसे कि खाद्य तेलों और चीनी की देश में पूर्ति में वृद्धि करना, अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कृषकों को लाभकारी मूल्य देना, राजकोषीय अनुशासन लागू करना, सरकारी खर्च में कमी करना और प्रणाली में से नकदी (लिक्विडिटी) के बाहुल्य को बटोरना शामिल है।

(ग) सूचकांक की घटबढ़ से यह देखा जा सकता है कि मुद्रास्फीति की दर में काफी कमी आई है।

[अनुवाद]

यूनियन कारबाइड लिमिटेड, भोपाल द्वारा सुरक्षा-जोखिम संबंधी वैज्ञानिक परीक्षण करने की अनुमति हेतु आवेदन

297. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा जोखिम संबंधो वैज्ञानिक परीक्षण करने की अनुमति के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यूनियन कारबाइड लिमिटेड, भोपाल ने एक अनुसंधान और विकास खंड शुरू करने की अनुमति के लिए उक्त समिति को कोई आवेदन पत्र दिया था;

(ग) क्या समिति ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) कृषि पैस्टीसाईड्स से संबंधित कुछ तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु यूनियन कारबाइड इंडिया लिमिटेड से यूनियन कार्बाइड एग्रीकलचरल प्राडक्ट्स कम्पनी यू०एस०ए० के साथ करार करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय अभो लिया जाना है। तथापि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड उत्कृट कीड़े मकौड़ों/कीटाणुओं पर यूनियन कार्बाइड एग्रीकलचरल प्राडक्ट्स कम्पनी, यू०एस०ए० द्वारा विकसित अथवा उपलब्ध किए गए पैस्टीसाईड कम्पाउन्डस पर परीक्षण करती रही है।

गुजरात में छोटे सिक्कों, एक और दो रुपयों के नोटों की कमी

298. **श्री उत्तमभाई एच० पटेल** : क्या वित्त मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गुजरात के बालसाड़, सूरत, बड़ौदा, छोटा उदयपुर जिलों के विभिन्न गांवों, कस्बों और शहरों में और दादरा और नागर हवेली संघ क्षेत्र में आदिवासियों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को सिक्के तथा एक और दो रुपयों के नोटों को प्राप्त करने में भारी दिक्कतें हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इन क्षेत्रों में प्रर्याप्त संख्या में सिक्के, और नोटों की सप्लाई करने हेतु क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1984 तक इन क्षेत्रों के विभिन्न बैंकों और कोषागारों को सप्लाई किए गये इस प्रकार के सिक्कों और नोटों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). सिक्कों तथा कम मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों की कमी के संबंध में देश के विभिन्न भागों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। वन क्षेत्रों के आन्तरिक भागों में वन उत्पादों के संबंध में जनजाति के लोगों को अदायगियां करने के लिए भारी मात्रा में छोटे सिक्कों और नोटों के लिए गुजरात सरकार के वित्त विभाग से अप्रैल, 1984 में प्राप्त आवेदन के प्रत्युत्तर में भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद कार्यालय ने राज्य सरकार को इस बात की पुष्टि की थी कि विभिन्न वन क्षेत्रों जैसे कि बालसाड़ जिले में धर्मपुर और चिरवली और बड़ोदरा जिले में छोटा उदयपुर क्षेत्रों, और इसी के साथ, राज्य के कुछ अन्य

वन क्षेत्रों को स्टाक के अनुसार पूर्तियां की जा रही हैं ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

टिन्धारिया में रेलवे वर्कशाप

299. **श्री आनन्द पाठक :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग ने दार्जिलिंग जिले में टिन्धारिया स्थित रेलवे वर्कशाप को आधुनिक बनाने तथा उसका विस्तार करने की स्वकृति दे दी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : इस प्रकार की स्कीमों के लिए योजना आयोग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है ।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपाय

300. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कोयला प्राधिकरण, कोल इंडिया लि० ने कोयले का उत्पादन बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कुछ उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) कोयले के उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं । इन कदमों में यह बातें शामिल हैं—आधारभूत सुविधाओं में सुधार, नई खानों की स्वीकृति, कामिकों और मशीनरी को उत्पादकता में सुधार, कोयला खनन के लिए भूमि-अधिग्रहण में शीघ्रता करना और अनुपस्थिति की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना ।

कोयले की किस्म के संबंध में, कोयला सप्लाई की किस्म में सुधार के अनेक उपाय किए गए हैं । इन उपायों में यह शामिल हैं :—

(1) प्रत्येक कोयला कंपनी में स्वतंत्र क्वालिटी नियंत्रण संगठन की स्थापना ।

(2) जहां कहीं आवश्यकता हो वहां अधिक कोयला रख-रखाव संयंत्रों की स्थापना जिनमें कोयले को सही आकार देने और छनाई की व्यवस्था हो ।

(3) जहां कोयला रख-रखाव संयंत्र नहीं हैं वहां आदमियों को लगाकर बड़े आकार का कोयला तोड़ना और कोयले से बाहरी चीजें अलग करना ।

(4) बड़े उपभोक्ताओं के साथ समझौते में ऐसा खंड रखना जिसमें संयुक्त नमूने लेने और उसके आधार पर भुगतान का प्रावधान हो, और

(5) कोयला नियंत्रक को स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में यह शक्तियां दी गई हैं कि वे खानों के कोयला सीमों के और उपभोक्ताओं को सप्लाई किए गए कोयले के भी ग्रेड निर्धारित करे और इन उद्देश्यों के लिए वह अपने आप अथवा इस संबंध में किसी उपभोक्ता की शिकायत मिलने पर कोयले के नमूने लें और कोयले की जांच के प्रबंध करें । उस मामले में कोयला नियंत्रक का निर्णय अंतिम होगा ।

उद्योगों को कम दरों पर कोयले की सप्लाई

301. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद में कोयले की दरें अत्याधिक हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र में सामान्य दरों पर कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कोयले का प्रेषण मुरादाबाद और देश के अन्य भागों के संयुजित उपभोक्ताओं को कोलियरियों से रेल द्वारा किया जाता है । रेल द्वारा प्रेषण में जो कमी रह जाती है उसे सड़क द्वारा प्रेषण करके पूरा किया जाता है । जहां तक कीमतों का प्रश्न है, सरकार खान-मुहाना कीमतें निश्चित करती है । कोयले की उपभोक्ता कीमत अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग रहती है और यह कीमत इन बातों पर निर्भर होती है---परिवहन की लागत और उसका स्वरूप, रायल्टी और अन्य सांविधिक प्रभारों की अलग-अलग दरें ।

[अनुवाद]

श्रीलंका की नौका का पकड़ा जाना

302. **श्री शरद दिघे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 जनवरी, 1985 को श्रीलंका की भारी मात्रा में हथियारों से लैस नौका, जो रामेश्वरम के पास भारतीय समुद्री सीमा में घुस आई थी और जिसने भारतीय मछियारों पर गोलियां चलाई थी, के पकड़े जाने और पामबन ले जाए जाने के बाद कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख). अनाधिकार प्रवेश के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ।

सातवीं योजना के दौरान पोलावरम परियोजना का क्रियान्वयन

303. **श्री सी० एच० श्रीहरिराव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में कौन-कौन सी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई हैं;

(ख) क्या सातवीं योजना की परियोजनाओं में पोलावरम में परियोजना भी शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो पोलावरम परियोजना के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग). आंध्र प्रदेश सहित राज्यों की सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

मणिपुर के पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों के लिये विशेष योजना

304. श्री मीजिनलंग कामसन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर के पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कोई विशेष योजना तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना तैयार की जा रही है और किन विशिष्ट क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा कुल कितने क्षेत्र के लिए योजना बनाई जाएगी ?

योजना मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री के० ग्रार० नारायणन) : (क) और (ख). मणिपुर में, जनजातीय उपयोजना के ग्रंतर्गत कार्यक्रम सेनापती, चुराचान्दपुर, उखरूल, तमेंगलांग ग्रौर चन्देल के सभी पांच पहाड़ी जिलों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत राज्य योजना से 98.07 करोड़ रु० परिव्यय ग्रौर विशेष केन्द्रीय सहायता से 18.24 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। जनजातीय उपयोजना का उद्देश्य क्षेत्र विकास तथा जनजातीय परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे गरीबी की रेखा को पार कर सकें।

2. नितांत पिछड़े क्षेत्रों अर्थात् चुराचान्दपुर जिले में वांगई रेन्ज, बर्मा सीमा के साथ चन्देल जिले में मोलचम क्षेत्र ग्रौर तमेंगलांग जिले में ताऊसेम खंड के लिए विशिष्ट विकास कार्यक्रम राज्य सरकार के विचाराधीन है।

रक्षा सेनाग्रों में मणिपुर के युवकों की भर्ती

305. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रक्षा सेनाओं में मणिपुर के यवकों की भर्ती के लिए कदम उठा रही है;

(ख) क्या इसके लिए विशेष रैलियों/मेलों का आयोजन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो 1982-83, 1983-84, 1984-85 के दौरान इस प्रकार की कितनी रैलियां/मेले आयोजित किए गए और कहां-कहां किए गए; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार के आयोजन करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). यदि किसी राज्य में भर्ती योग्य पुरुषों की संख्या के ग्राधार पर किसी वर्ष जितनी भर्ती होनी चाहिए उससे कम होती है तो इसके लिए विशेष रैलियां/मेले आयोजित किए जाते हैं। ऐसी एक रैली 6 अक्तूबर, 1982 में इम्फाल में आयोजित की गई थी।

1983 और 1984 में मणिपुर से युवकों की भर्ती में कोई कमी नहीं हुई थी।

सामान संबंधी नियमों के अंतर्गत निजी कम्प्युटरों का ग्रायात

306. **श्री रंगाराजन कुमारमंगलम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामान संबंधी नियमों के अन्तर्गत "64 किलो बाइट्स एंड लेसमिमोरी" के निजी कम्प्यूटरों के आयात को किस आधार पर अनुमति दी गई है विशेषकर जब इस प्रकार की परिभाषा के अन्तर्गत

प्रत्येक किस्म के लघु वाणिज्यिक कम्प्यूटर का आयात किया जा सकता है और इससे स्वदेशी उद्योग ठप्प हो सकता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : स्वदेशी उद्योग के हितों को मद्दे-नजर रखते हुए 64-के से अधिक की मेमोरी वाले निजी/घरेलू कम्प्यूटरों को, असबाब के रूप में, आयात करने की आज्ञा नहीं दी गई है। सरकार ने हाल ही में एक नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की है, जिसे स्वदेशी कंप्यूटर उद्योग के द्रुतगामी विकाश को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इस नीति को बनाते समय कंप्यूटरों का इस्तेमाल करने वालों के हितों के साथ-साथ सामान्यतया अर्थ-व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है।

सेतु समुद्रम नहर परियोजना का क्रियान्वयन

307. **श्री के०टी० कोसलराम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा परियोजना के रूप में सेतु समुद्रम परियोजना के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या लक्ष्मीनारायण समिति, जिसमें दक्षिण नौसेना कमान के चीफ भी एक सदस्य थे, ने भी इसके सामरिक महत्व को स्वीकार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) सेतु समुद्रम नहर परियोजना पर रक्षा परियोजना के रूप में विचार नहीं हो रहा है।

(ख) और (ग). परियोजना की आर्थिक उपादेयता का अध्ययन करने के लिए नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा गठित लक्ष्मी नारायण समिति में परियोजना के सामरिक महत्व का वर्णन अवश्य किया गया था। लेकिन संबंधित मंत्रालय सभी सुसंगत पहलुओं से इस परियोजना पर विचार कर रहे हैं।

कोयला खानों में अतिरिक्त सुरक्षोपाय

308. **श्री थम्पन थामस** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खानों के लिए कोई अतिरिक्त सुरक्षोपाय किए हैं क्योंकि इनमें से भी जहरीली गैस निकलती है, जैसाकि हाल ही में यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकली थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख). कोयला खानों से सामान्यतया जहरीली गैसें नहीं निकलती हैं। कभी-कभी, जब भूमिगत खान में आग लगी होती है तो, जहरीली गैसें (मुख्यत: कार्बन मानोक्साइड) निकलती है। ऐसी जो जहरीली गैसें निकलती हैं उन्हें प्रभावहीन करने के लिए समुचित सावधानी का प्रबंध पहले ही किया जा चुका

है। सावधानी के इस प्रबंध में "कोयला खान विनियम, 1957" का दृढ़ता से पालन और खान सुरक्षा महा-निदेशक द्वारा समय-समय पर की जाने वाली सिफारिशों का दृढ़ता से कार्यान्वियन शामिल है। इसके अलावा, कोयला खनिकों को किसी भी स्थिति का सामना करने का प्रशिक्षण दिया गया है और डिग्री-III तथा डिग्री-II की खानों में उन्हें स्व-रक्षा उपकरण (सेल्फ रेस्कयूअर्स) दिए गए हैं।

[हिन्दी]

बिहार में कोयले के भंडार

309. **श्री योगेश्वर प्रसाद** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पालामु जिले के अंतर्गत बालुमठ में कोयले का भारी भंडार का पता चला है और मिनरल एक्स्प्लोरेशन कारपोरेशन लि० ने इस संबंध में काफी कार्य किया है;

(ख) क्या पलामु, हजारीबाग और गया जिलों के इन सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में विद्यमान गरीबों और बेरोजगारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का लोक हित में इन क्षेत्रों में खनन कार्य आरंभ करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो, कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोयले का वितरण और मूल्य निर्धारण

310. **श्री विजय कुमार राजू** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कौल इंडिया लिमिटेड" द्वारा सप्लाई किए जाने वाले कोयले के वितरण और मूल्य निर्धारण की कोई सम्यक प्रणाली है; और

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) धातुकर्मीय उपयोग के लिए कोक्कर कोयले को छोड़कर कोयले के वितरण पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। फिर भी, चूंकि उपभोक्ताओं को कोयले का अधिकांश भाग रेल द्वारा प्रेषित किया जाता है, इसलिए कोयले की वास्तविक सप्लाई वैगनों के आबंटन के लिए प्रायोजन प्रणाली के अधीन नियमित करना जारी है। वैगनों का आबंटन रेल मंत्रालय द्वारा जारी वरीयता यातायात अनुसूची सामान्य आदेश द्वारा नियमित किया जाता है। वैगनों के इस आबंटन के लिए सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए अग्रताएं निश्चित करती हैं और ऐसा करते समय जनहित में उपभोक्ता क्षेत्रों के तुलनात्मक महत्व को ध्यान में रखा जाता है।

जहां तक कीमतों का संबंध है, कोयले की केवल खान मुहाना कीमतें सरकार निश्चित करती है। उपभोक्ता द्वारा देय कीमतें अलग-अलग रहती हैं और परिवहन के तरीके, कोलियरी से दूरी, करों, आदि पर निर्भर करती हैं।

बिहार में सैन्य कारखानों की स्थापना

311. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना अथवा बिहार में अन्य रक्षा कारखाने स्थापित करने के लिए समय-समय पर मांग की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग). बिहार सरकार ने अनुरोध किया था कि उनके राज्य में रक्षा उत्पादन यूनिटें स्थापित की जाएं। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि नए प्रस्तावों पर विचार करते समय उनके अनुरोध को भी ध्यान में रखा जाएगा।

कोयला भंडार

312. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान ने वर्ष 1984 के दौरान देश में कोयले के भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया, उनका ब्यौरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या रहे और गुजरात में किस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में और अधिक कोयले की खोज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां। अनुमोदित जांच कार्यक्रम की मदों के अनुसार भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय समन्वेषण कार्य के लिए लगाया गया था।

(ख) वर्ष 1984 के दौरान भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कोयले का क्षेत्रीय समन्वेषण जिन राज्यों में किया था वह हैं:—आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। इस अवधि के दौरान समन्वेषण के परिणाम-स्वरूप 2924 मिलियन टन कोयले के भंडार का अनुमान लगाया गया था। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गुजरात राज्य में कोयले के अन्वेषण का अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं शुरू किया है।

(ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने, दीर्घकालीन कोयला समन्वेषण कार्यक्रम प्रलेख (जून, 1982) के अनुसार, देश में कोयले के क्षेत्रीय समन्वेषण और अतिरिक्त कोयला स्रोतों के मूल्यांकन के लिए उपकरणों और कर्मिकों के रूप में उपलब्ध सभी साधन लगाए हैं। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कोयले का क्षेत्रीय समन्वेषण कार्यक्रम इस उद्देश्य से चलाया जा रहा है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास हो और देश में कोयले की बढ़ रही मांग पूरी की जा सके।

इसके अतिरिक्त, कोयला-भंडारों का समन्वेषण केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० और खनिज समन्वेषण निगम द्वारा भी किया जाता है। छठी योजना के दौरान, कुल ड्रिलिंग 13.71 लाख मीटर हुई थी और सातवीं योजना में 21.67 लाख मीटर ड्रिलिंग के समन्वेषण कार्यक्रम की व्यवस्था है।

मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए किए गए उपाय

313. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 में मूल्यों में वृद्धि के रूख को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 5 जनवरी, 1985 को, पिछले वर्ष के इसी समय के 10.6 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 5.2 प्रतिशत आ गई है। सरकार की मुद्रास्फीति निरोधी नीति में मांग और पूर्ति के प्रभावी प्रबंध को प्रधानता दी गई है। जो उपाय किये गये हैं उनमें दालों से भिन्न अनाजों की खरीद और संकटकालीन भंडारण सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, ऐसी वस्तुओं जैसे कि खाद्य तेलों और चीनी की देश में पूर्ति में वृद्धि करना, अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये कृषकों को लाभकारी मूल्य देना, राजकोषीय अनुशासन लागू करना। सरकारी खर्च में कमी करना और प्रणाली में से नकदी (लिक्वीडिटी) के बाहुल्य को बटोरना शामिल है। सरकार लगातार मूल्य स्थिति पर सावधानी पूर्वक नजर रखे हुए है और उभरती हुई प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।

पश्चिम बंगाल में पानागढ़ में एक टकसाल की स्थापना

314. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में पानागढ़ में एक टकसाल की स्थापना के संबंध में नवीनतम स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : एक नए करेंसी नोट मुद्रणालय के लिए स्थल चयन समिति ने सिफारिश की है कि पश्चिम बंगाल में पानागढ़ एक सम्भावित स्थान हो सकता है। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शीघ्र ही कार्य शुरू किया जाएगा।

कैम्पबेल बे, अन्दमान में यांत्रिक परियोजना के नैमित्तिक श्रमिकों की बहाली

315. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यांत्रिक परियोजना, कैम्पबेल बे (अन्दमान) के नैमित्तिक श्रमिकों के नेता श्री जौसेफ कुजूर सहित सभी नैमित्तिक श्रमिकों को, जिन्हें 1983 में अपनी मांग मनवाने के लिए आन्दोलन करने पर काम पर से हटा दिया गया था, सेवा में वापस ले लिया गया है;

(ख) क्या नियमित किए जाने, बेहतर मजूरी और कार्य दशा, बोनस आदि की उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन विषयों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) वे सभी नैमित्तिक मजदूर जो हड़ताल पर थे और 29-11-1983 को हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद काम पर आ गए थे, उन्हें सेवा में वापस ले लिया गया। हड़ताल शुरू होने से पहले श्री जोसेफ कुजूर और 24 अन्य मजदूरों

को अनुशासनिक आधार पर बरखास्त किया गया था। सीमा सड़क संगठन में कठोर अनुशासन की जरूरत होती है, इसलिए इन व्यक्तियों को सेवा में वापस लेना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) उनकी मांगों पर विचार किया गया है और निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(i) उनकी मजदूरी, जो स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करके तय की जाती है समय समय पर संशोधित की जाती है। हड़ताल की अवधि के दौरान उनकी मजदूरी संशोधित करके 1-10-1983 से 261/- रु० प्रतिमाह से 275 रु० प्रतिमाह और 1-11-1983 से 275 रु० प्रतिमाह से 290 रु० प्रतिमाह कर दी गई।

(ii) यद्यपि उनकी मांगों में बोनस की मांग नहीं की गई थी, फिर भी, उन्हें उसकी अदायगी की जा रही है।

(iii) नैमित्तिक मजदूर केन्द्रीय सरकार के नियमित कर्मचारी नहीं होते हैं इसलिए वे नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार नहीं हैं; और

(iv) मजदूरों को नियमित करने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती है क्योंकि सीमा सड़क संगठन नैमितिक मजदूरों को कार्यभार के आधार पर आवश्यकतानुसार भरती करता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी/व्यवसाय में अपेक्षित नैमित्तिक मजदूरों की संख्या काम के किस्म और उसकी मात्रा पर निर्भर करती है इसलिए हमेशा ऐसा करना संभव नहीं होता है कि उन्हें उन्हीं ट्रेडों में दुबारा वापस लिया जाए जिनमें वे पहले लगाए गए थे। उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं :—

(क) कार्य स्थल के पास साधारण आवास।

(ख) सस्ती दर पर राशन।

(ग) जनरल रिजर्व इंजीनियर्स फोर्स एम आई कक्षों में निःशुल्क चिकित्सा।

(घ) पोतारोहण केन्द्र अर्थात् कलकत्ता अथवा मद्रास से कार्य स्थल तक समुद्र/सड़क/रेल मार्ग से निःशुल्क यात्रा।

(ङ) महाद्वीप तक मुफ्त समुद्री यात्रा और उसके बाद निःशुल्क रेलवे वारंट, जो छः महीने अथवा महाद्वीप छोड़ने को अवधि तक, इसमें से जो भी बाद में हो, संतोषजनक सेवा के पूरा किए जाने पर प्रति व्यक्ति 60 रु० से अधिक नहीं होगा।

(च) रेल/सड़क मार्ग से यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन 2 रु० की दर से पाकेट भत्ता लेकिन कार्य स्थल तक की यात्रा अवधि के लिए इसकी अधिकतम राशि 20 रु० से अधिक नहीं होगी और समुद्र मार्ग से यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5 रु० लेकिन इसकी अधिकतम राशि 75 रु० से अधिक नहीं होगी; और

(छ) पोतारोहण बन्दरगाह पर मजबूरी में रुकने पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5 रु० की दर से।

उड़ीसा में खनिजों के बारे में सर्वेक्षण

316. **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खनिजों का पता लगाने और भू-वैज्ञानिक मानचित्र तैयार करने के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और उड़ीसा सरकार के राज्य खनन विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो खनिजों के नाम और उनकी मात्रा व किस्म क्या है;

(ग) अब तक जिलेवार किन स्थानों में खनिजों का पता लगा है और मानचित्र तैयार किए गए हैं;

(घ) अब तक खनिजों की कितनी मात्रा निकाली गई है;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय और उड़ीसा सरकार ने भविष्य में खनिज निकालने की कोई मास्टर प्लान बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी हां। उड़ीसा में किए गए खनिज सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित भंडारों का अनुमान लगाया गया है :-

(मिलियन टनों में)

खनिज	अनुमानित भंडार	ग्रेड
बाक्साइट	1,601.473	धात्विक तथा रिफ्रेक्ट्री
चीनी मिट्टी	93.230	सभी ग्रेड
क्रोमाइट	131.488	अधिकतर धात्विक चार्ज क्रोम, घटिया अवर्गीकृत ग्रेड।
कोयला	8,321.79	सभी ग्रेड
तांबा अयस्क	1.66	1.59% तांबा तत्व
डोलोमाइट	668.317	सभी ग्रेड
अग्नि-सह मिट्टी	136.937	सभी ग्रेड
ग्रेफाइट	0.407	सभी ग्रेड
लोह अयस्क	3,123.87	हेमेटाइटस अयस्क (अधिकतर 55% लोह युक्त)
सीसा अयस्क	2.63	6.73% सीसा
चूना पत्थर	840.68	सभी ग्रेड
मेंगनीज अयस्क	160.26	0.2 से 1.0% निकल ग्रेड
सिलीमेनाइट (बीच सैंड)	7.90	+58% एल्यू० आक्साइड
वेनेडी फेयरस मेग्नेटाइट	5.25	0.21 से 2.41%
		2–5 बेरियम आक्साइट

इसके अतिरिक्त कोरापुट जिले में कुछ स्थानों पर केसीटेराइट (टिन अयस्क) भी पाया गया है।

(ग) उड़ीसा के अधिकांश भू-भाग का भूवैज्ञानिक मानचित्रण हो चुका है। लेकिन बालासोर, पुरी, कटक, ढेनकनाल तथा मयूरभंज जिलों में अभी लगभग 5,000 वर्ग कि०मी० चतुर्धातुक संरचनाओं का मानचित्रण पूरा होना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1 : 2.5 मिलियन पैमाने पर भूवैज्ञानिक स्तर खनिज मानचित्र भी प्रकाशित किया जा चुका है।

(घ) अब तक निम्नलिखित प्रमुख खनिजों का दोहन हो रहा है :-

1. बाक्साइट	2. क्रोमाइट
3. कोयला	4. डोलोमाइट
5. अग्नि-सह मिट्टी	6. ग्रेफाइट
7. लौह अयस्क	8. कैओलिन
9. चूना पत्थर	10. मैंगनीज अयस्क
11. ओकर	12. पायरोफिलाइट
13. क्वार्टजाइट	14. सिलिका सैंड
15. स्टेटाइट	16. जस्ता सान्द्र

(ङ) तथा (च). प्रमुख खनिजों का दोहन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में खनिज के महत्व के आधार पर, प्रावस्थाक्रम से हाथ में लिया जाता है तथा इस प्रयोजन के लिए धन का आवंटन किया जाता है।

अल्युमिना-अल्युमीनियम संयंत्रों के अनुप्रवाह उत्पादों का बाजार सर्वेक्षण

317. **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या इस्पात खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को अल्यूमिना-अल्यूमीनियम संयंत्रों के अनु-प्रवाह उत्पादों तथा अन्य संबंधित विषयों के बाजार सर्वेक्षण के बारे में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रोलिंग मिल और फेब्रीकेशन यूनिट को सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत रखने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो "नाल्को" ने इन यूनिटों की स्थापना के लिए कौन-कौन से स्थानों का चयन किया है?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख). राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने तार-छड़ों, रोल्ड उत्पादों कतरनों एवं पन्नियों की प्रायोजित मांग और पूर्ति का उल्लेख करते हुए नवम्बर, 1983 में एक बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। विभिन्न

अर्द्धनिर्मित उत्पादों और परवर्ती उत्पादों में धातु-मिश्रण के बारे में प्रोद्यौ-आर्थिक साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1984 मेकोन को नियुक्त किया गया था, रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) तार-छड़ उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के प्रस्ताव पर नाल्को विचार कर रही है।

(घ) तार-छड़ मिल की स्थापना प्रद्रावक के निकट अंगुल में किए जाने की संभावना है।

दामनजोड़ी और अंगुल में सहायक-इकाइयों का विकास

318. **श्री गिरिधर गोमांगों :** क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाल्को" उड़ीसा ने, दामनजोड़ी और अंगुल में सहायक उद्योगों का विकास करने हेतु सलाह और सहायता देने के लिये, संयंत्र-स्तर पर एक सलाहकार समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समितियों ने उन सहायक उद्योगों का पता कर लिया है और इस बारे में अपनी रिपोर्ट "नाल्को" को प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) "नाल्को" द्वारा उक्त समितियों के गठन में देरी करने के क्या कारण थे जबकि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की ओर से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश थे; और

(ङ) सहायक उद्योगों के विकास के लिए "नाल्को" तथा उड़ीसा सरकार द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). नाल्को अभी निर्माण के चरण में है। नाल्को के अन्तर्गत अनुषंगी विकास हेतु नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण के लिए एक अन्तरिम सलाहकार समिति थी। पिछले वर्ष एक संयंत्र स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया जिसकी पहली बैठक 14-7-84 को हुई। इसकी सिफारिशों पर निम्नलिखित समितियां बनाई गई :–

(1) एक संयंत्र स्तर समिति (पी०एल०सी०)।

(2) दो संयंत्र स्तर उप-समितियां (पी०एल०एस०सी०) एक दामनजोड़ी तथा एक अंगुल में।

(3) एक उद्यमी चयन समिति (ई०एस०सी)।

उद्यमी चयन समिति (ई०एस०सी०) ने क्रमश: कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित अनुषंगी उद्योगों की सिफारिश की है :—

	मद	प्रस्तावित स्थल
1.	ग्राइंडिंग मीडिया	अंगुल तथा दामनजोड़ी—प्रत्येक छोटे क्षेत्र में एक यूनिट ।
2.	गेंहू भूसा	दामनजोड़ी
3.	अलम	अंगुल तथा दामनजोड़ी
4.	सफेदी	दामनजोड़ी
5.	विस्फोटक	दामनजोड़ी
6.	पोलिथलीन लाइन वाले हेसियन बेग	दामनजोड़ी
7.	फिल्टर वस्त्र	दामनजोड़ी-संयुक्त सेक्टर में एक यूनिट
8.	इन्सूलेशन विब्रिक्स	अंगुल-संयुक्त सेक्टर में एक यूनिट

(ङ) (1) अनुषंगी उद्योगों का निर्धारण करने के लिए बनी समिति, जिसमें उड़ीसा सरकार का भी प्रतिनिधि होता है, नाल्को एक सदस्य है ।

(2) अनुषंगी विकास पर नाल्को ने लोक उद्यम ब्यूरो के मार्गदर्शी नियम अपनाए हैं ।

(3) नाल्को ने उड़ीसा स्थित विभिन्न सरकारी तथा छोटे उद्योगों को 46 करोड़ रुपए के सप्लाई आर्डर दिये हैं ।

(4) नाल्को ने राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा में विहित निर्यात प्रोत्साहन एवं विपणन दर मारकेटिंग ठेकों को स्वीकार किया है ।

(5) नाल्को ने लघु उद्योगों को मूल्य-अधिमान्यता की सुविधा दी है ।

माहे के सरकारी कर्मचारियो को मकान किराया भत्ते की अदायगी

319. **श्री अमल दत्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी प्रशासन ने माहे (पांडिचेरी) के संबंध में केन्द्रीय वित मंत्रालय को पराश्रितता (डिपेन्डेन्सी) प्रमाणपत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने माहे के सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें देरी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) . पांडिचेरी के समाहर्ता द्वारा जारी किए गए ऐसे निर्भरता प्रमाण पत्र के आधार पर, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि

माहे सामान्यत: अपनी अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए तेल्लीचेरी पर निर्भर करता है, पांडिचेरी सरकार ने माहे में तैनात सरकारी कर्मचारियों को तेल्लीचेरी (केरल) में प्राप्त दरों पर मकान किराया भत्ता मंजूर किए जाने का प्रस्ताव किया था। विद्यमान आदेशों के अन्तर्गत, मकान किराया भत्ता केवल उसी नगर के लिए स्वीकार किया जाता है जिसकी जनसंख्या कम से कम 50,000 हो। माहे नगर की जनसंख्या 9,538 है। इसलिये सामान्य परिस्थितियों के अन्तर्गत यह मकान किराया भत्ते के लिये पात्र नहीं है। मकान किराया भत्ता उन कर्मचारियों को भी ग्राह्य होता है यदि उनकी ड्यूटी का स्थान उस नगर से 8 कि०मी० के अन्दर है जिस पर वह अपनी अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए निर्भर है। लेकिन ऐसा स्थान स्वयं में एक अधिसूचित क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र घोषित न किया गया हो। माहे अपने आप में एक अधिसूचित क्षेत्र है। अत: माहे की नगरपालिका क्षेत्र की स्थिति की उपेक्षा करते हुये "निर्भरता प्रमाणपत्र" के आधार पर माहे में कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता स्वीकार किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका।

भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास निदेशालय के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करना

320. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास निदेशालय के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के बारे में 4 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9981 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अक्टूबर 1983 में सरकार को प्रस्तुत की गई भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की सिफारिशों पर विचार और जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और सरकार द्वारा स्वीकार की गयी सिफारिशों का सारांश क्या है;

(ग) क्या उनको कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम उठाए गये हैं और उनमें से प्रत्येक सिफारिश किस तारीख को कार्यान्वित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में किस तारीख तक निर्णय लिये जाने की संभावना है और किस तारीख तक इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जायेगा?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ). यद्यपि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की रिपोर्ट अभी विचाराधीन ही थी कि भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया। इस समिति ने उन समस्याओं का भी अध्ययन किया जिन पर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान विचार कर चुका था। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की रिपोर्ट को देखते हुये उच्च स्तरीय समिति ने भी पुनर्वास महानिदेशालय के पुनर्गठन के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं। इन दोनों रिपोर्टों पर एक साथ विचार करके निर्णय किया जायेगा।

युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को नियमित पेंशन का भुगतान

321. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं और उन भूतपूर्व सैनिकों

की विधवाओं, जिनकी मृत्यु 1 जनवरी, 1964 से पूर्व हो गई, के लिए नियमित पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इस प्रयोजन के लिए अपने भाग का अंशदान दिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं कि विशेष राज्य भी इसी प्रकार की कार्यवाही करें;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में पूरी जिम्मेदारी लेगी और उन विधवाओं को भी पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेगी जो ऐसे राज्यों में रहती हैं जो अपने भाग के अंशदान का भुगतान नहीं करती;

(घ) यदि हां, तो किस तारीख तक ऐसा किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) युद्ध के कारण हुई विधवाओं अर्थात् युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं को इस बात का ध्यान रखे बगैर कि क्या उनके पति 1-1-1964 से पहले अथवा इसके बाद युद्ध में मारे गए थे, पहले से ही विशेष परिवार पेंशन मिलती है। केन्द्र सरकार इस पर होने वाला पूरा व्यय वहन कर रही है।

भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं नियमित पेंशन की हकदार नहीं हैं। लेकिन 1-1-1964 के बाद सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं कम से कम 150 रु० प्रतिमाह "परिवार पेंशन" पाने की हकदार हैं।

1-1-1964 से पहले सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं नियमित पेंशन अथवा परिवार पेंशन पाने की हकदार नहीं हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार की एक योजना के अंतर्गत वे 50 रु० प्रतिमाह की दर से वित्तीय सहायता पाने की हकदार हैं। इस योजना के अंतर्गत होने वाला आधा व्यय केन्द्र सरकार वहन करती है और शेष आधा व्यय संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन वहन करते हैं।

(ख) से (घ). 1-1-1964 से पहले के पेंशनरों की विधवाओं के लिए वित्तीय सहायता की योजना कार्यान्वित करने वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस प्रकार हैं :—

1. आंध्र प्रदेश
2. बिहार
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश
6. जम्मू और कश्मीर
7. केरल
8. कर्नाटक
9. मध्य प्रदेश
10. महाराष्ट्र
11. उड़ीसा
12. पंजाब
13. राजस्थान
14. तमिलनाडू
15. उत्तर प्रदेश
16. त्रिपुरा
17. अंडमान और निकोबार
18. अरुणाचल प्रदेश
19. दिल्ली
20. गोवा
21. मिजोरम

यह मामला शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उठाया जा रहा है। आशा है कि ये राज्य और संघ राज्य क्षेत्र भी इस योजना को यथासमय स्वीकार कर लेंगे।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्थापित विशेषज्ञ-पैनलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

322. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 12 और 13 जुलाई, 1984 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में गठित पांच विशेषज्ञपैनलों ने उन्हें सौंपे गए विभिन्न मसलों पर अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में उनकी सिफारिशों सहित इन रिपोर्टों की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पैनलों से ये रिपोर्टें किस तारीख तक मिल जाने की आशा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग). राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सातवीं योजना 1985-90 के नीति दस्तावेज को अंतिमरूप देते समय सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने से संबंधित कुछ विशिष्ट मामलों पर विशेषज्ञ दल स्थापित करने की सिफारिश की थी।

बाद में, योजना आयोग द्वारा (अगस्त, 1984 में) तीन विशेषज्ञ समितियां स्थापित की गई। इन समितियों को जो विशिष्ट मामले प्रेषित किए गए वे थे :—

(1) क्या सरकारी क्षेत्रक के निवेश से सृजित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए प्रावधान योजना व्यय की अथवा योजनेयतर व्यय की एक मद होना चाहिए।

(2) क्षेत्रकीय विकास योजनाओं में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का कार्यक्षेत्र और भूमिका।

(3) क्या सातवीं योजना की अपनी औपचारिक संरचना में संसाधनों तथा निवेश लागत दोनों ही पर मुद्रास्फीति के प्रभावों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

पहली दो समितियों की रिपोर्टें हाल ही में योजना आयोग को प्राप्त हुई है जबकि तीसरी समिति को अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी हैं।

समितियां क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद के निवेश पर स्थापित की गई थी इसलिए उनकी रिपोर्टें विचार के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् को प्रस्तुत करनी होंगी।

पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

323. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या योजना** मंत्री पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए सलाहकार समिति के बारे में 24 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4806 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने क्या योगदान किया है तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों के विकास के लिए क्या कोई नीति निर्धारित की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो नीति-निर्धारण के बारे में समिति अपने प्रस्ताव किस निश्चित तारीख तक प्रस्तुत कर देगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) पहाड़ी क्षेत्र विकास के लिए विशेषज्ञों की सलाहकार समिति की अब तक दो बैठकें हुई है । समिति ने क्षेत्र की सामान्य समस्याओं और कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया । समिति सामान्यतया इन बातों पर सहमत थी (1) मुख्य संकेन्द्रण लोगों और उनकी आधारभूत आवश्यकताओं अर्थात् आहार (खाना), चारा, ईंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर होना चाहिए; (2) सूक्ष्म-जलसंभर विकास की इकाई होनी चाहिए, और (3) स्वैच्छिक अभिकरणों को पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । समिति के विचार सातवीं योजना में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास से संबंधित कार्यकारी दल को सम्प्रेषित कर दिए गए हैं कार्यकारी दल से अपनी सिफारिशों को तैयार करने में इन विचारों पर ध्यान देने की प्रत्याशा की जाती है । कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

(ख) समिति एक सलाहकार निकाय है और इससे किसी औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रत्याशा नहीं की जातो है । विशिष्ट मुद्दों पर, आवश्यकता होने पर समिति के विचार प्राप्त किए जाते हैं ।

कोयले से तेल के उत्पादन का प्रस्ताव

324. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले से तेल और अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) परियोजना को मंजूरी देने में बिलंब के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग). "तकनीकी-आर्थिक साध्यता रिपोर्ट" तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव की भारत सरकार ने "संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम" से सहायता सिफारिश की थी । यह परियोजना शुरू कर दी गई है और वेस्ट बंगाल इंडिस्ट्रल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० इसका कार्यान्वियन कर रहा है ।

ऐसे किसी संयंत्र की स्थापना का प्रश्न तकनीकी-आर्थिक साध्यता रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद ही उठेगा ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रानीगंज, पश्चिम बंगाल में छोटे सिक्कों की कमी

325. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र तथा देश के अन्य भागों में छोटे सिक्कों तथा छोटे करेंसी नोटों की अत्यधिक कमी की शिकायतें मिली; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र सहित देश के कुछ भागों से छोटे सिक्कों तथा कम मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों कमी के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) सरकार ने सिक्कों तथा करेंसी नोटों की मांग पूरी करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद की सभी तीनों टकसालों तथा नासिक रोड और देवास के दोनों करेंसी नोट मुद्रणालयों में काम के घन्टे बढ़ाने के साथ साथ प्रोत्साहन योजनाएं भी शुरू की गई है। आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के एक अंग के रूप में तीनों टकसालों के लिए बाईस नई सिक्का ढलाई की मशीन खरीदी जा रही हैं और करेंसी नोट मुद्रणालय नासिक रोड में दो उत्पादन शृंखलाओं (लाइनों) तथा बैंक नोट मुद्रणालय देवास में सेतोलन उपस्करों (बैलेंसिंग इक्विपमेंट) की स्थापना की जा रही है। कलकत्ता टकसाल में एक दूसरी पारी शुरू की जा रही है। एक नई टकसाल और नोट मुद्रणालय की स्थापना करने का भी निर्णय किया गया है और इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। छोटे सिक्कों और करेंसी तथा बैंक नोटों के उत्पादन में सुधार होने के फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न क्षेत्रों में, उपलब्ध मात्रा के अनुसार, इन सिक्कों और करेंसी नोटों के निर्गम में वृद्धि कर दी है।

मेग्नेसाइट का आयात

326. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश की आवश्यकता पूरी करने के लिए मैग्नेसाइट की भारी मात्रा का आयात करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो 1982, 1983 और 1984 के दौरान मैग्नेसाइट की कितनी मात्रा का आयात किया गया और उक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(ग) क्या सरकार को देश में कच्चे मैग्नेसाइट का पता लगाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गैर-सरकारी उद्यमियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री नटवर सिंह) : (क) देश में उपलब्ध मैग्नेसाइट में सिलिका की मात्रा अधिक है और इसलिए विशेष उच्च क्वालिटी की तापसह ईंटें बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसलिए सिलिका की 4 प्रतिशत से कम मात्रा वाले मृत तापन मेग्नेसाइट का (जिसे मेग्नेसाइट सिन्टर भी कहा जाता है) खुले सामान्य लाइसेन्स के

अन्तर्गत आयात करने की अनुमति दी गई है। 4 से 6 प्रतिशत सिलिका की मात्रा वाले मृत तापन मेग्नेसाइट का आयात आटोमेटिक लाईसेंसिंग योजना के अन्तर्गत किया जा सकता है तथा 6 प्रतिशत से अधिक सिलिका की मात्रा वाले मृत तापन मेग्नेसाइट के आयात पर प्रतिबन्ध है। संलीन मेग्नीशिया (फ्यूज्ड मेग्नीशिया) तथा स्थापित मेग्नेसाइट (नान कैल्साइंड मेग्नेसाईट) का भी थोड़ी मात्रा में आयात किया जाता है।

(ख) वर्ष 1980–81, 1981–82 तथा 1982–83 के दौरान आयात किये गये सभी किस्मों के मेग्नेसाइट की कुल मात्रा तथा उस पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा की राशि इस प्रकार है :

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपये)
1980–81	19,794	4.93
1981–82	1,688	0.91
1982–83	6,256	2.19

(ग) से (ङ). केन्द्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड को, जिसमें भारतीय भूसर्वेक्षण के भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम का अनुमोदन किया था, वर्ष 1983–84 के फील्ड सीजन में हिमालय क्षेत्र तथा वर्ष 1984–85 के फील्ड सीजन में सेलम क्षेत्र में मेग्नेसाइट की खोज तथा अन्वेषण का कार्यक्रम शामिल करने के लिए एक गैर सरकारी उद्यम से सुझाव प्राप्त हुए थे। केन्द्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठकों में इन सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया था। मेग्नेसाइट की खोज तथा अन्वेषण का कार्यक्रम भारतीय भू-सर्वेक्षण के कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया था। अन्तिम जानकारी से इस बात का संकेत मिला है कि चाक की पहाड़ियों तथा सेलम के सिरावली क्षेत्र में मेग्नेसाइट की खोज का काम पूरा हो गया है। इसके भण्डारों का अनुमान लगाया जा रहा है। अलकनन्दा की घाटी में मेग्नेसाइट की खोज का कार्य चल रहा है।

उदार परिवार पेन्शन की मंजूरी

328. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेंशन भोगियों के संगठनों सहित विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार केन्द्रीय सिविल सेवा के अन्तर्गत उदार परिवार पेंशन मंजूर करने में भेदभाव किया जा रहा है; और

(ख) उच्चतम न्यायालय का निर्णय सभी श्रेणियों के पेंशन भोगियों के मामले में ठीक से क्रियान्वित किया जाना सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख). उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए 31.3.1979 के पूर्व के पेंशन भोगियों को दिये गए लाभों को पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी देने के बारे में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संबंध सेवा निवृत्ति पैन्शनों से था तथा इसका परिवार पेंशन से कोई सबन्ध नहीं है, जो कि सेवारत कर्मचारियों अथवा पैंशनभोगियों की मृत्यु के मामले में दी जाती है। तथापि, अन्य सभी वर्गों के पेंशन भोगियों के मामले में उच्चत्तम न्यायालय का निर्णय पूर्णत: कार्यान्वित कर दिया गया है।

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार

329. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर और कुल्टी के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम संबंधी नवीनतम स्थिति क्या हैं; और तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री नटवर सिंह) : दुर्गापुर तथा इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (बर्नपुर) के इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने के कार्यक्रमों पर सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है ।

दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण एवम् विस्तार किया जा रहा है और इस कार्य के वर्ष 1986 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे सिक्कों की कमी

330. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री के० टी० कोसलराम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूरे देश में और विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे सिक्कों और एक रुपए के सिक्के नोटों और दो रुपए के नोट की अत्याधिक कमी है, जिसके कारण लोगों को अपने दैनिक कामकाज में भारी कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) छोटे सिक्कों और कम मूल्य वर्ग के नोटों की कमी के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) सिक्कों और करेंसी नोटों की मांग की पूर्ति के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किये हैं । बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद की तीनों टकसालों और नासिक रोड़ और देवास के दोनों करेंसी नोट मुद्रणालयों में काम के घंटे बढ़ाने के साथ-साथ प्रोत्साहन योजनाएं चालू की गई है । आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के एक अंग के रूप में तीनों टकसालों के लिए बाईस नई सिक्का ढलाई मशीनें खरीदी जा रही हैं और करेंसी नोट मुद्रणालय नासिक रोड़ में दो उत्पादन श्रृंखलाओं (लाइनों) तथा बैंक नोट मुद्रणालय, देवास में संतोलन उपस्करों (बैलेंसिंग इक्विपमेंट्स) की स्थापना की जा रही है । कलकत्ता टकसाल में एक दूसरी पारी भी शुरु की जा रही है । एक नई टकसाल और एक नए नोट मुद्रणालय की स्थापना करने का निश्चय किया गया है और इस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

चुंगी शुल्क समाप्त करना

331. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में चुंगी शुल्क को समाप्त करने की काफी मांग की जा रही है;

(ख) क्या कुछ राज्यों न अपने यहां पहले ही चुंगी शुल्क समाप्त कर दिया है, यदि हां, तो ऐसे राज्यों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या इस विषय में अध्ययन करने वाली बहुत सी समितियों तथा आयोगों ने इसे पूर्णत: अवनतिपूर्ण पाया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा सारे देश में चुंगी शुल्क कब तक समाप्त कर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) उद्योगों और व्यापारियों ने चुंगी समाप्त करने की मांग की हैं लेकिन चुंगी समाप्ति के विरोध में स्थानीय निकायों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा किसी प्रकार की चुंगी वसूल नहीं कर रहे हैं। उन अन्य राज्यों में से, जो चुंगी लगा रहे थे, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मणिपुर ने इसे समाप्त कर दिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, इस मामले पर सितम्बर, 1980 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था और यह सुझाव दिया गया था कि पहले चरण के रूप में, चुंगी को उन स्थानों से समाप्त कर दिया जाए जिनकी जनसंख्या दो लाख से कम है।

मुख्य युद्ध टैंक "चेतक" का उत्पादन

332. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य युद्ध टैंक "चेतक" के निर्माण के संबन्ध में अद्यतन स्थिति क्या हैं; और

(ख) इसका उत्पादन कब तक प्रारम्भ हो जाएगा और इसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) मुख्य युद्ध टैंक का विकास संतोषजनक ढंग से किया जा रहा हैं। टैंक के तीन प्रोटोटाइपों का पहले ही विकास किया जा चुका है और उसकी तकनीकी जांच की जा रही है।

(ख) टैंक का उत्पादन परीक्षण पूरा होने और सेना द्वारा उसे स्वीकार कर लिए जाने के बाद किया जाएगा। इस बारे में और आगे ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण

333. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी सुरक्षा सेनाओं ने जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनो निगरानी तेज कर दी है क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों ने सीमा पार से अपनी गतिविधियां तेज कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इतना करने पर भी पाकिस्तानी विमानों ने अक्तूबर, 1984 के दौरान इस क्षेत्र में भी भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण किया था;

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र के तथा अन्य क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सीमा अतिक्रमण की कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(घ) हमारी वायु सीमा का कुल कितनी बार अतिक्रमण हुआ तथा इस प्रकार के अतिक्रमणों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव): (क) से (घ) हमारी सुरक्षा सेनाएं जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर निरन्तर निगरानी रखती हैं। पाकिस्तानी फौजों द्वारा सीमा पार अपनी गतिविधियों में कोई असामान्य वृद्धि करने की हाल में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के आस पास पाकिस्तानी और भारतीय सेनाओं के बीच गोला-बारी की कुछ घटनायें हुई हैं। पाकिस्तानी सेना ने अकारण गोलियां चलाई।

अक्तूबर 1984 में जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार से पाकिस्तान के विमानों ने हमारी वायु सीमा का कोई अतिक्रमण नहीं किया लेकिन उस अवधि में पंजाब-क्षेत्र में एक बार अतिक्रमण किया गया। यह मामला पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।

पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ियों द्वारा जम्मू और कश्मीर में भारतीय सीमा में घुसपैठ

334. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 अगस्त, 1984 को उत्तरी क्षेत्र में, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास, भारतीय क्षेत्र में चोरी छिपे घुसपैठ करने का प्रयत्न करने पर कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य मुठभेड़ तब हुई जब भारी गोला-बारी की आड़ लेकर कुछ पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयत्न किया परन्तु भारतीय सेना द्वारा उन्हें विफल कर दिया गया था ;

(ग) क्या उस घटना के पश्चात् दोनों पक्षों के बीच कई दिनों तक गोला-बारी होती रही थी;

(घ) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी-सैन्य टुकड़ियों द्वारा किया गया यह तीसरा प्रयास था; और

(ङ) क्या अगस्त, 1984 के पश्चात् इन क्षेत्रों में कुछ और मुठभेड़ें हुई हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) 30 अगस्त, 1984 को उतरी क्षेत्र में भारतीय तथा पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) अगस्त, 1984 के बाद जम्मू तथा कश्मीर में नियंत्रण रेखा के उस पार गोला-बारी की कुछ घटनाएं हुई हैं।

विश्व बैंक द्वारा भविष्य में ऋण के लिए कठोर शर्तें लागू किया जाना

335. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भविष्य में ऋण देने की शर्तों को कठोर बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक का यह निश्चित मत है कि ऋण लेने वाले देशों को ढांचागत समायोजन ऋण देने की प्रक्रिया से प्राप्त अनुभव को न केवल चालू समायोजन कार्यक्रम के पुनर्नियोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाए, बल्कि नए कार्यक्रम बनाने के लिए भी उसे उपयोग में लाया जाना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या इस निर्णय के कारण विकासशील देशों को भारी नुकसान होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय से भारत किस सीमा तक प्रभावित होगा ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) विश्व बैंक ने हाल में ऋण की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया है सिवाय इसके कि ब्याज की दर को 9.89 प्रतिशत से घटाकर 9.29 प्रतिशत कर दिया है।

(ख) और (ग) : विश्व बैंक द्वारा उन देशों की सहायता के लिए संरचनात्मक समायोजन ऋण देने का कार्यक्रम आरंभ किया गया था जो आर्थिक और संरचनात्मक नीतियों पर बैंक के साथ नीति संबंधी बातचीत करने के लिए तैयार हों और जिनकी आर्थिक स्थिति को विश्व बैंक से बाहरी सहायता प्राप्त करके सहारा दिया जा सकता हो। संरचनात्मक समायोजन ऋण की राशि को प्रारंभ में किसी देश के ऋण देने के कार्यक्रम के 30 प्रतिशत तक और विश्व बैंक के कुल ऋण के 10 प्रतिशत तक सीमित रखा गया था। बाद में इसे और अधिक लचीला बना दिया गया। यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा कि विश्व बैंक के विचार में ऋण लेने वाले देशों को संरचनात्मक समायोजन ऋण देने की प्रक्रिया से प्राप्त अनुभव को न केवल चालू

समायोजन कार्यक्रम के पुर्नर्नियोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाए, बल्कि नए कार्यक्रम बनाने के लिए भी उसे उपयोग में लाया जाना चाहिए ।

(घ) भारत ने विश्व बैंक से संरचनात्मक समायोजन ऋण नहीं लिया है ।

भारत को विश्व बैंक ऋण

336. **श्री बी०बी० देसाई : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने 30 जून, 1984 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत के आर्थिक कार्य-निष्पादन के लिए उसकी सराहना की है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने अपने प्रतिवेदन में इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत की अर्थ-व्यवस्था पिछले वर्ष में सूखे से उत्पन्न निराशाजनक स्थिति से जल्दी ही उबर आई है;

(ग) क्या विश्व बैंक, भारत के बेहतर आर्थिक निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, भारत को वर्ष 1984-85 के दौरान बेहतर कार्य निष्पादन करने हेतु और अधिक सहायता और सहयोग देने पर सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए कितना ऋण दिया है; और

(ङ) इन ऋणों के अधीन कितनी परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख), विश्व बैंक को राजकोषीय वर्ष 1984 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि अच्छी मानसून वर्षा से भारत की अर्थ-व्यवस्था, पिछले वर्ष में सूखे से उत्पन्न निराशाजनक स्थिति से, राजकोषीय वर्ष 1984 में अच्छी तरह उबर आई है । इसमें आगे यह भी बताया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में अर्थ-व्यवस्था की विकास दर 7 प्रतिशत से भी अधिक हो जाने की संभावना है जबकि पिछले दो वर्षों में यह 2.6 प्रतिशत और 5.9 प्रतिशत थी ।

(ग) जहां तक बैंक ऋणों और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से उधारों की स्वीकृति का सवाल है, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष परियोजनाओं की एक श्रृंखला तैयार करती है जिसे सहायता के लिए विश्व बैंक समूह के सम्मुख रखा जाता है । उन परियोजनाओं की सही संख्या जिनके लिए सहायता ली जा सकती है और ऐसी सहायता की राशि, बैंक समूह के पास निधियों की उपलब्धता और परियोजनाओं की तैयारी एवं प्रगति के स्तर पर निर्भर करती है ।

(घ) और (ङ) : विश्व बैंक समूह ने 30 जून, 1984 को समाप्त होने वाले राजकोषीय वर्ष के लिए भारत के वास्ते कुल 272.24 करोड़ संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर के ऋण/उधार स्वीकृत किए हैं । विश्व बैंक द्वारा राजकोषीय वर्ष 1984 में सहायता के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

विवरण

(करोड़ डालरों में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की राशि	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दिए जाने वाले उधार की राशि	विशेष निधि द्वारा दिए जाने वाले उधार की राशि
1.	उड़ीसा सिंचाई-II	—	10.5	—
2.	वर्षा पोषित क्षेत्रों में जल विभाजक विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना	—	3.1	—
3.	भारत जन-संख्या परियोजना-III	—	7.0	—
4.	न्हावा शेवा पत्तन परियोजना	25.0	—	—
5.	दुधिवुआ कोयला	15.1	—	—
6.	तमिलनाडु जल पूर्ति तथा सफाई	—	3.65	3.65
7.	पेरियाड़ वेगई सिंचाई-II	—	1.75	1.75
8.	म० प्र० उर्वरक	20.36	—	—
9.	बोधघाट पन बिजली	15.74	—	14.30
10.	रेल विद्युतीकरण तथा कार्यशाला आधुनिकीकरण	28.07	—	—
11.	गुजरात मध्यम सिंचाई-II	—	17.20	—
12.	कैम्बे बेसिन पैट्रोलियम	24.25	—	—
13.	ट्राम्बे तापीय	13.54	—	—
14.	फरक्का ताप विद्युत	30.08	—	—
15.	ऊपरी गंगा सिंचाई तथा आधुनिकीकरण	—	12.50	—
16.	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	—	22.00	—
17.	कर्नाटक सामाजिक वनपालन	—	2.70	—
	जोड़ :	172.14	80.40	19.70
	कुल जोड़ :	272.24		

सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में बचत की दर

337. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में बचत की दर में लगातार गिरावट आयी है और यह केवल घरेलू क्षेत्र में ही बढ़ी है और यह भी आय के वितरण में असमानता के कारण गरीब वर्गों में अत्यन्त अपर्याप्त है; और

(ख) उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में बचत दर को बढ़ाने के उद्देश्य से इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन बड़े क्षेत्रकों अर्थात् (1) घरेलू क्षेत्रक, (2) निजी निगमित क्षेत्रक, और (3) सरकारी क्षेत्रक में बचतों की निवल दरें (अर्थात् घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यक्त बाजार कीमतों पर निवल बचत) निम्न प्रकार है :—

वर्ष	बचतों की निवल दर (प्रतिशत)			
	सरकारी क्षेत्रक	निजी निगमित क्षेत्रक	घरेलू क्षेत्रक	जोड़
1981-82	3.4	0.9	12.3	16.6
1982-83	3.2	0.9	13.0	17.1
1983-84*	2.1	0.7	14.2	17.0

*केन्द्रीत सांख्यिकी संगठन के त्वरित अनुमान (अनन्तिम)

इस प्रकार, 1981-82 से 1983-84 तक सरकारी क्षेत्रक बचत दर में निरन्तर ह्रास हुआ है। निजी निगमित क्षेत्रक में बचत दर 1981-82 और 1982-83 में स्थिर रहीं लेकिन 1983-84 में थोड़ा ह्रास हुआ। घरेलू क्षेत्रक में बचत दर में 1981-82 से 1983-84 तक लगातार वृद्धि हुई। बचतों की सम्पूर्ण निवल दर 1981-82 में 16.6 प्रतिशत से बढ़कर 1982-83 में 17.1 प्रतिशत हो गई, लेकिन अनंतिम अनुमानों के अनुसार 1983-84 में केवल मामूली सा ह्रास हुआ जिससे यह 17.0 प्रतिशत हो गई। यह कहना संभव नहीं है कि क्या आय के वितरण में असमानता के कारण गरीब वर्गों में बचत दर अपर्याप्त है क्योंकि अब तक पूर्ण आय वितरण सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) सातवीं पंच वर्षीय योजना, 1985-90 अभी तैयार की जा रही है। इस सम्बन्ध में असमानता दूर करने के लिए समुचित उपाय अपनाना सातवीं योजना तैयार करने का एक भाग होगा।

भारत-पाक सीमा पर तस्करी की गतिविधियां

338. **श्री चित्त महाटा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता चलता है कि भौगोलिक कारकों, विभिन्न जिन्सों के संबंध में मूल्य-अन्तर, तस्करों द्वारा तस्करी के मार्गों को बदलने के लिए लगातार प्रयास करने आदि के अपरिहार्य कारणों की वजह से भारत-पाकिस्तान की सीमा तस्करी के आकर्षण वाला क्षेत्र बना हुआ है। वर्ष 1984 (नवम्बर तक) के दौरान इस सीमा पर लगभग 2.8 करोड़ रुपये* का निषिद्ध माल पकड़ा गया था, जबकि वर्ष 1983 में इस सीमा पर 3.8 करोड़ रुपये मूल्य का माल पकड़ा गया था।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों की निवारक और गुप्त सूचना एजेंसियां इस मामले में सतर्क रहती हैं और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सम्बन्धित प्राधिकरणों के साथ घनिष्ठ तालमेल बैठाकर तस्करी निवारण हेतु उचित उपाय किए जाते हैं। उचित कार्यवाही हेतु मामले की लगातार समीक्षा भी की जाती है।

तस्करी की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय तौर पर तथा न्यायालय में मुकदमें चलाकर कड़ी कार्यवाही की जाती है। उचित मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन नजरबन्दी भी की जाती है।

हिन्द महासागर में विदेशी शक्तियों की उपस्थिति

339. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हिन्द महासागर में कुछ विदेशी शक्तियों की नौसेना की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या उन्हें इस क्षेत्र में हमारी मछली पकड़ने की नौकाओं पर बढ़ते हमलों की भी जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो हिन्द महासागर में अपने हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) पिछले कई वर्षों से हिन्द महासागर में कुछ विदेशी शक्तियों की नौसेना की उपस्थिति में सामान्यतया वृद्धि होती रही है। यद्यपि इसमें कभी-कभी घट-बढ़ भी हो जाती है।

(ख) पाल्क स्ट्रेट में श्रीलंका की फौजों द्वारा मछली पकड़ने की हमारी नौकाओं पर हुए हमलों में वृद्धि के अलावा अन्य कोई घटनाएं नहीं घटीं।

(ग) भारत सरकार हिन्द महासागर में अपने समुद्री सुरक्षा परिवेश की निरन्तर समीक्षा करती है और अपने हितों की सुरक्षा के लिए उचित उपाय करती है। नौसेना को भी मजबूत किया जा रहा है।

*अंतिम

1984 के दौरान कोयले का उत्पादन और मांग

340. **प्रो० पी०जे० कुरियन :**
श्रीमती चन्द्रभानु देवी :
श्री मानवेन्द्र सिंह :

क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान कुल कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1984 के दौरान कोयले की कुल मांग कितनी थी; और

(ग) आगामी वर्षों में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का क्या विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) वर्ष 1984 के दौरान उत्पादित कोयले की मात्रा निम्नलिखित है :

(आकड़े मिलियन टनों में)

वर्ष	उत्पादन
1984 (जनवरी से दिसम्बर, 1984)	144.81

(ख) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान, इन वर्षों के आरंभ में योजना आयोग द्वारा अनुमानित कोयले की मांग और 1984 के दौरान वास्तविक कुल खरीद निम्नलिखित है :

(i) **योजना आयोग द्वारा अनुमानित योग**

1983-84	147.17 मि० टन
1984-85	155.7 मि० टन

(ii) वर्ष 1984 के दौरान वास्तविक कुल खरीद

1984 (जनवरी से दिसम्बर, 1984)	139.06 मि० टन

(ग) कोयला का उत्पादन बढ़ाने के अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें यह शामिल हैं--आधारभूत सुविधाओं में सुधार, नई खानों की मंजूरी, कार्मिकों और मशीनरी की उत्पादकता बढ़ाना, कोयला खनन के लिए भूमि अधिग्रहण में शीघ्रता कराना और अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण ।

चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा प्रतिवेदन पेश किया जाना

341. **प्रो० पी०जे० कुरियन :**
श्री नवीन रावणी :
श्री अमरसिंह राठवा :
श्री ललित माकन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ वेतन आयोग का प्रतिवेदन कब तक पेश किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कोई अंतरिम सहायता मंजूर करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार चौथा केन्द्रीय वेतन आयोग जितना शीघ्र व्यवहार्य हो सकेगा, अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। आयोग, यदि आवश्यक समझे तो, किसी भी विषय पर जब भी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया जाए, रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। आयोग का कार्य प्रगति पर है। परन्तु, इस समय यह बताना संभव नहीं है कि आयोग कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगा।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत की दूसरी किस्त मंजूर करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रक्षा सप्लाई के लिए सोवियत संघ से बातचीत

342. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 31 अक्तूबर को श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के परिणामस्वरूप तत्कालीन रक्षा मंत्री के स्वदेश वापस आ जाने के कारण, सोवियत संघ के साथ रक्षा सप्लाई के बारे में चल रही बातचीत बीच में रुक गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विचार इस बातचीत को पुनः प्रारम्भ करने का है;

(ग) यदि हां, तो उनका विचार कब तक सोवियत संघ जाने का है; और

(घ) क्या उक्त सप्लाई के बारे में चल रही बातचीत में अद्यतन प्रणाली के मिग, टैंक और "फील्ड गन्स" को भी शामिल किया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) भूतपूर्व रक्षा मंत्री, श्री एस०बी० चव्हाण ने एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था जो 30 अक्तूबर, 1984 को सोवियत संघ पहुंचा। यह प्रतिनिधि मंडल अपने दौरे की अवधि कम करके 31 अक्तूबर, 1984 को नई दिल्ली वापस आ गया।

रक्षा मंत्री का यह दौरा निश्चित रूप से सद्भावपूर्ण दौरा था। फिर भी सोवियत संघ के नेताओं के साथ बातचीत के दौरान रक्षा सहयोग से संबंधित पहलुओं पर भी चर्चा कर ली गई होती।

(ख) से (घ). इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं किये गये हैं।

सशस्त्र सेनाओं में संवर्ग (काडर) समीक्षा

343. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं की संवर्ग समीक्षा का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्यम दर्जे के अधिकारियों की संख्या में कमी आने की संभावना है; और

(ग) संवर्ग समीक्षा के निष्कर्षों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव): (क) चिकित्सा/दन्त और मिलिट्री नर्सिंग सेवा को छोड़कर सशस्त्र सेनाओं के संवर्ग की दूसरी समीक्षा का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के लिए दूसरी संवर्ग समीक्षा की मंजूरी, जुलाई 1984 में दी थी। संवर्ग की संख्या में कोई परिवर्तन किए बिना अफसरों के साथ-साथ कार्मिकों की पदोन्नति के अच्छे अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई पदों का दर्जा बढ़ाया गया है। इसके कार्यान्वियन की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी और इस पर कारवाई की जा रही है। लेकिन सेना में रैंक का दर्जा बढ़ा कर कर्नल करने के बारे में इनका दर्जा इन पदों पर पदोन्नत किए जाने वाले पात्र अफसरों की उपलब्धता को देखते हुए अगले कुछ वर्षों में बढ़ाया जाएगा।

सेना में कैप्टन और मेजर और अन्य दोनों सेवाओं में इनके समकक्ष अफसरों के रैंक में पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि को घटाकर क्रमशः 5 वर्ष और 11 वर्ष तक कर दिया गया है। ले० कर्नल और इसके समकक्ष टाइम स्केल के रैंक में पदोन्नति के लिए सेवा की अवधि को समान रूप से कम करके 21 वर्ष कर दिया गया है।

जूनियर कमीशन अफसरों के लिए भी आनरेरी कमीशनों की संख्या बढ़ा दी गई है।

केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा

344. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की वर्तमान प्रणाली के कई असन्तोषजनक पहलुओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों के साथ न्याय करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की वर्तमान प्रणाली ठोस सिद्धान्तों पर आधारित है तथा वित्त आयोग द्वारा इसकी आवधिक समीक्षा की जाती है। फिर भी, भारत सरकार ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ इन पहलुओं की भी जांच करेगा।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विशेष आहरण अधिकारों (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) का आबंटन

345. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पैनल ने कोई और विशेष आहरण अधिकार,

(स्पैशल ड्राइंग राइट्स) का आवंटन न करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के गवर्नरों के बोर्ड की अंतरिम समिति ने 22 सितम्बर, 1984 को वाशिंगटन मे हुई अपनी 23वीं बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय नगदी (लिक्विडिटी) की स्थिति और विश्व की अर्थ-व्यवस्था की परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में विशेष आहरण अधिकारों (एस०डी०आर०) के आवंटन प्रश्न पर विचार किया। चूंकि एस०डी०आर० आवंटन के मामले में अभी अपेक्षित सहमति नहीं हो पाई थी, इसलिए इस बैठक में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। चालू मूल अवधि में एस०डी०आर० आवंटन के बारे में मोटे तौर पर सहमति प्राप्त करने की दिशा में प्रयास जारी हैं।

धातु उद्योग में श्रमिकों के लिए पर्याप्त उत्पादन सुरक्षाओं का अभाव

346. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त उत्पादन सुरक्षाओं के अभाव के कारण धातु उद्योगों के श्रमिकों के कैंसर के अधिक शिकार होने की संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का धातु उद्योग के श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) इस दिशा में कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग). फैक्टरियों में काम करने वाले कामगारों के व्यावसायिक स्वास्थ्य की विनियमन पर फैक्टरीज अधिनियम, 1948 के अध्याय-4 के अंतर्गत किया जाता है। यह अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित किया जाता है। अधिनियम में कुछ रोगों को व्यवसायजन्य रोग घोषित करने तथा ऐसे रोगों से कामगारों के बचाव के लिए निवारक उपाय करने का प्रावधान है। अधिनियम में कुछ कार्य प्रक्रियाओं की शारीरिक चोट और रोगों के दृष्टिकोण से, खतरनाक घोषित करने का भी प्रावधान है। यद्यपि धातु उद्योग इस तरह की खतरनाक निर्माण प्रक्रियाओं वाले उद्योगों की सूची में नहीं आता है, तथापि सरकार ने, 26 कार्य-प्रक्रियाओं को कामगार स्वास्थ्य के लिए खतरायुक्त दर्शाते हुये संलग्न विवरण में सूचीबद्ध किया है। इनके लिये विस्तृत निवारक उपाय निर्धारित किये गये हैं। इन्हें भी राज्य सरकारों को, समुचित अधिसूचना तथा राज्य फैक्टरी निरीक्षालय की मार्फत समय-समय पर निरीक्षण के जरिए, प्रवर्तित किया जाता है।

विवरण

फैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 84 के अन्तर्गत निर्मित मानक नियमावली के नियम 116 के अनुसार खतरनाक निर्माण-प्रक्रियाओं की सूची

1. फेनिल जल का निर्माण और तत्संबंधी अनुषंगिक प्रक्रियाएं।
2. पीले तेजाब या अन्य पीले अवयवों युक्त इलैक्ट्रोलाइट से धातु सामान की इलैक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग या उपचयन (आक्सीकरण)।
3. विद्युत संचायकों का निर्माण और मरम्मत।
4. कांच-निर्माण।
5. धातुओं की घिसाई या चमकाई।
6. रांगा, (सीसा) तथा कुछ रांगा यौगिकों का उत्पादन और शोधन।
7. पेट्रोल से पेट्रो-गैस तैयार करना।
8. कागजी रेगमाल या धातु रेगमाल या मेटल ग्रिट अथवा वायु या वाष्प सम्पीडित विस्फोट चालित घर्षकों द्वारा वस्तुओं की सफाई करना, चिकनाना या चमकाना आदि।
9. कच्चे चमड़े या खाल को साफ करना और रंगना तथा अन्य संबंधित प्रक्रियाएं।
10. कुछ प्रिंटिंग प्रेसों और टाइप ढलाई घरों में कुछ रांगा-जुड़नार प्रक्रियाएं।
11. पाटरी निर्माण।
12. रसायन निर्माण क्रियाएं।
13. उष्म-सह सामग्री से वस्तुओं का निर्माण।
14. एस्बेस्टस (सूतिया पत्थर) का रख-रखाव और उसकी छंटाई, एस्बेस्टस से सामान तैयार करना तथा ऐसी निर्माण या अन्य प्रक्रियाएं जिनमें एस्बेस्टस का किसी भी रूप में इस्तेमाल होता है।
15. संक्षारक पदार्थों का रख-रखाव और हस्त प्रयोग।
16. काजू-सफाई।
17. इलैक्ट्रोलाइटिक जल से तैयार आक्सीजन और हाईड्रोजन का सम्पीडन।
18. द्रव निकासी संयंत्रों में वनस्पति या पशु स्रोतों से तेल और चर्बी निकालने की प्रक्रियाएं।
19. मैंगनीज और यौगिकों का निर्माण और हस्त प्रयोग।
20. खतरनाक कीटनाशकों का निर्माण और हस्त प्रयोग।
21. बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थ का निर्माण या हस्त प्रयोग।
22. कार्बन डाइसल्फाइड संयंत्रों में निर्माण एवं अन्य प्रक्रियाएं।
23. कारसिनोमिनिक डाई यौगिकों का निर्माण और हस्त प्रयोग।
24. उच्च शोर वाले कार्य।
25. विस्कोस प्रोसेस से रेयन निर्माण।
26. अत्यन्त ज्वलनशील द्रव पदार्थों और ज्वलनशील सम्पीडित गैस संबंधी कार्य।

मध्य प्रदेश में कोयला भंडारों का पता लगाया जाना

347. **डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विभिन्न अछूते कोयला क्षेत्रों में कोयला भंडारों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस खोज की मात्रा और किस्म के बारे में कोई विश्लेषण किया गया है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन भंडारों से कोयला निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है और उनसे देश की आवश्यकताओं की किस सीमा तक पूर्ति हो सकेगी ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश में शहडोल, बिलासपुर, सरगुजा, सीधी और रायगढ़ जिलों में स्थित आठ कोयला क्षेत्रों में 0.5 मीटर और अधिक की मोटाई वाली सीमों में कुल 2382.98 मिलियन टन कोयले के भंडार सिद्ध किए गए हैं।

(ग) अब तक प्राप्त विश्लेषण तथ्य आंकड़ों के आधार पर कोयले की किस्म वर्ग I से वर्ग IV (आई०एस०पी०) तक अलग-अलग है।

(घ) देश में नए कोयला भंडारों के समन्वेषण और उपयोग की प्रक्रिया में, क्षेत्रीय ड्रिलिंग और भूवैज्ञानिक रिपोर्टों को तैयार करने की जिम्मेवारी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की है। इन भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के आधार पर देश में कोयला स्रोतों के समन्वेषण के लिए संभावित कोयलावाही ब्लाक बनाए जाते हैं और खनिज समन्वेषण निगम के सहयोग से केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० द्वारा विस्तृत समन्वेषण शुरू किया जाता है। यह कार्य देश के कोयला स्रोतों के उपयोग की क्षमता उत्पन्न करने की दृष्टि से किया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के क्षेत्रीय समन्वेषण तथ्य-आंकड़ों के आधार पर के०खा०आ०डि० सं० लि० ने सोहागपुर कोयला क्षेत्र में स्थित बहारबंद खंड में और जोहीला कोयला क्षेत्र में बीरसिंहपुर विस्तार एरिया में विस्तृत सर्वेक्षण कार्य शुरू किया है। कोयला खनन के लिए नई परियोजनाएं शुरू करने का प्रश्न केवल भंडारों के सिद्ध होने पर ही उत्पन्न होगा।

"फेरा" कम्पनियों की इक्विटी कम करना

348. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में विदेशी कम्पनियों को अगस्त, 1984 तक विदेशी इक्विटी को एक निर्धारित स्तर तक कम करने अथवा उसका भारतीयकरण करने के लिए अन्तिम आदेश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी भी कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जिन्होंने 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का पालन नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के क्या नाम हैं और उनके संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। सभी कम्पनियों से ऐसी अपेक्षा नहीं की गई है कि वे विदेशी इक्विटी (सामान्य शेयरों) में 31 अगस्त, 1984 तक कमी करें। जिस मामले में विदेशी शेयरधारिता में कमी किए जाने की अपेक्षा की जाती है उस मामले में उस प्रयोजन के लिए जो समयावधि निर्धारित की जाती है वह विभिन्न बातों पर ध्यान रखते हुए, निर्धारित की जाती है जिनमें शेयरों में किए जाने वाले तनुकरण की मात्रा भी सम्मिलित होती है।

(ख) तथा (ग). केवल 21 कम्पनियों को छोड़ कर (जिनके नाम संलग्न विवरण में दिए गये हैं) अन्य समस्त कम्पनियों के मामलों को अन्तिम रूप से निपटा दिया गया है और जहां कहीं पर आवश्यक था, विदेशी सामान्य शेयरधारिता के स्तरों में आवश्यक समायोजन भी कर दिया गया है। इन 21 कम्पनियों के मामले में आदेशों के अनुपालन में जो बिलम्ब हुआ है वह कुछ एक ऐसे कारणों से हुआ है जैसे न्यायालय में मामलों का विचाराधीन होना, सम्बद्ध कम्पनियों को भारी हानि होना, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के निर्देशों के विरुद्ध, जो हाल ही में जारी किए गए है, सम्बद्ध कम्पनियों द्वारा अभ्यावेदनों का प्रस्तुत किया जाना तथा आयकर सम्बन्धी अनापत्ति पत्रों आदि का उपलब्ध ना होना।

विवरण

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम
1.	एंगस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता।
2.	हिन्दुस्तान सिवागीगी लि०, बम्बई।
3.	होलमैन क्लाइमेक्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि० कलकत्ता।
4.	कंथल इंडिया लि०, कलकत्ता।
5.	साम नगर जूट फैक्टरी कम्पनी, कलकत्ता।
6.	टीटागढ़ जूट फैक्टरी कं० लि०, कलकत्ता।
7.	विक्टोरिया जूट कम्पनी लि०, कलकत्ता।
8.	संसार मशीन्स लि०, नई दिल्ली।
9.	एसकेलेब लि०, बंगलौर (जो पहले स्मिथ क्लिन एण्ड फ्रैन्च (इंडिया) लि० के नाम से विख्यात थी)।
10.	एपोलो व्हेन जिप्स प्रा० लि०, हैदराबाद।
11.	पाशतनी तेजारती कम्पनी (इंडिया) प्रा० लि०, अमृतसर।
12.	नोर इंडिया लि०, बम्बई।
13.	टाटा दिलवर्थ सीकाडे मीघर एण्ड एसोसियेट्स, बम्बई।
14.	सी०ए० विलनर एण्ड कम्पनी प्रा० लि०, बंगलौर।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम
15.	फाइजर लि०, बम्बई ।
16.	जानसन एण्ड जानसन लि०, बम्बई ।
17.	ई० मर्क इंडिया प्रा० लि०, बम्बई ।
18.	ट्रेवल वर्ल्ड इनकारपोरेटेड, नई दिल्ली ।
19.	बोरहोल्ला आसाम टी कम्पनी लि०, कलकत्ता ।
20.	दी बाडानागोर जूट फैक्टरी पी०एल०सी० ।
21.	दी बम्बई गैस कम्पनी लि० ।

पीतल की मांग और उत्पादन

349. **श्री नवीन रावणी : क्या इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पीतल का उत्पादन और मांग कितनी है;

(ख) क्या पीतल का उत्पादन मांग से बहुत कम है और इस कारण से पीतल और पीतल से बने सामान के मूल्य दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश में पीतल की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग). पीतल, जो तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है, का उत्पादन सामान्यत: उन निर्माताओं द्वारा किया जाता है, जो पीतल के अर्द्ध-उत्पाद यथा-चद्दरों, खण्डों, पाइपों, टयूबों ढलवां उत्पाद, आदि बनाते हैं, इसके अलावा, दस्तकारी का सामान बनाने वाले शिल्पियों द्वारा भी पीतल तैयार की जाती है । यही कारण है कि पीतल की मांग तथा उत्पादन के आंकड़े सुलभ नहीं हैं । यद्यपि पीतल/पीतल के तैयार माल की कीमतें काफी हद तक मुख्य कच्चे माल अर्थात् तांबा, जस्ता, ताम्बा स्क्रेप तथा पीतल स्क्रेप के मूल्यों, जो अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार घटते-बढ़ते रहते हैं, निर्भर करती हैं । पीतल उद्योग की कच्चे माल की मांग को देशी उत्पादन और आयातों से भी पूरा करने के लिए कदम उठाये गए हैं ।

मिलिट्री नर्सिंग सेवा के लिए पिछड़े क्षेत्रों से लड़कियों की भर्ती

350. **श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलिट्री नर्सिंग सेवा के लिये वार्षिक भर्ती की जाती है;

(ख) यदि हां, तो यह भर्ती कितने केन्द्रों से की जाती है और उनमें से बिहार में कितने केन्द्र हैं;

(ग) क्या पिछड़े क्षेत्र की लड़कियों को ऐसी भर्ती संबंधी प्रतियोगिता में कोई अवसर मिलता है:

(घ) यदि हां, तो बिहार के पिछड़े क्षेत्रों से कितनी लड़कियों ने 1984 में भर्ती संबंधी इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया है;

(ङ) क्या यह संख्या पर्याप्त समझी जाती है; और

(च) यदि नहीं, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) मिलिटरी नर्सिंग सेवा में वर्ष में दो बार सीधी भर्ती की जाती है। इसके अलावा, 8 नर्सिंग स्कूलों और नर्सिंग कालेज, सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज पूणे से निर्धारित पाठ्यक्रम में अर्थात् क्रमशः डिप्लोमा और बी०एस०सी० (नर्सिंग) में अर्हता प्राप्त करने के बाद भी उम्मीदवार मिलिटरी नर्सिंग सेवा में भर्ती किए जाते हैं।

(ख) देश में सीधी भर्ती के 36 केन्द्र हैं जिनमें एक केन्द्र बिहार में है। लेकिन मिलिटरी नर्सिंग सेवा (स्थायी कमीशन) के लिए सीधी भर्ती दिल्ली में ही को जाती है। अन्य केन्द्र मिलिटरी नर्सिंग सेवा (अल्प सेवा कमीशन) के लिए भर्ती करते हैं।

(ग) से (च) देश के सभी क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए भर्ती खुली रहती है। 1984 में मिलिटरी नर्सिंग सेवा में भर्ती के लिए बिहार के "पिछड़े क्षेत्रों" से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या से संबंधित सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है।

देश के सभी भागों से उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में बहुत से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में भर्ती के बारे में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश में एक सेना भर्ती उपकेन्द्र खोलने के लिए अभ्यावेदन

351. **श्री हरीश रावत** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश में एक सेना उपकेन्द्र खोलने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर कब तक भर्ती उपकेन्द्र खोला जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) मामले की सरकार जांच कर रही है।

नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोलना

352. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को विभिन्न स्थानों पर अपनी शाखायें खोलने के लिये अब तक कितने लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) इस बैंक द्वारा अल्मोड़ा में कितनी शाखाएं खोली गई हैं; और

(ग) अल्मोड़ा में इसकी शाखाएं खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 47 शाखाएं—24 नैनीताल में और 23 अल्मोड़ा में खोलनी थी। इनमें जारी किये जा रहे लाइसेंस भी शामिल हैं। ग्रामीण बैंक ने इन में से 23 शाखाएं—12 नैनीताल और 11 अल्मोड़ा में खोली हैं।

(ग) बैंक का शाखा विस्तार कार्यक्रम बराबर चल रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण बैंक को लम्बित पड़े लाइसेंसों को जल्दी से कार्यान्वित करने के लिए बराबर जोर दे रहा है।

इस्पात उद्योग का आधुनिकीकरण

353. **श्री हरीश रावत : क्या इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में व्याप्त प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए देश में इस्पात उद्योग के आधुनिकीकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री नटवर सिंह) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के दुर्गापुर, राउरकेला तथा इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (बर्नपुर) के इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने की योजनाएं तैयार कर ली गई हैं तथा सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न स्तरों पर इन पर विचार किया जा रहा है।

भिलाई तथा बोकारों के इस्पात कारखानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है ताकि ये कारखाने अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त कर सकें।

वर्ष 1980 में टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी (टिस्को) ने आधुनिकीकरण का कार्यक्रम आरम्भ किया था। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण के अन्तर्गत मुख्य-मुख्य इकाइयां मार्च, 1983 में चालू कर दी गई थी।

जहां तक इस्पात उद्योग के लघु इस्पात कारखानों तथा पुनर्बेलकों का सम्बन्ध है, सरकार की नीति यह है कि इन इकाईयों के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए इन्हें सभी प्रोत्साहन दिये जाएं।

मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार नये लघु इस्पात कारखाने तथा पुनर्बेलन इकाइयां लगाने के लिए उन्हीं प्रस्तावों को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित होते हैं।

रानीखेत (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय कैडेट कोर के मैदान को छावनी बोर्ड को सौंपना

354. **श्री हरीश रावत : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानी खेत (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय कैडेट कोर के मैदान को छावनी बोर्ड को सौंपने के आदेश जारी कर दिये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थानीय सेना प्राधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय में भूतपूर्व राज्य मंत्री के निर्णयानुसार इस मैदान को छावनी बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग). रानीखेत में राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्राउण्ड को श्रेणी "ग" में वर्गीकृत किया गया है जो पहले से ही छावनी बोर्ड रानीखेत के क्षेत्र में आता है। 18 अगस्त, 1984 को राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्राउण्ड से 0.803 एकड़ भूमि के टुकड़े को, जिसे पहले से ही तैयार किया गया था, श्रेणी "ग" से श्रेणी "क-1" में पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया। राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्राउण्ड का शेष 4.497 एकड़ भाग अपनी श्रेणी "ग" की वर्तमान स्थिति में छावनी बोर्ड के अन्तर्गत ही आता है और इसका खेल के मैदान के रूप में विकास करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैम्प के लिए किया जाये। चूंकि उस भूमि की श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिसका खेल के मैदान के रूप में विकास करने का प्रस्ताव है तथा यह छावनी बोर्ड के अन्तर्गत ही रहेगा। इसलिए इसका छावनी बोर्ड को हस्तान्तरण करने के बारे में कोई आदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्य योजना के संबंध में पश्चिम बंगाल से प्राप्त पत्र

355. **श्री अमल दत्त** :
श्री सैफुद्दीन चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से राज्य की योजना के संबंध में, दिनांक 23 नवम्बर, 1984 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के उक्त अनुरोध के संबंध में कोई कदम उठाया ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

स्टील अथारिटी आफ इंडिया के नियंत्रणाधीन इस्पात संयंत्र का उत्पादन बढ़ाना

356. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के नियंत्रणाधीन इस्पात संयंत्रों में केवल 79 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो पाया है जबकि मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी द्वारा उसी वर्ष में 106.3 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया है यदि हां, तो क्षमता उपयोग में इस भारी अन्तर के क्या कारण हैं और इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है; और

(ख) क्या सरकार इस बात के उपाय करेगी कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०, अपने उत्पादन को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से अधिक उत्पादन स्तर पर लाये; यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री नटवर सिंह) : (क) और (ख). सम्भवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय वर्ष 1982-83 में हुए उत्पादन से है जब "सेल" और "इस्को" दोनों का मिलाकर विक्रेय इस्पात का उत्पादन 56.72 लाख टन था और पांच कारखानों की क्षमता का औसतन उपयोग 79 प्रतिशत हुआ था। उस वर्ष "टिस्को" को क्षमता के 106.3 प्रतिशत उपयोग के मुकाबले में भिलाई की क्षमता का उपयोग 94 प्रतिशत हुआ था। उस वर्ष के दौरान क्षमता के अधिक उपयोग की प्राप्ति में मुख्य कठिनाइयां निम्नलिखित थीं :—

(1) वर्ष के दौरान सार्वजनिक संस्थानों द्वारा इस्पात कारखानों की बिजली की सप्लाई पर लगाए गए कड़े प्रतिबन्धों के कारण "सेल" के कारखानों के उत्पादन में 4.43 लाख टन की कमी होना;

(2) देशीय कोककर कोयले की सप्लाई में घट-बढ़ तथा इसकी क्वालिटी घटिया होने के कारण धमन भट्टियों की उत्पादकता तथा तप्त धातु की क्वालिटी पर प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप इस्पात पिण्ड तथा विक्रेय इस्पात के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।

बिजली तथा कोयला सप्लाई करने वाले अभिकरणों के सहयोग से बिजली तथा अच्छी क्वालिटी के कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इस्पात कारखाने भी विद्युत का उत्पादन करने की अपनी इकाइयों से अधिकाधिक बिजली पैदा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दीर्घावधि उपाय के रूप में बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर तथा भिलाई के इस्पात कारखानों में बिजली पैदा करने की अतिरिक्त इकाइयां लगाई जा रही हैं। प्रौद्योगिकीय कमियों को, आधुनिकीकरण/ऐसी विचाराधीन योजनाओं से, जिससे दिक्कतें दूर की जा सकें, दूर किया जा रहा है।

[अनुवाद]

मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस में कार्यकारी इंजीनियरों, सहायक कार्यकारी इंजीनियरों और सहायक इंजीनियरों के पदों को नियमित करना

357. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस में कार्यकारी इंजीनियरों, सहायक कार्यकारी इंजीनियरों और सहायक इंजीनियरों के स्पष्ट रूप से रिक्त लगभग सभी पदों को केवल तदर्थ आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) इन पदों पर, पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे पात्र उम्मीदवारों में से नियमित आधार पर पदोन्नतियां कब तक किये जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख). मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस में कार्यपालक इंजीनियरों के पदों पर पदोन्नतियां तदर्थ आधार पर की गई हैं। सहायक कार्यपालक इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची के बारे में न्यायालय में चल रहे विवादों के कारण ऐसा करना जरूरी हो गया था।

(ग) न्यायालयों के निदेशों के अनुसार अब 1979 और 1980 में रिक्त हुए नियमित पदों को भरने की कार्रवाई चल रही है। बाद में रिक्त हुए पद तभी भरे जायेंगे जब 1969 से नियुक्त सहायक कार्यपालक इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची के प्रारूप के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्राप्त हो जाएगा।

अनावश्यक और अनुत्पादक व्यय को रोकने के उपाय

358. **श्री के० टी० कोसल राम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनावश्यक तथा अनुत्पादक व्यय को रोकने के लिए, और जिनका संकेत दिनांक 10 जनवरी, 1985 को माननीय मंत्री की रेडियो वार्ता से मिलता है इस किये गए दूरगामी महत्व के अनेकों उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : अनावश्यक तथा अनुत्पादक व्यय को रोकने के लिए उपाय करना सरकार के लिए एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाल ही में, सरकार ने अत्यन्त आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर पदों के सृजन/रिक्तियों के भरे जाने पर रोक लगाने सम्बन्धी आदेश जारी किए थे। वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के आन्तरिक कार्य अध्ययन एककों द्वारा किए गए कार्य मापक अध्ययनों के माध्यम से फालतू कर्मचारियों का पता लगाने तथा परिहार्य पदों के सृजन को रोकने के प्रयास किये जाते हैं। टेलीफोनों, स्टाफ कारों, पैट्रोल की खपत तथा गैर-हकदार अधिकारियों द्वारा हवाई यात्राएं करने जैसे कार्यालयीन खर्चों को रोकने के लिए भी उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

कोयले का प्रयोग किए बिना कच्चे लोहे (पिग आयरन) का उत्पादन

359. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की संभावनाओं का पता लगा रही है, जो कोयले का इस्तेमाल किए बिना कच्चे लोहे का उत्पादन करने में सहायक हो सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की संभावनाओं का पता लगाने की प्रक्रिया कब आरम्भ की गई थी और इसके कब तक पूरा होने की आशा है; और

(ग) प्रस्तावित परियोजना में कितनी पूंजी के निवेश की संभावना है और इसकी संभावित क्षमता क्या होगी तथा इस प्रयोजन के लिए किन स्थानों का चयन किए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं। कोयले का इस्तेमाल किए बिना कच्चे लोहे का उत्पादन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। लेकिन अकोककर कोयले का इस्तेमाल करके द्रव लोहे का उत्पादन करने के लिए भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल कुछ विदेशी प्रौद्योगिकियों का चरण-बद्ध रूप से विकास करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) इस प्रकार की सम्भावनाओं का पता लगाने की प्रक्रिया वर्ष 1978 में आरम्भ हुई थी। इस समय इस खोज-कार्य के पूरा होने की सम्भावित तारीख के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(ग) चूंकि खोज-कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है इसलिए इस समय सम्भावित पूंजी-निवेश तथा संयंत्र के लिए सम्भावित स्थान के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

सेना के कार्मिक के वेतनमान और अन्य सुविधाओं का पुनरीक्षण

360. **श्री महेन्द्र सिंह :**

श्री भानुप्रताप सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना के कार्मिकों के वेतनमान और अन्य सुविधाओं के पुनरीक्षण के लिए सेना मुख्यालय से एक सुझाव प्राप्त हुआ है जिसमें सेना के उच्च अधिकारियों की एक ऐसी समिति बनाने का सुझाव दिया गया है जो कि सीधे मंत्री परिषद् के प्रति उत्तरदायी होगी, यदि नहीं, तो ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी;

(ख) क्या सेना मुख्यालय ने चतुर्थ वेतन आयोग के विस्तार के लिए एक ज्ञापन तैयार किया है जिसमें सेना के कार्मिकों के वेतनमानों और सुविधाओं में समुचित वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है क्योंकि ये उन्हें उनकी आशा के अनुरूप नहीं मिलती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार एक ऐसा निश्चित मानदण्ड या सूत्र बनाने का है जिसके आधार पर मूल्यों में वृद्धि के अनुसार सेना के कार्मिकों के वेतन अपने आप बढ़ सकें?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) चौथे वेतन आयोग के विचार के लिए इस मंत्रालय को भेजे गए प्रस्तावों में सेना मुख्यालय ने एक स्थायी निकाय गठित करने का सुझाव दिया है जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति और सेना के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अफसर शामिल किए जाएंगे जो मंत्री परिषद् के प्रति उत्तरदायी होंगे और कार्य संबंधी निर्धारित नीति के अन्तर्गत काम करते हुए सेना के अफसरों और कार्मिकों की हकदारी पर निगरानी रखेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, और उसे अद्यतन बनाएंगे।

(ख) जी हां।

(ग) सशस्त्र सेना कार्मिकों के वेतन के समग्र ढांचे और उनके वेतन निर्धारण के माप दण्ड अथवा फार्मूले पर इस समय चौथा वेतन आयोग विचार कर रहा है और वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही सरकार इस संबंध में निर्णय लेगी।

[अनुवाद]

सशस्त्र सेनाओं और परमाणु यु. प्रक्षेपास्त्रों को सज्जित करने के लिए कदम

361. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हांग कांग सेना पत्रिका "कनमिल्ट" में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीन ने परमाणु युद्ध वर्जन संधि अथवा आंशिक परीक्षण रोक संधि पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है, चीन एक बहुत बड़ा परमाणु शस्त्रागार का निर्माण कर रहा है और उसके पास पहले ही परमाणु तोपखाना और बारूदी सुरंगें हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि भारत 1962 के चीनी आक्रमण की भांति अनभिज्ञ न रहे;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि चीन के पास परमाणु शक्तियों से चलने वाली पनडुब्बियां हैं जो दो स्तरीय ठोस इंधन प्रणाली से और दो से 20 क्विटल रेंज के सामरिक परमाणु युद्ध प्रोक्षास्त्रों और लगभग 100 कि०मी० दूरी की मार करने वाली टी 5 शोर्ट रेंज बेलिस्टिक मिसाइल्स (एस०आर०बी०एम०) से सज्जित हैं;

(घ) क्या सरकार का चीन और पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अपनी सशस्त्र सेनाओं को परमाणु युद्ध प्रक्षेपास्त्रों और पनडुब्बियों से सज्जित करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अपने देश की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव): (क) और (ख). सरकार उन सभी गतिविधियों पर लगातार नजर रखती है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।

चीन की बढ़ती हुई परमाणु सामर्थ्य के बारे में हांग कांग पत्रिका में छपी रिपोर्ट को सरकार ने नोट कर लिया है और रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए अपनी नीति के अनुसार उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

(ग) सरकार ने इस संबंध में कुछ रिर्पोटें देखी हैं।

(घ) और (ङ). भारत आणविक शक्ति का प्रयोग शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए करने की अपनी नीति के प्रति वचनबद्ध है। फिर भी हमारी रक्षा योजनाएं उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए उपयुक्त तरीके से अद्यतन की जाती हैं।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम का निर्माण

362. **श्रीमती चन्द्रभानु देवी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान परमाणु बम के निर्माण में व्यस्त है; और

(ख) यदि हां, तो परमाणु बम से उत्पन्न खतरे से देश की रक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि पाकिस्तान परिष्कृत यूरेनियम और परमाणु ईंधन की पुर्नप्रक्रिया क्षमता में विकास करने के लगातार प्रयास कर रहा है जिससे वह परमाणु शस्त्र का विस्फोट करने में सक्षम हो सके।

(ख) सरकार उन सभी गतिविधियों पर निरन्तर नजर रखती है जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है ताकि देश की सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए उचित उपाय किए जा सकें।

[अनुवाद]

मणिपुर में खनिज

363. **श्री मीजिनलंग कामसन** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में खनिज संसाधनों का उपयोग करने के लिए अब तक ठोस कदम उठाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग). मणिपुर में अब तक सीमेंट ग्रेड चूनापत्थर के लगभग 8 मिलियन टन भंडारों का निर्धारण किया जा चुका है। इन भंडारों के आधार पर 50 टन दैनिक क्षमता की एक सीमेंट परियोजना का का न्वियन चल रहा है।

सातवीं योजना में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए औद्योगिक क्षेत्र को तरजीह दिया जाना

364. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं योजना आवंटन में पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में औद्योगिक क्षेत्र को तरजीह दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो किन क्षेत्रों को तरजीह दी जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग). सातवीं योजना के परिव्ययों का अभी निर्णय किया जाना है। निर्णय करने में सातवीं योजना के दस्तावेज में क्षेत्रीय असमानताओं के संबंध में बताए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन और मांग

365. **श्रीमती चन्द्रभानु देवी** : क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के उत्पादन और मांग का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे): पिछले तीन वर्षों के लिए कोयले के उत्पादन और मांग के तुलनात्मक विवरण नीचे दिए गए हैं :—

(आंकड़े मिलियन टनों में)

वर्ष	उत्पादन	मांग	
		मूल अनुमानित	वास्तविक कुल खरीद
1981-82	124.23	127.04	122.45
1982-83	130.50	137.00	127.78
1983-84	138.22	147.17	134.88

[अनुवाद]

सातवीं योजना में महिलाओं के लिए कार्यक्रम

366. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दस्तावेज में महिलाओं संबंधी कार्यक्रम के संबंध में गृहिणी का ही रुख अपनाया है, हालांकि राष्ट्रीय महिला संगठनों ने यह सुझाव दिया था कि ऐसा रुख त्याग दिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग इस मसले पर विचार-विमर्श करने के लिए महिला संगठनों को लिखेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) सातवीं योजना के दस्तावेज को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। महिलाओं के कार्यक्रमों के संबंध में "गृहणी" नीति अपनाने के बारे में महिला संगठनों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सातवीं योजना को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा।

सातवीं योजना के दौरान केरल के लिए परिव्यय

367. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान केरल के लिए कितने परिव्यय की मंजूरी दी गई है; और

(ख) इस योजना अवधि के दौरान केरल द्वारा स्वयं कितनी धनराशि जुटाए जाने का अनुमान है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) केरल राज्य की सातवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है जिसमें राज्य द्वारा योजना की अवधि में नवीन संसाधन जुटाया जाना शामिल है।

349/Lok Sabha/85—11

सिलीगुड़ी के निकट रेल फाटक का हटाया जाना

368. **श्री आनन्द पाठक :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग ने दार्जिलिंग जिले में सिलीगुड़ी शहर के निकट वर्तमान रेलवे फाटक को हटाने और दूसरी जगह ले जाने के लिए अनुमति दे दी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : इस प्रकार की स्कीमों के लिए योजना आयोग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।

दार्जीलिंग के एक सैनिक स्कूल की स्थापना

369. **श्री आनन्द पाठक :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दार्जीलिंग में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सैनिक स्कूल राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर स्थापित किया जाता है क्योंकि स्कूल का समस्त पूंजीगत व्यय और आवर्ती व्यय का अधिक भाग राज्य सरकार को वहन करना होता है। पश्चिम बंगाल सरकार से दार्जीलिंग में सैनिक स्कूल खोले जाने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

कोयले का उत्पादन और उसका मूल्य

370. **श्री आनन्द पाठक :** क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980; 1981, 1982, 1983 और 1984 के दौरान कोयले का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) वर्ष 1980, 1981, 1982, 1983 और 1984 के लिए कोयले का राज्य-वार उपभोक्ता मूल्य कितना-कितना था ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1980-81 से 1983-84 के दौरान कच्चे कोयले का राज्य-वार उत्पादन निम्नलिखित है :—

(आंकड़े मिलियन टनों में)

राज्य	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
पश्चिम बंगाल	19.83	19.91	19.04	19.30
बिहार	46.77	51.42	54.03	53.54
उड़ीसा	3.24	3.32	3.46	4.17
मध्य प्रदेश	25.93	27.83	30.74	36.35
महाराष्ट्र	5.77	6.89	7.80	8.82
उत्तर प्रदेश	1.75	2.06	2.37	2.55
असम	0.61	0.70	0.71	0.80
आंध्र प्रदेश	10.10	12.10	12.35	12.69
कुल	114.00	124.23	130.50	138.22

(ख) जहां तक प्रत्येक राज्य में कोयले की कीमत का प्रश्न है, यह प्रत्येक स्थान पर इन कारणों से अलग-अलग होगी—कोलियरियों से दूरी, परिवहन का प्रकार, रायल्टी और अन्य सांविधिक करों की अलग-अलग दरें, परन्तु विभिन्न ग्रेडों के कोयलों की खान-मुहाना कीमतें सांविधिक आदेश से निश्चित रहती हैं।

[हिन्दी]

समाज के कमजोर/पिछड़े वर्गों के लोग और किसानों को बैंक ऋण

371. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य निष्पादन को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ताकि किसानों और समाज के कमजोर तथा पिछड़े वर्गों को आसानी से बैंक ऋण मिलना सुनिश्चित हो सके; और

(ख) इन बैंकों में और अधिक कार्यकुशलता और अनुशासन लाने के लिए बनायी गयी सरकारी योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) गरीब ऋणकर्त्ताओं को बैंक ऋण आसानी से सुलभ कराये जाने के लिए जो महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं उनमें से कुछ ये हैं :–

(1) ऋण आवेदन-पत्रों के फार्म सरल बना दिये गये हैं;

(2) जमानत और मार्जिन की शर्तों में ढील दे दी गयी है 5,000 रुपये तक के छोटे ऋणों के मामले में बैंकों से यह कहा गया है कि वे ऋणों से प्राप्त की जाने वाली परिसम्पत्तियों के रहन के अलावा कोई और जमानत न मांगे।

(3) किसानों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए ब्याज की दरें अपेक्षाकृत निचले स्तर पर रखी गयी हैं।

(4) बैंकों से यह कहा गया है कि वे छोटे ऋणों के आवेदन-पत्र जल्दी निपटाएं।

(5) बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे ऋणों की वापसी की अवधि वास्तविक आधार पर निर्धारित करें।

(ख) बैंकों से समय-समय पर यह कहा गया है कि वे और अधिक अनुशासन का पालन करें जिसमें समय की पाबंदी, कार्यालयों का बेहतर रख-रखाव, जनता को प्रदान की जाने वाली सेवा की क्वालिटी में सुधार और जनता की शिकायतों का, जब कभी उनकी ओर ध्यान आकृष्ट किया जाए, निपटाया जाना शामिल है।

तोपखाना रिकार्ड कार्यालय को मथुरा से अन्यत्र ले जाया जाना

372. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तोपखाना रिकार्ड विभाग को मथुरा से अन्यत्र ले जाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग को मथुरा से कब तक अन्यत्र ले जाए जाने की संभावना है; और

(ग) इस रिकार्ड विभाग में कार्यरत मथुरा के सैकड़ों स्थानीय कर्मचारियों को स्थानीय नियुक्ति सुलभ कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) अन्य रैंकों के वेतन और लेखा कार्यालय को छोड़कर तोपखाना रिकार्ड कार्यालय को 1966 में मथुरा से नासिक ले जाया गया था। सक्षम प्रशासन को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि वेतन और लेखा कार्यालय को भी नासिक में ही स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए।

तद्नुसार, स्थानान्तरण का पहला चरण जुलाई, 1978 में पूरा किया गया और जहां तक संभव हुआ इस स्थानान्तरण के कारण फालतू घोषित कर्मचारियों को चरणबद्ध ढंग से उनके मन पसंद के स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया। आशा है कि शेष कर्मचारियों, जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, को वर्तमान शैक्षिक सत्र के समाप्त होने के बाद मथुरा से स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पाकिस्तान और चीन से खतरों का मुकाबला करने के लिए उपाय

373. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 5 सितम्बर, 1984 को इम्फाल में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि देश को पाकिस्तान और चीन से खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थिति का मुकाबला करने के लिए समुचित उपाय कर लिए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) प्रधान मंत्री ने 5 दिसम्बर, 1984 को इम्फाल में अपने संवाददाता सम्मेलन में हमारे पड़ोसी देशों द्वारा हथियार प्राप्त करने के बारे में केवल ज्ञात तथ्यों के बारे में बताया था। मालूम हुआ है कि पाकिस्तान कई देशों से अत्याधुनिक हथियार प्राप्त कर रहा है। इसी प्रकार चीन भी अपनी सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक बना रहा है। इन गतिविधियों का हमारे देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।

(ख) हमारी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर सरकार निगरानी रखती है और पूरी रक्षा तैयारी को बनाए रखने के लिए उचित उपाय करती है।

उड़ीसा के खुर्धा क्षेत्र के सेना प्रतिष्ठान

374. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पुरी जिला में खुर्धा क्षेत्र में किसी सेना प्रतिष्ठान को प्रतिष्ठापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ लोग इस क्षेत्र के ग्राम वासियों में यह भय उत्पन्न कर रहे हैं कि उनको यहां से हटाया जाने वाला है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) भुवनेश्वर के समीप खुर्धा में सेना स्थापना स्थापित करने के एक प्रस्ताव की प्रारम्भिक जांच की जा रही है।

(ख) सरकार के पास इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा होना

375. **श्री रामामूर्ति भट्टम :** क्या **इस्पात, खान और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्तकालीन इस्पात और खान मंत्री ने यह घोषणा की थी कि विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने में 1986 या 1987 से उत्पादन शुरू हो जाएगा और क्या अब इस कार्य में कम से कम दो वर्ष का विलम्ब होने का अनुमान है ;

(ख) क्या 3.4 मीट्रिक टन की क्षमता के इस संयंत्र के निर्माण में देरी होने के कारण 1979 के बाद से इसकी अनुमानित लागत में लगभग 4,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है;

(ग) क्या 1979–80 से 1984–85 तक के गत 6 वर्षों के दौरान इस संयंत्र के लिए अब तक केवल 1,400 करोड़ रुपये को बहुत ही कम और बिल्कुल अपर्याप्त धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार आने वाले वर्षों में आबंटन राशि बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री नटवर सिंह) : (क) 12 लाख टन द्रव इस्पात का उत्पादन करने के लिए विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना के प्रथम चरण का कार्यक्रम के अनुसार, फरवरी, 1986 में और 34 लाख टन द्रव इस्पात के कुल उत्पादन के द्वितीय चरण को दिसम्बर, 1987 में चालू किया जाना था। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य की प्रगति और धन की उपलब्धि संबंधी स्थिति की समीक्षा करने के बाद परियोजना को चालू करने की समय-सूची में संशोधन करना पड़ा है। अब इस परियोजना के प्रथम चरण के वर्ष 1987–88 में और पूरी परियोजना के वर्ष 1991–92 तक चालू किये जाने का कार्यक्रम है।

(ख) संशोधित समय-सूची के अनुसार वर्तमान मूल्यों के आधार पर परियोजना को लागत पहले लगाये गये अनमान से अधिक होगी। लागत में वृद्धि मुख्यतः मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण हुई है। संशोधित लागत अनुमान अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना को धनराशि का आबंटन कार्य की प्रगति और धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार किया गया है :

वर्ष	दी गई धन-राशि (करोड़ रुपये)
1980–81	71.00
1981–82	146.70
1982–83	250.00*
1983–84	437.00
1984–85	480.00

*इसके अलावा धन की कमी को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया से 48 करोड़ रुपये का ऋण भी उपलब्ध कराया गया था। वर्ष 1984-85 के प्रावधान में अनुपूरक मांग द्वारा 160 करोड़ रुपये की वृद्धि करने के प्रस्ताव पर संसद की मंजूरी की प्रतीक्षा है।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के बारे में प्रतिवेदन

376. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के बारे में रक्षा राज्य मंत्री के नेतृत्व वाली समिति के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा संभवत: कब तक विचार किया जाएगा ; और

(ख) प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की आशा है तथा इससे भूतपूर्व सैनिकों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए किस सीमा तक उनके हितों की पूर्ति होगी।

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और ख) भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के बारे में उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है। अधिकांश सिफारिशों की जांच और तत्संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया और उसके बाद उनके कार्यान्वयन में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों समेत अनेक एजेंसियों के साथ परामर्श करना, उनकी सहमति और सहयोग लेना जरूरी है। जैसे ही सिफारिश को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से मंजूर किए जाने का निर्णय ले लिया जाएगा, उनके कार्यान्वियन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, शिफारिशों पर विचार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है। इस प्रक्रिया के एक बार पूरा हो जाने पर आशा है कि उपलब्ध संसाधनों और अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भूतपूर्व सैनिकों की वर्तमान और वैध सभी शिकायतों को यथासंभव दूर किया जा सकेगा। जहां तक व्यवहार्य होगा सरकार इस प्रक्रिया को शीघ्रता से निपटाएगी।

पड़ोसी देशों द्वारा हथियार और गोलाबारूद आदि एकत्र किया जाना

377. **श्री उत्तम भाई एच पटेल** :
प्रो० टी० जे० कुरियन :
डा० कृपा सिंधु भोई :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय का समाचार देखा है कि हमारे कुछ पड़ोसी देश, अमरीका, फ्रांस, ब्रिटेन तथा अन्य देशों से हथियार, गोलाबारूद और आधुनिकतम रक्षा उपकरण आदि खरीद रहे हैं जिससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है।

(ख) यदि हां, तो हमारे कौन-कौन से पड़ोसी देश ऐसे हथियार खरीद रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन खतरों का सामना करने और देश की सुरक्षा की सभी सीमाओं को सुरक्षित रखने हेतु हमारे देश को तैयार रखने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या हमारे देश ने इस मामले में संबंधित देशों के प्रति कोई विरोध प्रकट किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) इस बारे में सरकार ने कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) यह रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमरीका सहित कई देशों से अत्याधुनिक मिलेट्री साज सामान प्राप्त कर रहा है जिसमें टैंक, गन, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, मिसाइल, मार करने वाले हेलीकाप्टर और एफ-16 विमान शामिल हैं। यह भी रिपोर्ट मिली है कि चीन भी अपनी सैन्य शक्ति को आधुनिक बनाने के लिए कुछ देशों से मिलेट्री साज सामान प्राप्त कर रहा है।

(ग) अपनी सुरक्षा के लिए रक्षा योजनाओं को अद्यतन बनाने के उद्देश्य से सरकार उन सभी गतिविधियों पर नजर रखती है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।

(घ) और (ङ) अपने पड़ोसी देशों में अत्याधुनिक हथियारों के निरन्तर जमाव के बारे में सरकार काफी चिंतित है और इस बारे में उसने संबंधित देशों से कई बार कहा है।

11.59 म० पू०

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : श्रीमन्, मै एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं जासूसी कांड के बारे में कोई चर्चा नहीं करवाना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे व्यर्थ में क्यों ला रहे हैं? यह कोई तरीका नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। मैं मात्र एक बात कहना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री ने यहां वक्तव्य दिया था कि एक..........

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है। नियम हैं। आपको उन नियमों का पालन करना है।

(व्यवधान)

12.00 मध्याह्न

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जब से प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया है, समाचार पत्रों में काफी जानकारी छप रही है। मैं इस बारे में सभा में चर्चा नहीं चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी कहीं कोई नई बात होगी, मंत्री महोदय उस बारे में सभा को सूचित करेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्रीमन्, मैं इस पर चर्चा नहीं चाहता। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक कार्य किया जाये। इससे पहले कि सभा इस माह की 30 तारीख को स्थगित हो, मैं चाहूंगा कि इस जासूसी कांड पर प्रधान मंत्री सभा में अधिक जानकारी वाला एक वक्तव्य दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका दिया हुआ है। आप बैठिये। (व्यवधान)

आप सुन लिया करें। इतनी जल्दी मत करिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इसके बारे में बोल दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्रीमन्, मै एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं कोई चर्चा नहीं चाहता। मैं माननीय प्रधान मंत्री से व्यापक वक्तव्य चाहता हूं। प्रधान मंत्री हमको विश्वास में लेकर 30 तारीख से पहले हमें इस बारे में आगे जानकारी दें।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब समय आयेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। मै उसकी अनदेखी नहीं कर सकता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : **

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही निर्णय कर चुके हैं कि...............

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् सोज, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आपमें मेरी बात सुनने का धैर्य होना चाहिये। हम यह निर्णय ले चुके हैं कि यदि कुछ वास्तविकता है या कुछ नई बात है तो गृह मंत्री वक्तव्य देंगे। हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं। आप उस वक्त थे नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के और विषय भी हैं। मैं उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० सोज, आप स्थिति समझने का प्रयास करें ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अखबारों में कुछ नहीं भरेंगे, तो क्या करेंगे ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : 30 तारीख से पहले यह इन्फरमेशन आ जानी चाहिए ।

پروفیسر سیف الدین سوز : ۳۰ تاریخ سے پہلے یہ انفارمیشن آ جانی چاہیئے ۔

अध्यक्ष महोदय : 30 तारीख तो अभी आई नहीं है ।

(व्यवधान)

---

12 1½ म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

नौ सेना अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना, भारत डायनेमिक्स लि०, हैदराबाद तथा प्राग टूल्ज लि०, सिकन्दराबाद के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 184 के अन्तर्गत नौसेना (पेंशन) पहला संशोधन विनियम, 1984, जो 29 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 195 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये सं० एल० टी०-247/85]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी०-248/85]

(ख) (एक) प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी०-249/85]

(ग) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी०-250/85]

(घ) (एक) मिश्र-धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) मिश्र-धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद, का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी०-251/85]

(ङ) (एक) मझगांव डाक लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) मझगांव डाक लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी०-252/85]

(च) (एक) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड बंगलौर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर, का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी०-253/85]

(छ) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी०-254/85]

(ज) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर, का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी०-255/85]

(झ) (एक) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी०-256/85]

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम के अधीन अधिसूचना, नगरीय विकास निगम लि०, नई दिल्ली संबंधी समीक्षा के बारे में विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री अब्दुल गफूर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) (संशोधन) नियम, 1984 जो 29 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1038 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) नियम, 1984 जो 13 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1077 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल०टी 257/85]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) आवास तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) आवास तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी०-258/85]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी-259/85]

(ग) (एक) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी०-260/85]

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षे : योजना बोर्ड अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी०-261/85]

(4) गंगटोक नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी०-262/85]

भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने संबंधी विनियमन) अधिनियम के अधीन अधिसूचना, नारियल विकास बोर्ड, कोचीन का 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा, इन पत्रों तथा नारियल विकास बोर्ड, कोचीन के 1983-84 के वार्षिक लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के बारे में एक विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री बूटा सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने सम्बन्धी विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा 25 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने सम्बन्धी विनियमन) (संशोधन) नियम, 1984, जो 5 मई, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 361 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी०-263/85]

(दो) भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने सम्बन्धी विनियमन) दूसरा संशोधन नियम, 1984, जो 12 जून, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 438(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) (एक) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नारियल विकास बोर्ड कोचीन, के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नारियल विकास बोर्ड, कोचीन, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी०-264/85]

फल तथा सब्जी परिष्करण उद्योग विकास परिषद् का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं राव वीरेन्द्र सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत फल तथा सब्जी परिष्करण उद्योग विकास परिषद् के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) फ़ल तथा सब्जी परिष्करण उद्योग विकास परिषद् के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी०-265/85]

(3) चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल०टी०-266/85]

कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचना और आदेश, आदि

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कोयला खान जमा-सहबद्ध सीमा (संशोधन) स्कीम, 1984, जो 8 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1218 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कोयला खान कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) स्कीम, 1984, जो 8 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1219 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1984, जो 29 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1312 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1984, जो 29 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1313 में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1984, जो 29 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1314 में प्रकाशित हुई थी।

(छः) कोयला खान कुटुम्ब पेंशन (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1984, जो 29 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1315 में प्रकाशित हुई थी।

(सात) कोयला खान जमा-सहबद्ध बीमा (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1984, जो 29 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अभिसूचना संख्या सा०का०नि० 1316 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं०एल०टी०-267/85]

(2) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 826 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 4 अगस्त, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 9 अप्रैल, 1983 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 296 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं०एल०टी०-268/85]

(3) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 18क की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी किये गये 24 जुलाई, 1984 के आदेश संख्या 4(i)/84 एम० चार की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसके द्वारा भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग को प्राधिकृत किया गया है कि वह ऐसी जानकारी जो इस आदेश में उड़ीसा राज्य में विशेष रूप से उल्लिखित भूमि के सम्बन्ध में खनिज के संरक्षण और विकास के लिए आवश्यक हो, एकत्रित करने के लिये विस्तृत खोज करें।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये सं०एल०टी०-269/85]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड का वर्ष 1983–84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं०एल०टी०-270/85]

(ख) (एक) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1983–84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं०एल०टी०-271/85]

(ग) (एक) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेवेली का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी०–272/85]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान जिंक (जस्ता) लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक (जस्ता) लिमिटेड, उदयपुर का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी०–273/85]

(ङ) (एक) भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी०–274/85]

(5) कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन, धनबाद के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय मे रखी गई। देखिए सं० एल० टी०–275/85]

(6) सर्वश्री रशीद ससूद और राजेश कुमार सिंह द्वारा कोयले के स्टाक में कमी के बारे में 6 दिसम्बर, 1983 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 197 के उत्तर में (एक) शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०–276/85]

(7) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1983 सम्बन्धी प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग चार—इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०–277/85]

पंजाब पंचायत समितियां और जिला परिषद् (अस्थाई अधिक्रमण) संशोधन अधिनियम

***संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री* (श्री गुलाम नबी आजाद)** : मैं श्री चंदूलाल चंद्राकर की ओर से पंजाब राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1984 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पंजाब पंचायत समितियां और जिला परिषद् (अस्थाई

अधिक्रमण) संशोधन अधिनियम, 1984 (1984 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 3) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी०–278/85]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 1982 के कार्यकरण पर समेकित प्रतिवेदन, सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना, आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 1982 के कार्यकरण पर समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी०–279/85]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 30 (अ), जो 16 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 22 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 208/81–सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, ताकि अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में कतिपय अन्य दवाईयों/औषधियों/उपकरणों को शामिल किया जा सके ।

(दो) सा० का० नि० 31 (अ), जो 16 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो एंटार्कटिका अभियान से संबंधित सामान का निर्यात किए जाने के बाद, पुन: उसका भारत में आयात करने पर, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है ।

(तीन) सा० का० नि० 32 (अ), जो 16 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो एंटार्कटिका अभियान से संबंधित सामान का निर्यात किए जाने के बाद, पुन: उसका भारत में आयात किए जाने पर, उस पर देय उपसंगी सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी०–280/85]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 21 (अ), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 16 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 20/84–के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गये हैं ताकि 4.50–12 आकार के मोटर टायरों पर 130/– रुपये प्रति टायर विशिष्ट मूल उत्पाद-शुल्क लागू किया जा सके ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए सं० एल० टी०–281/85]

(4) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन–संघ सरकार (वाणिज्यिक) वर्ष 1983 सम्बन्धी–भाग पांच (कम्पनी लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों तथा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर टिप्पणियों का सार) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी०–282/85]

(5) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तंगत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सैंट्रल बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) पंजाब नैशनल बैंक के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) बैंक आफ बड़ौदा के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) युनाइटिड कर्माशियल बैंक के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिनेदन।

(छह) केनरा बैंक के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) देना बैंक के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) सिंडिकेट बैंक के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) यूनियन बैंक आफ इंडिया के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्यारह) इलाहाबाद बैंक के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बारह) इंडियन बैंक के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तेरह) बैंक आफ महाराष्ट्र के 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण तथा कार्यकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चौदह) इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकरण और गतिविधियों के बारे में 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(6) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आन्ध्र बैंक के कार्यकरण और गतिविधियों के बारे में 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दो) कारपोरेशन बैंक के कार्यकरण और गतिविधियों के बारे में 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तीन) न्यू बैंक आफ इंडिया के कार्यकरण और गतिविधियों के बारे में 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चार) ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स के कार्यकरण और गतिविधियों के बारे मे 31 दिसम्बर 1983 को समाप्त हुए वर्ष संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पांच) पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के कार्यकरण और गतिविधियों के बारे में 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छ) विजय बैंक के कार्यकरण और गतिविधियों के बारे में 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी०–283/85]

(7) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०–284/85]

सालारजंग म्यूजियम बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा, पेंशन अधिनियम के अधीन अधिसूचना, आदि

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सालारजंग म्यूजियम बोर्ड, हैदराबाद, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) सालारजंग म्युजियम बोर्ड, हैदराबाद, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी०–285/85]

(3) पेंशन अधिनियम, 1871 की धारा 16 के अन्तर्गत पेंशन की बकाया राशि का भुगतान (नामनिर्देशन) (दूसरा संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 15 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 4351 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी०–286/85]

(4) संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत जारी किये गये संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 16 जून, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 584 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी०–287/85]

विजयनगर स्टील लि० का दिसम्बर, 1982 से मार्च, 1984 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, स्पोंज आयरन लि० के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, नीलाचल इस्पात निगम लि० के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री नटवर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) दिसम्बर, 1982 से मार्च, 1984 तक की अवधि के संबंध में विजयनगर स्टील लिमिटेड के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिसम्बर, 1982 से मार्च, 1984 तक की अवधि के संबंध में विजयनगर स्टील लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी०—288/85]

(ख) (एक) स्पोंज आयरन इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पोंज आयरन इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी०—289/85]

(ग) (एक) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०—290/85]

(घ) (एक) कुदरेमुख आयरन ओर कम्पनी के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुदरेमुख आयरन ओर कम्पनी का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 291/85]

वाडिया इंस्टीच्यूट आफ हिमालयन जियालोजी, देहरादून का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा, श्री चित्रातिरुनल इंस्टीच्यूट फार मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलाजी त्रिवेंद्रम (केरल) का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री शिवराज वी० पाटिल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) वाडिया इंस्टीच्यूट आफ हिमालयन जियालोजी, (वाडिया हिमालयन भू-विज्ञान संस्थान) देहरादून के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) वाडिया इंस्टीच्यूट आफ हिमालयन जियालोजी, (वाडिया हिमालयन भू-विज्ञान संस्थान) देहरादून के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 292/85]

(2) (एक) श्री चित्रातिरुनल इंस्टीच्यूट फार मेडिकल साइंसेज एंड टेकनालाजी, (श्री चित्रातिरुनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान) त्रिवेन्द्रम (केरल) के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) श्री चित्रातिरुनल इंस्टीच्यूट फार मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलाजी, (श्री चित्रातिरुनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान) त्रिवेन्द्रम (केरल) के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 293/85]

(3) (एक) बीरबल साहनी इंस्टीच्यूट आफ पालियोबौटनी, (बीरबल साहनी वनस्पत्यावशेष विज्ञान संस्थान) लखनऊ के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टीच्यूट आफ पालियोबौटनी, (बीरबल साहनी वनस्पत्यावशेष विज्ञान संस्थान) लखनऊ के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 294/85]

(4) (एक) महाराष्ट्र एसोसिएशन फार दि कल्टिवेशन आफ साइंस, (महाराष्ट्र विज्ञान विकास संघ) पुणे, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) महाराष्ट्र एसोसियेशन फार दि कल्टिवेशन आफ साइन्स (महाराष्ट्र विज्ञान विकास संघ) पुणे के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 295/85]

(5) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 296/85]

(6) (एक) भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलौर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 297/85]

(7) (एक) रमण अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) रमण अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 298/85]

(8) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 299/85]

(ख) (एक) भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 300/85]

12.03 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

"(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझ राज्य सभा द्वारा 24 जनवरी, 1985 को हुई अपनी बैठक में पारित गंगटोक नगर नगम (संशोधन) विधेयक, 1985 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 24 जनवरी, 1985 की हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 जनवरी, 1985 को पारित विदेशी अभिदाय (विनियम) संशोधन विधेयक, 1985 से, बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।"

गंगटोक नगर निगम (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

[अनुवाद]

महासचिव : मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित गंगटोक नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1985 सभा-पटल पर रखता हूं ।

12.04 म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 29 और 30 जनवरी, 1985 को इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) आज की कार्यसूची से बकाया किसी सरकारी मद पर विचार ।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना :—

(क) संविधान (बावनवां संशोधन) विधेयक, 1985

(ख) प्रशासनिक अधिकरण विधेयक, 1985

(3) चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन अध्यादेश, 1984 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा तथा राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन विधेयक, 1985 पर विचार तथा पारित करना ।

(4) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में गंगटोक नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1985 पर विचार तथा पारित करना ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित मद को अगले सप्ताह में होने वाली चर्चा में शामिल किया जाए।

इमारती लकड़ी और रेलवे की पटरियों के लिए स्लीपरों इत्यादि हेतु जंगलों को निरंतर काटने से उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इस वन कटाव से न केवल घने जंगल कम होते जा रहे हैं और उजाड़ मैदान बनते जा रहे हैं अपितु पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप दुर्लभ पक्षी और पौधे वनस्पति इत्यादि समाप्त होते जा रहे हैं। इस बेरहमी से किए जाने वाले विनाश के परिणामस्वरूप मैदानों को प्रति वर्ष बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है अत: इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। बनों को विनाश से बचाने तथा उनके संरक्षण के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता है और यदि संसद ऐसा कानून बना देती है तो उस अवस्था में केन्द्र सरकार को जम्मू तथा कश्मीर जैसे राज्यों, जिनकी अर्थव्यवस्था वनों के साथ जुड़ी हुई है, को उनकी क्षतिपूर्ति हेतु प्रति वर्ष समुचित वित्तीय सहायता देनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं अगले सदस्य को बुलाऊं मैं सभा को यह सूचना देना चाहता हूं कि आज हम मध्याह्न भोजन का अवकाश नहीं करेंगे ताकि सभा के समक्ष पड़े कार्यों को पूरा किया जाए। क्या सदस्य इससे सहमत हैं।

कई माननीय सदस्य : जी हां, जी हां।

अध्यक्ष महोदय : आज मध्याह्न भोजन का अवकाश नहीं होगा।

12.06 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री सैफुद्दीन सोज (कटवा) : मैं सदन में अगले सप्ताह चर्चा के लिए कार्य-सूची में शामिल करने के लिए निम्न दो विषयों का सुझाव देता हूं :

हाल के गम्भीर जासूसी कांड के भण्डाफोड़ को देखते हुए सदन में भारतीय सुरक्षा के प्रश्न पर विशेषकर देश में पृथकतावादी आंदोलनों में साम्राज्यवादी एजेंसियों के सम्बद्ध होने के संदर्भ में चर्चा की जानी चाहिए।

दूसरे, बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए सदन में संविधान में काम करने के अधिकार को मूलभूत अधिकार बनाने संबन्धी संशोधन सहित तात्कालिक तथा दीर्घकालिक उपचारी उपायों पर चर्चा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों का समावेश अगली कार्यसूची में होना चाहिए :—

(1) वन-अधिनियम 1980 के कारण देश के कई भागों में विकास कार्य रुक गए हैं,

इसका दुष्प्रभाव उन क्षेत्रों के विकास पर पड़ रहा है। अतः इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए।

(2) अभावग्रस्त क्षेत्रों को पेय जल उपलब्ध करवाने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में कई प्रकार की कमियों की शिकायतें हैं। क्रियान्वित करने वाले विभागों द्वारा राज्य स्तर पर भयंकर घोटाले इन योजनाओं के क्रियान्वय में किए जा रहे हैं।

इस कार्य पर विशाल धनराशि खर्च की गई है तथा इसके महत्व को देखते हुए इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि निम्न विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :—

भारतीय वायुसेना की राडार प्रणाली में प्रयुक्त एकीकृत वायुसेना चिप्स की जिनका आयात किया गया था और जिन्हें एक प्राइवेट कारखाने को राडार उपकरण बनाने के लिए सौंपा गया था, भारी मात्रा में चोरी हो गया है।

मेरा अनुरोध है कि इसे अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, माननीय सदस्यों ने अगले सप्ताह की सदन की कार्यसूची में शामिल करने के लिए कुछ विषयों का सुझाव दिया है। मैं इन सुझावों को कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रख दूंगा।

12.08 म०प०

प्रशासनिक अधिकरण विधेयक*

[अनुवाद]

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ के अथवा किसी राज्य के अथवा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में के किसी निगम के कार्यकलापों से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में विवादों और परिवादों के प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन या विचारण करने का तथा उससे सम्बन्धित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

*दिनांक 25.1.1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग दो खण्ड 2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "संघ के अथवा किसी राज्य के अथवा भारत क राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी क अथवा भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में के किसी निगम के कार्यकलापों से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों क सम्बन्ध में विवादों और परिवादों के प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा न्याय-निर्णयन या विचारण करने का तथा उससे सम्बन्धित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री के० पी० सिंह देव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.09 म०प०

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मद 15 और 16 पर एक साथ विचार करेगी।

श्री चंदुपाटला जंगा रेड्डी····वह उपस्थित नहीं हैं। श्री जनार्दन पुजारी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की आ से मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में और संशोध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वा विधेयक राज्य सभा द्वारा 23 जनवरी, 1985 को पारित किया गया है और अब यह वि सभा के समक्ष उसके विचारार्थ प्रस्तुत है।

मैं संक्षेप में उन परिस्थितियों को स्पष्ट करूंगा जिनके कारण सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि सरकार साधारण बीमा कारबार के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप बी कम्पनियों के सम्मेलन या विलयन से असम्बद्ध स्कीमों के बनाये जाने की शक्तियां प्राप्त कर ताकि कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को विनियमित किया जा सके।

साधारण बीमा उद्योग के कर्मचारियों ने 1977 में मजदूरी संशोधन के लिए ए मांग-पत्र दिया था। साधारण बीमा निगम के प्रबंधकों की सिफारिशों और कर्मचारी संघों साथ चर्चा सम्बंधी उनकी रिपोर्ट को ध्यान में रखकर सरकार ने सितम्बर, 1980 में ए

संशोधन स्कीम की अधिसूचना जारी की थी। इस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतनमानों को ऊंचा कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त और भी काफी लाभ दिये गए थे। इन सबके लिए यह अनुमान लगाया गया था कि प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय बीमा कम्पनियों पर पड़ेगा। तथापि, कर्मचारी संघ ने उच्चतम न्यायालय में इस संशोधन को चुनौती दी थी।

उच्चतम न्यायालय ने इस स्कीम को केन्द्र सरकार के प्राधिकार क्षेत्र से परे मानते हुए रद्द कर दिया। तथापि उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह स्वतन्त्रता दी कि वह कोई स्कीम, जिसे वह उचित समझे, बनाने की शक्ति देने के लिए कोई समुचित कानून बना सकती है या संशोधन कर सकती है। अत: सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय किसी प्रकार से रोक नहीं रही है।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि 1974 की मुख्य स्कीम से मजदूरी में पारस्परिक विसंगतियां पैदा हो रही थी। 1 जुलाई, 1984 को अधीक्षक की अपने ग्रेड के अधिकतम परिलब्धियां (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) 4082 रुपये हो गया जबकि एक महा-प्रबंधक की न्यूनतम और अधिकतम परिलब्धियां क्रमश: 3,950 रुपये और 4,550 रुपये थी। साधारण बीमा निगम के श्रेणी तीन के कर्मचारियों और श्रेणी दो के अधिकारियों के बीच समान वेतन रेंज वाले ऐसे अनेक मामले थे। यदि इन्हें रोका न जाता तो मजदूरी सम्बंधी इन विसंगतियों से उद्योग के निर्बाध कार्यकरण पर गम्भोर प्रभाव पड़ता और अन्य सरकारी उपक्रमों में मजदूरी ढ़ाचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। सरकार इस गम्भीर स्थिति को मूकदर्शक बन कर देखती नहीं सकती थी। इसलिए अध्यादेश प्रख्यापित किया गया।

महोदय, जैसाकि आपने विधेयक से देखा होगा, यह विधेयक कर्मचारियों के वेतन मानों और उनकी सेवा की शर्तें आदि निर्धारित करने के लिए स्कीमें बनाने की स्वतंत्र शक्ति देता है। उद्योग में और मजदूरी संशोधनों के लिए यह उपबंध आवश्यक है। इसके साथ ही इस उपबंध में भूतलक्षी प्रभाव से स्कीमें बनाने की व्यवस्था की गई है। यह एक समर्थक उपबंध है और कर्मचारियों के हित में है क्योंकि मजदूरी में संशोधन प्राय: भूतलक्षी प्रभाव से करना होता है।

1974, 1975 और 1976 में बनाई गई मख्य स्कीमों में 23 बार संशोधन किये गए जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों और अधिकारियों को काफी लाभ मिला। प्रगति को न रोकने और कर्मचारियों को इन लाभों से वंचित न करने की दृष्टि से विधेयक में एक उपबंध बनाया गया है जिससे सितम्बर, 1980 में किये गए संशोधन, जिसे उच्चतम न्यायलय द्वारा रद्द कर दिया गया है, को छोड़कर सभी संशोधनों को फिर से वैध किया जा सके।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों की शंका को दूर करना चाहता हूं। सरकार का आशय यह नहीं है कि मजदूरी संशोधन के सम्बंध में कर्मचारियों के साथ परामर्श करने की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने 1981 में भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में भी ऐसी शक्तियां प्राप्त की थी। इसके बावजूद इस समय मजदूरी संशोधनों के बारे में जीवन बीमा निगम के प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच बातचीत चल रही है। साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों को भी ऐसा अवसर मिलेगा।

अब मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक के समर्थन के लिए अनुरोध करता हूं।जससे कि इस उद्योग को सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके और पालिसीधारियों के समग्र हित में प्रशासनिक लागत को कम किया जा सके।

महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को सभागृह में लाकर ब्रिटिशों के टाईम से जो प्रिंसिपल है कि कामकार और मालिक के बीच में अगर कोई समझौता करना होगा तो सामूहिक सौदेबाजी एक बुनियादी सिद्धांत है। ऐसा बिल लाकर सरकार कलैक्टिव बारगेनिंग का प्रिंसिपल टोटली खत्म कर रही है। ऐसा आरोप इस सभा गृह में मैं करना चाहता हूं। इसके अलावा ब्रिटिशों के समय से इण्डस्ट्रीयल डिस्प्युट एक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से पिछले 37 सालों में इण्डस्ट्रीज जरूर बढ़ गई, लेकिन कानून में कामगार का हक कितना है, इसके बारे में कोई भी कानून इस देश में आज तक नहीं आया है। आपकी स्कीम्स हैं कि बैकवर्ड एरियाज में इण्डस्ट्रीज का निर्माण किया जायेगा और जिसके लिए सरकार दो-तीन हजार करोड़ रुपए का लोन भी देती है। वह किसके लिए इण्डस्ट्रीज चालू करती है। क्या वह कामगार या मालिक के लिए चालू करती है। इसके बदले में कामगार को कितनी पगार मिलती है, इसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। अमेंडमेंट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार कलैक्टिव बारगेनिंग और इण्डस्ट्रीयल डिस्प्युट का बेसिक प्रिंसिपल लाकर इसको खत्म कर रही है। एच०आइ०सी० का काम सबसे ज्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से सरकार को प्राफिट भी सबसे अधिक हो रहा है। वर्कर्स की मांग आई थी जिसका नेगोशिएशन होने के बाद सरकार ने कलैक्टिव इंश्योरेंस और नेशनलाइजेशन किया उसके बाद सरकार ने कोई डिसीजन किया था जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है। वर्कर्स को बेनीफिट देना चाहिए था। लेकिन सरकार, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को खत्म करने के लिए सभागृह में ऐसा बिल लाई है। इसके लिए मैं बड़ा खेद प्रकट करना चाहता हूं। एम्स एण्ड आबजेक्टिव्ज के मुताबिक क्लास-थ्री वर्कर्स की पगार, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो चार हजार के ऊपर चली जायेगी और जो आफिसर्स हैं, उनकी पगार 3900 तक हो सकती है। पैसा देने में सरकार को कोई हर्जा नहीं है क्योंकि प्राफिट बहुत है। क्लास थ्री वर्कर्स की पगार ज्यादा है और आप कोई माइनर चेंजेज करना चाहते हैं तो उसके लिए सभागृह में बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ऊपर के कर्मचारियों को पैसा न देने से जो पैसा बच जाता है तो क्या आप कोई नया रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं? कम पगार वाले लोगों को क्या ज्यादा देना चाहते हैं? ऐसा कोई रेशनेलाइजेशन करने का क्या आपका कोई विचार है। कम से कम वेतन 700 रु० है। देश में एल०आइ०सी० के लाखों वर्कर्स हैं। उनके बारे में कोई भी प्रिंसिपल आपने एम्स एण्ड आबजेक्टिव्ज में नहीं दिया है। सिर्फ एक ही बात आपने लिखी है...... [व्यवधान]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा इसे संक्षिप्त कीजिये ।

डा० दत्ता सामंत : यह बहुत महत्वपूर्ण है । इससे कुछ लाख श्रमिक प्रभावित हैं । मैं समझता हूं इसके लिए कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए । 5 या 10 मिनट में मैं समाप्त कर सकता हूं ।

श्री शरद चन्द्र गोविन्दराव पवार (बरामति) : वे श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि हैं उन्हें बोलने का मौका मिलना चाहिये ।

[हिन्दी]

डा० दत्ता सामंत : लास्ट स्टेज में लोअर क्लास की 4,500 रुपए पगार हो जायेगी । सिर्फ एक ही प्वाइंट देकर आप सब अधिकार अपने हाथ में लेना चाहते हैं । यही डिसीजन आप दे रहे हैं । इसमें क्लाज़ ऐसे हैं कि कोई भी एग्रीमेंट, ट्रिब्युनल या इण्डस्ट्रीयल कोर्ट का कोई डिसीजन होगा तो सरकार इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लेगी । जो भी स्कीम फ्रेम की जायेगी, वह वर्कर्स को माननी पड़ेगी । सब अधिकार सरकार ले रही है । वर्किंग क्लास हमेशा विरोध करती रहेगी । एल०आइ०सी० का तो इसके बारे में विरोध ही है । तीस या चालीस प्रतिशत के करीब कामगारों की आबादी हो गई है, सभी में असंतोष है । उसके ऊपर सरकार, कोई सुप्रीम पावर लाकर, कोर्ट का डिसीजन, ट्रिब्युनल और कलैक्टिव बारगेनिंग सब खत्म करना चाहती है । इसलिए, मैं वर्किंग क्लास की ओर से बोलना चाहता हूं कि हम लोग इसका विरोध करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आपने कुछ और भी दो-तीन क्लाजेज़ दी हैं, खाली इसके ऊपर ही यह खत्म होने वाली बात नहीं है । आज जितने सैन्ट्रल गवर्नमैंट के संस्थान हैं, जैसे मझगांव डोक, भारत पैट्रोलियम, उनके कामगारों के बारे में सरकार एक प्वाइंट सी० डी० ए० को कम्पलसरीली इम्पलीमेंट करना चाहती है जिसके कारण सारे सैन्ट्रल गवर्नमैंट अण्डरटेकिंग्स के वर्कर्स में असंतोष फला हुआ है । उन लाखों कामगारों के बारे में आपन पीछे एक कमेटी भी अप्वाइंट की थी, मगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ । दस-दस साल कामगारों को भारत पैट्रोलियम में काम करते हुए हो गया, लेकिन सरकार का डायरेक्टिव ऐसा है कि जो वर्कर्स परमानेंट हैं, उनका खुद डी ए का स्लैब कम करना चाहिए । मैं समझता हूं कि आपने वर्किंग क्लास को जितने नारे ग्रौर आश्वासन दिए हैं उन सब के बावजूद आपकी पौलिसी हमेशा उन कामगारों के खिलाफ रही है, आपका बेसिक प्रिंसिपल और जितने इस तरह के बिल ग्राप लाये हैं, वे सब कामगारों के खिलाफ जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के जितने कारखाने चलते हैं—मझगांव डॉक, रिचर्डसन, भारत पैट्रोलियम आदि उनके कामगारों के ऊपर इस तरह से अत्याचार होगा, यदि आप इस तरह के बिल यहां पास करवाते हैं । उसके बाद सरकार कुछ दूसरे स्टैप्स लेने वाली है । मैं चाहता हूं कि इसके बदले सरकार सर्विस-कण्डीशन्स फिक्स करे, रेशनेलाइजेशन स्कीम फिक्स करे । रेशनेलाइजेशन स्कीम के सम्बन्ध में आपको ध्यान रखना चाहिये कि ऐसे बिल लाकर सरकार को समरी पावर नहीं दी जानी चाहिए, आज यदि एल० आइ० सी० में किसी वर्कर की पगार ज्यादा है

तो उसका कुछ इंटरनल एडजस्टमैंट होगा, उसके बारे में आप सभागृह में इस बिल के ऐम्स एण्ड ऑब्जैक्टस में कह दीजिए, उसके आगे आपका क्या करने का विचार है, वह भी सभागृह में बतला दीजिए, ऐम्स एण्ड ऑब्जैक्टस में बतला दीजिए। मगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं बल्कि पीछे के जितने एवार्ड या कानून हैं उन को खत्म करके नया कानून लाना चाहते हैं। आपने रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट के बारे में भी बोला कि गवर्नमैंट बोलेगी तो हो सकता है। इन सारी बातों के कारण उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप इस बिल को पास करने देंगे तो मजबूर होकर हमें सभागृह से बाहर जाना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इसमें सरकार की ओर से श्रमिक वर्ग के सभी अधिकारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। मंत्री महोदय ने सदन को गुमराह किया है। उन्होंने कहा है कि अधिकांश कर्मचारी 4,000 रु० से ज्यादा ले रहे हैं जोकि सच नहीं है। केवल अधीक्षक ही 4,000 रु० से ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन वहां अब कितने अधीक्षक कार्यरत हैं। पहले 200 अधीक्षक थे, और अब यह संख्या कम होकर 50 रह गई है। निगम ने पहले ही घोषणा की है कि यह संवर्ग समाप्त हो रहा है। जब उसने यह घोषणा की है कि यह एक समाप्त हो रहा संवर्ग है तो आपने यह दलील दी है कि अधिकांश कर्मचारी 4,000 रु० से अधिक ले रहे हैं। इसलिये, उस निगम के 28,000 कर्मचारियों के अधिकारों पर रोक लगाने के लिये यह विधेयक लाया गया है। यह ठीक नहीं है; सरकार के लिये यह उचित नहीं हैं।

मुझे आशंका है कि सरकार अन्य संस्थाओं जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, अन्य बैंकों में तथा अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के क़दम उठायेगी। यदि सरकार विधेयक पेश करती है तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि इसकी प्रतिक्रिया यह होगी कि कर्मचारी इस विधेयक को पेश नहीं करने देंगे। यदि सरकार अधिकारों और वर्तमान सुविधाओं को कम करना चाहती है तो सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग निश्चय ही इसका विरोध करेगा और भविष्य में एक बड़ा आन्दोलन अवश्य शुरू करेगा।

महोदय, साधारण बीमा निगम का 1971 में राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1974 में एक योजना शुरू की गई थी जिसमें कर्मचारियों की सेवा शर्तें आती थी। उस समय प्रबन्धकों के साथ काफी विचार-विमर्श हुआ था और प्रबन्धकों तथा कर्मचारी संगठनों के बीच सहमति हुई थी।

1977 में एसोसिएशनों ने कुछ मांगें रखीं। उन्होंने परिलब्धियों में वृद्धि करने तथा सेवा-शर्तों में सुधार के लिए मांग-पत्र दिया था। लेकिन सरकार के अड़ियल रवैये के कारण वार्ता टूट गई। उस स्तर पर, केन्द्र सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त ने इसमें हस्तक्षेप करना चाहा था क्योंकि मुख्य श्रम आयुक्त का यह विचार था कि यह स्पष्ट रूप से औद्योगिक विवाद का मामला है और इसके बाद मुख्य श्रम आयुक्त ने प्रबन्धकों तथा कर्मचारी संगठनों दोनों को वार्ता के लिए नोटिस जारी किए थे। नोटिस में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि साधारण बीमा निगम के मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होगा। मुख्य श्रम आयुक्त ने प्रबन्धकों का ध्यान

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 की ओर दिलाया कि समझौते की बातचीत के दौरान प्रबन्धक को सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए जिससे इस समझौता वार्ता पर प्रतिकूल असर पड़े। कर्मचारियों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए परन्तु प्रबन्धक इसमें नहीं आये। साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष ने एक टेलेक्स संदेश द्वारा मुख्य श्रम आयुक्त को सूचित किया कि चूंकि साधारण बीमा निगम औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि में नहीं आता इसलिए वे इस समझौता बैठक में शामिल नहीं होंगे। यह एक अजीब बात है कि मुख्य श्रम आयुक्त ने ऐसा महसूस किया। इसलिए, श्रम मन्त्री महोदय बताएं कि वास्तविक स्थिति क्या है। मेरी राय में, निगम निश्चित रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आता है।

इसके बाद, साधारण बीमा निगम के प्रबंधकों ने कर्मचारी संगठनों के साथ इस मामले पर वार्ता शुरू करने की पहल नहीं की। इसके बाद इसके लिये वित्त विभाग आगे आया। उसने एक अधिसूचना जारी की तथा अधिसूचना के अंतर्गत इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि वर्तमान सुविधाएं—जो कर्मचारियों को मिल रही हैं—उन्हें समाप्त कर दिया गया है। वेतन, सेवानिवृत्ति की आयु, उपदान, वेतन वृद्धि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई और सभी लाभ छीन लिए गए।

अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी और उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया। इस मामले में मन्त्री महोदय ने सदन को गुमराह किया है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय यह था कि 1980 की स्कीम विरोधी स्कीम मानी जानी चाहिए क्योंकि यह साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के प्राधिकार के दायरे में नहीं आती। इसलिए यह विरोधी स्कीम निरस्थ की जाती है और इसे लागू न किया जाए। पार्टियां अपने अधिकारों का समाधान करने के लिए स्वतन्त्र हैं जैसे यह स्कीम बनाई ही न गई हो। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय का यह स्पष्ट निदेश था कि इस मामले में कर्मचारी एसोसिएशन के साथ बातचीत की जाये। क्या आपने बातचीत की? बिना वार्ता किये ही आपने अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया और अब, आप सदन में यह विधेयक लाये हैं। पहले आप बातचीत करने का प्रयास कीजिए। यदि बातचीत के जरिये हल निकल आता है तो वह प्रबंधकों तथा देश के लिए बेहतर होगा। मैं यह कह सकता हूं कि टकराव से समस्या का समाधान नहीं होगा।

मैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निर्णय के बारे में यह कहूंगा कि विभिन्न केन्द्रीय संगठनों ने जीवन बीमा निगम के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से केन्द्र सरकार की शिकायत की थी जिसने सम्मत बोनस की शर्तों को संसद के कानून द्वारा बदलने का प्रयास किया तथा साधारण बीमा क्षेत्र जिसमें एक राजपत्र अधिसूचना ने कर्मचारियों की सेवा शर्तें बदल दी। इस शिकायत के बाद सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को उत्तर दिया। उस उत्तर के बाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निष्कर्ष इस प्रकार है :

"समिति इस शिकायत, कि सरकार ने मनमाने ढंग से सरकारी क्षेत्र के सामूहिक समझौतों में परिवर्तन किया है, विशेषकर यह बात कि उच्चतम न्यायालय ने विधायी संदर्भ में किये गये संशोधनों को उचित ठहराया है, के संबंध में सरकार के उत्तर को नोट करती है। इस संबंध में, समिति ने विगत में यह कहा है कि एक कानूनी प्रावधान लागू

किया जाये जिसमें सामूहिक समझौतों में निर्धारित उपबंधों के बारे में आपत्ति की जा सके या श्रमिकों को ऐसी शर्तों के बारे में बातचीत करने के संबंध में रोका जा सके जो कि वे समझते हैं कि भावी सामूहिक समझौतों की ये शर्तें, यदि उन्हें लागू किया जाता है तो संबद्ध श्रमिकों के अपनी ट्रेड यूनियनों के माध्यम से सामूहिक सौदेबाजी करने संबंधी अधिकारों का उल्लंघन होगा। समिति तद्नुसार सरकार का ध्यान इस सिद्धांत की ओर इस आशा से दिलाना चाहेगी कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई करना सम्भव न हो।"

जब सरकार ने साधारण बीमा निगम के मामले में अधिसूचना जारी की थी तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अब सरकार एक कानून बनाने जा रही है। मैं नहीं जानता कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की क्या प्रतिक्रिया होगी।

इसका अर्थ यह हुआ कि इस सरकार ने वास्तव में यह निर्णय कर लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या उच्चतम न्यायालय चाहे जो कुछ कहते रहें, वह उसकी कोई परवाह नहीं करेगी और जैसा चाहेगी करती जाएगी। सरकार ये सारी चीजें इसलिए कर रही है कि सरकार की ओर से श्रमजीवी वर्ग के श्रमिक संघ तथा अन्य अधिकारों पर रोक लगाने का योजनाबद्ध प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया जा चुका है और उसके अधीन सरकार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और उसे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती है। तत्पश्चात्, सरकार ने आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का विधेयक पारित किया। इस विधेयक को पारित करके सरकार ने आवश्यक सेवाओं में एक तरह से सभी हड़तालों पर पाबन्दी लगा दी है। यदि एक मजदूर जलूस में भाग लेने के लिए जाना चाहता है तो इसके लिए एक वर्ष का कारावास तथा 1,000 रुपए जुर्माना होगा। जैसे यह भी पर्याप्त न हो, अब सरकार वेतन की अधिकतम सीमा निर्धारित कर रही है। सामान्य बीमा निगम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए अधिकतम सीमा 1,600 रुपए है। यदि किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कुल वेतन 1,600 रुपए है और महंगाई भत्ते में वृद्धि हो जाती है, तो उस कर्मचारी को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। यहां तक कि यदि वेतन वृद्धि देय है और यदि उसे पहले ही 1,600 रुपए मिल रहे हैं तो उसे वेतन वृद्धि भी नहीं मिलेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि वेतन पर पूर्णतया रोक लागू हो जाएगी। ऐसा केवल वित्तीय आपातकाल के दौरान ही किया जा सकता है। इसलिए, मेरा प्रश्न यह है कि क्या आपने बिना घोषित किए वित्तीय रोक लागू कर रखी है। आपको यह अवश्य स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि आप अन्य मामलों में भी इसी तरह के कदम लागू करने जा रहे हैं। मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि इन कदमों से सरकार अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध नहीं बना पाएगी। सभी क्षेत्रों में अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध बनाने के लिए श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करना एक आधारभूत आवश्यकता है। अतएव, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करे और इस विधेयक को वापस ले ले, ताकि देश में अच्छा औद्योगिक वातावरण स्थापित किया जा सके।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकारा) : श्रीमन्, मैं इस विधेयक का मुख्य रूप से इस आधार पर विरोध करता हूं कि इसका अभिप्राय उच्चतम न्यायालय द्वारा देश के श्रमजीवी वर्ग के पक्ष में दिए गए निर्णय को टालने के लिए लाया गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखकर यह सच है कि यह विधेयक यहां सदन में पेश किया गया है। लेकिन इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार का यह इरादा लगता है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित

करने से, एक श्रमिक को जो लाभ मिल रहे हैं उन्हें छीना जा सके । दूसरे, मैं यह कहूंगा कि यह विधेयक श्रमिक कानूनों के बुनियादी न्याय शास्त्र के विरुद्ध है । वेतन का जो दर्जा एक श्रमिक प्राप्त कर चुका है उसे किसी कार्यवाही द्वारा नहीं छीना जा सकता । अब इस विधेयक का अभिप्राय श्रमजीवी वर्ग द्वारा निरंतर संघर्ष तथा प्रयत्नों द्वारा अर्जित लाभों को छीनना है । टिप्पणी में यह कहा गया है कि एक अधीक्षक को 4,800 रुपए मिल सकते हैं और प्रबन्ध-निदेशक को इससे कम मिल सकते हैं । क्या मैं यह कहूं कि एक संसद सदस्य को केवल 750 रुपए प्रति मास मिलते हैं जबकि एक चपरासी को इससे अधिक मिल रहे हैं ? क्या व्यक्तियों में अन्तर करने का यह आधार हो सकता है ? अमरीका में मैंने देखा है कि एक सफाई कर्मचारी को नगर निगम के निदेशक से अधिक वेतन मिलता है, क्योंकि वह 10 डालर प्रति घंटे की दर से अर्जित कर सकता है । चीन में भी मैंने देखा है कि एक कुशल कारीगर को प्रबन्ध-निदेशक से अधिक पैसे मिलते हैं । इसलिए, सरकार का दृष्टिकोण नौकरशाही वाला लगता है । शायद वे यह महसूस करते हैं कि प्रबन्ध-निदेशक शीर्षस्थ है और श्रमिक उनके दास हैं । अतएव, इस विधेयक का श्रमिकों का वेतन कम करने का मूलभूत दृष्टिकोण श्रमिक कानूनों के विधिशास्त्र के विरुद्ध है और नकारात्मक है ।

तीसरे, इससे सरकार को निरंकुश शक्ति मिल जाएगी । बीमा एक निगम है । जनरल इंशोरेंश कम्पनी एक स्वायत्त निकाय है । इसका मूल ढांचा ऐसा है कि यह अपने स्वतंत्र निर्णय ले सकता है । लेकिन इस विधेयक से सरकार को कामगारों के विरुद्ध निर्णय लेने की मनमानी शक्ति मिल जाएगी । इस विधेयक का उद्देश्य बीमा कामगारों को कामगार की उस परिभाषा की परिधि से बाहर रखना है जो उच्चतम न्यायालय ने बंगलौर जल प्रदाय तथा मल निर्यास व्यवस्था के मामले में अपने निर्णय में दी है । इस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उन व्यक्तियों को छोड़कर, जो देश की प्रभु सत्तासंपन्न शक्ति के अधीन कर्मचारी नहीं है, कामगार हैं । इस विधेयक का आधार ही यह प्रकट करता है कि जो लोग सामान्य बीमा कम्पनी में काम कर रहे हैं, उन्हें कामगार की इस परिभाषा की परिधि से बाहर रखा जाए । इसलिए, यह सामूहिक समझौते की जड़ों पर प्रहार करने जैसा है ।

मैं इस विधेयक का इसलिए भी विरोध करता हूं कि इससे कुछ नौकरशाहों के हाथों में सत्ता का केन्द्रीकरण हो जाएगा । ये मेरे मुख्य मुद्दे हैं ।

मैं अपने मुद्दों को पुनः दोहराता हूं । पहला यह है कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करता है । दूसरे, यह नौकरशाहों को मनमानी शक्तियां देता है । तीसरे यह श्रमिक न्याय शास्त्र के विरुद्ध है । चौथे, विधेयक का दृष्टिकोण ही बहुत बुरा है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मेरा कहना है कि इस विधेयक को पारित करने पर जोर न दिया जाए । इसलिए, मैं विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, इस विधेयक का हर पहलू से विरोध करने में मैं अपने प्रिय मित्र से सहमत हूं । मैं यह चाहता हूं कि जो सुझाव हम आपके द्वारा दें उसे श्री जनार्दन पुजारी सुनें ।

हाल के चुनावों में कांग्रेस दल ने अनेक औद्योगिक क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें श्रमजीवी वर्ग के लोग रहते हैं, अच्छा कार्य किया है अतः हम कह सकते हैं कि इस बार श्रमजीवी

लोगों ने कांग्रेस को सत्तारूढ़ कराया है लेकिन वे इस सरकार के कार्य पर नजर रख रहे हैं। और आप यहां उन कर्मकारों को, जिन्होंने आपको सत्तारूढ़ किया है, यह तोहफा दे रहे हैं। यह बहुत ही कठोर विधेयक है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि सरकार स्थिति के अनुसार विधेयक में संशोधन करने की बजाय इस विधेयक पर क्यों आग्रह कर रही है।

इस विधेयक को लाने का एक कारण यह है कि तृतीय श्रेणी के एक कर्मचारी, एक अधीक्षक, को 4080 रु० मिल सकते हैं जबकि महाप्रबन्धक को वेतन—मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता मिलाकर न्यूनतम और अधिकतम ग्रेड में क्रमश: 3950 रुपए और 4550 रुपए मिलते हैं। महोदय, हमें सही-सही बात करनी चाहिए। ऐसे उदाहरण देकर हमें अपने इरादों को नहीं छिपाना चाहिए। सामान्य बीमा कारबार में 25,000 तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। अधीक्षक संवर्ग समाप्त होने वाला है। केवल अब 50 कर्मचारी अधीक्षक हैं और उनके सेवानिवृत्त होने पर कोई भी कर्मचारी अधीक्षक संवर्ग में नहीं रहेगा। अत: जब आप इसको मुद्दा बनाते हैं तो यह वास्तव में गम्भीर स्थिति है। मेरे मित्र ने एक समाजवादी राष्ट्र का उदाहरण दिया है तथा अमरीका का भी जहां जितना अधिक काम आप करेंगे उतना अधिक वेतन आपको मिलेगा। सोवियत संघ में कुशल कर्मकार को महाप्रबन्धक के मुकाबले बहुत अधिक वेतन मिलता है। अत: आपको इस पर ईर्ष्या क्यों है? क्योंकि आप पूंजीवादी राष्ट्र हैं मैं नहीं चाहता कि आप समाजवादी मानदण्ड अपनायें। आप इतना देखें कि अब सिर्फ 50 व्यक्ति बाकी हैं और वे भी जल्दी ही चले जाएंगे और आगे ऐसी स्थिति नहीं होगी। कर्मचारी संघ भी उसको चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो इनको आप विनियमित करें। आप विनियमित कर सकते हैं। लेकिन आप दशानन रावण की तरह सारे संसार के पीछे डंडा लेकर क्यों पड़े हुए हैं? आप संघ के खिलाफ लड़ रहे हैं। वर्ष 1980 में भी जब हमारे वर्तमान श्रम मंत्री उस समय भी श्रम मंत्री थे, मुझे यह बताया गया था कि सामान्य बीमा संस्था ने इन बातों को युक्तिसंगत बनाने के लिए की गई समझौता सम्बन्धी बैठक से उस समय बहिर्गमन किया था। यह आपकी सामान्य बीमा संस्था ही थी जिसने समझौता बैठक से बहिर्गमन किया और तब कर्मचारियों को विवश होकर मामला न्यायालय में ले जाना पड़ा। और उसके बाद, आप कहते हैं कि आप न्यायालय के निर्णय को मानने नहीं जा रहे हैं। आपने कहा कि आप वह सब कुछ करेंगे जो आप चाहेंगे। खण्ड 5(2) में कहा गया है:

> "किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, करार, पंचाट या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी,—"

आपने इसमें सब कुछ लिख दिया है। आपने विधेयक में सब कुछ उल्लेख कर दिया है चाहे वह वहां है या नहीं है, आपने विधेयक में सब कुछ लिख दिया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आशा करता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे और इसके लिए आग्रह नहीं करेंगे।

दूसरी विशेष बात यह है कि उनके कुछ विशेषाधिकार आप वापिस ले रहे हैं। क्या यह आप कर सकते हैं? उन्होंने श्रमजीवी वर्ग के लोगों ने कुछ अधिकार संघर्ष करके लिए हैं। ये अधिकार उन्हें किसी सरकार से उपहारस्वरूप प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्हें जेल जाना पड़ा; उन्हें मरना पड़ा। तब उनके संघों को मान्यता प्राप्त हुई। कुछ करार किए गए व कुछ समझौते

किए गए और वे कुछ हद तक आगे बढ़ पाए। अब, भविष्य निधि के संबन्ध में आप क्या कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए भविष्य निधि मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता को मिलाकर बनती है। अब आप इसमें संशोधन केवल सामान्य बीमा कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं। अर्थात् मूल वेतन का 10 प्रतिशत। इस देश में सामान्य बीमा कर्मचारी ही क्यों नुकसान उठाएं। यह मेरी समझ के बाहर है। यही बात बीमारी छुट्टी के मामले में है। दूसरे लोग जो लाभ उठाते हैं, आप उनको लाभ नहीं उठाने देना चाहते। यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

आप बहुत अधिक मामलों पर बोल रहे हैं। जैसा कि हम सोच रहे थे कि अगर राष्ट्रीय वेतन नीति के संबंध में कोई वचनबद्धता होती तो हमने समझौता कर लिया होता और हम ऐसा मान लेते कि यह देश की राय है। आप सभी केन्द्रीय मजदूर संघों की बैठक बुलाइये। आप उनको बुलाकर नीति पर निर्णय लें। लेकिन आप इन बातों पर कभी विचार नहीं करते। धनी लोगों के पास जो काला धन है उस पर आप नियंत्रण नहीं रखते। यह आप टाटा, बिड़ला व डालमिया पर नियंत्रण नहीं रखते।

आपके सामने इस बात के बावजूद लगभग 8,000 कर्मकार बम्बई में नौकरी से हटा दिए गए हैं, कि आपने कुछ मिलों का राष्ट्रीयकरण किया है। अतः, आप इस तरह की बात कभी सोचते ही नहीं। सहज ही समय गुजरता जा रहा है। आप सत्ता में हाल ही में आए हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है मेहनतकश लोगों व श्रमजीवी लोगों को यह स्पष्ट हो रहा है कि आप किस वर्ग का हित देख रहे हैं। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

दूसरी चीज यह है कि सभी कर्मचारी 58 वर्ष की आयु तक काम कर सकते हैं। सामान्य बीमा कम्पनी के मामले में आपके पास कर्मचारियों को 55 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त करने की निरंकुश शक्ति प्राप्त है। क्यों ?

स्वाभाविक रूप से मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन बातों पर विचार किया जाए। कृपया इसके लिए आग्रह मत करें। मुझे आशा है कि आप इस समय भी मजदूर संघों, सरकार, व सामान्य बीमा निगम की एक बैठक बुलायेंगे और इसका कुछ समाधान निकालेंगे। अन्यथा वे फिर न्यायालय में जायेंगे आपके लिए उच्चतम न्यायालय भी कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका को हम सर्वोच्च रखना चाहते हैं। आप न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए आपकी चिन्ता ऐसी है। आप ऐसा विधायक ला रहे हैं जिसमें आप कहते हैं कि आप उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं हैं। यह एक हास्यास्पद बात है।

मैं अपनी पार्टी और विपक्ष की ओर से इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं। और अगर आप इस पर आग्रह करेंगे तो हमें सभा से बहिर्गमन करना पड़ेगा। हम केवल यही कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री चंदपाटला जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, जनरल इंश्योरेंस बिल के आब्जैक्ट्स को पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि सरकार वार्तालाप की पद्धति को समाप्त कर के सब अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है। आज स्थिति इस प्रकार की है कि यदि कोई नया जनरल मैनेजर आये तो उसे कुल वेतन 2840 रुपये मिलेगा, जब कि एक सुप्रीन्टैन्डेन्ट, चाहे वह

थर्ड क्लास पास हुआ हो, प्रमोशन पाते-पाते जब ऊपर आता है तो उसे 4082 रुपये वेतन मिलता है। इस का मतलब है कि अफसर का वेतन कम और सुप्रीन्टैन्डेन्ट का वेतन ज्यादा। पहले तो इस तरह की परिस्थितियों में मैनेजमैन्ट निगम कर्मचारियों के साथ बैठ कर, उन के साथ वार्तालाप कर के इस तरह की कठिनाईयों को दूर किया करते थे, लेकिन अब वे सब अधिकार निगम अपने हाथ में ले लेना चाहता है–यह मूलभूत सिद्धान्तों के खिलाफ है। इस तरह से तो दोनों के बीच में एग्रीमैन्ट नहीं हो सकता है।

आज जो पद्धति दूसरे निगमों में प्रचलित है, जैसे फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया है या दूसरी सरकारी निगम हैं, वही पद्धति यहां भी चालू रहनी चाहिये। वहां जब भी वेतनों के सम्बन्ध में इस तरह की कठिनाई आती है, मैनेजमैन्ट और कर्मचारी वार्तालाप कर के आपस में एग्रीमेन्ट करते रहे हैं, लेकिन अब वह पद्धति खत्म हो जायेगी। इस लिए मैं और मेरी पार्टी इस बिल का विरोध करते हैं और मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि समय की मांग को समझ कर वे इस बिल को विड्रा करें।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को कठोर और श्रमिकों के खिलाफ बताया गया है। माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए यह भी कहा है कि हम मजदूरों व श्रमजीवी वर्ग के खिलाफ हैं और भारी बहुमत प्राप्त करने के बाद श्रमजीवी वर्ग को यह उपहार दे रहे हैं।

मैं विरोधी पक्ष व सत्ताधारी पक्ष के अपने मित्रों का उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद करता हूं। इस प्रश्न पर कि क्या कर्मचारियों के वेतन और परिलब्धियों में कुछ असंगति है और यदि ऐसी बात है तो क्या हमें इस असंगति को दूर करना चाहिये, आने से पहले मुझे परिलब्धियों की स्थिति पर आपका ध्यान दिलाने की अनुमति दी जाए। तीसरी श्रेणी का कर्मचारी, जिसका मूल वेतन 525 रुपये है को 1906 रुपये महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्तों के रूप में मिल रहे हैं। इस प्रकार कुल परिलब्धियां जो उसको मिलेंगी 2431 रुपये होंगी। इसके साथ ही निगम के एक अधिकारी को उसी स्तर पर, जिसका मूल वेतन 530 रुपये है, महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते के रूप में केवल 1384 रुपये मिलेंगे। कुल मिलाकर उसको 1914 रुपये मिलेंगे जबकि श्रेणी-III के कर्मचारी, क्लर्क, को ऐसी स्थिति में 2431 रु० मिलेंगे।

अगर अधिकारी का मूल वेतन 610 रुपये हो तो उसका कुल वेतन 2154 रुपये होगा, जबकि श्रेणी-III के कर्मचारी का मूल वेतन 615 रुपये होने पर उसका कुल वेतन 2755 रुपये होगा।

अगर अधिकारी का मूल वेतन 1000 रुपये है तो उसका कुल वेतन 2840 रुपये होगा, जबकि श्रेणी-III के कर्मचारी का मूल वेतन 985 रुपये होने पर उसको कुल 4082 रुपये मिलेंगे। अधीक्षक तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : हमें इस पर विचार करना होगा कि क्या यह नियम, निगम के सुव्यवस्थित कार्य चालन, पोलीसी धारकों के हित व प्रशासन के हित में होगा [illegible] निगम को

इसी प्रकार बढ़ने दिया गया तो निगम का क्या होगा? अधिकारीगण कैसा महसूस करेंगे। हम इस पर विचार करते हैं कि लिपिकीय कर्मचारियों व अधिकारियों की क्या जिम्मेदारियां हैं। किस पर अधिक जिम्मेदारी है। अधिकारीगण उत्तरदायी हैं। उन पर अधिक जिम्मेदारी हैं।

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने चीन का उदाहरण दिया है। यह चीन नहीं है। यह भारत है। हमें यहां भारत में रहना है। हमें बाहर का वातावरण देखना होगा। अधिकारी क्या सोचेंगे।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : हम जानते हैं यह भारत है। वह भारतीय है। आप भारतीय हैं। हम सब भारत में है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय रोज ही ऐसे बोलते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : कुछ माननीय सदस्य पुराने हैं और वे जिम्मेदार सदस्य हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इनको अपनी बात समाप्त करने दें।

श्री जनार्दन पुजारी : अब मैं अधिनियम के उपबन्धों पर आता हूं। इन कम्पनियों का विलय वर्ष 1972 में हुआ था। इन 106 बीमा कम्पनियों का विलय हुआ और इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कर्मचारियों के लिए वर्ष 1974, 1975, 1976 और 1977 में ये योजनाएं शुरू की गई थी। बाद में 1980 में एक संशोधित योजना शुरू की गई।

1.00 म०प०

जहां तक 1980 की योजना का सम्बन्ध है, हालांकि इस पर गहराई से आपसी विचार-विमर्श हो चुका है, कर्मचारियों ने इस योजना को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी हुई है। जब इसको चुनौती दी गई थी तब उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि............(व्यवधान) हम सब प्रजातन्त्र की बात कर रहे हैं। और ये मुझे अपनी बात भी नहीं कहने दे रहे हैं। उनको पहले मेरी बात सुननी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया 1974, 1975, 1976 व 1977 की योजनाएं मौजूद थी। वे उन योजनाओं के खिलाफ न्यायालय में नहीं गये हैं। ये योजनाएं निगम कर्मचारियों के हित में हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है? उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है। सरकार अधिनियम के उपबन्धों से बाहर नहीं जा सकती। अधिनियम क्या है? योजना का सम्बन्ध..........होना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। इन्हें अपनी बात समाप्त करने दें।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने इनकी बात पूरे ध्यान से सुनी; मैंने कोई व्यवधान नहीं डाला। मेरी बात सुनने के लिए इनको भी शिष्टाचार दिखाना चाहिए।

जैसा कि मैंने पहले बताया, ये योजनाएं इस व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् लागू की गई थी। अब क्या हुआ है? उन्होंने केवल 1980 की योजना को ही चुनौती दी है। उन्होंने पहली योजनाओं को चुनौती नहीं दी। उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है? उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सरकार को इन योजनाओं को जो विलय से सम्बन्धित नहीं है लागू करने का कोई अधिकार नहीं है............**(व्यवधान)**।

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री महोदय ने बताया है, कर्मचारियों का संघ 1974 की योजना के विषय में उच्चतम न्यायालय में नहीं गया था। मैं उसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि वह एक आपसी समझौता था। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मंत्री जी अपनी बात जारी रखें।

श्री जनार्दन पुजारी : उच्चतय न्यायालय ने यह कहा है कि जो योजनाएं लागू की गई हैं वे विलय से सम्बन्धित हैं। यह ठीक नहीं पाई गई। अतः यह नियम को बनाने के सरकार के अधिकार से बाहर है। यह भी कहा गया है कि सरकार कोई उपयुक्त कानून बनाने व कोई उपयुक्त संशोधन लाने के लिए स्वतंत्र है। यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। परन्तु यह सरकार को कोई ऐसा उपयुक्त कानून बनाने से नहीं रोकता जिसे केन्द्रीय सरकार उचित समझती हो और जिसे बनाने की शक्ति सरकार ग्रहण करना चाहती हो। **(व्यवधान)** माननीय सदस्यों को कुछ संयम रखना चाहिए। क्या होगा? इसका क्या प्रभाव होगा? इसका क्या परिणाम होगा? सारे कर्मचारियों ने भी 1974, 1975, 1976 व 1977 की योजनाओं को स्वीकार कर लिया है क्योंकि यह प्रशासन व कर्मचारियों के हित में थी। कल इस निर्णय को लकर अगर कोई व्यक्ति योजना के विपरीत जाता है तो उच्चतम न्यायालय यह निर्णय देगा कि केन्द्रीय सरकार को इस पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है क्योंकि यह उसकी व्याप्ति से बाहर है। इन खामियों को दूर करने व इन कमियों पर काबू पाने के लिए हम यह कानून बनाना चाहते हैं।

दूसरी बात जिस पर यहां जोर दिया गया है वह यह है कि हमने कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम सीमा से बाहर कर दिया है। अब हम उनको इसकी सीमा में ला रहे हैं लेकिन यह उपबन्ध पहले वाले 1972 के अधिनियम में पहले से ही था। मुझे इससे सम्बन्धित भाग पढ़ने की इजाजत दी जाए। धारा 16 इस प्रकार है :—

> "इस धारा के उपबन्ध और इसके अधीन बनाई गई कोई स्कीम, तात्कालिक प्रवृत्त किसी विधि या करार, पंचाट या अन्य साधन में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी, प्रभावी होगी।"

अतः ऐसा नहीं है कि हम इसे अब प्रभाव में ला रहे हैं। इस तरफ के माननीय सदस्यों ने स्पष्टतः कहा है कि लोगों ने विशेषतः मजदूरों ने हाल के चुनाव में हमें मत दिया।

श्री नारायण चौबे : बहुत जल्दी वे आपका साथ छोड़ देंगे ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं यहां इस बात को एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं। श्रमिक हमारे साथ थे। श्रमिक कांग्रेस पार्टी के साथ थे । यहां तक कि जीवन बीमा निगम अधिनियम में भी अभिन्न उपबंध और समान शब्द दिए गये थे । वे उच्चतम न्यायालय में गए और उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यह संवैधानिक है और केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि और अभी मतदाता ने भी वर्तमान सरकार को मतदान दिया है । यह अध्यादेश हाल ही में हुए चुनावों से पूर्व जारी किया गया था । केवल इतना ही नहीं, जीवन बीमा निगम संशोधन पहले भी था । उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यह संवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं । उन्होंने ऐसा कहा है । अतः आप यह नहीं कह सकते कि श्रमिकों को इसकी जानकारी नहीं थी । श्रमिकों ने इस का समर्थन किया क्योंकि यह प्रशासन के हित में है, और इससे लागत भी कम आएगी । इसलिए श्रमिकों ने इसका समर्थन किया ।

अब मैं अन्य मुद्दे पर आता हूं । उन्होंने पूछा है कि संख्या कितनी है । निगम में 145 अधीक्षक हैं ।

श्री नारायण चौबे : कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

श्री जनार्दन पुजारी : अब इस पर सदन को विचार करना है कि क्या हम यह असंगति बनी रहने दें, किसी जगह हमें इसे रोकना होगा ।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिला रहा हूं । हम कमजोर वर्गों की बात कर रहे हैं । माननीय विपक्षी सदस्य भी कमजोर वर्गों की बात कर रहे हैं । उनका कहना है कि करीब 31 करोड़ लोग, जिनकी आय 65 रुपये से अधिक नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं. . . . .

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने टाटा, बिरला—सभी की बात कही है । कृपया उन्हें अपना वक्तव्य समाप्त करने दीजिए ।

श्री जनार्दन पुजारी : उन्हें उत्तर देना भी मेरा कर्त्तव्य है । मैं केवल आपका ध्यान इस ओर दिला रहा हूं। यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। यह कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने राष्ट्र को यह वचन दिया है कि कमजोर वर्गों की रक्षा की जाएगी । किसी को यह नहीं समझना चाहिये कि बैंकिंग सेवा निर्धनों के लिए नहीं है। बैंकिंग सेवा को निर्धन और कमजोर वर्गों के लाभ के लिए काम करना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं वाद-विवाद के दौरान उठाए गए मुद्दों के संबंध में अपने उत्तर को समाप्त करता हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। उसी मुद्दे पर पुनः चर्चा करने का प्रश्न ही नहीं है। आप पहले ही विरोध कर चुके हैं और सब कुछ बोल चुके हैं। आप सब को चिल्लाना नहीं चाहिये। कृपया अपनी सीट ग्रहण कीजिए। आप में से कई सदस्य खड़े हैं। आप पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। आप सुझाव दे चुके हैं। अब सब कुछ कहा जा चुका है।

श्री थम्पन थामस : हमें इतनी जल्दी विधेयक पारित करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। यह ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तत्पश्चात् डा० सरदीश रॉय, श्री नारायण चौबे और कुछ अन्य माननीय सदस्यगण सभा-भवन से बाहर चले गए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार चर्चा करेंगे। प्रश्न है :

"कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।"

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

349/Lok Sabha/85 16

1.14 म०प०

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प
तथा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 17 और 18 पर एक साथ चर्चा करेंगे ।

1.14½ म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

सभापति महोदय : श्री सोज संकल्प प्रस्तुत करेंगे ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं प्रस्ताव करता हूं : —

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 19 अक्तूबर, 1984 को प्रख्यापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 11) का निरनुमोदन करती है ।"

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विधेयक का विरोध करता हूं ।

महोदय यह अध्यादेश अक्तूबर में जारी किया गया था । अब इसे विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है । मुझे इस विधेयक के पारित किये जाने पर गंभीर आपत्ति है ।

दिल्ली का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा है । इसके लिये उचित योजना बनाने की आवश्यकता है लेकिन विधेयक में जिस योजना का विचार दिया गया है, वह हमारे संविधान के उपबंधों के प्रतिकूल है । शहरी क्षेत्रों में स्लम बढ़ रहे हैं । मैं इस विधेयक के विरोध में जो कुछ कह रहा हूं, मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, शायद वे इन गंदी बस्तियों का विस्तार उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा तक करना चाहते हैं । पिछले वर्ष अक्तूबर में प्रख्यापित अध्यादेश की पृष्ठभूमि कुछ नहीं थी परन्तु एक राजनैतिक चाल थी । शायद वे इस अध्यादेश की उद्घोषणा से कुछ राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं और अब उन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया है । मैं सरकार को सतर्क करना चाहता हूं कि इसकी प्रतिक्रिया बहुत ही गम्भीर होगी । यह इतना महत्वपूर्ण मसला है जिस पर मैं सुझाव देना चाहता हूं । चूंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है जिसमें व्यावहारिक रूप से दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को बढ़ाया जा

रहा है और यद्यपि इन राज्यों की विधान सभाओं ने इस विचार को स्वीकार कर लिया है। इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर लोगों से विचार-विमर्श नहीं किया गया है। बहुत सी संस्थायें हैं, विरोधी पक्ष भी है जिनसे सलाह-मशविरा नहीं किया गया है और जटिलताओं का हल नहीं निकाला गया है। मैं नहीं समझता कि इस कार्य के लिये समुचित धन उपलब्ध कराया जायेगा। माननीय मंत्री महोदय संशोधित वृहत (मास्टर) योजना और इस कार्यक्रम की क्रियान्विती में कितना धन लगेगा, के बारे में जानते ही होंगे। अगर पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है तो गंदी बस्तियां (स्लम) राजस्थान, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की ओर फैलेंगी। जब तक विरोधी पक्षों से राष्ट्रीय स्तर पर न सही परन्तु विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा सरकारों के साथ सलाह-मशविरा नहीं किया जाता तब तक सरकार पूरी जटिलताओं को जानने की स्थिति में नहीं होगी। अन्यथा इन राज्यों को सांविधिक बोर्ड के अधीन कार्य करना पड़ेगा जिसके अध्यक्ष निर्माण तथा आवास मंत्री होंगे। यह संविधान द्वारा सुनिश्चित अधिकारों को छीनना होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रचलित भ्रष्टाचार के लिये प्रसिद्ध है और यह बात देश के लोग भी जानते हैं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण बहुत ही सस्ती दरों पर जमीन खरीदती है तथा भावी मालिकों को यह जमीन अत्यधिक ऊंची दरों पर आवंटित की जाती है। सभी तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है और माननीय मंत्री महोदय समस्या से अवगत हैं। हम जानते हैं कि वे दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्रिया-कलापों को साफ-सुथरा बनाना चाहते है। परन्तु इसी दौरान जो कुछ भी दिल्ली में होता है वह पड़ौसी राज्यों में भी किया जायेगा।

एक और आशंका है कि कृषि भूमि को भी आवासीय प्रयोजनों के लिये अर्जित किया जायेगा और चूंकि कोई प्रभावी योजना न होने की वजह से सम्पूर्ण कार्यक्रम असंतुलित होगा। वास्तव में यह विधेयक बहुत ही अच्छा है, जो मुझे स्वीकार है। परन्तु मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इसे इसी अवस्था में पारित करने के लिये दबाव न डालें और इस सदन में इसे पारित करवाएं। मैं उन से अनुरोध करूंगा कि वह इसे प्रवर समिति के पास भेजने पर विचार करें और इस बारे में लोगों को सोचने का मौका दें और इसके बाद सरकार को इस विधेयक को पुरःस्थापित करने तथा इसे पारित करने का पूरा अधिकार होगा।

सभापति महोदय : सांविधिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 19 अक्तूबर, 1984 को प्रख्यापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 11) का निरनुमोदन करती है।"

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिये योजना तैयार करने और ऐसी योजना के कार्यान्वयन को समन्वित तथा मानिटर करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि के उपयोग के नियंत्रण तथा अवसंरचना के विकास

> के लिये सामंजस्यपूर्ण नीतियां बनाने के लिये, जिससे कि उस क्षेत्र के किसी भी अव्यवस्थित विकास को रोका जा सके, योजना बोर्ड के गठन का और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये सांविधिक प्राधिकरण की स्थापना करना है। यह प्राधिकरण इस क्षेत्र के लिये योजना तैयार करने, उसकी निगरानी और विकास कर इस क्षेत्र में भूमि के उपयोग के नियंत्रण तथा अवसंरचना के विकास के लिये एक सामंजस्यपूर्ण नीति बनाने के लिये जिम्मेदार होगा ताकि इस क्षेत्र में अव्यवस्थित शहरीकरण रोका जा सके और संतुलित प्रगति हो सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 30 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग और सम्पूर्ण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र इसमें शामिल है। दिल्ली महानगर क्षेत्र की जनसंख्या 1981 में 71 लाख थी यदि वर्तमान प्रवृत्ति बनी रही तो वर्ष 2001 में दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ पहुंच जायेगी। जनसंख्या वृद्धि की सम्भावना से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विस्तार पर विनियमन की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। और जल आपूर्ति, स्वच्छता, बिजली, परिवहन, आवास और अन्य सुविधाओं के समुचित वितरण और रख-रखाव सम्बन्धी मूल सेवाओं को सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है। इसके लिये सम्पूर्ण क्षेत्र और इसके समीपवर्ती स्थानों के लाभ की योजनाएं सावधानीपूर्वक तैयार कर उन्हें क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों से परामर्श और संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन इन राज्य विधान मण्डलों से आवश्यक अधिकार प्राप्त करने के बाद मौजूदा कानून लाया गया है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संबंधित राज्यों के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा और इसका उद्देश्य इस समूचे क्षेत्र के विकास का मिला-जुला प्रयत्न करना ही इसका उद्देश्य है।

इन शब्दों के साथ मैं सभा की स्वीकृति के लिये यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं :—

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :—

> "कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिये योजना तैयार करने और ऐसी योजना के कार्यान्वयन को समन्वित तथा मानिटर करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि के उपयोग के नियंत्रण तथा अवसंरचना के विकास के लिये सामंजस्यपूर्ण नीतियां बनाने के लिये, जिससे कि उस क्षेत्र के किसी भी अव्यवस्थित विकास को रोका जा सके, योजना बोर्ड के गठन का और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

श्री वड्डे सोभानाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किये विधेयक के उद्देश्य और कारणों से मैं सहमत हूं। लेकिन मैं यह अनुभव करता हूं कि प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों में कुछ परिवर्तन करना अत्यन्त आवश्यक है।

सर्वप्रथम यह बोर्ड एक समिति का गठन करेगा। अर्थात् योजना समिति बोर्ड के काम में सहायता प्रदान करेगी। समिति के सदस्यों में अधिकारीगण भी हैं। अर्थात् बोर्ड का सदस्य-सचिव, भारत सरकार का संयुक्त-सचिव, प्रत्येक राज्य में शहरी विकास का प्रभारी सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, नगरीय तथा ग्रामीण........आयोजना संगठन, नई दिल्ली का मुख्य नियोजक और संबंधित प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य का मुख्य नगर नियोजक है। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस समिति में एक गैर-सरकारी सदस्य भी शामिल कर लें जो जनता का प्रतिनिधि अथवा ऐसा नागरिक हो जो निष्ठा, ईमानदारी और विकास के लिये विख्यात हो। ऐसा न किया गया तो प्रजातांत्रिक मूल्य और धारणाएं स्पष्ट रूप से अर्थहीन बन जाएंगी। इसमें सब अधिकारी उच्च स्तर वाले हैं और उनके पास जनता की बात को धैर्यपूर्वक सुनने के लिये अधिक समय नहीं होगा। लोगों को अपने विचार व्यक्त करने और सुझाव देने का अवसर मिलना चाहिए। वास्तव में सरकार लोक प्रतिनिधियों को पंचायत समितियों और जिला परिषदों में अध्यक्ष बनाने का अवसर प्रदान करती है और विकास सम्बन्धी कामों में उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस प्रकार इस योजना समिति में, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, प्रत्येक राज्य से एक सदस्य, एक गैर-सरकारी सदस्य सम्मिलित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, खंड 12 में जो कुछ कहा गया है, अर्थात् "किसी क्षेत्रीय योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व ...." उसके अतिरिक्त, इसका हजारों लोगों के लाभ के लिए, उस क्षेत्र में रहने वाले अथवा उस क्षेत्र से संबंध रखने वाले जिम्मेदार लोगों के लाभ के लिए, अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समन्वित और विनियमित विकास में, जो कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए समाचार-पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए ताकि उन्हें इस समिति के बारे में पता लग जाए। अतः सभी समझदार और जिम्मेदार लोगों को समाचार-पत्रों के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने विचार प्रकट कर सकें और सुझाव दे सकें।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे लोगों को एक अवसर दें।

सभापति महोदय, खंड 33 में एक और विषय के बारे में कहा गया है।

> "........कोई व्यक्ति, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशेषतया प्राधिकृत किया गया है, किसी भूमि या परिसर में सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकेगा और वहां ऐसी बातें कर सकेगा, जो किन्हीं सकर्मों को विधिपूर्वक करने के प्रयोजन के लिए या कोई सर्वेक्षण, परीक्षण या अन्वेषण, जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा किसी शक्ति के प्रयोग या किसी कृत्य के पालन में प्रारम्भिक या उससे अनुषंगिक है, करने के लिए आवश्यक हो:"

इसके नीचे एक और वाक्य है जो कहता है;

"परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति किसी भवन में या निवासगृह से संलग्न किसी बन्द अहाते या उद्यान में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक उसने प्रवेश करने के अपने आशय की उसके अधिभोगी को कम से कम तीन दिन की लिखित सूचना न दे दी हो।"

इसमें भवन और अहाते को लिया गया है। परन्तु खाली पड़ी कृषि भूमि के बारे में क्या है इस बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति आकर सीधा यह कहता है कि उसने इस भूमि का कब्जा ले लिया है। अत: यह उचित नहीं है। एक किसान, एक अनपढ़ व्यक्ति एक ग्रामीण को भी अपनी शिकायत कहने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि सरकार को भूमि के मालिक को भी तीन दिन का नोटिस देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन करने हेतु इस विधेयक को प्रवर समिति के पास विचारार्थ भेजें और बाद में इस विधेयक को पुन: सभा के समक्ष लाएं। बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, नेशनल केपिटल रीजन प्लैनिंग बोर्ड बिल, 1985 का मैं समर्थन करता हूं। इस बिल को लाने के जो आब्जैक्ट्स बताये हैं उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं। मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि हमारे राजस्थान में आपने केवल अलवर में इसको स्थापित किया है, इसकी बजाए और भी जो पास का इलाका जो कि दिल्ली के पास पड़ता है जैसे भरतपुर का इलाका है, उस इलाके को भी इसमें शामिल कर लिया जायेगा तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का बहुत विकास होगा। इस प्रकार का सुझाव हमारी राज्य सरकार ने भारत सरकार के सामने रखा था।

राजस्थान एक बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त है, यहां पर इंडस्ट्री और दूसरी चीजों की बहुत कमी है। अगर दिल्ली की इस बड़ी कैपिटल से उसको जोड़ दिया जायेगा तो वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र काफी तरक्की करेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो व्यवस्था की गई है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। बहुत वर्षों से हम सुन रहे थे कि इस प्रकार की व्यवस्था यहां की जा रही है लेकिन सन् 50, 60 के आस पास इस बोर्ड को बनाने की बात हुई थी और उसके बाद आज सन् 85 में बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में भारत सरकार यह बिल यहां प्रस्तुत कर के पास कर रही है। इस काम में बहुत बड़ी देरी हुई है और उस से दिल्ली को बहुत बड़ा नुक्सान हुआ है। यहां के पर्यावरण को खराब करने में यहां जो इतनी सारी इंडस्ट्रीज लगी हैं उन्होंने उसमें बहुत सहयोग दिया है। 60–65 लाख की आबादी यहां पर हो गई है। दिल्ली की इस आबादी को पर्यावरण के खराब होने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। ये जितनी इंडस्ट्रीज हैं इनको दिल्ली की एरिया से बाहर निकाल कर ले जाना चाहिए ताकि यहां

की आबादी को अच्छी आबोहवा मिल सके और उससे उनकी तन्दरुस्ती किसी प्रकार से खराब न हो। इसके अलावा इसकी बढ़ोतरी में भी प्लानिंग होनी चाहिए। जितनी आबादी यहां बढ़ेगी उसके लिए पानी की, बिजली की, सड़कों की और जितने दूसरे प्रकार के डेवलपमेंट के काम हैं उनकी सबकी बहुत आवश्यकता होगी। इसलिए जब तक पूरे तरीके से प्लानिंग करके इस व्यवस्था को नहीं बनाया जाएगा तब तक अगर हैपहैजर्ड वे में यह शहर बढ़ता जाता है तो उससे बहुत बड़ा नुकसान दिल्ली को हो सकता है। इसलिए इस व्यवस्था को और भी अच्छी तरह से बनाना चाहिए।

इसके अलावा जो सरकार की मन्शा है कि जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, मैट्रोपोलिटन सिटीज हैं जिनकी ग्राबादी 60-65 लाख के ऊपर हो चुकी है उन सिटीज में कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। अगर कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री वहां पर लगती है तो वहां का वायुमंडल खराब होता है और वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए देश में जितनी भी मैट्रोपोलिटन सिटीज हैं जिनमें बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वहां बहुत अधिक पौल्यूशन हो रहा है। अगर इन सब को वहां से निकालने की व्यवस्था की जाये तो उसमें बहुत बड़ी कठिनाई होगी। लेकिन अगर आज नहीं भी निकालें तो भी फ्यूचर का जो डेवलपमेंट है, भविष्य में जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज वहां पर लगाना चाहते हैं उनके ऊपर भी अगर रोक लगा दी जाए तो इसका भी बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। इस तरीके की व्यवस्था निश्चित तरीके से की जानी चाहिए।

इसका मास्टर प्लान भी बहुत सही तरीके से बनाना चाहिए न कि हैपहैजर्ड वे में उसे बनाया जाए, जिससे कि भविष्य में जो बढ़ोत्तरी हो उसको किसी प्रकार का नुकसान न हो। अगर हैपहैजर्ड वे में बनाया जाता है तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहां पर पूरे तरीके से डेफीनेट ऐसी एरिया निर्धारित होनी चाहिए जिसमें कि आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर जहां बनाना चाहते हैं या जहां लोगों को बसाना चाहते हैं, लोगों को रहने के लिए कालोनीज बनाना चाहते हैं, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर प्लाट वगैरह दे कर उनके लिए मकान बनाने की व्यवस्था करना चाहते हैं, इस सब की व्यवस्था निश्चित तौर पर आप के प्लान में की जानी चाहिए।

दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके पास रहने के लिए मकान की बड़ी कमी है और सब शहरों में यह प्राबलम है, अकेले दिल्ली में ही नहीं। इसी कारण सभी शहरों में स्लम्स क्रियेट होते हैं कि वहां पर उनके बसने के लिए जमीन नहीं है, मकान बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए लोग गन्दे नालों के ऊपर आ जा कर स्लम्स बना लेते हैं जिस से बहुत बड़ा नुकसान उनके हैल्थ को होता है और सरकार भी उनके लिए कोई सहूलियत नहीं कर सकती। इसलिए अगर अभी से यह सारा काम प्लान्ड तरीके से करेंगे तो उससे लोगों को प्लाट मिलने में सहूलियत होगी। आज इस की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लोग मकान बनाना चाहते हैं। आप जमीन दे नहीं पाते हैं। आपका जो डी०डी०ए० यहां पर काम करता है उसके पास जितनी जगह होती है, वह किसानों से बहुत सस्ते में ले लेते हैं और उसके बाद प्लाट

काट-काट कर एक हजार गुने से भी ज्यादा फायदा उस पर कमाते हैं। दस हजार या बीस हजार बीघे जमीन ले ली जाती है और फिर उसमें दो-दो सौ, ढाई-ढाई सौ गज के प्लाट काट कर एक-एक प्लाट के दो-दो, ढाई-ढाई लाख रुपये डी०डी०ए० वसूल करता है। इतना प्राफिटेबल बिजनैस वह करता है, इसके बाद भी लोगों को प्लाट मिलते नहीं हैं जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग तकलीफ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग नाजायज तरीके से कांस्ट्रक्शन करते हैं और नाजायज तरीके से जमीन खरीद कर अपने आप इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। यह सारा गलत कार्यक्रम जो चल रहा है वह इसी कारण चल रहा है कि सरकार उनके लिए जमीन की व्यवस्था करने में अपने को असमर्थ पा रही है। सरकार अगर इस सारे कामकाज को ठीक प्रकार से बरते तो उससे सारे लोगों को फायदा होगा और लाखों लोगों को यहां बसने के लिए, मकान बनाने के लिए बहुत बड़ी सहूलियत मिल जाएगी। और लोगों को बसने के लिए मकान बनाने की सहूलियत मिल जाएगी। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके।

अभी हमारे तेलुगू-देशम के भाई बोल रहे थे तो उन्होंने क्लाज (33) का जिक्र किया और कहा कि एक नोटिस देने के बाद किसी के मकान पर कब्जा किया जा सकता है या उसको बेदखल किया जा सकता है।

[अनुवाद]

"कोई व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा इस निमित साधारणतया या विशेषतया प्राधिकृत किया गया है, किसी भूमि या परिसर में सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकेगा और वहां ऐसी बातें कर सकेगा, जो किन्हीं सकर्मों को विधिपूर्वक करने के प्रयोजन के लिए या कोई सर्वेक्षण परीक्षण या अन्वेषण जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा किसी शक्ति के प्रयोग या किसी कृत्य के पालन में प्रारम्भिक या उससे आनुषंगिक है, करने के लिए आवश्यक हो।"

"परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति किसी भवन में या निवास गृह से संलग्न किसी बन्द अहाते या उद्यान में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक उसने प्रवेश करने के अपने आशय की उसके अधिभोगी को कम से कम तीन दिन की लिखित सूचना न दे दी हो।"

[हिन्दी]

इसमें प्रावधान किया गया है कि अधिकारियों को प्रवेश करने का अधिकार होगा लेकिन इसमें प्राविजो भी है कि किसी ड्वैलिंग हाउस में एन्टर करने के लिए उन्हें पहले तीन दिन का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही घुस सकते हैं। तो इस व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई खराबी नजर नहीं आती है जिसके बारे में उन्होंने कहा कि हाईहैंडेडनेस हो जाएगी।

एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा एरिया आप ले रहे हैं, यू०पी० का इलाका ले रहे हैं, राजस्थान का इलाका ले रहे हैं, और हरियाणा का इलाका ले रहे हैं और उसको

लेकर नेशनल कैपिटल रीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इतने बड़े एरिया में बहुत सी बस्तियां बनी हुई हैं, बहुत से लोगों ने अपने मकान बनाए हुए हैं और आप जो प्लान बनायेंगे उसमें कहीं पर इण्डस्ट्रियल एरिया होगा, कहीं पर कालोनीज होंगी, कहीं पर आप सड़कें बनायेंगे, कहीं पर पार्क बनायेंगे, कहीं पर स्कूल बनायेंगे और कहीं पर अस्पताल या दूसरी चीजें बनायेंगे लेकिन उन स्थानों पर जो पहले से बस्तियां बसी हुई हैं उनकी सुरक्षा या रख-रखाव आप किस प्रकार से करेंगे, उनको किस तरह से और कितना कम्पेंसेशन देंगे—उसके संबंध में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं जानना चाहूंगा इस बारे में आपने कोई कंसिड्रेशन किया है कि किस प्रकार से उनको संतोषजनक कम्पेंसेशन मिल सकेगा? उनको बना बनाया मकान मिल सकेगा या मकान बनाने के लिए जमीन मिलेगी या किस प्रकार से उनको उचित कम्पेंसेशन मिल सकेगा—इस संबंध में सारे प्रावधान होने नितान्त आवश्यक हैं। मुझे तो इस बिल में इस संबंध में कोई भी प्रावधान दिखाई नहीं दिया है जिससे कि उन लोगों को कोई मदद मिल सके। इस लिए इस संबंध में भी आपको ध्यान देने की नितान्त आवश्यकता है।

यह काम जो आप ले रहे हैं यह जाइगेंटिक काम है। इसमें स्टेट गवर्नमेन्ट्स के इलाके आ रहे हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन उन राज्य सरकारों के पास ही रहेगा फिर इस योजना को इंप्लीमेन्ट करने में किस प्रकार से आप उनका कोआपरेशन लेंगे, इसके इंप्लीमेन्टेशन में राज्य सरकार के अधिकारी आपकी मदद करेंगे या आपके अधिकारी ही सारा काम चलायेंगे— यह साफ नहीं है।

कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे भारत सरकार और राजस्थान के अधिकारियों में आपस में को-आर्डिनेशन हो सके, जिससे कैपिटल की प्लानिंग के संबंध में विशेष तौर से काम हो सके। इस प्रकार का कोई प्रावधान है या नहीं? यदि नहीं है, तो आपको इस संबंध में कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेन्ट के अधिकारी जो प्लानिंग में काम करते हैं, डवेलपमेंट में काम करते हैं। उन सारे अधिकारियों को इससे लाभ मिल सके, इस संबंध में आपने क्या व्यवस्था की है? ऐसे बहुत से काम हैं, जिनमें भारत सरकार पैसा देती है और स्टेट गवर्नमेन्ट उसको इम्पलीमेन्ट करती हैं, जैसे कि नेशनल हाई-वे के निर्माण का काम है। मैं यह महसूस करता हूं कि नेशनल कैपिटल रीजन्स की प्लानिंग के संबंध में जो भी कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को केवल भारत सरकार ठीक प्रकार से इम्पलीमेन्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन कार्यक्रमों को आप ठीक तरह से इम्पलीमेन्ट करें। यदि मैं कुछ कहूंगा तो काश्मीर के भाई एतराज करना शुरू कर देंगे। जब देखो वे कोई न कोई स्टैचूटरी रिजोल्यूशन ले आते हैं। दिल्ली को खास तौर से इसका फायदा मिलेगा। दिल्ली के आस पास जो बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्री हैं, जिससे पोल्यूशन फैल रहा है, इस समस्या को सोल्व करने के लिए दिल्ली को बहुत बड़ा फायदा होगा। दिल्ली में सलम्स जितने हैं, वे उठेंगे, उन लोगों को जमीनें मिलेंगी और मकान बनेंगे। सभी प्रकार की व्यवस्था होगी। प्रोफैसर साहब यह पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है, यह दिमाग का काम है, थोड़ा सोच समझकर बात किया कीजिए। केवल विरोध करने से और स्टैचूटरी रिजोल्यूशन्स लाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप हर बात में स्टैचूटरी रिजोल्यूशन्स ले आते हैं और भारत सरकार किस उद्देश्य से कोई बिल ला रही है, उसको आप नहीं समझते हैं। प्रोफैसर साहब आप एजूकेशनिस्ट हैं, अंगूठा-छाप तो हैं नहीं, लेकिन मैं

आपकी बुद्धि पर तरस खाता हूं, आपको ज्यादा से ज्यादा डवेलपमेंट का ख्याल होना चाहिए। दिल्ली में आप साल में नौ महीने रहते हैं, इस लिए आपका कर्तव्य हो जाता है कि दिल्ली के लिए आप कुछ सोचें और दिल्ली के डवेलपमेंट में पूरा सहयोग दें यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुधीर राय (बर्द्धवान): सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार के इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विधेयक का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं। योजना और तीव्र औद्योगिकीकरण के इस युग में स्वेच्छा तथा निजी उद्यम पर कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता।

मैं इस संबंध में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सर्वप्रथम, राज्यों से सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप राज्य सरकारों को उपदेश देते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। राज्य सरकारों से प्राय: अपनी परियोजनाएं चलाने और उन्हें समय पर पूरा करने के बारे में ही कहा जाता है। केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों को उदार वित्तीय सहायता देने के लिए आगे आना चाहिए। देखा जाता है कि दिल्ली में विद्युत, सड़कें, विद्यालय, पेय जल की सुविधा आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं लगभग पर्याप्त हैं। परन्तु यदि हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो ये बुनियादी सुविधाएं उन 18 निकटवर्ती कस्बों में, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना में सम्मिलित किया गया है, उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को लागू करते समय राज्य सरकारों के अधिकारों को खत्म नहीं करना चाहिए। प्राय: हम यह देखते हैं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्राधिकार की उपेक्षा करती है। सफल कार्यान्वयन के लिए यदि इस योजना में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

जब कभी किसी क्षेत्र का विकास किया जाता है तब निम्न आय वर्ग और कमजोर वर्ग के लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। भूमि की कीमतें बढ़ने लगती हैं। कालेधन वाले इसका लाभ उठाते हैं। अत: आवश्यकता इस बात की है कि निम्न आय वर्ग और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने पर बल दिया जाए क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिकीकरण तीव्र गति से हो रहा है।

फरीदाबाद और गाजियाबाद का काफी सीमा तक उद्योगीकरण हो चुका है। किन्तु वहां आवासीय सुविधाओं का अभाव है। इसलिए श्रमिक वर्ग के लाभ के लिए मकानों के निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए केवल यही नहीं, जब भी हम ऐसे क्षेत्रों का विकास करते हैं, दिल्ली में वर्तमान आधार भूत सुविधाएं जैसे सड़के, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल, पेय जल आपूर्ति उत्तर प्रदेश, राजस्थान और और हरियाणा जैसे आस पास के राज्यों में भी उपलब्ध की जानी चाहिए। जब तक आप ऐसे क्षेत्रों का विकास नहीं करगे जिनमें लोगों को आकर्षित किया जा सके, राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र एक दिन गन्दी बस्ती बन कर रह जाएगा । जब तक आप राज्यों की राजधानियों को विकसित करने के लिये कुछ और धनराशि व्यय नहीं करेंगे, राष्ट्र की राजधानी में श्रमिकों का आना नहीं रुकेगा । यह स्वाभाविक बात है कि देश के सभी भागों से लोग रोजगार के लिए तथा अपनी आजीविका के लिये दिल्ली आते रहेंगे। अत: उनके आने को रोकने के लिए राज्यों की राजधानियों के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए यह देखा गया है कि राज्य सरकारों की मांगों की प्राय: उपेक्षा कर दी जाती है । जब एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, कलकत्ता के लोग चाहते थे कि फुटबाल का खेल कलकत्ता में रखा जाए क्योंकि वहां के लोग फुटबाल खेल देखने के बड़े शौकीन हैं । किन्तु हमारा अनुरोध नहीं माना गया । यदि उसे मान लिया जाता तो कलकत्ता में कुछ और स्टेडियम बन जाते, कुछ और सड़कें तथा नई इमारतें बन जाती ।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए योजना बोर्ड के गठन की व्यवस्था करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं । एक शहर तथा राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली को महत्व देना अतिशयोक्ति नहीं होगा । दिल्ली शहर का विकास तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास की प्रस्तावित योजना को समूचे राष्ट्र को दृष्टि में रख कर देखा जाना चाहिए । दिल्ली में हर वर्ष जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है । हमें यह देखना है कि हमारी योजनाएं बनाने वाले भविष्य के सम्बध में दूरदर्शी सिद्ध हुए हैं अथवा असफल । अब हमारे पास एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है । सरकार ने एक बहुत बड़ा कार्य आरम्भ करने का निर्णय किया है। मेरे माननीय सहयोगी श्री व्यास ने अभी कहा है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के आस-पास के पांच राज्यों के महत्वपूर्ण क्षेत्र चुने जायेंगे और योजना बनाने वालों को विकास के लिए सौंपे जाएंगे ।

हमने समुचे देश के सम्बन्ध में जो अनुभव प्राप्त किया है उससे आज हम देखते हैं कि हमारे योजना बनाने वालों में कुछ शहरों में पर्याप्त दूरदर्शिता का अभाव या दस, बीस, तीस वर्ष बीत जाने के बाद हम यह अनुभव करते हैं कि योजना को किसी और प्रकार से बनाया जाना चाहिए था और इस ढंग से नहीं बनाया जाना चाहिए था जैसे बनाई गई है । प्रस्तावित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना केवल सहभागी राज्यों के लाभ के लिए नहीं बनाई जानी चाहिये जैसा कि विधेयक में बताया गया है । जैसा कि मैंने अभी कहा है, जब हम योजना बनाते हैं हमें इसे राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुसार बनाना चाहिए ताकि हमें बाद में पछताना न पड़े । चूंकि अगामी वर्षों में इस सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर विकास होगा, मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि मैं केवल सहभागी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए बल्कि इस योजना को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के लिये दूसरे राज्यों को भी इसमें प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए । इसमें जो प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, उसका स्वरूप राजनीतिक नहीं होना चाहिए, इसे केवल विशेषज्ञ आधार पर दिया जाना चाहिए क्योंकि शहरी आयोजना राजनीतिक प्रभाव आदि से मुक्त होनी चाहिए । इस सम्बध में हमें न केवल अपने विशेषज्ञों से, बल्कि आवश्यक हो तो विदेशी विशेषज्ञों से भी सहायता लेनी चाहिए । मेरे कहने का यह अभिप्राय कदापि नहीं कि विदेशी वस्तु हमेंशा अच्छी होती है, मैं यह कह रहा हूं कि हमें अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाना चाहिए तथा अन्य देशों से ऐसे लोगों को आमन्त्रित करें जिन्होंने अपने देशों में इस प्रकार का कार्य किया हो ताकि इस प्रस्तावित योजना से समूचे देश को लाभ मिले ।

जैसाकि मैंने अपने भाषण में आरम्भ में ही उल्लेख किया था, दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। अतः जो भी यहां आए, चाहे वह दक्षिण से आए अथवा पश्चिम से अथवा उत्तर-दक्षिण से आए अथवा उत्तर-पूर्व से, उसे इस बात की अनुभूति हो कि दिल्ली प्रत्येक भारतीय के घर जैसा है। इस राजधानी में एक ऐसा राष्ट्रीय वातावरण बनाया जाये कि वह राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और सद्भावना के अनुकूल हो। अतः जब हम किसी शहर का निर्माण करते हैं और विशेष रूप से जब एक नये क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, तो इस सम्बंध में योजनाएं ऐसी बनाई जानी चाहिए कि इससे न केवल उस क्षेत्र की औद्योगिक, रोजगार तथा विकास सम्बंधी मांग बल्कि देश के विभिन्न भागों में मौजूद विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर राष्ट्रीय मांगें भी पूरी हो सकें। अतः मेरा यह सुझाव है कि जब हम इस क्षेत्र का विकास करें तो सरकार को विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को कतिपय क्षेत्र आवंटित करने पर विचार करना चाहिए और उन्हें इसके निर्माण में योगदान देने के लिए आमन्त्रित किया जाना चाहिए। इस नई राजधानी में पृथक-पृथक क्षेत्र विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिये जाएं जिन्हें वे अपनी आवश्यकतानुसार अपने क्षेत्रों अथवा बस्तियों के रूप में विकसित करें इससे राष्ट्रीय सद्भावना और अखण्डता के सम्बन्ध में अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस राष्ट्रीय राजधानी के लिए आयोजना बोर्ड की स्थापना राजनीतिक तथा नौकरशाही दृष्टिकोण से प्रेरित लगती है। शहरी आयोजना में तकनीकी विशेषज्ञता का अपेक्षाकृत अधिक महत्व है और हमें इस सम्बध में अन्य देशों से अभी काफी कुछ सीखना है। मैंन पहले भी कहा है कि विदेशी वस्तु को हमेशा अच्छा नहीं माना जाना चाहिए, किन्तु हमें यह तो स्वीकार करना होगा कि हमें अन्य देशों से विशेष रूप से विकसित देशों से अभी काफी कुछ सीखना है। हम उनके विशेषज्ञों को आमन्त्रित कर उनके सुझावों से लाभ उठा सकते हैं। केवल तभी यह प्रस्ताव न केवल इस क्षेत्र, अपितु समूचे देश के लिये लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इन सुझावों पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति महोदय, मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं लेकिन सपोर्ट करते हुए कुछ बातों की ओर मैं आपका और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इस बिल की जो मंशा है और जिस तरह से दिल्ली पर बोझ बढ़ रहा है, अगर यही सिलसिला रहा तो एक नहीं, अनेकों प्लानिंग करके भी हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अपने देश की राजधानी का विकास हो, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन हमारे देश का संतुलित विकास हो, यह भी जरूरी है।

दिल्ली के प्रति केवल यही आकर्षण नहीं है कि यह हमारे देश की राजधानी है। हमारे देश में जो दूसरे क्षेत्र हैं, दूसरे राज्य है अगर हम उनमें विकास की गति को देखें तो वह गति बहुत ही धीमी है। जहां हम दिल्ली के विकास की बात करें तो उन क्षत्रों के विकास की जो समस्याएं हैं, रोजी-रोटी की जो समस्याएं हैं और दूसरी जो सुविधाएं एक व्यक्ति चाहता है, उनके

ऊपर अगर गौर किया जाए तो हम पाएंगे कि वे बहुत दयनीय है। आप राजधानी के अलावा अगर और भी इलाकों को देखेंगे, जिला हैड-क्वार्टर को देखेंगे, सब-डिविजनल हैडक्वार्टर को देखेंगे, गांवों की बात को छोड़ दीजिए, तो उनमें यह हालत और भी दयनीय पायेंगे।

मैं जिस राज्य बिहार से आता हूं उस राज्य की राजधानी की अवस्था पूरे देश की राजधानियों से गई बीती है। हम आज जिस बिल पर चर्चा कर रहे हैं और जिस बिल का सचालन गफूर साहब कर रहे हैं, वे भी इस बात को जानते हैं क्योंकि वे भी बिहार से आते हैं और वे बिहार के मुख्य मंत्री भी रहे हैं। बिहार की राजधानी को और अन्य राज्यों की राजधानियों को देख कर वहां की अवस्था का अन्तर स्पष्ट हो जाता है।

2.00 म०प०

इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी आज वहां जिस तरह से अनएम्प्लायमेंट की समस्या है और दूसरी समस्याएं हैं विकास की, उनका बयान नहीं किया जा सकता। दिल्ली में यू०पी० और बिहार से काफी लोग आते हैं। वैंसे तो देश के कोने-कोने से आते हैं और उनके आने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो स्थिति क्या होगी। इसलिए इस गति को रोकने की आवश्यकता है। इसको रोकने के लिए उन इलाकों का विकास किया जाए। जब तक उन इलाकों का विकास नहीं होगा तब तक दिल्ली की तरफ लोगों का आकर्षण बना रहेगा। इस बिल के अंतर्गत दिल्ली के अगल-बगल के इलाकों को बड़े पैमाने पर लिए जाने की बात की जा रही है, यहां पर इंडस्ट्रीज और दूसरी चीजों का विकास होगा तो जाहिर बात है कि लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए यहां आएंगे। यहां आने पर ही उनकी रोजी-रोटी की समस्या का समाधान होगा।

मुझे केवल इसमें इतना ही कहना था। विषय था इसलिए चर्चा हो गई, लेकिन इसमें इस बात का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए नहीं तो इस तरह की कई योजनाएं बनाकर भी जो हम चाहते हैं वह नहीं हो सकेगा। आज एक योजना बन रही है और उसके लिए बिल लाए हैं, कुछ दिनों के बाद फिर बिल लाना पड़ेगा। अगर और इलाकों का विकास नहीं हुआ, अन्य इलाके पिछड़े हुए रहे तो जाहिर बात है कि वहां से बड़े पैमाने पर लोग भागेंगे और इस इलाके की तरफ आएंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, निर्माण और आवास मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड विधेयक, 1985 का मैं समर्थन करता हूं। महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें एक से अधिक राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, के समन्वित विकास के लिए यह योजना है। महोदय, 19 अक्तूबर, 1984 को अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था क्योंकि उससे पहले 27 अगस्त, 1984 को प्रस्तुत किया गया विधेयक उस संसद् का सत्र न होने के कारण व्यपगत हो गया था। अतः दिल्ली में मुनाफाखोर तत्वों द्वारा भूमि के दुरुपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया गया है और इस विधेयक में अनेक समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड के गठन की व्यवस्था की जा रही है जो बहुत सी समस्याओं को देखेगा।

महोदय, दिल्ली केवल भारत की राजधानी ही नहीं अपितु साहित्यिक भाषा में कहें तो यह पड़ोसी क्षेत्रों का आकर्षण बिन्दु बना हुआ है। समूचे विश्व से तथा सभी राज्यों से लोग दिल्ली में न केवल प्रशासनिक अथवा राजनीतिक उद्देश्यों से अपितु यहां रहने की इच्छा से प्रेरित हो कर आते हैं। महोदय, यही कारण है कि भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से दिल्ली के आकार तथा जनसंख्या में कई गुणा वृद्धि हो गई है। किन्तु महोदय, तार आंदोलन के इतिहास में उल्लिखित उन दिनों का मुझे स्मरण है जब एक ऐसा समय था कि दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना सम्भव नहीं थी क्योंकि टेलीफोन के लिये आवेदन करने वाले लोग आवश्यक संख्या में नहीं थे। यह 1911 अथवा 1911 से भी पहले की बात है जब दिल्ली भारत की राजधानी नहीं थी। आज हमारे लाखों टेलीफोन उपयोग कर्त्ता है, अनेक टेलीफोन केन्द्र हैं तथा मांग सैकड़ों गुणा बढ़ती जा रही है और यहां तक कि ओ०वाई०टी की तरह विभिन्न वर्गों के अधीन गुणात्मक होती जा रही है। अतः दिल्ली बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। विभिन्न राज्यों से आकर लोग यहां बसना चाहते हैं जिसका कारण हैं दिल्ली की वे अनेक आकर्षक सुविधाएं जो दिल्ली प्रदान करती है। हम जो कुछ यहां संसद् में करते हैं, उसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन भी गतिविधियों का केन्द्र हैं। इसका एक प्राचीन ऐतिहासिक वातावरण है, जो लोगों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करता है और कुछ समय पहले तक, इसकी वृद्धि अव्यवस्थित ढंग से हुई है। अनुमानतः यह प्राक्कलन किया गया है कि लगभग 5 लाख लोग दिल्ली में आते हैं और वे फिर कभी वापिस नहीं जाना चाहते हैं। जिसके परिणामस्वरूप इसके चारों ओर गन्दी-बस्तियां और अविकसित कालोनियां फैली पड़ी हैं। दिल्ली के बाहर भी उपनगर बस गये हैं। यदि आप सोनीपत या फरीदाबाद अथवा मेरठ को जाती रेलगाड़ियों को देखें तो आप सभी में भारी भीड़ पायेंगे। अतः यह एक स्वागत योग्य कदम है कि केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने और विकसित करने का विचार किया है। यह दिल्ली के छोर तक ही सीमित नहीं है। इसके दायरे में चार जिले और हरियाणा की दो तहसीलें भी हैं, उत्तर-प्रदेश के कुछ जिले और राजस्थान की कुछ तहसीलें।

एक योजना बोर्ड प्रदान किया जा रहा है, जो कि सांविधिक बोर्ड होगा, जबकि इससे पहले का बोर्ड केवल सलाहकार बोर्ड था, जो कि अधिक काम नहीं कर सका। अतः, ऐसी आशा की जाती है कि विभिन्न भूमि उपयोगों का उचित सामंजस्य, समन्वय आदि किया जाएगा।

हम दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई एक योजना "2001 ई० में दिल्ली" को पहले ही देख चुके हैं। उस समय दिल्ली की आवश्यकताओं का विचारण करके विभिन्न योजनाएं तैयार की गई हैं तथा सातवीं योजना और बाद की पंचवर्षीय योजनाएं केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई हैं। हम आशा करते हैं कि इन योजनाओं को लागू करने के बाद दिल्ली सुन्दर रूप धारण कर लेगी।

मैं अपने मित्र मनीपुर के श्री टोम्बी सिंह के कथन का समर्थन करता हूं जो कि मेरे से पहले बोले हैं, कि दिल्ली केवल पड़ोसी राज्यों की ही चिन्ता का विषय नहीं है। वास्तव में, दिल्ली की जनसंख्या, यदि उसका विश्लेषण भाषाई गुटों के आधार पर किया जाए तो, इन पड़ोसी राज्यों से अधिक जनसंख्या तो अन्य राज्यों की होगी। इन पड़ोसी राज्यों का लाभ यह है कि

लोग सुबह दिल्ली आते हैं और रात को वापिस चले जाते हैं, जबकि हिमाचल से आने वाले लोग या मनीपुर, बिहार या पश्चिम-बंगाल अथवा दक्षिणी राज्यों के लोग दिल्ली में बसना चाहेंगे। वे अपने राज्यों को वापिस जाना नहीं चाहेंगे। निश्चय ही, मुझे योजना बोर्ड की सदस्यता को केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली और पड़ोसी राज्य हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित करने में औचित्य दिखाई नहीं देता और मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अपने दायरे में, मुख्य तत्व के रूप में केन्द्रीय शासित प्रदेश दिल्ली के दिल्ली और नई दिल्ली नगरों को समेटे हुए है जो कि बाहर से यहां आकर बसने वालों के लिए आकर्षण का कारण हैं तो, अन्य राज्यों की बोर्ड में कुछ आवाज होनी चाहिए।

जैसी कि आज स्थिति है, मेरे स्वयं अपने राज्य हिमाचल प्रदेश के यहां एक लाख से भी अधिक लोग बसे हुए हैं। मेरे राज्य हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 44 लाख है। इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग 3 प्रतिशत हिमाचली दिल्ली में बसे हुए हैं। पंजाब की भी यही स्थिति हो सकती है। मेरे विचार से पंजाब के मामले में, यह 5 से 10 प्रतिशत से भी अधिक होगा। विभाजन के बाद बहुत से पंजाबी यहां आकर बस गए हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम-बंगाल और दक्षिणी राज्यों जैसे अन्य राज्यों के लोग भी यहां बसे हुए हैं। यदि आप दिल्ली को भारत का सूक्ष्म रूप बनाना चाहते हैं या यदि आप दिल्ली को वास्तव में ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाना चाहते हैं तो, आपको इस बोर्ड में न केवल हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मुख्य-मन्त्रियों तथा दिल्ली के उप-राज्यपाल को इस बोर्ड में लेना चाहिए, अपितु अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी लेना चाहिए।

मुझे उस योजना समिति का भी कम औचित्य दिखाई देता है जो कि बोर्ड के सदस्य-सचिव की अध्यक्षता वाले बोर्ड को सलाह देने के लिए बनाई जा रही है। कार्यशील व्यवस्था के रूप में तो यह ठीक है। परन्तु मैं यह नहीं जानता कि क्या इसका सही अनुभव हो सकेगा या अनुभव से शिक्षा ली जा सकेगी। हमारी जनसंख्या के विभिन्न उप-क्षेत्रों से मिलकर बनी इस योजना समिति द्वारा क्या सही सुझाव आमन्त्रित किए जाएंगे या स्वीकार किए जाएंगे अथवा निकाले जाएंगे, यह मेरी समझ से बाहर की बात है। अतः, इस योजना समिति का आधार भी व्यापक होना चाहिए।

केवल मुख्य-मन्त्रियों या योजना समिति के विभिन्न अधिकारियों को मनोनीत करने का क्या औचित्य है? निस्सन्देह, उसमें विशेषज्ञ भी हैं, परन्तु विशेषज्ञों की अपनी सीमाएं भी होती है। सर्वोत्तम विशेषज्ञता और अनुभव एवं मेधा वाले विशेषज्ञों और अधिकारियों में कुछ कमियां भी होती हैं।

2.10 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जैसे कि जन-प्रतिनिधि जनता के सम्पर्क में रहते हैं वे नहीं रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि केन्द्रीय शासित प्रदेश दिल्ली को प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु दिल्ली के किसी सांसद

को इसका सदस्य क्यों न बनाया जाए । दिल्ली की जनता द्वारा चुने गये संसद सदस्य जो कि जनता का प्रतिनिधि है, दिल्ली का उप-राज्यपाल अधिक योग्य किस प्रकार हुआ ? मैं बोर्ड या योजना समिति को और अधिक प्रतिनिधित्व स्वरूप देने की वकालत करता हूं और इसको इस भावना से राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाए कि यद्यपि पड़ोसी राज्य उसमें हैं, परन्तु उनका महत्व इसलिए है, क्योंकि उनको इसके लिए विधान की शुरूआत करनी है । उन्हें आवश्यक मशीनरी प्रदान करनी होगी और उन्हें अपनें राज्यों में भी इसकी समितियां बनानी होंगी । परन्तु वह तो एक पहलू है । जो लोग दिल्ली आते हैं उनकी आकांक्षाएं उन लोगों से अधिक है जो कि यहां दिखाई सीमाओं या चार दीवारी में रहते हैं । अत:, मैं भी इसकी वकालत करूंगा कि एक ऐसा तन्त्र विकसित किया जाए जो यह देखे कि विभिन्न राज्यों के लोग, भारतीय समाज के विभिन्न खण्डों के प्रतिनिधि योजना में और समन्वय में सम्मिलित हो जो कि इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है ।

मैंने उद्देश्यों और कारणों के कथन में कही गई कुछ बातों का अध्ययन किया है । उद्देश्य संख्या 3 में यह कहा गया है :

> ". . . . .और ग्यारह अन्य सदस्य, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के साथ परामर्श करके नामनिर्दिष्ट करेगी । अध्यादेश के द्वारा योजना बोर्ड को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार करने, परिशोधन करने, संशोधन करने तथा समीक्षा करने एवं भाग लेने वाले राज्यों और संघराज्य क्षेत्र दिल्ली के समुचित मार्गदर्शन के लिए कृत्यकारी योजना तैयार करने की शक्ति दी गई थी जबकि भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को उप-क्षेत्रीय योजनाएं और परियोजनाएं तैयार करने की शक्ति दी गई थी ।"

यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप राज्यों की कुछ शक्तियों का अधिलंघन कर रहे हैं । जब हम राज्यों के लिए योजनायें बनाते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि उनमें कोई कंटक न रह जाए और उनमें कुछ क्षमता का भाव रहे । ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ये योजनायें उन राज्यों द्वारा ही तैयार की जा रही हैं क्योंकि आप उनकी भूमि लेकर संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को नहीं दे रहे हैं । आप उन राज्यों की भूमि उनके पास ही रहने दे रहे हैं । उन राज्यों की प्रभुसत्तासम्पन्न विधान सभायें हैं यानि राज्य-सूची में निहित अर्थों में वे प्रभुसत्तासम्पन्न हैं । इन विषयों के बारे में उन्हें पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं । इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तनाव पैदा न हो । हो सकता है कुछ तनाव हो और हमें अपने पास कुछ कानूनी शक्तियां लेनी पड़े । इससे यह धारणा नहीं बननी चाहिए कि केन्द्र सरकार कुछ ऐसा कर रही है जो कि राज्यों के लिए अहितकर हैं । हमें राज्यों का सहयोग लेना चाहिए । मुझे खुशी है कि कुछ बातों का हवाला यहां दिया गया । हमें उपक्षेत्रीय योजनाओं और परियोजनाओं का ध्यान रखना है । मुझे नहीं पता कि भविष्य में स्थिति क्या होगी । क्या इन योजनाओं को उन सरकारों द्वारा मंजूर किया जायेगा और क्या उनकी जांच संसद् भी कर सकेगी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाये जाने के बारे में किए जाने वाले उपायों को, इस विधेयक की तरह, संसद् के समक्ष लाया जायेगा, या कि पहले इसकी जांच होगी और बाद में इसे प्रस्तुत किया जायेगा ।

ये सब बातें ध्यान में रखनी होंगी अभी इनका ब्यौरा हमारे पास नहीं है। इसी प्रकार, वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा आदि के अंतर्गत विभिन्न योजनायें रखी गई हैं। अनेक ऐसे खंड हैं जिनका इस उद्देश्य के लिए हवाला दिया गया है। उदाहरण के लिए खंड 23—

> "23 बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कम से कम तीन मास पूर्व भेजेगा।"

यह एक अच्छा कदम है। इस योजना की भी राज्य सरकारों द्वारा जांच की जायेगी। आप राज्य सरकारों के लिए इस का उपबंध कर दीजिए। योजना की एक रूपरेखा विभिन्न विधान सभाओं को प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा आप यह सुनिश्चित कर कि वे विधान सभायें इस योजना को स्वीकृति दें। केन्द्र सरकार सभी राज्यों को संचालित कर रही है। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए और कुछ को और विस्तार से बताया जाना चाहिए। मेरे विचार से यह बोर्ड के कार्यकरण के हित में ठीक रहेगा।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुभव के बारे में अनेक संसदीय समितियों ने बताया है कि कई बार बहुत घटिया निर्माण किया जाता है। जब हम इस प्रकार की योजना बना रहे हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण पक्ष की ओर विशेषज्ञ ध्यान देंगे और भवनों-मकानों को अच्छी तरह से बनाया जायेगा तथा नालियों आदि की ठीक व्यवस्था होगी। मुझे याद है कि दिल्ली के उप-राज्यपाल को पीतम पुरा और उत्तरी दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के दौरे के लिए जाना पड़ा था। पूरे क्षेत्र में पानी भर गया था। यदि आप ठीक से नालियों आदि की व्यवस्था नहीं करते हैं तो ऐसी योजना बनाने का क्या लाभ। सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों के लिए करोड़ों रुपये खर्च करके आवासीय कालोनियां बनाई जाती हैं किन्तु जल निकासी के लिए नालियों आदि की व्यवस्था ठीक से नहीं की जाती है। कई बार नीलामी के समय दिखाने के लिए बड़ी आकर्षक योजनायें बनाई जाती हैं। जो लोग नीलामी के लिए वहां जाते हैं उन्हें बड़ी आकर्षक रूपरेखा दिखाई जाती है किन्तु जब वास्तविक निर्माण का समय आता है तो स्थान बदल दिया जाता है। विपणन केन्द्र बनाने के स्थान पर वहां पर सिंक टैंक लगा दिया जाता है जिसके फलस्वरूप जिन लोगों ने अपने मकान बनाने के लिए भूखंड खरीदे होते हैं वे देखते हैं कि उनके सामने नक्शे में दिखाये गये स्कूल की बजाय सिंक टैंक बना हुआ है और पार्क के बजाए पुलिस स्टेशन बना हुआ है। अत: इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए आप यह सारी बातें केवल इंजीनियरों पर ही न छोड़ दें क्योंकि वे नीलामी के उद्देश्य से आपके सामने बड़ी-बड़ी आकर्षक योजनायें प्रस्तुत कर देंगे किन्तु वास्तव में होता यह है कि निर्माण के समय योजना बदल दी जाती है। यह उन लोगों के साथ धोखाधड़ी है जो मकानों के लिए भूखंड खरीदते हैं और यह आशा करते हैं कि वे शान्ति से वहां रहेंगे। किन्तु बाद में वे क्या देखते हैं कि सब कुछ भिन्न है। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि इस बात की जांच होनी चाहिए। जब लोगों को, जो नीलामी में भूखंड खरीदना चाहते हैं, कोई योजना दी जाती है तो इसे बाद में बदला नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसके बाद लोगों के पास यही उपाय रह जाता है कि वे न्यायालयों में जायें और मुकदमेबाजी पर पैसा खर्च करें।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वही कुछ नहीं होना चाहिए जो दिल्ली विकास प्राधिकरण में होता रहा है। विभिन्न कार्यकलापों को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। हमें दिल्ली विकास प्राधिकरण की कार-गुजारियों से शिक्षा लेनी चाहिए। इसमें शक नहीं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अच्छा कार्य भी किया है। हम यह नहीं कह सकते कि दि० वि० प्रा० ने कोई अच्छा काम नहीं किया। उसने बहुत अच्छा काम किया है किन्तु जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। विभिन्न सेवा-सुविधाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप सोनीपत, फरीदाबाद और गाजियाबाद तक के क्षेत्र को ले रहे हैं। रेलों के बारे में आपकी क्या योजना है? मैं यहां आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि उत्तर रेलवे दिल्ली में तीसरा टर्मिनल बनाने का प्रयत्न करती आ रही है किन्तु आज तक वह उसकी व्यवस्था नहीं कर पायी है क्योंकि रक्षा मंत्रालय उसे भूखंड नहीं दे रहा है। इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। जैसा कि आप जानते हैं एक टर्मिनल नई दिल्ली और दूसरा निजामुद्दीन में है। बाबर स्कवायर अभी तक नहीं बना है।

जब आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए इस योजना को शुरू कर रहे हैं तो आपको भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों से कहना चाहिए कि वे अपनी योजनाओं को आरंभ करने से पहले आपसे परामर्श करें अन्यथा टकराव होगा, विरोध होगा और कोई सामंजस्य नहीं होगा। आप विभिन्न राज्यों के बीच सामंजस्य की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी प्रकार आपको भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में भी समन्वय स्थापित करना होगा। उनमें कोई तालमेल नहीं है। मैंने बाबर स्कवैयर का उदाहरण दिया है। उत्तर रेलवे द्वारा अभी उस स्थान का अर्जन किया जाना है अभी उसे वह सौंपा नहीं गया है क्योंकि रक्षा मंत्रालय का उस पर अधिकार है और वह उसे छोड़ना नहीं चाहते। अतः हमें यह देखना है कि उचित परिवहन सुविधाओं, उचित स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था इस पैमाने पर हो कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के महत्व के अनुकूल हो। इसकी अवधारणा, इसकी बनावट, इसका 'स्वरूप' वस्तुतः 'राष्ट्रीय' होना चाहिए और यह सारे राष्ट्र को प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए। मात्र 'राष्ट्रीय' शब्द जोड़ने से वह राष्ट्रीय नहीं बनेगा।

मैं अपने सुझाव को दोहराता हूं। देश के अन्य भागों के लोगों का भी दिल्ली पर कुछ हक है। उन्हें भी महत्व दिया जाना चाहिए। केवल मुख्य मंत्रियों और दिल्ली के उपराज्यपाल को ही सदस्य बनाना काफी नहीं है। इसमें प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जब तक सरकार के कार्यकरण में, उसकी नीतियों में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निर्माण में जनता की भावनाएं प्रतिबिम्बित नहीं होती तब तक हम यह नहीं कह सकते कि लोकतंत्र को उचित महत्व दिया जा रहा है जोकि संसद का कर्तव्य है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विभिन्न खण्डों का समर्थन करता हूं और आप से पुनः यह निवेदन करता हूं कि इन पर उचित ध्यान दिया जाए। जिन विभिन्न पहलुओं का उल्लेख यहां किया गया है उन पर गौर किया जाए ताकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक खूबसूरत, मनभावन और पर्यटकों के आकर्षण केन्द्र के रूप में उभरे। किसी भी राज्य, किसी भी भाषा

का कोई भी व्यक्ति जब यहां आए तो उसे घर जैसा सुख महसूस होना चाहिए उसके लिए समुचित परिवहन और अन्य सुविधाएं होनी चाहिएं।

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विधेयक को प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करके सचमुच में एक बहुत ही अच्छा उपकार किया है।

दिल्ली हमारे देश की राजधानी है ही। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का एक नगर है। यह दिल्ली दिनोदिन बढ़ती चली जा रही है। इसका विकास इस रूप में होना चाहिए, जिससे न केवल हमारे दिल्ली और आसपास के निवासियों को लाभ होगा, बल्कि जो बाहर से विदेशी लोग आते हैं, उनको भी आकर्षित करेगा।

आज दिल्ली का बहुत विकास हो रहा है। इस क्षेत्र में योजना बोर्ड का गठन किया गया है। यह 21 सदस्यों का बोर्ड होगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस योजना बोर्ड को और शक्तिशाली और व्यापक बनाया जाये। अभी इस बोर्ड में केवल हमारे 4 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और नामीनेशन की व्यवस्था है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस बोर्ड को जनतंत्रीय पद्धति से बनाया जाये। इसके अन्तर्गत जो हमारे जन-प्रतिनिधि हैं, उनको भी सम्मिलित किया जाए। साथ ही साथ जब आप विकास कार्य करते हैं तो जिन किसानों की भूमि अर्जित की जाती है, उसके प्रति आपकी व्यवस्था उचित नहीं है। आमतौर पर कह दिया जाता है कि नामीनेशन किये जायेंगे। निश्चित रूप से यह व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम 1–2 प्रतिनिधि उनके भी लिए जायें जिन किसानों की भूमि अर्जित की जाती है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि जिस प्रकार से दिल्ली के विकास के लिए आपने कुछ राज्यों और आसपास के क्षेत्रों को शामिल किया है, इसी पैटर्न पर, इसी तरीके से देश के जो अन्य प्रदेश हैं, बड़े-बड़े नगर हैं, उनका भी विकास होना चाहिए।

हम जानते हैं, सदन जानता है कि देश की आबादी बढ़ती चली जा रही है। लोग नौकरी के लिए, कामकाज के लिए देहात छोड़कर नगरों की ओर दौड़ते चले आ रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि सारा भार नगरों पर पड़ रहा है। हम प्रयास करते हैं कि लोग शहरों से गांवों में आये, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है कि लोग गांव से शहर में आ गये हैं। जब यह स्थिति है तो शहरों की उचित योजना बननी चाहिए। बम्बई, कलकत्ता और पटना है, जो हमारे प्रदेशों की राजधानियां हैं। उनके विकास के लिए भी इसी तरह की योजना का गठन होना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अतिरिक्त कानपुर नगर है। वह भी बहुत बड़ा शहर है। वह न केवल इस देश के अन्दर प्रसिद्ध है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी महत्व का स्थान रखता है। इसलिये माननीय मंत्री जी,

देश की जो अन्य राजधानियां हैं, जो औद्योगिक महत्व के नगर हैं, उनका सर्वे करा कर भी उनके विकास के लिये इसी प्रकार योजना बनायें। जिस प्रकार से आप ने राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड का विधेयक प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार की योजना उन के लिए भी बनानी चाहिए।

जो योजना बोर्ड बनेगा उस में शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उद्योग आदि के विकास के लिए योजनाएं बनेंगी और उस के लिए भूमि अर्जन की जाएगी। सम्भवतः यह देखा जा रहा है कि हर नगर में जो भूमि अर्जित की जा रही है, किसानों से कम मूल्य पर भूमि ली जा रही है और शासन या बोर्ड या जो भी विकास प्राधिकरण बनता है वह बहुत मुनाफा कमा कर के अधिक दामों पर उस भूमि का आबंटन करता है। किसानों को बहुत कम पैसे उस के मिल पाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भूमि किसानों से अर्जित करें और जिस रेट पर आप जमीन प्राइवेट लोगों को दूसरे किसी को आवंटित करते हैं, उन से जो पैसा लेते हैं, उतना अगर नहीं तो कम से कम उचित मात्रा में और अच्छा मूल्य किसान को मिलना चाहिए। यह मांग सारे देश में फैलती जा रही है। शहर बढ़ते चले जा रहे हैं। भूमि का अधिग्रहण होता है। उस से बड़ा असंतोष फैलता है। राज्य सरकारें भूमि लेती हैं लेकिन उस का जो उन को मुआवजा मिलता है एक तो वह कम मिलता है और दूसरे समय पर नहीं मिलता है। उस से असंतोष फैलता जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आप इस योजना बोर्ड के सम्बन्ध में इस सुझाव को दृष्टि में रखें कि जो भूमि आप अर्जित करे उस का मुआवजा समय से दें और अधिक पैसा उन को उस का दें ताकि असंतोष न फैलने पाए।

इस के साथ साथ यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इस में इस बात की कहीं चर्चा नहीं है कि जो भूमि आप अधिग्रहण करेंगे उस के सम्बन्ध में किस प्रकार की योजनाएं बनाएंगे, किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, इस का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि जो योजना बोर्ड बना रहे हैं उस के अन्तर्गत क्या कार्यक्रम है, क्या योजनाएं हैं आप की और जिस उद्देश्य के लिए आप योजना बनाएं उस के लिए कोई समय निश्चित होना चाहिए, इन सब बातों की इस में व्याख्या होनी चाहिए और इस का भी इस में प्रावधान होना चाहिए था।

आप ने इस में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुछ जिले सम्मिलित किए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस का भी ध्यान रखें कि इन शहरों के विकास प्राधिकरण या नगरपालिकाएं जो अपनी योजनाएं बनाती हैं, कहीं ऐसा न हो जाए कि यह जो हमारा योजना बोर्ड योजनाएं बनाएगा, उस का इनके साथ डुप्लीकेशन या आपस में विरोधाभास हो जाए। इस बात की बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। जो माननीय सदस्यगण इस में बैठे, वह योजनाएं बनावें और जो स्थानीय प्राधिकरण बने हुए हैं, विकास बोर्ड बने हुए हैं वह जो योजना बनावें उन दोनों में समन्वय होना चाहिए, आपस में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। बहुधा देखा जाता है कि सरकारी तंत्र में जो आपस में विभागीय विवाद होते हैं उस के कारण बड़ी बड़ी योजनाएं रखी रह जाती हैं। तो इस की इस में कोई व्यवस्था नहीं की गई है जो कि कोआर्डिनेशन की या समन्वय की व्यवस्था होनी चाहिए थी, उस का इसमें अभाव है। इसलिए माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव पर विचार

करेंगें ताकि जो हमारे योजना बोर्ड का उद्देश्य है, कहीं ऐसा न हो जाए कि विभागीय लड़ाई या मतभेद के कारण वह योजना ठप्प हो जाए । इसलिए आपस में समन्वय अवश्य होना चाहिए ।

साथ ही साथ जो भी योजनाएं बनायी जाएं वह जनहित की दृष्टि से बनायी जायें । अकसर देखा जाता है कि जो भूमि अधिग्रहण की जाती है, यह सही है कि हमारे देश में इंडस्ट्री की कड़ी मांग है, उद्योग बढ़ने चाहिएं, इस में कोई शक नहीं, लेकिन होता क्या है कि जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं वह पहुंच करके उस भूमि को वे ले लेते हैं और उद्योग लगा लेते हैं। मगर इस के साथ साथ इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो छोटे उद्योगपति हैं, छोटे छोटे लोग हैं उन के लिए भी भूमि अर्जित की जाए और उन को भी विकास के कार्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि कहीं ऐसा न हो कि हम जो योजनाएं बनाते हैं, जो विकास करते हैं, उसका लाभ केवल निहित स्वार्थ ही उठाएं और सामान्य जनता उससे वंचित रह जाए । अत: सामान्य जनता के लाभ को ही दृष्टि में रखते हुए योजनाएं बनाई जानी चाहिएं और मुझे पूरा विश्वास है मन्त्री जी इस बात को ध्यान में अवश्य रखेंगे ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विधेयक जो माननीय मन्त्री जी ने सदन के समक्ष पेश किया है, वह सफल हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं इसका स्वागत और समर्थन करता हूं ।

श्री चंदुपाटला जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसके मूलभूत सिद्धांतों के हम खिलाफ नहीं हैं बल्कि उसका समर्थन करते हैं । उन्होंने बताया है कि पहले कोई स्टैट्यूटरी बोर्ड न होने के कारण चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के समझौते पर इस बिल को उन्होंने सदन में प्रस्तुत किया है । लेकिन देखने की बात यह है कि क्या दिल्ली की जनता को इससे कोई लाभ मिल सकेगा या नहीं । दिल्ली हमारे देश की नेशनल कैपिटल है, यहां पर फारेन डिग्नटरीज आते रहते हैं, इसलिए दिल्ली की सुन्दरता को बढ़ाया जाना चाहिए— इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, लेकिन यहां दिल्ली में पहले से ही अनेक एजेंसीज कार्य कर रहीं हैं फिर भी यहां की जनता प्रसन्न नहीं है । उदाहरण के तौर पर दिल्ली में मैट्रोपोलिटन कौंसिल है, दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन है, नयी दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी है, दिल्ली डेवलपमेन्ट एथारिटी है तथा कैन्टोनमेन्ट बोर्ड भी है । इसके साथ-साथ कुछ क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध भी रहता है । उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार अपने कुछ कालेज चलाती है तथा कुछ कालेज मेट्रोपोलिटन कौंसिल चलाती है । इसी प्रकार से दिल्ली की जो पुलिस है वह मेट्रोपोलिटन कौंसिल की तहत नहीं है बल्कि वह डायरेक्टली सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के अण्डर में काम करती है । इसी प्रकार से मेट्रोपोलिटन कौंसिल के जो एम्पलाइज हैं, उनकी सर्विस कंडीशन्स को देखने का काम होम-मिनिस्ट्री ही करती है, इस प्रकार से चीफ एग्जिक्यूटिव कौंसिलर या एग्जिक्यूटिव कौंसिलर उनको अपने मातहत रखकर किस प्रकार से संतोषजनक रूप से काम ले सकते हैं । इतनी अधिक एजेंसीज के रहते हुए भी दिल्ली के लोगों का डेवलपमेन्ट नहीं हो रहा है । डी०डी०ए० किसानों से 5 रुपए या 10 रुपए गज के भाव पर उनकी जमीनें ले लेती है और बाद में उसी जमीन को 5 हजार रुपए प्रति गज के भाव तक बेचती है । इस

प्रकार से वह किसानों को लूटती है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा है कि सालों तक किसानों को उनकी भूमि का कम्पेंसेशन नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त किसानों की जो जमीन ली जाती है उसकी मार्केट वैल्यू उनको नहीं दी जाती बल्कि लेंड एक्वीजीशन आफिसर जो दाम फिक्स करता है वही उनको दे दिया जाता है और केवल चार परसेन्ट का इन्ट्रेस्ट उनको दिया जाता है। यदि सरकार नो-प्राफिट नो-लास बेसिस पर काम करना चाहती है, तब आप किसानों को ज्यादा दाम क्यों नहीं देते हैं। दिल्ली में डी०डी०ए० या जो दूसरी एजेंसीज हैं उन्हें दिल्ली को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ कुछ किसानों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए।

किसान के बारे में आपने आज तक नहीं सोचा है। किसान से लैण्ड एक्वीजीशन के तहत जमीन ली जाती है, लेकिन उसको मुआवजे के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। कई साल गुजर जाते हैं, उसको कुछ नहीं मिलता है। कहा जाता है कि उसको चार परसेंट इन्टरेस्ट दिया जाता है, जबकि मार्केट वैल्यू उससे कहीं ज्यादा होती है। दिल्ली डेवलपमेंट अथोरिटी जो भी जमीन बेच रही है, मुनाफे के लिए बेच रही है, लेकिन किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। कहा जाता है नो-प्रोफिट नो-लास के बेस पर काम हो रहा है, जबकि फायदा काफी होता है। मैं अर्ज करूंगा कि जल्दी से जल्दी किसानों को मार्केट वैल्यू के आधार पर पैसा दिया जाना चाहिए। मान लीजिए मार्केट वैल्यू एक रुपया है, तो किसान को सिर्फ 25 पैसे दिए जाते हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथोरिटी द्वारा जितनी भी जमीन किसानों द्वारा ली गई है, उनका जल्दी से जल्दी मार्केट वैल्यू के आधार पर भुगतान होना चाहिए।

लोग कहते हैं कि लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट है, कोई भी कोर्ट में जा सकता है, लेकिन कोर्ट में कितने किसान जा सकते हैं। कचहरियों में जाने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। कोर्ट में जाना, वकीलों से बात करना और पैसे खर्च करना तो बहुत दूर की बात है। मेरी अर्ज है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथोरिटी को जल्दी से जल्दी किसानों को उनका कम्पेंसेशन देना चाहिए। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी का इलैक्शन नहीं होता है, वह नोमिनेटेड कमेटी है और दूसरी अथोरिटीज द्वारा काम नहीं हो पा रहा है, और अब रीजनल बोर्ड की जरूरत पड़ रही है। दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ गांवों को सुन्दर बनाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। पिछले चुनावों में कांग्रेस वालों ने और बी०जे०पी वालों ने दिल्ली मैट्रोपोलिटिन काउन्सिल को एसेम्बली का दर्जा दिए जाने की बात कही थी। मगर अब उसको इम्लीमेंट करने से इन्कार किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, शायद आपको मालूम होगा कि जनता रिजीम में मैट्रोपोलिटिन काउन्सिल को एसेम्बली का स्तर देने के लिए एक बिल पेश किया था; यदि वह बिल जैसे का तैसा पास कर दिया जाए तो ठीक होगा।

असेम्बली के अभाव में यहां पर सरकार को इतने बोर्ड्स रखने पड़ रहे हैं। दिल्ली के प्रशासन में इतने हस्तक्षेप होते हैं कि काम हो नहीं पाता है। मैट्रोपोलिटन कान्सिल की हालत भी निराली है। वहां के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कन्ट्रोल में होने के कारण उन की बात को नहीं मानते हैं। काउन्सिल जो काम उन से कराना चाहती है, वह नहीं करा पाती है। आप दिल्ली के डेवलपमेन्ट के लिये जो बोर्ड बनाने जा रहे हैं, इसमें चार-पांच चीफ मिनिस्टर्स का इन्वाल्वमेन्ट

है, अगर इन के बजाय यहां पर असेम्बली बनायें तो यह समस्या हल हो सकती है। पिछले चुनाव के समय कांग्रेस ने भी घोषणा की थी और दूसरे राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि यहां पर असेम्बली बनाई जाए, इस लिये आप को इस दिशा में शीघ्र कदम उठाना चाहिएं। दिल्ली के सम्बन्ध में अपने मेनिफेस्टो में आप ने जो वायदा किया है, यदि आप चाहें तो असेम्बली बना कर उस वायदे को पूरा कर सकते हैं।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से अनुरोध करता हू कि आने वाले बजट सेशन में सरकार दिल्ली में असेम्बली बनाने का बिल लाये और उस को पास कराये। मैंनें अभी हाल में अखबारों में पढ़ा था—श्री राजीव गांधी ने भी इस के लिये वायदा किया था, उस वायदे को पूरा करने के लिये अगले बजट सेशन में बिल लाकर दिल्ली में असेम्बली बनायें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, नैशनल कैपिटल रिजन प्लानिंग बोर्ड, 1985 के सम्बन्ध में जो बिल सदन में प्रस्तुत हुआ है, मैं उस का तहेदिल से समर्थन करता हूं। राजधानी क्षेत्र के लिये जिस प्लानिंग बोर्ड की स्थापना की गई है तथा उस के बारे में जो संगठन है—मैं विशेष रूप से क्लाज 3(ए) की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

[अनुवाद]

"हरियाणा के मुख्य मंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, संघ शासित राज्य के प्रशासक............।"

[हिन्दी]

आप ने कहा है कि इस प्रकार का जो बोर्ड होगा, उसमें चीफ़ मिनिस्टर्ज सदस्य होंगे, मेरा सुझाव यह है कि यदि चीफ़ मिनिस्टर्ज उपस्थित न हों, तो उस राज्य के हाउसिंग मिनिस्टर भी सदस्य हों। मैं ऐसा समझता हूं कि इस तरह के संगठन की बैठक में हाउसिंग मिनिस्टर भी सदस्य हों तो वे उपस्थित भी रहेंगे और अच्छी तरह से अपनी स्टेट के काज़ को भी प्लीड कर सकेंगे। बहुत सी स्टेट्स में चीफ़ मिनिस्टर्स के पास इतना काम होता है कि वे इस तरह की बैठकों में उपस्थित नहीं हो पाते हैं और जब वे उपस्थित नहीं होते हैं तो स्टेट का सही रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं हो पाता है। इस लिये यह उचित होगा कि हाउसिंग मिनिस्टर्स को इस संगठन का सदस्य बनाया जाना चाहिये ताकि वे अपनी स्टेट का रिप्रेज़ेन्टेशन कर सके।

दूसरा सुझाव—जिस बोर्ड का गठन हुआ है, उस में दिल्ली के जितने एम०पीज़ हैं उनमें से किसी को नहीं लिया गया है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट यदि चाहे तो उन को नामिनेट कर सकती है। जिस प्रकार आप दूसरे अधिकारियों को नामिनेट कर सकते हैं, उसी प्रकार इन को भी नामिनेट कर सकते हैं। इसके ज़रिये दिल्ली के डेवलपमेन्ट के बारे में सोचा जा रहा है और प्रजातान्त्रिक प्रणाली के ज़रिये दिल्ली में जो एम०पीज़ चुने गये हैं वे इस के सदस्य न हों, यह ठीक नहीं है।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : जो दूसरे क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश—उन के एम०पीज़ भी इसमें होने चाहियें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : आप थोड़ा धैर्य रखते, तो अच्छा होता। मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि क्या हरियाणा, क्या राजस्थान और क्या उत्तर प्रदेश, उसका कम से कम एक एम०पी० इस में नामीनेट होना चाहिए और इस में एक शर्त यह हो जानी चाहिए कि एम०पी० इसमें जरूर होगा ताकि प्रजातान्त्रिक प्रणाली के अन्तर्गत यह काम हो सके। इस प्रकार के जो बोर्ड बनते हैं, उनमें ऐसी स्थिति हो जाती है कि वे ब्योरोक्रेटिक तरीके के बोर्ड होते हैं और उसी ढर्रे पर वे चलते रहते हैं ! अब हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी आए हैं और वे एक अच्छा कार्य करना चाहते हैं। इस लिए इस तरह के सब काम नौकरशाही पर नहीं छोड़ने चाहिएं और उन्हीं पर यह जिम्मेवारी नहीं डालनी चाहिए। प्रजातान्त्रिक प्रणाली के जो प्रतिनिधि होते हैं, उन का लाभ न उठाना उचित नहीं होगा। इसलिए इस बोर्ड का जो कांस्टीट्यूशन हो, उस के अन्दर जनता के प्रतिनिधियों को उचित स्थान मिलना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हम दिल्ली को एक आदर्श राजधानी बनाना चाहते हैं। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर बहुत सारी झुग्गी-झोंपड़ियां हैं और यहां पर बहुत अतिक्रमण हो रहा है और जो बड़ी-बड़ी शक्तियां हैं, जो पावरफुल व्यक्ति हैं, उन्होंने अतिक्रमण किया है और गरीबों से मिल कर अतिक्रमण करवाया गया है। यह जो अतिक्रमण हो रहा है, इस के बारे में हम को एक स्ट्रांग पालिसी एडोप्ट करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि बजट सैशन में हम को यह बतलाया जाए कि यह जो अतिक्रमण हुआ है, उस के सिलसिले में यह कार्यवाही की गई। जो ताकतवर और शक्तिवान लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उस को तुरन्त हटाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से हम शहर को सुन्दर बनाना चाहते हैं, इन अतिक्रमणों के कारण हम उस को सुन्दर नहीं बना पा रहे हैं और यह स्थिति दिल्ली शहर में ही नहीं है बल्कि यह स्थिति बड़े बड़े शहरों, नगरों और हर एक प्रदेश की राजधानी में है। वहां पर इन लोगों द्वारा अतिक्रमण बहुत बढ़ गये हैं, जिसके कारण झुग्गी-झोंपड़ी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और इस के पीछे एक शक्तिवान लाबी फंक्शन कर रही है और इन लोगों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाए जाते और जब कोई कदम नहीं उठाया जाता है, तो अतिक्रमण बढ़ते चले जाते हैं और झुग्गी-झोंपड़ी बढ़ती जाती हैं और हम शहरों को सुन्दर नहीं बना सकते। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस संबंध में सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

अब यह जो बोर्ड बनाया जाएगा, उसमें तीन एक्सपर्ट्स के बारे में जिक्र किया गया है। मैं समझता हूं कि तीन एक्सपर्ट्स सफीशियेन्ट नहीं होंगे और तीन एक्सपर्ट्स और बढ़ाए जाने चाहिएं क्योंकि उन की राय लेना बहुत आवश्यक है। हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि जैसे जनेवा शहर का निर्माण हुआ है और दुनिया का एक आदर्श शहर वह है, उसी प्रकार का माडल रख कर हमें अपने यहां एक आदर्श शहर बनाना चाहिए। उन के माडल को ले कर, उन के मैप को लेकर और इस प्रकार का जो वहां पर सर्वेक्षण किया गया है, वह सारा मैटिरियल प्राप्त कर के, हमें उस का लाभ उठाना चाहिए।

इस में यह भी कहा गया है कि हम विदेशी एक्सपर्ट्स का लाभ लें। मैं इस पक्ष में नहीं हूं क्योंकि यह हमारी अयोग्यता का सूचक होगा कि हम अपने देश में ऐसे एक्सपर्ट्स पैदा नहीं कर सके, जो कि एक आदर्श शहर बना सकें। हम विदेशी एक्सपर्ट्स की सेवाओं का उपयोग करें,

इस की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे देश के अन्दर बहुत ही योग्य और बहुत ही कर्मठ एक्सपर्ट् स हैं और हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। इसके अन्दर एक्सपर्ट् स जो लिये जाएं और नोमिनेटिड एक्सपर्ट् स लिये जाएं उनके बारे में मंत्री महोदय यह ध्यान रखें कि वे एक्सपर्ट् स ऐसे न हों जिनकी कि इन्टेंशन ठीक न हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक्सपर्ट ग्रानेस्ट भी होता है, उसमें इन्टेग्रिटी भी होती है, उसका रिकार्ड भी अच्छा होता है लेकिन उसकी इन्टेंशन ठीक न होने की वजह है वह रोंग एड्वाइस करता है। इन्टेंशन ठीक और सही न होने पर भी हमारी योजनाओं में बहुत नुकसान होता है।

एक हमारी कार्य प्रणाली भी इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि इस योजना के एक्ज़ीक्युशन में डिले न हो। अक्सर यह देखा जाता है कि जो प्रोसीजर हम अडाप्ट करते हैं उसकी वजह से भी एक्ज़ीक्युशन में देरी हो जाती है। प्रोसीजर की वजह से निर्णय लेने में भी डिले हो जाती है। इसलिए ऐसी नीति निर्धारित कर देनी चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी निर्णय लिये जाएं और जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर जल्दी से जल्दी उन पर काम किया जाए। इस योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए हमें ऐसी नीति निर्धारित कर देनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, देश की राजधानी को जो आगे बढ़ाने की योजना प्रस्तुत की गई है उसका मैं तहदिल से समर्थन करता हूं।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर): उपाध्यक्ष जी, इस नेशनल केपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड बिल के सिलसिले में 7-8 माननीय मेम्बरान ने अपने-अपने ख्यालात का इजहार किया है मुझे खुशी है कि सिवाय एक माननीय मेम्बर को छोड़ कर सभी मेम्बरान ने इस बिल का समर्थन किया है।

जब इस बिल पर राज्य सभा में डिस्कशन हो रहा था तो एक ही चीज़ पर ज्यादा बात हुई थी। चाहे राज्य सभा हो या लोक सभा हो हर जगह पर माननीय मेम्बरान में से 80 फीसदी मेम्बरान लैण्ड एक्वीजीशन और उसकी प्राईस फिक्सेशन किये जाने के सिलसिले में बात करते हैं। बाकी और छोटी-छोटी चीज़ें हैं।

जितने मेम्बरान ने इस हाउस में इस बिल के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया है उसके सिलसिले में मैं कह देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इन सब चीजों के ऊपर सोच रही है। जो चीज़ हम लोगों के सामने है वह यह है कि दिल्ली डवलपमैंट बोर्ड जो बनाया था या और भी जो कमेटियां बनाई थीं उनमें जो खामियां रहीं, वे खामियां इस केपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड में न रहें। इसलिए जहां तक शेल्टर्स का सवाल है, लेण्डलेस लेबरंज का सवाल है, ग्रीन बेलट का सवाल है, इन एरियाज में होस्पिटल का सवाल है, छोटे-छोटे स्कूल, कींडर गार्डन, हाई स्कूल, कालेज का सवाल है इन सब का ख्याल रखा जायेगा। इसके अलावा रोड्स, सैनीटेशन, सीवरेज वे सारी चीजें भी उसमें आती है। यह जो रीजन केपिटल बोर्ड बनेगा उसमें ये सारी चीजें आयेंगी।

पहले भी एक कमेटी बनी थी। लेकिन उसको कोई कानूनी अख्तियार नहीं थे। इसलिए इस चीज़ के लिए कानूनी अख्तियार देने के लिए यह केप्टिल रीजन प्लानिंग बोर्ड बिल इस हाउस में पेश हुआ है।

कुछ हमारी माननीय सदस्यों ने कहा कि जो इसके मेम्बर होंगे उन मेम्बरों की तादाद को बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी ख्याल जाहिर किया कि इसमें हम एक्सपर्टस दूसरे सूबों के भी लें। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि अगर वर्ल्ड के एक्सपर्टस का मशविरा लेने की जरूरत हो तो वह भी लिया जाए। इन सारी चीजों का ख्याल इसमें रखा जाएगा। बहुत से माननीय मेम्बरों ने इस बिल में हिस्सा लिया। इस बिल का जो सेंट्रल थीम है वह यही है कि जो इम्प्लेक्स पापूलेशन की ग्रोथ दिल्ली कैपिटल की तरफ हो रही है और जितनी परेशानियां 'यहां' डी०डी०ए० या दूसरी अथारिटीज़ को उन लोगों की वजह से यहां हो रही हैं, उनको कम करने के लिए कुछ इलाके जो हमारे यू०पी० राज्य और हरियाणा राज्य के हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। मैं सबसे पहले तो यह बता देना चाहता हूं कि इसको अमलीजामा पहनाने में किसी तरह का कन्फ्लिक्ट नेबरिंग स्टेट्स से हमारा नहीं होगा, क्योंकि सभी स्टेट्स के लोग चाहते हैं कि हमारी स्टेट का डेवलपमेंट काफी जोरों से हो। इस बिल को पेश करने के पहले इन सूबों के लेजिसलेचर से रेजोल्यूशन पास हुआ है और रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी जो इस बोर्ड के मेम्बरान होंगे, उसमें हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी शामिल होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से सेंटर और स्टेट में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बल्कि मैं यह आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेम्बरान ने जिनका डायरेक्ट ताल्लुक इस रीजन से नहीं है, वे लोग भी चाहते हैं कि हमारे भी कुछ इलाके को इस रीजन में शामिल कर लिया जाए। एक माननीय सदस्य श्री एन० टोंबी सिंह बोल रहे थे कि इसमें नेशनल इंटीग्रेशन, हारमनी और सारी चीजों का ख्याल रखा जाए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि नेशनल इंटीग्रेशन का सुबूत तो यही है कि यहां पर हर राज्य का, देश के हर कोने का आदमी आप पाएंगे उनके फिगर्स तो मेरे पास नहीं हैं कि कितने बंगाली भाई हैं, कितने बिहारी हैं, कितने यू०पी० के हैं कितने हिमाचल के हैं, कितने पंजाब के हैं, लेकिन हर स्टेट के लोग यहां हैं। इसलिए उनको इस तरह का कोई खतरा नहीं होना चाहिए कि यह जो थोड़ा सा एरिया बढ़ाया जा रहा है, उसमें उन लोगों के लिए जगह नहीं होगी। गवर्नमेंट की पालिसी नेशनल इंटीग्रेशन की है और हमारा यह कार्डिनल प्रिंसिपल है, इसको हम कभी भूल नहीं सकते।

जहां तक लैण्ड इक्वीजेशन का सवाल है, किसानों से जो जमीन ली जाती है, तो मैंने पिछली दफा भी जब यह बिल राज्य सभा में पास हो रहा था तो मैंने वहां भी आश्वासन दिया है और मैं यहां भी आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरे दिमाग में यह चीज बिल्कुल है कि जिस प्राइस में हम उनको जमीन लेते हैं, उससे उनको ज्यादा मिलना चाहिए। मान लिया कि हमने किसानों से 25 एकड़ जमीन एक्वायर की और 25 लाख रुपया हमको देना पड़ा और उस इलाके का डेवलपमेंट करने के लिए अगर 25 लाख और रुपया लगे तो 50 लाख हुआ, फिर उसको जब हम लोगों को देते हैं तो अगर 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपया लेते हैं तो ऐसी बात क्यों होती है। इसलिए सारी चीजों का हिसाब लगाकर जो मुनासिब हो वह किसानों को मिलना चाहिए। हम लोग इस चीज का अवश्य ख्याल रखेंगे।

3.00 म०प०

यह यूनिवर्सल शिकायत दोनों सदन के मेंबरान ने की है। हमारे जिन दोस्तों ने शुरू-शुरू में हिस्सा लिया, उन्होंने कहा कि तीन रोज़ का नोटिस होना चाहिए। "एटलिस्ट" वर्ड इसमें लिखा हुआ है। इसको हम लोग और भी ज्यादा समय दे सकते हैं। यह बोर्ड एक प्लानिंग कमेटी का गठन करेगा। उस कमेटी में एक्सपर्ट लोग ज्यादा होंगे। अगर कोई दूसरा मिनिस्टर या आप में से कोई मेरी जगह पर आ जाए तो हम लोग प्लानिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे में से एक्सपर्ट कोई नहीं है। इसलिए एक्सपर्ट की मदद लेना इस बिल में आवश्यक है। मैं समझता हूं, हिन्दुस्तान में जो नामी एक्सपर्ट हैं उनको इसमें शामिल किया जायेगा। सभी मेंबरान की यह ख्वाईश है कि दिल्ली को एक ऐसा कैपिटल बनाया जाए जो किसी भी कैपिटल से कम न हो। इस बिल के मुतालिक जिन मेंबरान ने जो सजेशन्स दिए हैं, उनको हम लोगों ने नोट किया है। अभी मैंने जिक्र किया था कि हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी स्पेशल इन्वाइटी होकर इसी सिलसिले में आते हैं। उस स्टेट का कुछ हिस्सा नज़दीक पड़ता है, जैसे—ग्वालियर है। कमेटी बनाने के वक्त इस चीज़ का ख्याल रखा गया है। मैं समझता हूं, ग्वालियर एक ऐसी जगह है जहां डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि वे लोग भी इसमें शामिल हों। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जिनको शामिल किया जा सकता है क्योंकि इसमें शामिल करने के लिए हर जगह से लोगों की ख्वाहिश होती है। दिल्ली से कनेक्टेड इलाकों को शुरू में इसलिए लिया गया है क्योंकि सन् 1981 के मुताबिक दिल्ली की आबादी 7.1 मिलियन थी। जिस रफ्तार से यह बढ़ रही है तो सन् 2001 में 20 मिलियन हो जायेगी। मुझे खुशी है कि इस बिल को अहमियत सभी मेंबर्स के जहन में है और सभी ने इस बिल का समर्थन किया है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि काउन्टर मैगनेट एरिया कायम करने के संबंध में इसमें कुछ नहीं है। वह देखेंगे कि इसका भी प्रावधान इस बिल के अन्दर है। वह काउन्टर मैगनेट एरिया नैशनल कैपिटल रीजन का तीस हजार स्क्वेयर किलोमीटर है। यह भी हो सकता है कि इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए यू०पी०, राजस्थान और हरियाणा में काउन्टर मैगनेट एरिया, इन इलाकों से थोड़ा सा दूर हम लोग कर सकते हैं। उनकी सलाह से होगा तो मैं समझता हूं किसी अच्छे काम के लिए किसी किस्म का कोई दखल नहीं होगा। उन लोगों की ख्वाहिश है कि सारा काम सेन्ट्रल गवर्नमेंट हो कर दे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसको सिलैक्ट कमेटी में भेज दिया जाए। मैं समझता हूं इसके लिए उन्होंने कोई भी रीजन पेश नहीं किया है। बल्कि जितने 7–8 मेंबरान ने इस बहस में हिस्सा लिया, सभी लोगों की यह ख्वाहिश रही कि इस बिल को पास कर दिया जाए। उनके कुछ सजैस्शन्स थे, उनमें से जो अच्छे सजैस्शन्स थे, हम लोगों ने उनको नोट कर लिया है और जब इस पर कार्यान्वियन शुरू होगा तो उन सारी चीजों का ख्याल रखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि हमारे दोस्त इस बिल को पास करने में हमारी मदद करेंगे और यह बिल पास हो जाना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गिरधारी लाल व्यास जी शुद्ध हिन्दी में तकरीर फरमाने के बाद चले गए, उसके बाद हमने यहां पर पराशर साहब की तकरीर को सुना, टोम्बी सिंह साहब की तकरीर को सुना और इसलिए हमने अपने ख्यालात हिन्दुस्तानी में जाहिर करने की ख्वाहिश की ताकि उन्हें एजूकेशन हो जाए। सवाल यह है कि हमारे गिरधारी लाल व्यास जी जैसे मैम्बराने पार्लियामेंट किसी भी बिल का समर्थन करने के लिए

तैयार बैठे रहते हैं और हमारी तरफ से जो आवाज उठती है उसकी रुह को वे पहचानते तक नहीं और न समझते हैं। इस वक्त मेरा ख्याल था कि अगर वे यहां होते तो मैं उनसे दो-चार बात जरूर कहता।

जहां तक इस प्रोजैक्ट का सवाल है, जिसका नाम आपने रखा है—नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड—उसका असली मकसद यह है कि आप दिल्ली की बुसतों को फैला रहे हैं। आपने बम्बई का हाल देखा, कलकत्ता का हाल देखा और मद्रास का हाल देखा। इन सबके बाद आप दिल्ली का हाल देख रहे हैं और इसलिए दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए सहूलियतें पैदा करने के वास्ते दिल्ली को फैलाना चाहते हैं। इसके सिवाए और कोई दूसरा मकसद आपका नहीं है। फिर इस बिल में लिखा है कि आप यहां स्लम्स को कन्ट्रोल करना चाहते हैं और उसके लिए एक मनसूबा बनायेंगे। उसके बाद शहरी जिन्दगी को सुधारा जाएगा। यह ख्याल तो आपका नेक है, लेकिन यह पूरा नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत जबर्दस्त एम्बीशन्स हैं। अपने आप वे एंम्बीशन्स हो जाएं तो अलग बात है, मगर आप इनको एचीव नहीं कर सकते हैं। मुझे आपके मन्सूबे की बुसत पर शक है। चुनांचे गफूर साहब, मैं फारसी को तो यहां एवाइड करूंगा लेकिन उसका एक शेर जरूर आपके सेवा में अर्ज करूंगा क्योंकि जैसो आपकी एम्बीशन्स हैं, वैसे तो बहुत अच्छी हैं, आप हिन्दुस्तान को तरक्की की आल्हा मंजिल पर ले जाना चाहते हैं और इसके लिए आपको सिरतोड़ कोशिश करनी पड़ेगी, यह एम्बीशन बहुत उम्दा है कि आप महान देश बनायेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो आपका एम्बीशन है, इस पर मुझे फारसी का एक शेर याद आता है। प्रो० रंगा साहब, उस शेर का मतलब यह है कि आप सितारे में आफ्ताब को ढूंढना चाहते हैं और अपने हाथ में लाना चाहते हैं। शेर इस तरह है—

जे शरर सितारा जोयम, जे सितारा आफ्ताबे,
सरे मंजिल न दारम, के यमीरम अज करारे ।।

शायर का कहना है कि मुझे करार तो है पर मैं कहता हूं कि चिन्गारी को सितारा मिले और सितारे से आफ्ताब मिले। लेकिन यहां बात बेकरारी की है, एचीव करने की है। इसलिएं इस प्रोजैक्ट पर मेरी मुखालफत सिर्फ इस वजह से है कि इसमें गांधीजी के उसूलों की तौहीन होती है। यह बड़ी अफसोसनाक बात है कि इस समय व्यास जी यहां मौजूद नहीं हैं, यदि वे यहां होते तो मैं उनको बताता। उन्होंने एजूकेशन का नाम लिया, मैं वाकई उनको इस मसले पर एजूकेट करता।

सवाल यह है कि महात्मा गांधी जी के कुछ उसूल थे और यह प्रोजैक्ट उन उसूलों के खिलाफ है। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं हिन्दुस्तानी में अपने ख्यालात को जाहिर करूं। महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू का आपस में रिश्ता बाप और बेटे का था। यहां पर मैं बीच-बीच में कुछ अंग्रेजी लफ्ज़ों का यूज भी करूंगा ताकि आप उन लफ्ज़ों को सही तरीके से समझ सकें। लेकिन जो इक्तसादी तरक्की, इकनामिक डेवलपमेंट हिन्दुस्तान की है, उसमें बाप एक तरीके से सोचता था और बेटा दूसरे तरीके से। गांधी जी ने अपनी विजडम का सबूत तब

दे दिया जब अपना जां-नशीन बनाना था, और वह उन्होंने जवाहर लाल नेहरू को ही बनाया। जब तक महात्मा गांधी जिन्दा थे, हिन्दुस्तान की तरक्की के बारे में उनकी राय पंडित जवाहर लाल नेहरू को राय से जरा हटकर हो थी।

दोनों नेताओं का मकसद हिन्दुस्तान को तरक्की के आला-मंजिल तक ले जाना था, लेकिन एप्रोच में फर्क था। पं० जवाहर लाल नेहरू का ख्याल था, मैं उनके ख्यालात का भी बड़ा परस्तार रहा हूं, वह किसी और बहस में लाऊंगा, जब मैं काफी छोटा था तो पं० जवाहर लाल नेहरू ने मुझे कैसे प्रेरित किया, लेकिन इस वक्त जिस मजमून, विषय पर हम गौर कर रहे हैं, इसमें मेरा ख्याल है कि महात्मा गांधी की जो एप्रोच थी, वह सही लगती है। पं० जवाहर लाल नेहरू ने भाखड़ा नंगल को मंदिर और मस्जिद की तश्बीह दे दी और सही है जवाहर लाल नेहरू का फरमान। भांखड़ा नंगल से पंजाब की ही नहीं, जितना एरिया इसके इर्द-गिर्द है, उन सब लोगों की जिन्दगी इससे सफल हो गई। इरिगेशन से पानी ने खेतों को सैलाब किया और बिजली आ गई। बड़े-बड़े कारखाने, बड़े-बड़े डैम और बड़े-बड़े मंसूबे, ये जवाहर लाल नेहरू की देन हैं और उनकी सूझ का नतीजा है। जब हम साइंस और टैक्नोलाजी को बात करेंगे तो बड़ी-बड़ी चीजें हैं जो जवाहर लाल नेहरू ने इस मुल्क को दी हैं, लेकिन महात्मा गांधी का जो ख्याल था कि हिन्दुस्तान एक देहाती माहौल का मुल्क है, और इसीलिये आपकी जो भागम-दौड़ देहात से शहर की तरफ टूट पड़ने की है, इसके महात्मा गांधी तब भी मुखालिफ थे जब वह शुरु में तहरीक में आ गये और उस सुबह तक जब उनकी जिन्दगी को शहीद किया गया। उस वक्त तक वह बराबर इस बात पर डटे रहे कि गांव को साफ-सुथरा रखिये, वहां सड़क ले जाइये, पीने का पानी, रेडियो, टेलीविजन ले जाइये लेकिन शहर की गलाजत, शहर की गन्दगी देहात में ना फैलाइये। महात्मा गांधी इस बात के भी दुश्मन थे कि देहात के लोग अपने देहात को छोड़कर शहरों में आ जायें।

हमने देखा है कि बम्बई, मद्रास, और कलकत्ता में क्या हो रहा है और अभी दिल्ली में क्या हो रहा है? बड़ी भीड़ देहात से आ रही है और ज्योंही वह दिल्ली में पहुंचती है, फिर गांव जाने का नाम नहीं लेती है। हमारे देहातों को सर्वे की गई है, देहात टेलेन्ट से खाली हो रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि यह स्लम का जो प्रोलीफरेशन है, वह इस प्रोजैक्ट के जरिये दिल्ली से बाहर पहुंच जाएगा। व्यास जी और हम सब की रोटी तो लगी हुई है।

[अनुवाद]

श्री रणबीर सिंह (केसर गंज): आप व्यास जी के पीछे इतना क्यों पड़े हैं?

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज: मैं उनको एक सोच का सिम्बल समझता हूं और याद दिला रहा हू

कि महात्मा गांधी की सोच का अक्स भी वह नहीं है। आज हमारी रोटी तो लगी हुई है, मेम्बराने पार्लियामेंट की रोटी लगी हुई है, तनख्वाह मिलेगी, महंगाई भत्ता मिलेगा, ठेकेदार को, सिनेमा चलाने वाले की रोटी तो लगी हुई है, लेकिन गरीब का ख्याल आपको कैसे आ सकता है ?

आनरेबल मिनिस्टर साहब कहते हैं कि दिल्ली में जो अर्बन एरिया है वह 1 लाख 10 हजार एकड़ है और आप इस प्रोजैक्ट के जरिए 40 हजार एकड़ एरिया राजस्थान, हरियाणा और यू० पी० से और इसमें ला रहे हैं, मगर कर क्या रहे हैं ? यह आपका एम्बीशन है जो कि एचीव नहीं हो सकता। मैं खुदा से दुआ मांगता हूं कि कम से कम हम सारे जिन्दा रहें।

मैं आपको बताऊंगा पांच वर्ष के बाद इसी सदन में आपको कहूंगा कि आपका काम-काज ताबीर नहीं हुआ क्योंकि आपकी आन्तरिक कठिनाई थी, आप एचीव नहीं करना चाहते। मसलन मैं दावत देता हूं, दिल्ली की हालत देख लीजिए, डी०डी०ए० की हालत देखिए, आर०के० पुरम० जा कर देखिए, वहां कैसा स्लम फैल रहा है। सुअर के बच्चे और इंसानों के बच्चे एक साथ, एक ही नाली में खेल रहे हैं और उसी गिलाजत में पल रहे हैं।

[अनुवाद]

संसद को यह मेरी चुनौती है। आप मेरे साथ आइए मैं आपको दिखाऊंगा किस कद्र दिल्ली के चारों ओर गन्दी बस्तियां बढ़ रही हैं भीड़-भाड़ बढ़ रही है। नए लोग दिल्ली में बसेंगे और भीड़ बढ़ेगी।

[हिन्दी]

आप दिल्ली की स्लम को राजस्थान, यू० पी० और हरियाणा की तरफ फैला रहे हैं।

(व्यवधान)

इस स्लम की तकलीफ से दिल्ली को बचाइए। अभी जो प्राबलम आपके पास है उसको रैकगनाइज ही नहीं किया, पहचाना ही नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूं गाजियाबाद से दिल्ली तक इलैक्ट्रिक ट्रेन का प्रपोजल आया, लेकिन आपने नहीं माना। जब हम वहां से आते हैं तो देखते हैं बहुत अधिक भीड़ होती है, भीड़ की वजह से ट्रेन 2-2, 3-3 घंटे रुकती है।

कुछ दिन पहले हमारे बंसी लाल जी ने और सिंधिया साहब ने जो कि काफी कैपेबल भी हैं, कहा कि बहुत कुछ हम करेंगे। मैं उनसे कहूंगा कि रेलवे का डैवलपमेंट तो कीजिए, लेकिन जो काम ढिले हो रहा है, उसको पहले करिए। गाजियाबाद के रास्ते गाडी 6-6 घंटे रुकी रहती है। गाजियाबाद से विद्यार्थी अच्छी तालीम पाने के लिए दिल्ली पढ़ने आते हैं। लेकिन उनको चार घंटे पहुंचने में लग जाते हैं। आप एक इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं चला सके। जो

आपने दिल्ली और हरियाणा के बार्डर में ट्रकों का टर्मिनल बनाया वहां ट्रैफिक जमा रहता है, न लोग चल सकते हैं, न साईकिल वाला चल सकता है।

[अनुवाद]

आप दिल्ली के आस पास अच्छे स्कूल और कालेज नहीं खोल रहे हैं। आप गाजियाबाद और आस पास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर पढ़ाई संबंधी सुविधाओं के लिए दिल्ली आने को मजबूर करते हैं।

[हिन्दी]

यह छोटी बात आप कर सकते थे। आप बड़ी बात पर चलें।

[अनुवाद]

आप आराम से भीड़ भड़क्के के इस ड्रामे को देख रहे हैं।

[हिन्दी]

एक और बात है। आप 40 हजार एकड़ जमीन एक्वायर करेंगे और डी०डी०ए० ने जब-जब जमीन एक्वायर की, उसका कम एमाऊंट दे दिया जिससे जमीन ले ली। जब एलाटी को दे दिया तो पांच गुना कीमत पर दे दिया।

[अनुवाद]

इतना भेदभाव क्यों? यह वही देश है।

[हिन्दी]

अगर उस बेचारे गरीब आदमी से लैंड ले लेंगे, हालांकि एग्रीकल्चर लैंड और अभी जमीन ले कर मकानात तामीर करना गलत बात होगा।

[अनुवाद]

हमें भूखों नहीं मरना है।

[हिन्दी]

जिस तरह से डी०डी०ए० में करप्शन है, उस करप्शन का कभी इलाज नहीं हुआ है। मैं नहीं कहता कि जो दिल्ली के लेफ्टीनेंट गवर्नर रहे हैं वे खुद बद-दयानत थे, लेकिन सिस्टम में ऐसी खराबी आ गई कि उसका किसी ने इलाज नहीं किया। लिहाजा बुनियादी आबजेक्शन मेरा इसके ऊपर यह है कि गांधी जी ने आपको यह तालीम दी थी कि आप देहात को माडर्नाइज कीजिए, देहात को जदीद तरक्की से मुन्नवर कीजिए। वहां हर किस्म की सहूलियत हो। देहात को उजाड़ कर शहर न लाइए। इससे खराबी हो जाएगी और

महात्मा गांधी का हर लफ्ज इस सिलसिले में 100 परसेंट सही है । अगर आज महात्मा गांधी जिन्दा होते और जवाहर लाल नेहरू जिन्दा होते तो मेरा ख्याल है इस विषय पर जवाहर लाल नेहरू महात्मा गांधी के साथ इत्तफाक करते कि देहातों को उजाड़ कर शहर नहीं बसाने चाहिएं । जो लोग शहर आते हैं वह वापस जाने का नाम नहीं लेते हैं और शहरों में स्लम, गलाज़त फैलती जाती है और फिर जो शहरों में हमारी तरह के लोग होते हैं जिनकी रोटी पकी होती है वह कभी गरीबों के पास नहीं जाते हैं, वह देखते नहीं हैं कि गरीबों का क्या हाल है । एक चूंकि मैंने चैलेंज दिया है आर०के० पुरम में जाने का, एक ही स्लम दिखाऊंगा, तो मुझे उम्मीद है कि रंगा साहब किसी वक्त टाइम मुकर्रर करेंगे और हम वहां जाएंगे, हमें जाना चाहिए ।

अब चूंकि आप बिल लाए हैं, मेरी यह दरख्वास्त होगी कि इसको आप अपनी इज्जत का सवाल नहीं बनाएं क्योंकि मिनिस्टर साहब की इन्टेन्शन हम जानते हैं कि वह सुधार चाहते हैं, लेकिन मेरी तजवीज यह होगी कि पहले तो यह कीजिए कि अपोजीशन पार्टीज जो हैं, उनसे मशविरा कीजिए । आप यह कहते हैं कि राजस्थान की असेम्बली ने या यू०पी० या हरियाणा की असेम्बली ने मान लिया, तो चूंकि रूलिंग पार्टी कांग्रेस है, इसलिए उन्होंने मान लिया । वह हर बात का समर्थन करेंगे जो सेंटर कहेगा । लेकिन एक बात है, क्योंकि आप बोर्ड बना रहे हैं और बोर्ड से कंट्रोल कर रहे हैं हरियाणा, राजस्थान और यू०पी० के उन इलाकों को, स्टेट्यूटरी तौर पर वह बोर्ड के मातहत हो जाएंगे जिसके चेयरमैन हाऊसिंग मिनिस्टर होंगे, तो यह तो हमारे आईन की रूह से उस को जख्म पहुंचता है, इसलिए मैं यह चाहूंगा कि इन तीनों स्टेट्स की जो आपोजीशन पार्टीज हैं यहां नेशनल लेवल पर उनके जो नुमाइंदे हैं उनके साथ मशविरा कीजिए । उसके बाद मेरी दरख्वास्त होगी कि आप सरकारिया कमीशन जो लाए हैं उस के जो टर्म्स आफ रैफरेंस हैं वह इतने तंग नहीं हैं, उसमें यह बात भी समा सकती है । जिस तरह से आप यू०पी०, हरियाणा और राजस्थान की टेरीटरी में एन्क्रोचमेंट करना चाहते हैं, वह उस दायरे में आता है जिसका टर्म्स आफ रैफरेंस आपने सरकारिया कमीशन को दिया है । इसलिए सरकारिया कमीशन को भी कंसल्ट कीजिए और फिलहाल मेरी तज़वीज़ यह होगी कि आप इस को सेलैक्ट कमेटी के सुपुर्द कीजिए । पास करना तो आप के बायें हाथ का खेल है । अभी यहां पर समर्थन हुआ है हमारे डिप्टी स्पीकर साहब कहेंगे आईज़ तो आईज़ ही होंगे, नोज़ की तो आवाज़ ही नहीं उठ सकती, मगर यह एक ऐसा बिल है कि जिस में आप को प्रेस्टिज का सवाल इसे नहीं बनाना चाहिए और मेरी दरख्वास्त होगी कि आप इस को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कीजिए और उस वक्त तक अपोजीशन पार्टीज और सरकारिया कमीशन के साथ मशविरा कर लीजिए ।

इन अल्फाज़ के साथ मैं अपने रेजोल्यूशन को सामने रखता हूं और मेरी दरख्वास्त यही होगी कि मेरे रेजोल्यूशन की जो स्पिरिट है उसको समझ कर के आनरेबल मिनिस्टर साहब उसको कबूल करेंगे ।

پروفیسر سیف الدین سوز (بارامولا) : اپادھیکش مہودے - ہمارے گردھاری لال ویاس جی نے
ہندی میں تقریر فرمانے کے بعد چلے گئے اسکے بعد ہم نے یہاں پر پراشر صاحب کی
تقریر کو سنا بوٹا سنگھ صاحب کی تقریر کو سنا اور اسلئے ہم نے اپنے خیالات ہندوستانی
میں ظاہر کرنے کی خواہش کی تاکہ انہیں ایجوکیشن ہو جائے - سوال یہ ہے کہ ہمارے
گردھاری لال ویاس جی جیسے ممبران پارلیمینٹ کس بھی بل کا سپورٹ کرنے کے لئے
تیار بیٹھے رہتے ہیں اور ہماری طرف سے جو آواز اٹھتی ہے اسکی روح کو وہ پہچانتے
تک نہیں اور نہ سمجھتے ہیں - اس وقت میرا خیال تھا کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو میں
ان سے دو چار باتیں ضرور کرتا.

جہاں تک اس پروجیکٹ کا سوال ہے جسکا نام آپ نے رکھا ہے نیشنل کیپٹل ریجن
پلاننگ بورڈ - اسکا اصلی مقصد یہ ہے کہ آپ دلی کی وسعتوں کو پھیلا رہے ہیں -
آپ نے بمبئی کا حال دیکھا کلکتہ کا حال دیکھا اور مدراس کا حال دیکھا - ان سب
کے بعد آپ دلی کا حال دیکھ رہے ہیں اور اسی لئے دلی میں رہنے والے لوگوں
کے لئے سہولتیں پیدا کرنے کے واسطے دلی کو پھیلانا چاہتے ہیں - اسکے سوائے
اور کوئی دوسرا مقصد آپکا نہیں ہے - پھر اس بل میں لکھا ہے کہ آپ یہاں سلمس
کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور اسکے لئے ایک منصوبہ بنائیں گے - اسکے بعد شہری زندگی کا
معیار بہتر ہو جائے گا - یہ خیال تو آپکا ٹھیک ہے لیکن یہ پورا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں
بہت زبردست ایمبیشنز نظر آتے ہیں۔ آپ نے اب وہ اسی نسل پر لے ہو جائیں یہ
الگ بات ہے مگر آپ ان کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے منصوبے
کی وسعت پر تنگ ہے۔

چنانچہ غفور صاحب میں فارسی کو تو یہاں اپوائڈ کرون گا لیکن اسکا ایک شعر ضرور آپکے

سوا میں عرض کرون گا کیونکہ جیسی آپکی ایمبیشنس ہیں ویسے تو بہت اچھی ہے

آپ ہندوستان کو ترقی کی اعلی منزل پر لے جانا چاہتے ہیں اور اسکے لئے آپکو سرتوڑ کوشش

کرنی پڑے گی - یہ ایمبیشن بہت عمدہ ہے کہ آپ یہاں دیش بنائیں گے لیکن اس

پروجیکٹ میں جو آپکا ایمبیشن ہے اس پر مجھے فارسی کا ایک شعر یاد آتا ہے -

پروفیسر رنگا صاحب اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ستارے میں آفتاب کو ڈھونڈنا

چاہتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں لانا چاہتے ہیں - شعر اس طرح ہے —

"ز شور ستارہ جوئم ز ستارہ آفتابے

سر منزل نہ دارم کہ بمیرم از قرارے —"

شاعر کا کہنا ہے کہ - چنگاری سے ستارہ ہے اور ستارہ سے آفتاب ہے - اسلئے

میں اس پروجیکٹ پر میری مخالفت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں گاندھی جی کے اصولوں

کی توہین ہوتی ہے - یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اسمیں وہاں جی یہاں موجود تھیں

ہیں - یدی وہ یہاں ہوتے تو میں انکو بتاتا - انہوں نے ایجوکیشن کا نام لیا میں واقعی

انکو اس مسئلے پر ایجوکیٹ کرتا -

سوال یہ ہے کہ مہاتما گاندھی جی کے کچھ اصول تھے اور یہ پروجیکٹ

ان اصولوں کے خلاف ہیں - اسی لئے میں نے سوچا تھا کہ میں ہندوستانی میں اپنے

خیالات کو ظاہر کرون - مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو میں رشتہ ... اور

بیٹے کا تھا - یہاں پر میں بیچ بیچ میں کچھ انگریزی لفظوں کا یوز بھی کرون ...

آپ ان لفظوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں -

لیکن جو اقتصادی ترقی اکانومک ڈیولپمنٹ هندوستان کی هے اس میں باپو اپنے طریقے سے سوچتا تھا اور بھیا دوسرے طریقے سے - گاندھی جی نے اپنی وزڈم کا ثبوت تب دے دیا جب اپنا جانشین بنانا تھا اور وہ انہوں نے جواہر لال نہرو کو ہی بنایا - جب تک مہاتما گاندھی زندہ تھے هندوستان کی ترقی کے بارے میں انکی رائے پنڈت جواہر لال نہرو کی رائے سے ذرا ہٹ کر ہی تھی -

دونوں نیتاؤں کا مقصد هندوستان کو ترقی کے اعلی منزل تک لے جانا تھا لیکن اپروچ میں فرق تھا - پنڈت جواہر لال نہرو کا خیال تھا میں انکے خیالات کا بھی بڑا پرستار رہا ہوں وہ کبھی اور بحث میں لاؤں گا -

How Pandit Jawahar Lal Nehru inspired me when I was a very young person.

لیکن اس وقت جس مضمون وشئے پر ہم غور کر رہے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ مہاتما گاندھی کی جو اپروچ تھی وہ صحیح لگتی ہے - پنڈت جواہر لال نہرو نے بھاکڑہ ننگل کو مندر اور مسجد کی تشبیہ دے دی اور صحیح ہے جواہر لال نہرو کا فرمان - بھاکڑہ ننگل سے پنجاب کی ہی نہیں جتنا ایریا اسکے ارد گرد ہے اس سب کے لوگوں کی زندگی اس سے سپھل ہو گئی - اور ایریگیشن سے پانی نے کھیتوں کو سیراب کیا اور بجلی آ گئی - بڑے بڑے کارخانے بڑے بڑے ڈیم اور بڑے بڑے منصوبے یہ جواہر لال نہرو کی دین ہیں اور انکی سوجھ بوجھ کا نتیجہ ہیں - جب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کریں گے تو بڑی بڑی چیزیں ہیں جو جواہر لال نہرو نے اس ملک کو دی ہیں لیکن مہاتما گاندھی کا جو خیال تھا کہ هندوستان ایک دیہاتی ماحول کا ملک ہے اور اس لئے آپکی جو بھاگم دوڑ دیہات سے شہر کی طرف ہو رہی ہے اسکے مہاتما گاندھی تب بھی مخالف تھے جب وہ شروع میں تحریک میں آ گئے اور اس صبح تک جب ان کو شہید کیا گیا - اس وقت تک وہ برابر

اس بات پر ڈٹے رہیں کہ گاؤں کو صاف ستھرا رکھئے وہاں سڑک لے جائیے پینے کا پانی رہے یو ٹیلیویژن لے جائیے لیکن شہر کی غلاظت شہر کی گندگی دیہات میں نہ پھیلائیں مہاتما گاندھی اس بات کے بھی دشمن تھے کہ دیہات کے لوگ اپنے دیہات کو چھوڑ کر شہروں میں بھاگیں۔

ہم نے دیکھا ہے کہ بمبئی مدراس اور کلکتہ میں کیا ہو رہا ہے اور ابھی دلّی میں کیا ہو رہا ہے ۔ بڑی بھیڑ دیہات سے آ رہی ہے اور جیوں ہی وہ دلّی میں پہنچتی ہے پھر گاؤں جانے کا نام نہیں لیتی ہے ۔ ہمارے دیہاتوں کی سروے کی گئی ہے دیہات ٹیلینٹس سے خالی ہو رہے ہیں ۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلم کا جو پولیوشن ہے وہ اس پروجیکٹ کے ذریعہ دلّی سے باہر پہنچ جائے گا ۔ ویاس جی اور ہم سب کی روٹی تو لگی ہوئی ہے

Shri Rana Vir Singh (Kaiserganj) : Why are you so much after Vyas ji ?

پروفیسر سیف الدین سوز : میں انکو ایک سوچ کا سمبل سمجھتا ہوں اور یاد دلا رہا ہوں کہ مہاتما گاندھی کی سوچ کا عکس بھی وہ نہیں ہیں ۔ آج ہماری روٹی تو لگی ہوئی ہے ممبران پارلیمنٹ کی روٹی لگی ہوئی ہے تنخواہ ملے گی مہنگائی بھتہ ملے گا ۔ ٹھیکیدار کی سنبھا جلانے والے کی روٹی تو لگی ہوئی ہے لیکن غریب کا خیال آپکو کیسے آ سکتا ہے ۔

آنر ایبل منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ دلّی میں جو اربن ایریا ہے وہ ایک لاکھ دس ہزار ایکڑ ہے اور آپ اس پروجیکٹ کے ذریعہ چالیس ہزار ایکڑ ایریا راجستھان ہریانہ اور یو پی سے اور اس میں لا رہے ہیں مگر کر کیا رہے ہیں ۔ یہ آپکا ایمبیشن ہے جو کہ اچیو نہیں ہو سکتا ۔ میں خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ کم سے کم ہم سارے زندہ رہیں ۔

بارڈر میں ورکوں کا ٹرمنل بنایا ہے وہاں ٹریفک جما رہتا ہے نہ لوگ چل سکتے ہیں نہ
سائکل والا چل سکتا ہے۔

You do not open good schools and colleges in the vicinity of Delhi. You invite the people of Ghaziabad and all the surrounding areas to Delhi for receiving good education.

یہ چھوٹی بات آپ کر سکتے تھے۔

You are witnessing this drama of overcrowding, this drama of congestion with case.

ایک اور بات ہے - آپ چالیس ہزار ایکڑ زمین ایکوائر کریں گے اور ڈی ڈی اے
نے جب جب زمین ایکوائر کی اسکا کم معاوضہ دیا جس سے زمین لے لی - جو
الاٹی کو دے دیا تو پانچ گنا قیمت پر دے دیا۔

Why this discrimination ? Why this differentiation ? This is the same country.

اگر اس بیچارے غریب آدمی سے لینڈ لے لیں گے حالانکہ ایگریکلچر لینڈ اور ایریبل
اور آبی زمین لے کر مکانات تعمیر کرنا غلط بات ہے۔

We must not suffer for want of food.

جس طرح سے ڈی ڈی اے میں کرپشن ہے اس کو ختم کریں گے۔
کبھی علاج نہیں ہوا ہے - میں نہیں کہتا کہ جو دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ہیں
وہ خود بد دیانت تھے لیکن سسٹم میں ایسی خرابی آ گئی کہ اسکا کسی نے علاج نہیں کیا گیا

میں آپکو بتاؤں گا پانچ برس کے بعد اس سدن میں آپکو کہوں گا کہ آپکا

کام کاج تعمیر نہیں ہوا کیونکہ آپ نے مشکلات کا احساس نہیں کیا۔ آپ ابھی نہیں کرنا چاہتے۔

مثلاً میں دعوت دیتا ہوں ۔ دلّی کی حالت دیکھ لیجئے ڈی ڈی اے کی حالت دیکھئے

آر کے پورم جاکر دیکھئے وہاں کیسا سلم پھیل رہا ہے ۔ سور کے بچے اور انسانوں

کے بچے ایک ساتھ ایک ہی نالی میں کھیل رہے ہیں اور اسی غلاظت میں پل رہے ہیں ۔

This is my challenge to parliament. You come with me and I will show you the growing slums around Delhi. There is ever crowding. What will happen is that the people will overcrowd; new settlers will come and there will be overcrowding.

آپ دلّی کی سلم کو راجستھان یو پی اور ہریانہ کی طرف پھیلا رہے ہیں

.... (انٹر رپشن) ....

اس سلم کی تکلیف سے دلّی کو بچائیے ۔ ابھی جو پرابلم آپکے پاس ہے اسکو

ریکاگنائز ہی نہیں کیا پہچانا ہی نہیں ۔ میں آپکو مثال دیتا ہوں غازی آباد سے دلّی

تک الیکٹرک ٹرین کا پروپوزل آیا لیکن آپنے نہیں مانا ۔ جب ہم وہاں سے آتے ہیں تو

دیکھتے ہیں بہت ادھک بھیڑ ہوتی ہے بھیڑ کی وجہ سے ۔ ٹرین دو دو تین تین

گھنٹے رکتی ہے ۔

کچھ دن پہلے ہمارے بنسی لال جی نے اور سندھیا صاحب نے جو

کہ کافی کہیپبل ہیں کہا کہ بہت کچھ ہم کریں گے ۔ میں ان سے کہوں گا کہ ریلوے

کا ڈیولپمنٹ تو کیجئے لیکن جو کام ڈیلی ہو رہا ہے اسکو پہلے کیجئے ۔ غازی آباد سے

ودھارتھی، اچھی، تعلیم پانے کر لئے دلّی پڑھنے آتے ہیں لیکن انکو چار گھنٹے پہنچنے میں

لگ جاتے ہیں ۔ آپ ایک الیکٹرک ٹرین نہیں چلا سکے ۔ جو آپ نے دلّی اور ہریانہ کے

لہذا ہماری آبجیکشن میرا اس کے اوپر یہ ہے کہ گاندھی جی نے آپ کو یہ تعلیم دی تھی کہ آپ دیہات کو ماڈرنائز کیجئے دیہات کو جدید ترقی سے منور کیجئے۔ وہاں ہر قسم کی سہولت ہو۔ دیہات کو اجاڑ کر شہر نہ لائیے۔ اس سے خرابی ہو جائے گی اور مہاتما گاندھی کا ہر لفظ اس سلسلے میں سو فیصد صحیح ہے۔ اگر آج مہاتما گاندھی زندہ ہوتے اور جواہر لال نہرو زندہ ہوتے تو میرا خیال ہے اس وشے پر جواہر لال نہرو مہاتما گاندھی کے ساتھ اتفاق کرتے کہ دیہاتوں کو اجاڑ کر شہر نہیں بنانے چاہئیے۔ جو لوگ شہر آتے ہیں وہ واپس جانے کا نام نہیں لیتے ہیں اور شہروں میں سلم غلاظت پھیلتی جاتی ہے اور پھر جو شہروں میں ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی روٹی پکی ہوتی ہے وہ کبھی غریبوں کے پاس نہیں جاتے ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ غریبوں کا کیا حال ہے۔ ایک چونکہ میں نے چیلنج دیا ہے اور آر کے پورم میں جانے کا ایک ہی سلم دکھاؤں گا تو مجھے امید ہے کہ رنگا صاحب کسی وقت ٹائم مقرر کریں گے اور ہم وہاں جائیں گے ہمیں جانا چاہئیے۔

اب چونکہ آپ بل لائے ہیں میری یہ درخواست ہوگی کہ اسکو آپ اپنی عزت کا سوال نہیں بنائیں کیونکہ منسٹر صاحب کی انٹینشن ہم جانتے ہیں کہ وہ سدھار چاہتے ہیں لیکن میری تجویز یہ ہوگی کہ پہلے تو یہ کیجئے کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان سے مشورہ کیجئے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ راجستھان کی اسمبلی نے یا یو پی یا ہریانہ کی اسمبلی نے مان لیا تو چونکہ رولنگ پارٹی کانگریس ہے اسلئے انہوں نے مان لیا۔ وہ ہر بات کا سمرتھن کریں گے جو سینٹر کہیگا۔ لیکن ایک بات ہے کیونکہ آپ بورڈ بنا رہے ہیں اور بورڈ سے کنٹرول کر رہے ہیں ہریانہ

راجستھان اور یو۔ پی کے ان علاقوں کو اسٹیچوٹری طور پر وہ بورڈ کے ماتحت ہو جائیں گے جن کے چیئر میں ہاوسنگ منسٹر ہوں گے تو یہ تو ہمارے آئین کی رو سے اس کو زخم پہنچاتا ہے۔ اسلئے میں یہ چاہوں گا کہ ان تینوں اسٹیٹس کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یہاں نیشنل لیول پر انکے جو نمائندے ہیں انکے ساتھ مشورہ کیجئے۔ اسکے بعد میری درخواست ہوگی کہ آپ سرکاریہ کمیشن جو لائے ہیں اسکو جو ٹرمس آف ریفرینس ہیں وہ اتنے تنگ نہیں ہیں اس میں یہ بات بھی سوچ سکتی ہے۔ جس طرح سے آپ یو پی ہریانہ اور راجستھان کی ٹیریٹری میں اینکروچمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس دائرے میں آتا ہے جس کا ٹرمس آف ریفرینس آپ نے سرکاریہ کمیشن کو دیا ہے۔ اس لئے سرکاریہ کمیشن کو بھی کنسلٹ کیجئے اور فی الحال میری تجویز یہ ہوگی کہ آپ اسکو سلیکٹ کمیٹی کے سپرد کیجئے۔ پاس کرنا تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ابھی یہاں پر سرتھن ہوا ہے۔ ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب کہیں گے آئیز تو آئیز ہی ہوں گے نوز کی تو آواز ہی نہیں اٹھ سکتی مگر یہ ایک ایسا بل ہے کہ جس میں آپ کو پریسٹیج کا سوال اسے نہیں بنانا چاہئے اور میری درخواست ہوگی کہ آپ اسکو سلیکٹ کمیٹی کے سپرد کیجئے اور اس وقت تک اپوزیشن پارٹیز اور سرکاریہ کمیشن کے ساتھ مشورہ کر لیجئے۔

اس الفاظ کے ساتھ میں اپنے ریزولیوشن کو جو سامنے رکھتا ہوں اور میری درخواست یہی ہوگی کہ میرے ریزولیوشن کی جو سپورٹ ہے اسکو سمجھ کر کے آنر ایبل منسٹر صاحب اسکو قبول کریں گے۔]

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : अभी जो आनरेबल मेम्बर इस को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए दोबारा अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं निहायत अदब के साथ कि गवर्नमेंट का कोई ऐम एन्क्रोचमेंट करने का नहीं है, बल्कि इस बिल के लाने के पहले जितनी स्टेट्स थीं उन स्टेट्स के लेजिस्लेचर ने यूनानिमसली इस चीज को पास करके यहां पर भेजा है। यू०पी०, हरियाणा और राजस्थान इन तीनों स्टेट्स ने इसे पास करके भेजा है। इसलिए इसमें यह नहीं है कि हम लोग जबरदस्ती चाहते हैं कि हरियाणा का पार्ट या यू०पी० का पार्ट ले लें। जो एरिया हम लेना चाहते हैं उस एरिया में क्या करना चाहते हैं इस चीज की वाकफियत उन लोगों को है। तो वे खुद चाहते हैं कि हमारे एरिया का ज्यादा डेवलपमेन्ट हो। इस लिए मैं समझता हूं आपने जो यह टेक्निकल प्वाइंट उठाया है वह सही नहीं है। अगर हम उनसे नहीं पूछते, सुओ मोटो ले आते तब कहा जा सकता था कि हमने उनसे राय-मश्विरा नहीं किया। और जहां तक अपोजीशन का सवाल है, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसमें चाहे हम रहें या आप रहें, हर गवर्नमेंट का यह पहला फर्ज बनता है कि अपोजीशन से राय-मश्विरा करें और अगर कोई गवर्नमेंट राय नहीं लेती है तो उसकी क्या हालत होती है—इसका अन्दाजा आपको होगा ही। इसलिए हमने उनकी राय ले ली, न सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स की ही राय ली बल्कि इसके सिलसिले में लेजिस्लेचर में भी डिस्कशन किया गया और उसके बाद उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके यहां भेजा और उसके बाद ही यह बिल आपके सामने पेश हुआ है। ऐसी हालत में मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप अपने स्टेट्यूटरी रेजोल्यूशन पर इंसिस्ट न करें। जैसाकि मैंने शुरू में ही आपसे गुजारिश की है कि दिल्ली की पापुलेशन बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि आपको शक हो कि इस बिल के जो आब्जेक्ट्स हैं वह पूरे नहीं होंगे। डी० डी० ए० के मुतालिक भी काफी शिकायतें हैं। कोई भी अच्छा काम शुरू किया जाता है और पूरी ईमानदारी से किया जाता है फिर भी कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि अगर ऐसे होता तो ज्यादा अच्छा होता। डी० डी० ए० ने भी जो कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें खराब ही की हैं लेकिन कुछ चीजों में सुधार लाया जा सकता है। अब इतना बड़ा बोर्ड बनाया जा रहा है तो हमें उसके तजुर्बे से भी सबक सीखना होगा।

आपने सरकारिया कमीशन का भी जिक्र किया तो उसका जवाब यही है कि जब लेजिस्लेचर ने खुद ही फैसला दिया है फिर उसके बाद कोई दोबारा किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है और न ही इस बिल को अब सेलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई जरूरत है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको विदड्रा कर लीजिए।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं इसे अत्यधिक महत्वाकांक्षी योजना कहूंगा। जहां तक धन का सम्बन्ध है आपने छठी योजना में इस हेतु केवल 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है यह इतनी विराट परियोजना है कि अगर सातवीं योजना में आप इसके लिए 20 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था करें तो वह भी पर्याप्त नहीं होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि सातवीं योजना में इस संबंध में आप क्या करने जा रहे हैं। यदि आप धनराशि की व्यवस्था करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गंदी बस्तियों को साफ करना पड़ेगा और नई कालोनियां बनानी होंगी। नए बसने वाले लोगों को

सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। आपने छटी योजना में केवल 10 करोड़ रुपए की राशि दी है। यदि यही पैमाना रहा तो हम इस परियोजना को अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाएंगे।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : आपका यह कहना ठीक है लेकिन अभी सेविंथ फाइव ईयर प्लान का फैसला नहीं हुआ है। यह सारी चीजें जो आपके दिमाग में वह हमारे दिमाग में भी हैं लेकिन हर काम को करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। आपने गांधी जी का जिक्र किया लेकिन गांधी जी खुद जिस तरह से रहते थे उस तरह से एक भी मेम्बर, न तो हम उस तरह से रहते हैं और न आप उस तरह से रहते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्सान सोचने के लिए दूसरों से कह देता है लेकिन खुद नहीं करता है। आज इस सदी में लोगों की जितनी एम्बिशंस बन गई हैं उनको पूरा करने के लिए और उनकी सारी जरूरियात को एक-एक गांव में पहुंचाने के लिए काफी समय लगेगा। आप किसी कन्ट्री को देखें, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे अमरीका हो या इंग्लैंड हो, किसी के पास भी कोई मैजिक बैंड नहीं है कि छड़ी घुमाई और एक साल में सब काम पूरा हो गया। इस लिए आपका जो यह ख्याल है कि इस प्लान में कम रुपया दिया गया है, तो वह ठीक है लेकिन जितना रुपया दिया जा सकता है वह दिया गया है।

आखिर में, आपने जो कहा है, उसको ख्याल में रखते हुए मैं आप से गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी कर के अपने रेजोल्यूशन को वापिस ले लें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० सैफुद्दीन सोज—क्या आप अपना सांविधिक संकल्प वापस ले रहे हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्रीमान, मैं वापस नहीं ले रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 19 अक्तूबर, 1984 को प्रख्यापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 11) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्य महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करने और ऐसी योजना के कार्यान्वयन को समन्वित तथा मानिटर करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि के उपयोग के नियंत्रण तथा अवसंरचना के विकास के लिए सामंजस्यपूर्ण नीतियां बनाने के लिए, जिससे कि उस क्षेत्र के किसी भी अव्यवस्थित विकास को रोका जा सके, योजना बोर्ड के गठन का और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 41 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खण्ड 2 से 41 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री अब्दुल गफूर : मैं प्रस्ताव करता हूं :
"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.32 म० प०

विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेगी । प्रो० मधु दण्डवते ।

(1) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 371 का संशोधन)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

(2) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 102 आदि का संशोधन)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

*दिनांक 25-1-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

3.33 म० प०

[श्री सोम नाथ रथ पीठासीन हुए]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

(3) इलाहाबाद उच्च न्यायालय (बरेली में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : "मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय (बरेली में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय (बरेली में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री हरीश रावत : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

(4) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक*

(नये अध्याय 2-क का अंतःस्थापना)

श्री भट्टम श्री राम मूर्ति (विशाखापत्तनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री भट्टम श्री रामामूर्ति : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(5) संविधान (संशोधन) विधेयक*

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

*दिनांक 25-1-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(6) दल-बदल निवारण विधेयक, 1985*

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजनीतिक दल-बदल का अनाचार रोकने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजनीतिक दल-बदल का अनाचार रोकने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(7) संविधान (संशोधन) विधेयक*

अनुच्छेद 338 के स्थान पर नए अनुच्छेदों का प्रतिस्थापन, आदि

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(8) संविधान (संशोधन) विधेयक*

अनुच्छेद 44 का लोप

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(9) प्रवासी भारतीय नागरिक (चुनावों में मतदान का अधिकार) विधेयक*

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशों में निवासी भारतीय नागरिकों

*दिनांक 25-1-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 खण्ड 2 में प्रकाशित ।

को लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं के लिए चुनावों में मतदान का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर: स्थापति करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशों में निवासी भारतीय नागरिकों को लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं के लिए चुनावों में मतदान का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं विधेयक को पुर: स्थापति करता हूं ।

3.37 म०प०

गरीबी समाप्त करने के उपायों के बारे में संकल्प—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब 18 जनवरी, 1985 को प्रो० मधु दण्डवते द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेगें :—

"यह सभा जनता के विशाल वर्ग को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में सरकार की असफलता पर चिन्ता व्यक्त करती है और मांग करती है कि देश से गरीबी को समाप्त करने के लिए ठोस उपाय किये जाएं ।"

श्री हरीश रावत : अपना भाषण जारी रखें । वह पहले ही आठ मिनट ले चुके हैं ।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा): चेयरमैन साहब, मैं इसके सम्बन्ध में बहुत सारी बातें पहले ही कह चुका हूं । हमारे जो माननीय मन्त्री हैं—श्री चन्द्राकर साहब, वह बहुत अनुभवी नेता है, जनता से उनका बड़ा निकट का रिश्ता रहा है और मैं समझता हूं वह इस बात को महसूस करते होंगे—हमारे एन० आर० ई०पी० और आइ० आर० डी०पी० कार्यक्रमों में बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं, इम्प्लीमेन्टेशन के लेवल पर, जिन से इन कार्यक्रमों का लाभ जिन लोगों तक सरकार पहुंचाना चाहती है वह उनको नहीं पहुंच रहा है । सरकार एक विशाल धनराशि इन कार्यक्रमों के तहत खर्च कर रही है, मगर जो एजन्सीज इसमें इन्वाल्व हैं, बैंक्स और ब्लाक्स की, इन दोनों ऐजन्सीज में कुछ इस प्रकार के मिडिल-मैन बैठ गये हैं जो अपना अंश लेते हैं और वे इतना मेजर पोर्शन इसमें से ले लेते हैं कि उस व्यक्ति को जिस को वह पैसा पहुंचता है या जिस क्षेत्र पर वह पैसा खर्च होना चाहिए, उस क्षेत्र को उसका वास्तविक लाभ नहीं पहुंच पाता है । मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि जो हमारा विकास मंत्रालय है उस को केवल पैसा देने का काम, फण्डिंग एजेन्सी का काम या पार्लियामेन्ट में केवल उत्तर देने का काम ही नहीं करना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि इसकी प्रापर मानिटरिंग हो और राज्य सरकार जिस पर उस पैसे को खर्च करने का दायित्व है उसकी एजेन्सीज ठीक से उस पैसे को खर्च कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसका लाभ वस्तुत: लोगों को पहुंच रहा है या नहीं, इसको भी देखना चाहिए ।

उत्तर प्रदेश में, जहां से मैं आता हूं, बहुत सारी शिकायतें इस कार्यक्रम के तहत लोगों की हैं। पहले फूड-फार-वर्क कार्यक्रम था, उस में भी इस तरह की शिकायतें थीं, लोगों को अच्छा गेहूं नहीं मिलता था, समय पर वेजेज नहीं मिलती थी, एन० आर० ई० पी० की स्थिति भी उस से भिन्न नहीं है। ब्लाकों में वैस्टेड इन्टरेस्ट पैदा हो गये हैं। ऐसे इन्टरेस्ट पैदा हो गये हैं जिन से ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले जो हमारे सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्त्ता हैं, उन के भी भ्रष्ट होने का रास्ता खुल रहा है।

चेयरमैन साहब, आप भी इस बात को महसूस करते होंगे और मैं समझता हूं कि इस हाऊस का प्रत्येक सदस्य इस बात को महसूस करता होगा कि प्रत्येक विकास खंड में राजनीतिक कारणों से आज तक जो फेवर किया जाता था मगर जो क्षेत्र विकास अधिकारी हैं या दूसरे लोग हैं, वे अपने कुछ खास खास ग्राम प्रधानों को नियुक्त कर देते हैं और उन्हीं के माध्यम से काम करवाया जाता है। ग्राम प्रधान हमारे ग्रामीण नेतृत्व की रीढ़ हैं। उन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज है मगर वह जिम्मेवारी ठीक से निभा पाएं, इस बात को देखने के लिए हमारे जो बी०डी०ओज हैं, उन में एक कमिटमेंट होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए इस कार्य के प्रति और डिस्ट्रिक्ट लेविल के जो अफ़सर हैं, उन में प्रतिबद्धता होनी चाहिए इस कार्य के प्रति, मगर प्रतिबद्धता का अभाव है। आई०आर०डी०पी० में बैंकों में लोगों की अर्जियां लगी रहती हैं मगर समय पर उन को ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है और एक व्यक्ति को, जिस को लाभ पहुंचाना है, कम से कम सात, सात और आठ, आठ बार बैंकों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और यदि कोई पाजीटिव आन्सर मिलता है, तो उस के बाद उस को ब्लाक के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। यदि इन दोनों जगहों से पाजीटिव आन्सर मिल जाता है और वह किसी तरह से मेनेज कर लेता है और उस को ऋण मिल जाता है, तो ऋण मिलने के बाद जब वह उस पैसे से पशु या दूसरा सामान, जिसको उसे खरीदना होता है, वह खरीद कर अपने घर में ले आता है, तो उस को लाने के बाद भी उस की समस्या समाप्त नहीं होती है। मान लीजिए, एक व्यक्ति एक भैंस खरीद कर लाया और वह भैंस मर जाए, तो जीवित भैंस के लिए तो लोग पैसे लेते ही हैं मगर मरी हुई भैंस के लिए भी पैसा अदा करना पड़ता है क्योंकि उसे सर्टीफिकेट लेने के लिए जाना पड़ता है ताकि उस को छूट मिल सके। जो आथोरिटी सर्टीफिकेट देने के लिए सक्षम है, वह भी उस से पैसा चार्ज करती है। ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे इस योजना को फ्रूटफुल बनाया जाए।

ट्राइसेम की योजना के अन्तर्गत लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है मगर ट्रेनिंग देने के बाद आज इस देश के अन्दर, मे समझता हूं, आधे से ज्यादा ऐसे ट्रेनीज होंगे, जिन को ट्रेनिंग लिये छः छः महीने और साल साल भर हो जाता है मगर उन को ऋण नहीं मिल पाता है। उन को जितनी ट्रेनिंग दी जाती है, जो जानकारी उन को दी जाती है, वह जानकारी उन की समाप्त हो जाती है और वे लोग भूल जाते हैं उस प्रशिक्षण को। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हमारी जो यह योजना है, उस का लाभ वस्तुतः बेरोजगार नौजवानों को मिले, इस के लिए एक डेडलाइन तय की जानी चाहिए कि इतने दिनों के अन्दर उस व्यक्ति को, जिस को ट्राइसेम के अन्दर प्रशिक्षण दिया गया है, ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

इसी प्रकार से शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो ऋण गारेन्टी योजना है, उस में बहुत बड़ा घुटाला है। घुटाले इस प्रकार के हैं। मैं दुकानदार हूं, मैं कोई कान्ट्रेक्टर हूं, मैं गाड़ी का ओनर हूं, तो मेरे बेटे को या मेरे रिश्तेदार को ही ऋण मिलेगा क्योंकि मेरे पास गारेन्टी देने की शक्ति है और बैंक मुझ से पैसा रिकवर कर सकता है। इस तरह से मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरे रिश्तेदार को, जो 'हेव्ज' की श्रेणी में आते हैं, बैंक ज्यादा से ज्यादा ऋण उपलब्ध करवाते हैं और जो गरीब बेरोजगार नौजवान हैं, जो चप्पल सड़कों पर चटकाता फिर रहा है, जो इस आशा में है कि माननीय स्व० प्रधान मंत्री के इस कार्यक्रम के द्वारा उस के लिए रोजगार के दरवाजे खुले हैं और जो सरकार की तरफ़ आशा से देख रहा है, उस को रोजगार नहीं मिल पाता है। डी०आई०सी० और जिला स्तर पर जो अभिकरण इस काम को देखता है, वह नाम तो रिकमेंड कर देता है मगर बैंक पर वह बाइंडिंग नहीं है। इस के अलावा बैंकों के अलग अलग क्राइटीरिया हैं। मान लीजिए, स्टेट बैंक ऋण उपलब्ध करवा देगा, मगर सेन्ट्रल बैंक के पास नौजवान का नाम अभिकरण भेज देगा, तो सेन्ट्रल बैंक ऋण उपलब्ध नहीं करवाएगा। मेरे क्षेत्र में कुछ बैंक ऐसे हैं, जिन्होंने इस योजना के तहत अभी तक जितना उन का टार्गेट था, उस का 5 परसेन्ट भी एचीव नहीं किया है और जब उनसे कहते हैं, तो वे कहते हैं कि आप क्या कर लेंगे। एक एम०पी० इस से ज्यादा कर भी क्या सकता है। मैं समझता हूं कि प्रभावशाली से प्रभावशाली एम०पी० भी शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता और उसकी शिकायतों पर कितना अमल होता है और कितना एक्शन हो सकता है यह संदेह की बात है। यदि कोई भाग्यशाली होगा, तो मैं समझता हूं कि उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही हो जाती होगी लेकिन अधिकांश तो मेरे जैसे हैं और मेरी कैटेगरी में आते होंगे, जिन को आप कह सकते हैं कि वे भाग्यशाली नहीं हैं। मैं "दुर्भाग्यशाली" शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं।

मान्यवर, ये कुछ ऐसी हमारी योजनाएं हैं, जिन का जिक्र मैं यहां पर करना चाहता था। मैं विपक्ष के अपने मित्रों की इस भावना से सहमत नहीं हूं, जो यह कहते हैं कि सरकार के पास मंशा नहीं है। हमारे पास मंशा है, विल है और उस को हम लागू भी करना चाहते हैं। मगर सब से बड़ी कमी और खामी यह आती है कि हम लोगों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। हम एक मूवमेंट को क्रियेट नहीं कर पा रहे हैं। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों उनको इस काम के लिए आगे आना होगा। हमें एक जनमत तैयार करना होगा। अगर इसके लिए हम जनमत तैयार करने में विफल हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि सरकारें आती रहेंगी, हम एक के बाद एक बहस करते रहेंगे लेकिन वास्तव में इसका जो लाभ लोगों को होने वाला है वह नहीं हो पायेगा।

मान्यवर, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट निकली है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सारी राष्ट्रीय सम्पत्ति का केवल 0.1 परसेंट हमारी 10 परसेंट रूरल पापुलेशन के पास है। उसके लिए कोई कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए जो कि केवल उसी जनसंख्या तक सीमित हो और उसका लाभ उसको मिले। आज अगर कोई व्यक्ति सब से ज्यादा सफर कर रहा है तो वह व्यक्ति सफर कर रहा है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में इस 10 परसेंट में आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके यहां कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसी वृद्ध महिलाएं और

पुरुष हैं जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है । वृद्धावस्था पैंशन आदि जरूर दी जाती है लेकिन वह बहुत कम दी जाती है क्योंकि राज्य सरकारों के रिसोर्सिज़ बहुत कम हैं जो दुर्बल वर्ग को आवास आदि इस प्रकार के साधन उपलब्ध कराने की बात है उसके लिए इतनी कम धनराशि निर्धारित की जाती है कि उसका बहुत कम लाभ दुर्बल वर्ग को पहुंच पाता है । केन्द्रीय सरकार टार्गेट निर्धारित कर देती है और राज्य सरकारें उनके बारे में लिख कर भेज देती हैं कि 80-90 परसेंट टार्गेट्स फुलफिल हो गए हैं और वही जानकारी यहां सदन में दे दी जाती है । निर्बल वर्ग के लिए आवास जहां कहीं भी बने हैं उनमें से अधिकांश आवास ऐसे हैं जो कि निर्बल वर्ग तो क्या, उससे भी जो नीचे का वर्ग है उसके रहने के काबिल भी नहीं हैं । ये आवास इन्सानों के रहने के काबिल नहीं हैं । इन आवासों की योजना में इस तरीके से धन खर्च करने से कोई लाभ नहीं होगा । इसमें सुधार के लिए कोई कारगर कार्यवाही होनी चाहिए ।

मार्जिनल फार्मर्स और रूरल लेण्डलेस फार्मर्स की दशा में सुधार के लिए सरकार ने बहुत सी कोशिशें की हैं । वह कोशिशें स्वागत योग्य हैं । मगर जब तक हम लैंण्ड रिफार्मस को कड़ाई से लागू नहीं करेंगे, हम इस बात को नहीं देखेंगे कि मार्जिनल फार्मर्स को और लैण्डलेस फार्मर्स को उसके वास्तविक अधिकार मिले तब तक इनका विशेष लाभ उन्हें नहीं मिलने वाला है । जहां पर चकबंदी नहीं हुई है, वहां चकबंदी हो जाए तो इस वर्ग की दशा में कोई विशेष सुधार हो सकता है । सरकार ने और माननीय प्रधान मंत्री जी ने वेस्ट लैण्ड डवलपमेंट बोर्ड बनाने की घोषणा की है । यह स्वागत योग्य कदम है । ग्रामीण क्षेत्र में हमारी बहुत सारी परती जमीन बेकार चली जाती है । वह जमीन अधिकांश उस वर्ग की है जिस वर्ग के पास साधन नहीं हैं । उस वर्ग को साधन मुहैया करवाने के लिए कोई काम होना चाहिए । यह बोर्ड बने और वह बोर्ड इस वर्ग को साधन मुहैया कराए ताकि जो जमीन बेकार पड़ी है वह कल्टीवेट करने लायक हो सके । जब तक वह जमीन कल्टीवेट करने लायक नहीं हो जाती तब तक इस वर्ग को कोई-न-कोई सहायता मुद्रा के रूप में प्राप्त होनी चाहिए ।

मान्यवर, बेरोजगार नौजवानों की संख्या में, पिछले समय में हमारे इतने सारे कार्य-क्रमों के बावजूद कुछ भी कमी नहीं आई है । मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि पहले माननीय इन्दिरा जी के नेतृत्व में और अब माननीय राजीव जी के नेतृत्व में सरकार ने इस राष्ट्रीय संकल्प को दोहराया है । मगर इनकी इतनी बड़ी संख्या हमारे सामने है, इतना बड़ा बैंकलाग हमारे सामने है कि जब तक हम तेजी से इस बैंकलाग को समाप्त करने के लिए कदम नहीं उठाते कोई कार्यवाही नहीं करते तो मैं समझता हूं कि यह मामला बढ़ता जाएगा और बेरोजगार नौजवानों की संख्या बढ़ती जाएगी । बेरोजगार नौजवानों की दशा इस समय बहुत खराब है, सोचनीय है । एक नौजवान जो डिग्री लेकर बाहर निकल रहा है उस नौजवान के सामने बहुत द्विविधापूर्ण परिस्थिति होती है । एक तरफ परिवार होता है और परिवार के लोगों की आशाएं उसके ऊपर टिकी रहती हैं । दूसरी तरफ वह नौकरी की तलाश में दर-दर भटकता हुआ हताश हो जाता है । अगर हमारी यंगमैन पावर इस तरह से हताश हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि हमने नेशनल कंस्ट्रक्शन का, बीसवीं सदी में भारत के निर्माण का जो संकल्प किया है, उसमें व्यवधान पैदा होगा । मैं आपके माध्यम से

मंत्री महोदय तक और वित्त मंत्रालय तक यह निवेदन पहुंचाना चाहता हूं कि बेरोजगार नौजवानों को तत्काल बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए और विशेषकर उन नौजवानों को जिन्होंने इंटर तक पढ़ाई कर ली है, चाहे आप भविष्य के लिए यह निर्धारित कर दें कि डिग्री कक्षा में वही विद्यार्थी पढ़ सकेगा जो नौजवान अच्छे नंबरों से पास होगा। आप शिक्षा नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अगर उससे कोई नई दिशा निकलती है तो वह स्वागत योग्य है, मगर जब तक कोई दिशा नहीं निकलती है तब तक बेरोजगारी भत्ता इन बेरोजगार नौजवानों को दिया जाना चाहिए।

गरीबी उन्मूलन हमारा राष्ट्रीय संकल्प है और इस संकल्प की सफलता की कामना हम सारे लोग करते हैं। मैं समझता हूं कि चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, आज देश का सारा प्रबुद्ध जनमानस सरकार के प्रयत्नों के साथ है। हम उनकी दिक्कतों को भी समझते हैं। हम जो आलोचना करते हैं, उसके पीछे हमारी मंशा सरकार की निंदा करने की नहीं है। अगर हम कहीं पर किसी त्रुटि को बताते हैं तो हमारी दोषारोपण करने की मंशा नहीं है, जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम इन कमियों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करें। माननीय दण्डवते जी ने यह संकल्प यहां पर प्रस्तुत करके हम लोगों के सामने अपार्चुनिटी रखी है कि गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनका अवलोकन कर सकें, उन पर दृष्टिपात कर सकें और जो कमियां हम महसूस करते हैं, उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कर सकें।

मैं समझता हूं कि मैंने जो प्वाइंट उठाए हैं, माननीय मंत्री महोदय अपने से संबंधित मंत्रालय के सवालों की ओर तो ध्यान देंगे ही और जिन सवालों का संबंध अन्य मंत्रालयों से है, उनको संबंधित मंत्रालयों की ओर भेजने का कष्ट करेंगे और उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करने की कृपा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

डा० दत्ता सामंत (बंबई दक्षिण मध्य) : माननीय दण्डवते जी ने जो सुझाव रखा है वह यह है कि सरकार गरीबी को कम करने में सफल नहीं हुई है। आज जो सरकार बनी है, वह अच्छी है या बुरी है इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। आगे यह सरकार कोई अच्छा कार्यक्रम लेकर आए तो बहुत अच्छी बात है। माननीय दण्डवते जी ने जो प्रस्ताव यहां रखा है, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

प्लानिंग कमीशन टास्क फोर्स के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 1979-80 में 70 रुपए शहर में और 75 रुपए गांव में प्रतिमाह आमदनी वाले लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। 1979-80 में गांव के लिए 100 रुपए और शहर के लिए 110 रुपए यह आंकड़ा था और आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो गांव के लिए 400 और साढ़े 4 सौ रुपए प्रति मास और शहर के लिए 500 रुपए प्रतिमास आमदनी के लोग इसमें आएंगे। आज इतनी इनकम वाले कितने लोग गांवों और शहरों में हैं। आज अगर सरकार से गरीबी, ब्लैकमनी या महंगाई के आंकड़े प्राप्त करने की कोशिश की जाए तो सही आंकड़े कहीं से नहीं मिलते हैं। आज इस तरह के 70-80 परसेंट लोग होंगे जो गरीबी की रेखा के नीचे होंगे। बंबई जैसे शहर में जहां पर 12 सौ करोड़ रुपया इनकम टैक्स का आता है और 1200 करोड़

रुपया सेल्स टैक्स का आता है वहां भी 20 परसेंट लोग 500 या 550 रुपए प्रतिमास आमदनी वाले हैं ।

छटी पंचवर्षीय योजना में गरीबी से ऊपर उठाने के लिए 4500 करोड़ रुपए का एस्टीमेट था, उसमें से 1500 करोड़ रुपया सबसिडी थी । 3000 करोड़ रुपया डेवलपमेंट पर खर्च किया गया है । आपकी जो सब योजनाएं हैं उसमें 4.7 मिलियन बैकवर्ड और 7.9 मिलियन इकोनामिकली विकर लोगों के लिए पैसा दिया है । इसका मतलब है 14.5 मिलियन यानी 7 करोड़ लोगों के लिए 4500 करोड़ रुपया खर्च किया है । एक आदमी के पीछे 500 या 600 रुपया 1500 दिनों के लिए खर्च किया है जो कि आठ आने के करीब बैठता है । एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम में आधा पैसा भी पहुंच नहीं पाता है । अगर कमेटी द्वारा इंक्वायरी कराई जाए तो पता चलेगा कि आधे पैसे भी वहां नहीं जाते हैं : उसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं । एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम में आप मजदूरों को काम देते हैं या एक किलो अनाज भी उनको मिलता है । इससे गरीबी हटती है क्या ? अगर आप कोई सड़क या अस्पताल बनायेंगे तो उससे गरीबी हटने वाली नहीं है । क्या 14.5 मिलियन लोगों की गरीबी हट गई है ? कहा जाता है कि उनको कपड़ा वगैरह दिया जाता है । इंक्वायरी की जाए तो पता चल जायेगा कि गरीबी कितनी हटी है । फीगर्स तो कम दिखाई देंगे । मेरे हिसाब से गरीबी दिन-प्रति दिन बढ़ती जा रही है । आज देश में अन-एम्पलायमेंट का सवाल ले लीजिए । प्लानिंग कमीशन की एक रिपोर्ट है "एस्टीमेट आफ एम्पलायमेंट एण्ड अन-एम्पलायमेंट" । इसके मुताबिक ढाई करोड़ लोगों को नौकरी के लिए रजिस्टर किया गया । अन-रजिस्टर्ड उससे भी ज्यादा हैं ।

[अनुवाद]

योजना आयोग का मुख्य निष्कर्ष स्पष्ट प्रतीत होता है : बेरोजगारी बहुत अधिक है और सरकारी क्षेत्र पर आधारित आर्थिक विकास की नीति इसकी अत्याधिक वृद्धि को रोकने में असफल रही है ।

[हिन्दी]

यहां पर चर्चा करते हैं कि इण्डस्ट्रीज के लिए दो हजार करोड़ रुपया दिया । जितना पैसा सरकार देती है, उसके हिसाब से इण्डस्ट्रीज के द्वारा लोगों को कितनी नौकरी मिलती है । सर्वे आफ प्लान के अनुसार 1983-84 में दो-ढाई हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ है । मैं समझता हूं पांच-दस लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलेगी । इतना पैसा खर्च करने से एम्पलायमेंट पोटेन्शियल नहीं बढ़ता है । समझ में नहीं आता कि गरीबी कैसे हटेगी । सरकार की फीगर्स आपको बता रहा हूं । 1961 में 126 इन्डैक्स था । 1972 में 267, 1983 में 716 और अब तो उसके ऊपर चला गया है । बीस सालों में छह या सात गुना महंगाई बढ़ गई है । अगर आपके कंट्रोल में महंगाई नहीं होगी तो दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी । मैं सारे आंकड़े बतलाकर आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी यह बताएं कि काला पैसा कितना है ? इस सदन में श्रीमती रतन कुमारी ने एक सवाल पूछा था । श्री कृष्णा ने जवाब दिया है कि गवर्नमेंट के पास कोई रिलाएबल सोर्स नहीं है । इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि देश में ब्लैक मनी कितनी है ?

4.00 म०प०

उनके असैसमेंट के अनुसार 1953-54 में 600 करोड़ रुपये का काला धन इस देश में था। उसके बाद वांचू कमेटी की रिपोर्ट में 1968-69 के अंत तक 1,400 करोड़ रुपये का जिक्र किया गया है। उसके आगे किसी ने भी यह आंकड़ा नहीं दिया कि देश में कितना काला धन है, शायद गवर्नमेंट ने बोले होंगे कि आप इन फीगर्स को मत दीजिए। उसके बाद एक वित्तीय मामलों के एक्सपर्ट के मुताबिक 50 हजार करोड़ रुपये का काला धन इस देश में बताया गया है। आपके मिनिस्टर साहब ने जो बुक लिखी थी, उसके इनाग्रेशन में मैं भी गया था, उसके अनुसार दिसम्बर, 1983 तक देश में 60 हजार करोड़ रुपये का काला धन विद्यमान था। व्हाइट मनी के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन काले धन की फीगर्स इतनी थीं, हो सकता है कि उससे भी कुछ ज़्यादा हो। यदि इसी तरह से ब्लेक मनी बढ़ता जाएगा, होर्डिंग बढ़ती जाएगी तो आप उसको कैसे कन्ट्रोल करेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है, उस इन्फलेशन को आप कैसे अपने काबू में लायेंगे। यदि आप के ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहे। यह ठीक है कि आपका पैसा प्लानिंग पर खर्च होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ तक किया जाता है, उसका ब्यौरा किसी के पास नहीं होगा। यह एक गम्भीर स्थिति है, जिस की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। इसके अलावा देश में उद्योग धंधों के लिए जितना पैसा देते हैं, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उस पर सरकार का कोई कन्ट्रोल या अंकुश नहीं है। उनमें से आधी यूनिट सिक बन जाती हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं।

हमारे यहां की टैक्सटाइल मिलों में 113 करोड़ रुपया मिल-मालिकों ने फंसाया हुआ है, वे लोग उन मिलों से अधिक से अधिक फायदा उठाते हैं और 50-100 साल चलाने के बाद उसको सिक घोषित कर देते हैं और उसको सरकार के पास दे देते हैं। आप यहां चर्चा करते हैं कि वे मिलें घाटे में चलती हैं। यदि सारे देश की इकानामी की यही हालत रहेगी तो मैं नहीं समझता कि जिस तरह से आप देश से गरीबी हटाने की बात करते हैं, उस में किस हद तक कामयाब हो सकेंगे। मैं इस सभागृह में सत्ताधारी पक्ष से भी कहना चाहूंगा कि आपने केन्द्र में स्थिर सरकार बनाई है, यदि आप इसी तरह के बिल लेकर सभागृह में आयेंगे, आपकी इसी तरह की इकानामी चलती रहेगी जिसमें आप झूठा धंधा करने वालों को, काला धंधा करने वालों को, टैक्स बचाने वालों को प्रोटेक्शन देते रहेंगे तो उससे आप किसी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए आपको इन चीजों पर कन्ट्रोल लगाना चाहिए। माननीय सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता की यह मांग है, जनता ने इसी वजह से आपको इतना भारी मैन्डेट दिया है, इसी लिए आपको इतने ज्यादा वोट मिले हैं कि आप उनके हित में काम करें। इसलिए हमारी ओर से जो भी सुझाव इस सभागृह में रखे गए हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन पर ध्यान दें और कार्यवाही करें।

इसके अलावा कुछ सुझाव हमारे मधु दण्डवते जी ने भी दिये हैं जैसे लैण्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सुझाव दिए, मैं उन सबके आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह बात सही है कि उसका इम्पलीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ। यहां मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव यह देना चाहता हूं कि हमारे देश में मिनिमम वेज और फैक्टरी एक्ट के नीचे आने वाले लगभग मजदूरों की संख्या करोड़ों में

हैं, उन 5 या 6 करोड़ फार्मर-वर्कर्स के बारे में मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं किया जाता है । मैं आपको महाराष्ट्र के सांगली क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं, मैंने सतारा में खुद जाकर देखा है कि वहां क्या स्थिति है । दूसरी सब बातें होती हैं, मगर महाराष्ट्र में गन्ने के काम में जो 4 लाख लेबर लगी है, वे लोग गरीबी और दरिद्रता के नीचे अपना जीवन बिता रहे हैं । क्या ऐसे लोगों को भी आप मिनिमम वेज नहीं दे सकते, इसमें आपको क्या परेशानी है । आपको पावर तो है, लेकिन आप उनको इम्पलीमेंट नहीं करना चाहते । पता नहीं ऐसी चीज भी सरकार क्यों नहीं करना चाहती । यदि आप इन गन्ने के खेतों में काम करने वाले मजदूरों के बारे में भी मिनिमम वेज एक्ट लागू करें तो गरीबी के नीचे आने वाले बहुत से लोगों का जीवन सुधर सकता है । दूसरी बात मैं कन्सट्रक्शन आफ रोड्स एण्ड बिल्डिंग के बारे में कहना चाहता हूं । देश में इस काम पर लगभग एक करोड़ लेबर लगी हुई है । उनके बारे में किसी को चिन्ता नहीं है, क्योंकि वे लोग पूअर होते हैं । वे संगठित होकर बोल नहीं सकते । इसके अलावा पावरलूम पर काम करने वाले लोग भी आते हैं, गन्ने के खेत में काम करने वाले भी हैं और शौप्स और दूसरे इस्टैब्लिशमेंट्स में काम करने वाले, दूसरे छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग भी हैं और उन सबकी संख्या भी करोड़ों में है, वे सब अनआर्गेनाइज्ड और पूअर लेबर हैं । उनके बारे में ट्रेड यूनियन भी कोई बात नहीं कहती है, वे भी सोचती है कि कौन उनके लिए काम करे, क्योंकि वे कमजोर हैं । मैं मानता हूं कि ट्रेड यूनियनों को ऐसा नहीं करना चाहिए । उन सब लोगों ने भी आपको ही वोट दिया है, लेकिन यहां वोट का सवाल नहीं है । मेरी मांग है कि उनके लिए भी मिनिमम वेज एक्ट और फैक्टरी एक्ट लागू किया जाए । यदि सरकार ऐसा करेगी तो देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले बहुत से लोगों को फायदा होगा और उनको भी कुछ-न-कुछ लाभ मिलेगा । उनके लिए भी आप कोई ठोस कार्यक्रम बनाइये ताकि उनकी आर्थिक हालत सुधर सके ।

टैक्सटाइल मिलों के सम्बन्ध में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि श्री राजीव गांधी जी ने अहमदाबाद में यह घोषणा की थी कि हम देश की तमाम टैक्सटाइल मिलों को अप-टू-डेट करेंगे, मौडर्नाइज करेंगे । मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूं । मैं भी इसी राय का हूं कि तमाम मिलें अप-टू-डेट हो जाएं और उनका मौडर्नाईजेशन किया जाए लेकिन उनको माडर्नाइज करने पर आप जो पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि पिछले 50-100 सालों में उन मिलों से मिल मालिक लोग फायदा उठाकर चले गए । मेरे पास सारी मिलों के आंकड़े हैं, यदि आप चाहें तो मैं उनको बता सकता हूं । यह क्या कर रहे हैं, ऐसी बड़ी इकनामी है, यह ब्लाक हो जायेगी तो क्या होगा ?

अहमदाबाद में 62 हजार, बम्बई में लगभग 1 लाख, कानपुर में 10, 15 हजार और दिल्ली में लगभग 60 हजार मजदूर ऐसे हैं जिनके आधार पर मालिकों ने करोड़ों रुपया कमाया और उसमें बहुत सारा काला धन है लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया । इसके लिए मैं किस को जिम्मेदार बताऊं ? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए । इसकी वजह से अगर लाखों मजदूर बेकार होते हैं तो सरकार को उसके बारे में कोई ठोस कार्यक्रम बनाना चाहिए । खाली चर्चा से कुछ नहीं हो सकता है । आप इकनामी को डैवलप करने जा रहे हैं ।

माडर्नाइजेशन, आटोमाईजेशन, साइंटिफिक डैवलपमेंट की बहुत बात चली है मगर हमारे देश में अन-एम्पलायड सैक्टर बहुत बढ़ता जाता है । इसके बारे में कोई ठोस कार्यक्रम सरकार को बनाना चाहिए । गरीब को छोटा-छोटा काम दे दिया, रोड पर मजदूरी दे दी उससे गरीबी नहीं

हटती। आपने कोई हास्पिटल खोल दिया मगर उसके आजू-बाजू के लोग तो गरीब ही रहेंगे ऐसा कोई इकनामिक मेजर नहीं है, जिससे उनको ठोस हिस्सा मिल सके। इस तरह से आपकी प्लान फैल्योर हो सकती है।

मैं माननीय श्री दंडवते जी को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो सरकार बनी है, स्टेबल गवर्नमेंट जो आपकी डिमांड थी, वह कुछ न कुछ ठोस कार्यक्रम इसके बारे में बनायेगी। मैंने ज्यादा लेबर औरिएन्टेड के बारे में बोला है। आज देश में अन-आर्गेनाइज्ड लेबर 20 टका पापूलेशन में फैल गया है, उसको भी एम्पलायमेंट मिले, उसकी सैलरी प्रोटेक्ट करें तो बहुत से काम उसमें हो सकते हैं। इतना बोलकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रणजीत सि गायकवाड़ (बड़ौदा) : मैंने अभी माननीय सदस्यों द्वारा वर्तमान सरकार तथा भूतपूर्व सरकार की कार्यक्रमों के क्रियान्वित न किये जाने और देश से गरीबी हटाने के लिए कोशिश न करने की आलोचना को सुना है। मैं उसका विरोध करता हूं। जैसाकि हम सभी जानते हैं पिछले चुनाव में तथा उससे पूर्व के चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली तथा वर्तमान प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार समाज के सभी वर्गों के सहयोग से विशाल बहुमत से जीती। इस से केवल यह प्रकट होता है कि लोगों का इस सरकार द्वारा पिछले पांच साल में किये गये कार्यों में विश्वास है।

सभापति महोदय : एक मिनट। वास्तव में जो समय आबंटित किया था वह पूरा हो गया है। अब मैं सभा से समय बढ़ाने के लिए कहता हूं। क्या हम एक घंटा समय बढ़ाये ?

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : हमें दो घंटे चाहिएं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट बिल है, इसके लिए समय दो घंटा और बढ़ाया जाये, यह मेरी विनती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : एक घंटा पहले ही बढ़ाया जा चुका है। हम बाद में देख लेंगे। अभी समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह एक रेलवे लाइन की तरह है जिसका निर्माण सेक्शनवार किया जाता है।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : हमारी सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबों के उत्थान के लिए शुरू किया है। इससे प्रकट होता है कि हमारी सरकार को लोगों की कितनी चिन्ता है और इन सब वर्षों में लोगों के भले के लिए सरकार कार्य करती रही है। अन्यथा यह सभी कार्यक्रम कैसे आते ? अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि सरकार ने गरीबी मिटाने के लिए चेष्ठा नहीं

की है। मुझे माननीय, सुशिक्षित, विद्वान वरिष्ठ सदस्य प्रो० मधु दण्डवते के इस वक्तव्य से हैरानी हुई कि सरकार गरीबी हटाने में विफल रही है अथवा सरकार ने गरीबी हटाने के लिए यत्न नहीं किया है। मैं समझता हूं माननीय सदस्य ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं तथा वह सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि वह अपने नेत्र खोलें, तथा इस बात पर ध्यान दें कि वर्तमान सरकार और पिछली सरकार गरीबों के उत्थान के लिए क्या कार्य कर रही है।

भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के अन्तर्गत गरीबों के उत्थान के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने और इस देश के गांवों में बसे लोगों का उत्थान करने का कार्यक्रम शुरू किया। बहुत सी बातों अर्थात शिक्षा, सड़क, पानी, आवास, बेरोजगार युवकों तथा लोगों के लिए रोजगार पर ध्यान दिया जाता है। यह कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जाता है। आज भी हम परिणाम देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जुटाई गई सुविधाओं से कई स्थानों पर गरीब लोगों को लाभ पहुंचा है। दिल्ली और बम्बई के बीच रेल द्वारा यात्रा के दौरान हुई आप राज्य सरकारों द्वारा बेरोजगार तथा भूमिहीन लोगों के लिए बनाई गई नई बस्तियां देख सकते हैं। यह कार्य द्रुत गति से हो रहा है और राज्य सरकारों द्वारा अच्छी तरह से किया जा रहा है। इतना ही नहीं युवकों, महिलाओं और विकलांगों को अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ अर्जित कर पाने के लिए बैंकों से दिए जाने वाले ऋणों से मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध रहा है। निःसन्देह इसके प्रशासन में कुछ असंगति अवश्य है जैसे सिलाई की मशीनें एक ही ऐजेन्सी द्वारा सप्लाई की जाती हैं, ऋण कुटीर उद्योगों के लिए दिए जाते हैं जबकि वैसी ही अच्छी मशीनें बनाने वाली और भी अन्य सक्षम कम्पनियां हैं। ऐसे स्वःनियोजित दलाल हैं जो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वह लोगों की सहायता कर रहे हैं। वे आवेदकों को देय राशि का लगभग आधा धन ले जाते हैं। आवेदक को पता नहीं होता कि उसे पूरे धन की वापसी करनी पड़ेगी, न कि आधे धन की जोकि वह दलाल को देता है। इस असंगति पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

फिर यदि आप समस्त स्थिति पर ध्यान दें तो आप पायेंगे कि सड़कों का निर्माण, द्रुत गति से अशिक्षकों को शिक्षित किये जाने का कार्य अत्यन्त विधिवत रूप से हो रहा है। मुझ से पहले श्री दत्ता सामन्त ने बताया था कि सरकार अधिक युवकों तथा अन्य व्यक्तियों को रोजगार नहीं दे पाई। परन्तु दूसरी ओर जब वह कपड़ा मिलों को बन्द कर देते हैं तो सरकार क्या कर सकती है? अतः आंकड़ों में वृद्धि नहीं हुई। उनके कारनामों के कारण बम्बई से बहुत सी फैक्टरियां बाहर स्थानान्तरित हो रही हैं। यहां वह यह कह रहे हैं कि सरकार लोगों को रोजगार देने में विफल रही है। मेरे नगर बड़ोदा में दो आर्थिक दृष्टि से संकटग्रस्त मिलें हैं। बेशक वे संकटग्रस्त हैं, परन्तु कार्मिक तथा प्रबन्धक मिलकर कठिनाई में हैं तथा कार्मिक आधे वेतनों पर कार्य कर रहे हैं। सरकार की ओर से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें नियमित रूप से अदायगी नहीं की जा रही। आधे वेतन की अदायगी नियमित न होने पर भी कार्मिक कार्य कर रहे हैं। ऐसा बम्बई की कपड़ा मिलों में भी हो सकता था परन्तु वहां पर ऐसा नहीं किया गया तथा मिलें पूर्णतः बन्द रहीं तथा लोग बेरोजगार हो गये। वहां क्या हो रहा है इसका इतिहास सभी जानते हैं।

जहां तक गन्दी बस्तियों को हटाये जाने का प्रश्न है, इसमें काफी गोलमाल हुआ है जिसे सही किया जाना चाहिए। जिन लोगों को गन्दी बस्तियों से हटा कर पक्के मकानों में बसाया जाता है वे उन्हें किराये पर देकर पुनः झोंपड़ियों में चले जाते हैं। अतः यह समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक कड़े उपाय नहीं किये जाते तथा ऐसे नियम नहीं बनाये जाते कि जिन लोगों को पक्के मकान दिये जाते हैं, वे ही उनमें रहें।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम—भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने शुरू किये थे। तथा ये केवल उन राज्यों को छोड़कर जहां पर हमारी सरकार सत्ता में नहीं है समूचे देश में कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

गरीबों को उचित मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने देश में लगभग दो लाख से भी अधिक उचित मूल्य की दूकानें खोली हैं। इनके अतिरिक्त, जहां पर भी आवश्यकता होती है राज्य सरकारें लोगों को उचित मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त दूकानें खोलती है।

एक माननीय सदस्य : अभी और भी अनेक दूकानें खोलने की आवश्यकता है।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : महोदय, किन्तु कार्यक्रम अब भी जारी है। मैंने यही तो कहा है कि जहां भी आवश्यकता होती है, राज्य सरकार निरीक्षण के बाद यह सुनिश्चित करती है कि उस क्षेत्र में उचित मूल्य की दूकान खोली जाये, ताकि जनता को कठिनाईयां न हो........ ....(**व्यवधान**)।

सभापति महोदय : चूंकि सूची में अभी अनेक सदस्यों का नाम है इस लिए आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : महोदय, मैंने तो अभी शुरू किया है। यह तो केवल प्रस्तावना थी।

सरकारी एजेन्सियों अथवा उन एजेन्सियों, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की गणना कर सकती हैं, के निष्कर्ष यह हैं कि लगभग 41 प्रतिशत—लगभग 31.64 करोड़ जनता गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। उसके पश्चात् यह पता लगाने के लिए, एक अन्य अर्धकालिक सर्वेक्षण किया गया और अब एक अन्तिम सर्वेक्षण किया जा रहा है कि पिछले पांच वर्षों में इन कार्यक्रमों से कितना लाभ उठाया गया। हमारे नए प्रधान मन्त्री ने समूचे देश की गरीब जनता के उत्थान के बारे में एक बड़ा उपयुक्त वक्तव्य दिया है और मुझे विश्वास है कि आगामी समय में वह जनता को दिए गए वचन को पूरा करेंगे। मुझे खेद है कि वरिष्ठ माननीय सदस्य ने यह कहा है कि सरकार ने गरीब जनता के प्रति अपने दायित्व को पूरा नहीं किया है। यह बिल्कुल झूठ है।

सभापति महोदय : आप कहिए असत्य है, झूठ नहीं।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : ठीक है, असत्य है। मेरे विचार से उन्हें समूची वस्तुस्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और कुछ ठोस और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि इस देश की गरीब जनता को उनके अनुभव तथा विचारों से लाभ मिल सके।

श्री जी०जी० स्वैल (शिलांग) : सभापति महोदय, जब मेरे मित्र श्री मधु दंडवते ने संकल्प पेश किया था तो मुझे अफसोस है कि मैं यहां नहीं था। यदि मैं यहां होता तो जो बातें उन्होंने कही हैं, उनसे मैं लाभ उठा सकता।

मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि मन्त्रियों की ओर से बोलने वाले मेरे एक अन्य अच्छे मित्र श्री चन्दू लाल चन्द्राकर हैं। सरकारी दायित्व मिलने से पहले वह अपेक्षाकृत मजे में थे और हम दोनों ने केन्द्रीय कक्ष में अनेक बार एक साथ बैठकर काफी पी है और उस दौरान उनकी यात्राओं के बारे में अनेक मजेदार कहानियां सुनी हैं। वह काफी स्थानों पर घूमे हुए हैं वह विश्व के अद्‌भुत स्थानों और विशेषकर अफ्रीका की यात्रा कर चुके हैं। मेरे विचार से एक बार उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने एक ट्रक से लिफ्ट मांग कर सुडान से लेकर किशासा जो कांगो की राजधानी थी, और जियरे तक किस प्रकार यात्रा की थी। अतः उन्हें न केवल इस देश के अपितु विश्व के अन्य भागों में ग्राम्य जीवन जहां रहन-सहन की स्थिति बड़ी कठिन है के बारे में बहुत जानकारी है।

मुझे मन्त्रियों के बीच में श्री नारायणन को देखकर भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरे विचार से वह आयोजना के प्रभारी भी हैं। मेरे विचार से उन्हे इस समस्या के संबंध में थोड़ा कुछ सीखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि राजनयिकों की ऊंची दुनिया से गरीबों की दुनियां में बड़ा भारी अन्तर है। वह स्वयं गरीबी से परिचित हैं। उनका जीवन संघर्षमय रहा है। जबकि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश रचनात्मक समय राजनयिकों की ऊंचाइयों में बिताया है, शायद उनको अपने वर्तमान दायित्वों के प्रति स्वयं को अनुकूल बनाना होगा तथा पुनः सीखना होगा।

सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि श्री दंडवते अपने संकल्प को कुछ अन्य ढंग से लिखते। जब वह यह कहते हैं कि सरकार जनता को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने में असफल रही है तो मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूं। मेरे विचार से सरकार ने बहुत कुछ किया है। आज भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो गरीबी की रेखा से ऊपर हैं। किन्तु समस्या तो बढ़ती हुई आबादी और जनता की बढ़ती हुई आकांक्षाओं की है। अर्थात् जनता के उत्थान के लिए जो भी कुछ किया जाता है उसकी आवश्यकतानुसार वह नगण्य हो जाता है। आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं, यह बात नहीं है कि सरकार असफल हो गई है। इसने तो अपना हर सम्भव प्रयास किया है और इसने काफी कुछ किया भी है। किन्तु जो कुछ किया गया है, आवश्यकता उससे कहीं अधिक है।

सभापति महोदय, मुझे पता है कि मेरे पास समय बड़ा कम है। भारत में गरीबी का प्रश्न आधारभूत रूप से हमारे कृषकों की गरीबी का प्रश्न है। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रहा हूं कि औद्योगिक श्रमिकों में भी गरीबी है किन्तु भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश है। यदि हमारे कृषक सम्पन्न हैं तो मेरे विचार से औद्योगिक श्रमिकों की समस्या का भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि उद्योग और अधिक अर्थक्षम हो जाएंगे और अधिक लोग औद्योगिक

उत्पाद खरीद सकने की स्थिति में हो जायेंगें। इस प्रकार उद्योग और अधिक बढ़ेगा और देश में काफी सीमा तक गरीबी को हटाया जा सकता है।

मैं अब अपने आपको देश के अपने हिस्से के बारे में हो अपने विचार व्यक्त करूंगा, क्योंकि मेरे विचार से पूर्वोत्तर में जनता की समस्या, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में आदिवासी क्षेत्रों की जनता की समस्या को देश के अन्य भागों में गरीबी की समस्या की तरह नहीं रखा गया है। मैं स्वयं को देश के इस भाग तक ही सीमित रखूंगा और मन्त्री महोदय को कुछ ठोस सुझाव दूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो बाद में इस पर मैं एक नोट भेजूंगा, ताकि कुछ ठोस कदम उठाये जा सकें।

उससे पहले मैं एक अन्य बात कहना चाहता हूं। देश के उस भाग—पूर्वोत्तर भाग की उपेक्षा करने पर राष्ट्रीय स्तर पर एक पश्चाताप की भावना बनी हुई है। ऐसा नहीं कि उस भाग की उपेक्षा जानबूझ कर को गई थी। यह भौगोलिक एवं ऐतिहासिक कारणों से ऐसा हुआ है। किन्तु सत्य तो यह है कि हमारे देश के इस बहुत बड़े भाग, पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश की 80 प्रतिशत चाय उगाई जाती है तथा यह पन बिजली, उर्जा तथा अन्य अनेक चीजों का विपुल स्रोत है। इस समूचे क्षेत्र की उपेक्षा की गई है, विशेष रूप से 1962 में चीन के आक्रमण के पश्चात् जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर पश्चाताप की यह भावना है कि यहां पर काफी कुछ किया जाना है।

उसके पश्चात् यहां काफी धन खर्च किया गया है। किन्तु मैं यह बात रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि जो धन यहा खर्च किया गया है उसके परिणामस्वरूप हम उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सके जो हम करना चाहते थे। इस क्षेत्र की जनता ने मुद्रास्फीति, मूल्य-वृद्धि एवं बेईमान ठेकेदारों, नौकरशाहों तथा भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के नव-विकसित वर्ग के हाथों में अधिकांश धन परिचालित, एकत्रित हो जाने के कारण हमेशा ही यदि घोर गरीबी का नहीं, तो गरीबी का सामना अवश्य किया है। इसमें से अधिकांश धन उनकी जेबों में चला गया है। अनेक लोग रातों-रात अमीर हो गए हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानता हूं जो किसी कार्यालय में चपरासी का कार्य करता था किन्तु चार अथवा पांच वर्ष की अवधि में यह व्यक्ति दिल्ली आने और फिर कलकत्ता जाने तथा 12 लाख रु० की मर्सीडीज कार खरीदने की स्थिति में हो गया था मानों वह कार नहीं माचिस खरीद रहा हो। इस प्रकार की बातें भी हो रही हैं। यह नव-धनाढ्य वर्ग जो बेईमानी से रातों-रात अमीर बनता है अपनी सम्पन्नता का भोंडा प्रदर्शन करता है जबकि अधिकांश जनता हमेशा गरीबी में दबी रहती है।

इस सब का परिणाम यह हुआ है कि देश के उस हिस्से में, जहां हमें वर्गहीन समाज—जहां न कोई बहुत बड़ा है, न कोई बहुत छोटा है—जिस पर हमें गर्व था, एक नया वर्ग उभर रहा है, एक नये प्रकार का वर्ग संघर्ष उभर रहा है। इसलिए हमें उस क्षेत्र की गरीब जनता में कुछ सीमा तक सम्पन्नता लाने के लिए उनकी सहायता करने के लिए अपने व्यय, अपने तरीके को नई दिशा देने की आवश्यकता है।

यहां मैं कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं। यहां मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं मैं, स्वयं को उस तक ही सीमित रखूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र श्री चन्दूलाल

चन्द्राकर को इस सम्बन्ध में जानकारी है। यह मेघालय राज्य, खासी, जयन्तिया और गारो पहाड़ी क्षेत्रों का एक हिस्सा है। यहां पर स्थानीय लोग बहुमूल्य नकदी फसलें उगाते हैं। किन्तु किसान कठिनाई से जीवन निर्वाह करते हैं और वे खेतीबाड़ी भी गुजारे भर की करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलता है।

उदाहरण के तौर पर हल्दी की फसल को ही लीजिए। मुझे बताया गया है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रकार की हल्दी की फसल होती है, वह विश्व में सबसे बढ़िया किस्म की है और निर्यात के लिए भी हल्दी एक अच्छी मद है। मैंने कुछ पूछताछ की है। मैं उस क्षेत्र के किसानों की सेवा करने के लिए इस संसद में वापस आया हूं और इसीलिए मैंने इसमें विशेष रुचि लेनी आरम्भ की है। पिछले कुछ दिनों से, जब से मैं यहां आया हूं, मैंने इस सम्बन्ध में पूछताछ की है। मुझे बताया गया है कि ईरान तथा कुछ अन्य देश हल्दी खरीदने के बहुत इच्छुक हैं। ईरान और तेहरान से विशेष दल इस मद की खरीद के बारे में बातचीत करने दिल्ली आए हैं। मुझे बताया गया है कि तेहरान में हल्दी की कीमत लगभग 140 रु० प्रति किलो है जबकि किसान केवल 3 या 4 रु० प्रति किलो के हिसाब से हल्दी उन बिचौलियों को बेचते हैं जो अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए किसानों का खून चूसने का प्रयास करते हैं। किसान अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त न कर पाने के कारण केवल जीवन-निर्वाह करते हैं। वे हल्दी की फसल और अधिक भूमि पर नहीं उगाते। इसे लगभग कई गुणा तक बढ़ाया जा सकता है। उस क्षेत्र में किसी प्रकार के सहकारी आंदोलन के माध्यम से किसानों की सहायता करने के प्रयास के लिए मैं वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा हूं, ताकि उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए वे हल्दी का सीधा निर्यात कर सकें। वे अपेक्षाकृत अधिक मूल्य प्राप्त कर सकें यदि तेहरान में इसका मूल्य 140 रु० है। मुझे ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको चाहिए कि आप भ्रष्ट नौकरशाहों, ठेकेदारों तथा भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के बिचौलिये वर्ग के हाथों में पैसा न देकर सीधा किसानों के हाथों में दें।

एक अन्य महत्वपूर्ण मद जो वहां उगाई जाती है वह है अदरक। अनेक प्रकार के मसाले हैं और मुझे आज बताया गया है कि एक अन्य मद की भी बड़ी मात्रा है जो 'पक्षी की आंख' के आकार की है जिसे मिर्च कहते हैं। यह मिर्च आकार में बड़ी छोटी किन्तु स्वाद में बड़ी तीखी और अच्छी सुगन्ध वाली होती है। मुझे विश्वास है कि मन्त्री श्री नारायणन राजदूत होने के नाते भली भांति जानते हैं कि कहीं ऐसी कोई खाने की मेज, यहां तक कि सायंकालीन खाने अथवा किसी रात्रि भोज की मेज न होगी जिस पर मिर्च वाली चटपटी चटनी न रखी हो। मेरे विचार से श्री नारायणन मुझसे सहमत होंगे। क्या आप मुझसे सहमत होंगे? आपने बहुत से रात्रि भोज दिए हैं। जी हां। मिर्च की चटपटी चटनी। मुझे बताया गया है कि इस चटनी में सबसे उम्दा तत्व 'पक्षी की आंख' जैसी मिर्च होती है। मेरे देश के आधे हिस्से को तो विभाजन के कारण दरिद्र बना दिया गया है। समूचा दक्षिणी भाग भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान, अब बंगला देश की सीमा पर स्थित है। वहां पर सहज रूप से व्यापार होता है। लेकिन वहां यह समाप्त हो गया है और वहां संतरे के बाग तथा अन्य वस्तुओं का अभाव हो गया है। लोगों के खेती के तरीके को बदलना जरूरी है। वहां लोगों को अन्य फसलें बोने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। लेकिन उनके लिये हमें बाजार को भी सुदृढ़ करना होगा।

वहां आलू की खेती भी होती है। उस क्षेत्र में आलू के परिवहन की असली समस्या है। देश के इस हिस्से में अन्य हिस्सों से आने वाले आलुओं के साथ स्पर्द्धा होती है। किन्तु आप को कोई न कोई रास्ता तो निकालना होगा। आलू के 'चिप्सों' की सारे विश्व में बिक्री होती है। आलुओं से औद्योगिक 'अल्कोहल' निर्मित की जा सकती है और उन्हें जलरहित किया जा सकता है। मुझे बताया गया है कि आप निर्यात करने के उद्देश्य से आलुओं से ऊंची कोटि की 'वोदका' शराब तैयार कर सकते हैं। मैं मद्य सेवन नहीं करता हूं। मैं पूर्ण मद्यत्यागी हूं किन्तु आप आलू से मद्य तैयार कर सकते हैं और लोगों को उचित मूल्य दे सकते हैं।

गरीबी हटाने के बारे में मेरे विचार यह नहीं हैं कि लोगों को नकद सहायता देकर संरक्षण दिया जाये। इस में जनता को, किसानों को, सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये। किसानों को उचित मूल्य दिया जाना चाहिये। यदि हम उन्हें उपयुक्त बाजार सुविधाएं प्रदान करें तो किसान अपनी सहायता खुद कर लेंगे।

मैं मन्त्री महोदय से इन बातों पर विचार करने का सुझाव देता हूं और वह यथासम्भव मुझ पर भी भरोसा कर सकते हैं। मैंने श्री नारायणन से निजी तौर पर भी कहा है।

मैं इस सम्बन्ध में एक नोट लिखूंगा कि देश के उस भाग को, जहां अनेक लोगों, और विशेष रूप से अनेक किसानों की स्थिति का प्रश्न है, कैसे विकसित किया जाये।

***श्री आर० अन्नानाम्बी** (पोल्लाची) : सभापति महोदय, इस सभा के वरिष्ठ सदस्य श्री मधु दण्डवते, जिनकी गरीबी दूर करने के राष्ट्रीय हित के प्रति प्रतिबद्धता किसी से कम नहीं है, के संकल्प पर अपने दल अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से मुझे कुछ शब्द कहने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। पिछले 37 वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्य सरकारों ने इस देश से निर्धनता दूर करने का निरन्तर प्रयास किया है। स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु ने इस प्रशंसनीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाये थे। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, जिनके लिए निर्धनों का उत्थान ही उनका जीवन था, गरीबी दूर करने के लिए कई योजनाएं आरम्भ की। इसी प्रकार देश में कई राज्य सरकारें गरीबी निवारण योजनाएं लागू करती रही हैं। इन सभी के बावजूद इस देश में निर्धनता जम कर रह गई है। केन्द्रीय योजना आयोग के अनुसार आज भी हमारे देश के लगभग चालीस करोड़ लोगों की औसत दैनिक आय 75 पैसे से कम है। केन्द्रीय आयोजना निकाय की यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति हमारे देश के कई महानगरों में गगन चुम्बी इमारतों के निकट स्थित गन्दी बस्तियों से भी प्रमाणित होती है। यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि एशिया में सबसे बड़ी गन्दी बस्ती बम्बई में है। सरकार भी इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकती कि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोग वर्ष भर धूप और वर्षा में खुले में रहते हैं। न उनके पास घर हैं, न लाज-शर्म को छिपाने के लिए कपड़े हैं, न क्षुधा शान्त करने के लिए रोटी है।

हमारे अद्वितीय नेता डा० एम० जी० आर०, जिनका जीवन ही तमिलनाडु से गरीबी दूर करने के लिए है, कई योजनाएं प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करते आ रहे हैं। वह राज्य में गरीबी की जड़ पर वार कर रहे हैं। तमिलनाडु राज्य के 'स्लम क्लीयरेंस बोर्ड' (गंदी बस्ती

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सफाई बोर्ड) के गरीबों को घर उपलब्ध कराने के प्रयासों की विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने खुले शब्दों में प्रशंसा की है। हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री की पौष्टिक आहार योजना की, जिसके अन्तर्गत राज्य के निर्धन बच्चों को भोजन दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के विशेषज्ञों ने सराहना की है। इससे असहाय बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखना सुनिश्चित हो गया है। विद्यालय छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या कम हुई है, क्योंकि उनके भोजन की समस्या हल हो गई है। हमारे राज्य में सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। हमारे मुख्य मंत्री ने, जिन्हें उद्धारक भी कहा जा सकता है, ऐसे वृद्ध लोगों के लिए जिनकी आय का कोई स्रोत नहीं है, वृद्ध पेंशन योजना लागू की है। राज्य सरकार प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को बड़ी तेजी से लागू कर रही है। हमारे नेता डा० एम०जी०आर० यह मानते हैं कि अज्ञानता और भूख दूर होने से गरीबी खत्म हो जाएगी। इसीलिए वह इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रहे हैं।

मैं इस अवसर पर यह मांग करता हूं कि पौष्टिक आहार योजना को 'प्लान' योजना घोषित किया जाए और पैसा पंचवर्षीय योजनाओं के आबंटन से उपलब्ध कराया जाए। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि इस योजना को मानवता की खिलती कलियों के हित में देश भर में प्लान योजना के रूप में लागू किया जाए।

महोदय, जब तक देश के कृषि मजदूरों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक गरीबी दूर नहीं हो सकती। ग्रामीण आबादी का 70% कृषि मजदूर है। यह स्वीकार किया गया है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार निर्धारित मजदूरी नहीं मिल रही है। इस मामले में उन्हें कोई कानूनी संरक्षण भी प्राप्त नहीं है। वे भूमिहीन कृषि मजदूर हैं। जमींदारी उत्पादन अधिनियम और भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के बावजूद उन्हें जोतने के लिए भूमि नहीं दी गई है। उनके खून-पसीने से राष्ट्र जीवित है। फिर भी वे निरन्तर दरिद्रता का जीवन यापन करते हैं। राज्य या केन्द्र सरकार को इस किसी कानून को भी लागू न करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भूमिहीन कृषकों की मौजूदा स्थिति में अविलम्ब परिवर्तन करना होगा। जब तक आप उनकी स्थिति में सुधार नहीं करते तब तक आप देश से गरीबी दूर नहीं कर सकते। हम गरीबी दूर करने के बारे में नारे बाजी से उनकी समस्या हल नहीं कर सकते।

मैं मांग करता हूं कि भूमि अधिकतम सीमा कानूनों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाए और फालतू भूमि का अधिग्रहण करके भूमि जोतने वाले कृषकों में, जो समाज की रीढ़ हैं, यह भूमि वितरित की जाए। इसके अतिरिक्त ऐसी भूमि के लिए पट्टा भी खेतिहर मजदूरों को दिए जाने चाहिए। राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे गए भूमि सीमा कानूनों को इधर से उधर नहीं भेजते रहा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए तमिलनाडु विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित भूमि की अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक कई महीने से अधर में लटका हुआ है। मैं तो यह कहूंगा कि सारे देश में भूमि पर अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में समान दृष्टिकोण अपनाना कठिन है। आखिरकार राज्य सरकारें भी लोगों के कल्याण के लिए विधिवत निर्वाचित सरकारें हैं। केन्द्र को ऐसे कानूनों पर राष्ट्रपति की शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके बाद ही गांवों में गरीबी से प्रभावकारी ढंग से निपटा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगुसराय) : सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य मधु दण्डवते जी ने जो संकल्प सदन में रखा है, उसके पीछे उनकी जो भावना है, उससे मैं सहमत हूं लेकिन उन्होंने जो यहां विचार व्यक्त किए हैं वे सत्य से परे हैं। इन्होंने कहा है कि हमारी सरकार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के जीवन-स्तर को उठाने में असफल रही है या गरीबी को मिटाने की दिशा में हमारे जो कार्यक्रम हैं वे सफल नहीं हुए हैं, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हमारी कांग्रेस की सरकार इस गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों का जीवन-स्तर उठाने में समर्थ रही है। यह तो कांग्रेस की नीति और कांग्रेस का सिद्धांत ही है कि किस तरह से हमारे देश में लोगों को सामाजिक न्याय मिले, उन्हें समानता प्राप्त हो ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें।

हमारे प्रथम प्रधान मन्त्री जवाहरलाल जी ने सब से पहले इस देश में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारम्भ किया था। अपने देश में औद्योगिक क्षेत्र में एक क्रांति पैदा की थी। उन्होंने अपने देश के कल-कारखानों को मन्दिर की संज्ञा दी थी। इसके पीछे उनका उद्देश्य यही था कि भारत में सभी को आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले। उसके बाद हमारी इन्दिरा गांधी जी ने, जो हम सभी की प्रिय नेता थी, बीस सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इसके पीछे भी उनका यही उद्देश्य था कि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में ऊपर उठाया जा सके। हमारे देश से गरीबी का उन्मूलन किस प्रकार से हो सके, इस दिशा में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ या प्रिवीपर्स का उन्मूलन हुआ, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम थे उसके पहले के इतिहास में जाएं तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। ये सब हमारी कांग्रेस की सरकार के ही काम थे। इसके बाद आदरणीय दण्डवते जी ऐसी बातें प्रस्ताव के रूप में लाते हैं तो कैसे कोई इनसे सहमत हो सकता है, लेकिन एक अवश्य है कि इसके पीछे जो हमने कार्यक्रम देश में रखा है और जिस तरह से हम लोग प्रयत्नशील हैं कि गरीबी की रेखा से लोगों को ऊपर उठाया जाए, उसमें जो सफलता नहीं मिल पा रही है, उसके पीछे कौन सी बात है। मेरा अपना ऐसा अनुमान है कि चाहे हमारे जितने भी साधन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं, वे साधन पर्याप्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे यहां की जो बढ़ती हुई आबादी है, वह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़ा हुआ है। क्योंकि इस शताब्दी के अन्त तक ऐसा अनुमान है कि हमारी जो आबादी है वह बढ़ती ही चली जाएगी और उस अनुपात में जो साधन हैं, जैसे पीने का पानी है या हमारे यहां जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है या अन्न का उत्पादन है, उस सारी दिशा में हमारे कार्यक्रम असफल होंगे अगर आबादी पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे। इसलिए मेरा ऐसा सुझाव है कि आबादी पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन करे और उस आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधान मन्त्री हों और सबसे पहले इस पर नियंत्रण करना आवश्यक है ताकि हम अपनी प्रगति और विकास का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें।

छठी पंचवर्षीय योजना जो हमारे यहां थी, उस योजना का उद्देश्य यही था कि किसी तरह से गरीबी की रेखा से लोगों को ऊपर उठाया जा सके, लेकिन उनकी नीति और विकास में समरूपता नहीं हो सकी, तालमेल नहीं आ सका, इसलिए उसको पुनः परिभाषित किया गया और 1982 में श्रीमती इन्दिरा गांधी का संशोधित बीस सूत्री कार्यक्रम आया, उसमें भी अपनी कृषि

लगाई गई। जो धन खर्च किया गया, उस अनुपात में हमें लाभ नहीं मिल सका है। हमारी सरकार सोचती है और विचार करती है, इसलिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। 2000 सन् तक हम गरीबी उन्मूलन कर सकेंगे, लेकिन उसके पीछे भी वही बात है कि आबादी पर नियंत्रण अत्यन्त आवश्यक है।

दूसरी बात प्लानिंग कमीशन के बारे में है। उसका मिडटर्म रिव्यू हुआ था, उसमें यह बातें आई थीं कि 52 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है। इस बात से हम सभी सहमत होंगे कि यह जो इस तरह की संख्याएं दी जाती हैं, उसके पीछे बात यह है कि सही मायने में हमारे देश में जो गरीब तबके के लोग हैं, उन तक लाभ पहुंच नहीं पाता है। उसके पीछे बात यह है कि बड़े ऊंचे-ऊंचे सचिवालय में जो प्रशासन है, उसको विकासोन्मुखी बनाना पड़ेगा। जो प्रशासन है वह विकासोन्मुखी नहीं है। इसलिए ऊपर सचिवालय से लेकर प्रखण्ड स्तर तक सभी को व्यावहारिक रूप अपनाना होगा कि जहां जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है, जिस तरह के साधन हैं, उसको देखते हुए विकास के कामों की योजना बनाई जानी चाहिए। आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० जी० ई० पी०, सभी कार्यक्रमों को टाईम बाउंड प्रोग्राम की तरह पूरा करना होगा। हमेशा यह देखा जाता है कि जो कार्यक्रम होते हैं, उनके पूरा होने में चार, पांच, 10 साल लग जाते हैं और योजनाएं चलती रहती हैं। उसका खर्च बढ़ जाता है और कार्यक्रम पूरे नहीं हो पाते।

आज प्रश्नकाल में एक प्रश्न आया था कि हमारे यहां वित्त वर्ष में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके संबंध में यह चर्चा चलाई गई कि कैसे वित्त वर्ष में परिवर्तन करने से हम विकास के कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं। वित्तीय जो आवटन होता है वह मार्च महीने में होता है और काम चाहे सिंचाई के हों या कृषि संबंधी हों, वे जून के महीने के प्रारंभ में ही बंद कर दिये जाते हैं। मानसून के आगमन के कारण नतीजा यह होता है कि दो-तीन महीने में करोड़ों रुपये का उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाता है, इसलिये यह बहुत आवश्यक बात है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आजकल हो रही है, वह वृद्धावस्था पेंशन को लेकर हो रही है। हमारी सरकार ने कितनी सुन्दर और संवेदनशील योजना चलाई है। इससे हमारे देश में हजारों अपंग लोग, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको इस योजना के अन्तर्गत भरण-पोषण के लिये आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। . . . . (**व्यवधान**) इन शब्दों के साथ, मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रशासन में स्ट्रीमलाइन की जरूरत है। स्ट्रीमलाइन किया जायेगा तो तभी हम विकास की ओर आगे बढ़ सकते हैं।

श्री के०डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, श्री मधु दंडवते जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विरोध इसलिये कर रहा हूं क्योंकि आजादी के बाद जितनी तरक्की गरीब लोगों को उठाने की हुई है, शायद ही यह कोई कह सकता है कि गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठाया गया है। अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में लगभग 35 रियासतें थीं। उनको समाप्त करके तमाम गरीबों को मालिकाना हक दिये गए। बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाने का काम हुआ है। यह एक सराहनीय काम है। हिन्दुस्तान में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बैंक खोले गए। इससे तमाम गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयत्न हुआ है। श्री चंदूलाल चंद्राकर जी भी एक प्रस्ताव लाए थे। उन्होंने कहा था कि

एक परिवार में से कम से कम एक आदमी को रोजगार मिलना चाहिए ताकि सब लोग यह समझ सकें कि हमारी सरकार में सबका योगदान है। हमारी शिक्षा प्रणाली में भिन्न-भिन्न तरह की शिक्षा दी जाती है। कुछ पब्लिक स्कूलों में और कुछ गांवों में पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि हमें गांव के लोगों को सही मायनों में ऊपर उठाना है। उसके लिये हमें शिक्षा में सुधार लाना पड़ेगा। हमारे यहां आलू और सेब की खेती होती है। मेहनत तो गरीब लोग करते हैं लेकिन माल का ढलान करने वाले पूरा फायदा उठा लेते हैं। हमारे यहां विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया था कि कीड़े की दवाई और स्प्रे का काम ज्यादा किया जाये जिससे खेती की पैदावार अधिक हो सके और गरीब लोगों को ऊपर उठाया जा सके। हिमाचल प्रदेश में जहां अधिक बर्फ पड़ती है, वहां पर अफीम की काश्त होनी चाहिये। अगर अफीम की काश्त वहां पर होती है तो छोटी होल्डींस से भी अधिक लाभ उठाया जा सकता है। दवाई के लिये भी इसका उपयोग हो सकता है और राष्ट्र को भी इससे फायदा पहुंचेगा। वहां पर तवज्जह दी जानी चाहिये। इसके बाद हमारे यहां मार्केटिंग का समुचित इंतजाम होना चाहिये ताकि हम हिमाचल के गरीब लोगों को, जो छोटी खेतीबाड़ी के धंधे में लगे हैं, कुछ लाभ मिल सके और वे आगे बढ़ सकें।

इसके साथ-साथ जो हमें सबसे बड़ा नुकसान होता है, वह सायल इरोज़न की वजह से होता है, फ्लड की वजह से होता है। हमारे यहां सारा इरोज़न ऊपर से होता है और उसके कारण सारी मिट्टी नीचे मैदानों में हरियाणा, पंजाब और यू०पी० को चली जाती है। इसके साथ ही वहां पर भी नुकसान होता है।

मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर देता हूं क्योंकि मैं आपसे एक महत्वपूर्ण निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारे यहां जितने नदी और नाले हैं, उन पर छोटे-छोटे डैम बने हुए हैं और उन सब में इरोजन होता है। इस कारण वहां से सारी मिट्टी बह कर नीचे चली जाती है और हमारी धरती खराब होती जा रही है। उससे न केवल हिमाचल प्रदेश को ही बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सभी प्रान्तों को नुकसान होता है। यह नुकसान करोड़ों में होता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि फ्लड को रोकने के लिए अधिक से अधिक प्रावधान किया जाये, क्योंकि हमारे पहाड़ी प्रदेशों में बहुत से नदी नाले हैं, उनका सर्वेक्षण होना चाहिए, उनके ऊपर अधिक मात्रा में पैसा खर्च किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ चूंकि आप बार-बार घण्टी बजा रहे हैं कि जल्दी खत्म करो, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और इससे ज्यादा क्या करूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस वाद-विवाद में जिन पक्ष और विपक्ष के साथियों ने भाग लिया और अपने विचार रखे, उनसे पता चलता है कि एक तरफ सत्ता वाले इसके पक्ष में बात करते हैं, और दूसरी तरफ विरोधी विपक्ष में। मैं समझता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के, हम सब जनता के द्वारा निर्वाचित होकर यहां आये हैं और हमें यहां पर जनता की इच्छा और आकांक्षा की वकालत करनी चाहिये। सरकार पर जोर डालना चाहिये। यहां मंशा पर मुझे शक हो रहा है, फिर भी सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर लोगों का स्तर उठाने के लिए जितनी स्कीम बनाई है, मुझे कोई शक नहीं कि वह गरीबों के हित में हैं। फिर भी गरीबी रेखा से लोग नहीं उठ रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष के लोग सरकार को कुछ उचित सुझाव देते हैं, उसको मानना

चाहिये। जिन स्कीमों पर सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है उसका बड़ा हिस्सा खास लोगों की जेबों में जा रहा है। उसे सत्ताधारी दल के लोगों को कबूल करना चाहिये। सत्ताधारी दल के सदस्यों ने कई जगह सदन में स्वयं कबूल भी किया है तो हमारे मंत्री जी को मानना चाहिये कि ऐसी गलतियां इस कार्यक्रम के इम्पलीमेंटेशन में हुई हैं और उनको सुधारने के लिये कदम उठाने चाहिये। मैं गांवों की बात जानता हूं, गांवों में गरीबों को ऊपर उठाने के लिये जितनी स्कीमें चलाई जा रही हैं, क्योंकि हम सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं और उस क्षेत्र से ही मेरा राजनैतिक जीवन शुरु हुआ है, मेरा उससे गहरा संबंध रहा है, मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ है कि जहां जहां मैंने कुछ कामों को करवाया है, हमने देखा है कि उन कार्यक्रमों के तहत जहां भी आपने गरीबों को भैंस दी हैं, दुधारू पशु दिए हैं या कोई दूसरी सुविधायें प्रदान की हैं, यह सत्य है कि जितना आप उन्हें अनुदान देते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा कुछ खास लोगों की जेबों में चला जाता है। उन खास लोगों में चाहे प्रखण्ड स्तर के अधिकारी हों या बैंक स्तर के अधिकारी हों या भ्रष्ट राजनीति करने वाले लोग हों, बड़ा हिस्सा उनकी जेबों में चला जाता है और गरीबी की रेखा से उठने की बात समाप्त हो जाती है। मैं आपको उदाहरण भी देना चाहता हूं।

हमारे क्षेत्र में घोसी नामक स्थान पर इलाहाबाद बैंक की एक शाखा है जिसके जरिये गरीबों को 12 भैंसें अक्तूबर माह में दी गई जिसके बदले में गरीबों से 300–300 रु० पहले ही ले लिया गया। जब इस बात की जानकारी मुझे हुई तो मैं इसके विरुद्ध लड़ा, मैंने बैंक का घेराव किया और उन गरीबों का 3600 रु० वापस दिलवाया। मैं जानता हूं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं और उसके एक नहीं बहुत से उदाहरण मौजूद हैं। इस कारण आपकी स्कीमें सही मायनों में सफल नहीं हो पा रही हैं।

समय की कमी के कारण मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। यदि आपको वह सुझाव उचित प्रतीत हो तो मैं चाहूंगा कि आप उस दिशा में आवश्यक कदम उठायें। आपने अपने कार्य-क्रमों में जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं, आप जिस ढंग से योजनाओं को चलाना चाहते हैं, उसके लिये आपको पंचायत स्तर से लेकर प्रखण्ड स्तर तक या जिला स्तर तक के उन्हीं गरीब लोगों की एक कमेटी बनानी चाहिये और वह कमेटी एक शक्तिशाली कमेटी बने और उस कमेटी के माध्यम से ही आप सारी चीजों को खरीदवाने या वितरित करवाने का कार्य करें। उसका कारण यह भी है कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां सीमांत और लघु किसानों को डीजल पम्पों के लिए छूट दी गई है लेकिन बड़े किसान वहां के अधिकारियों के मेल से अपने को सीमांत और लघु किसानों के नाम पर सारी सुविधाओं को, जो सरकार ने दी हैं ले रहे हैं। जबकि वह सुविधा छोटे तथा सीमांत किसानों को मिलनी चाहियें थी। छोटे किसान इस कारण सफर कर रहे हैं। इस तरह के हालात देश में सभी जगह हो रहे हैं। इस कारण आपका पैसा पानी में जा रहा है और गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने वाली बात का माखौल बन कर रह गई है। मैं यह नहीं कहता कि आपका कार्यक्रम ठीक नहीं है, लेकिन उसके इम्पलीमेंटेशन में धांधली होती है। आपका कार्यक्रम सराहनीय है, लेकिन वह सही मायनों में लागू नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस ओर ध्यान दें और गौर करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि सभा सहमत हो तो हम इस संकल्प के लिये निर्धारित समय आधा घंटा बढ़ा सकते हैं।

माननीय सदस्य : हां, हम सहमत हैं ।

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिये आधा घंटा समय बढ़ाया जाता है ।

5.00म०प०

[हिन्दी]

श्री चंदुपाटला जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति महोदय, माननीय दंडवते जी ने जो प्रस्ताव सामने रखा है, उसको हमें मानना चाहिये । जनता के रिजीम में जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनकी इनकम बढ़ाने के लिये कार्यक्रम लिया गया था, उसमें मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश में अन्त्योदय का कार्यक्रम लिया गया था । 1977 में जनता शासन के आने के बाद पंचायती राज्य शासन और ब्लाक परिषद्, जिला परिषदों को बनाया गया था ।

5, 6 गांव के विकास के लिये एक बी०डी०ओ०, विलेज डैवलपमेंट आफिसर रहता था । वह हर गांव में नीचे से नीचे स्तर के 5 परिवारों का पता लगाता था कि वह एक साल के अन्दर क्या-क्या चाहते हैं किस प्रकार के उद्योग चाहते हैं किस प्रकार की सहायता या बैंक लोन चाहते हैं । इस तरह से एक गांव के 5 परिवारों के हिसाब से एक साल में 25 परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने, उनकी आमदनी बढ़ाने का काम शुरु किया गया था । यह एक साल की बात ही नहीं, बात में भी उसका सर्वेक्षण कर के उस अन्त्योदय के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता था, जिसका सपना गांधी जी ने दिखाया था । वह काम जनता के रिजीम में हुआ है ।

उसके बाद हमारी कांग्रेस की सरकार ने 2, 3 साल में एक ब्लाक को 4 हिस्सों में बांटकर क्लस्टर स्कीम के नाम पर 600 लोगों के लिए एक ब्लाक में कुछ स्कीम बनायी है जिसमें बैंक से सहायता दी जाती है । अगर बैंक लोन नहीं देता है तो वह स्कीम फेल हो जाती है । ज्यादा-तर गरीब लोगों को, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को सहायता दी जाती है ।

इससे पहले एस० एफ० डी० के नाम पर, स्माल फार्मर को सहायता दी जाती थी । उसको 5 एकड़ खुश्की और ढाई एकड़ तरी यानी 8 एकड़ जमीन मिलती थीं । उसको पम्प सेट लगाने के लिए, आयल इंजन दिलवाने के लिए कुंआ खुदवाने के लिए 25 से लेकर 30 परसेंट तक सबसीडी दी जाती थी । उसके माध्यम से लोग उसका फायदा उठाते थे । उसके बदले आपकी सरकार ने 1980 में आने के बाद उसको कलस्टर स्कीम का रूप दे दिया जिसमें 600 फैमिलीज को एक साल में लैंड देना चाहिये । लेकिन हम जिस वक्त उन लोगों के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उनको जो चाहिए, वह नहीं दिलाते हैं । जो वह खुद चाहते हैं, वह देते हैं । जो बैंक चाहते हैं वह देते हैं । जिसके पास भूमि रहती है, उसको लोन देते हैं, बैल-गाड़ी के लिए लोन मांगते हैं तो लोन नहीं देते । लोन देते हैं, तो बैल-गाड़ी नहीं खरीदते क्योंकि उसका भाड़ा नहीं मिलता । इस तरह से एक साल में 600 की गरीबी दूर करने की बात हो रही है ।

यह जो सबसीडी दी जा रही है, वह बिल्कुल बचती जा रही है, और जो काम लिये जा रहे हैं, वह पूरे नहीं हो रहे हैं और न ही गरीबी दूर हो रही है । केवल कागजों पर ही बैंकों के कार्य चलते हैं । जो लोन गरीबों के लिए देते हैं, वह उन तक अवश्य पहुंचने चाहिये तभी वह गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकेंगे । इस चीज को आप ब्लाक और खंड में जाकर देखिए ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, प्रो० मधु दंडवते ने जो प्रस्ताव रखा है, इसके पहले हिस्से में कहा गया है :

[अनुवाद]

"यह सभा जनता के विशाल वर्ग को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में सरकार की असफलता पर चिन्ता व्यक्त करती है......"

[हिन्दी]

यह जो इन्होंने प्रस्ताव में बात लिखी है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं ।

[अनुवाद]

परन्तु बाद में वह कहते हैं :

"......और मांग करती है कि देश से गरीबी को समाप्त करने के लिए ठोस उपाय किए जायें।"

[हिन्दी]

इनके काफी तथ्य हैं और मैं चाहता हूं इस देश में से पावर्टी जल्दी से जल्दी दूर हो। प्रो० दंडवते साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में फूड, इम्पलायमेंट और प्रोडक्शन प्रमुख बातें हैं । इन तीनों चीजों पर बहुत ध्यान दिया गया है और इसके जरिये से पावर्टी को दूर करने का बहुत प्रयास किया गया । पिछले वर्षों में बहुत बड़े कार्यक्रम हाथ में लिये गए हैं । मेरा ख्याल है कि हिन्दुस्तान की सरकार ने पिछले वर्षों में पावर्टी को रोकने के लिए जो प्रोग्राम रखे हैं, वे प्रोग्राम दुनिया के बहुत कम देशों में किए गए होंगे । मगर समस्यायें भी हैं। इस समस्या को सुलझाने की जितनी मंशा इस सरकार की है, उस हिसाब से उतना पैसा हमारे पास नहीं है कि सारी व्यवस्था को जल्दी से जल्दी कायम कर सकें । जब हम पावर्टी लाइन से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने समस्यायें खड़ी हो जाती हैं ।

(व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा था कि यह समस्या बहुत बड़ी है, जिस को सुलझाने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करना होगा । सरकार ने इस संबंध में प्रयास भी किया है । कई प्रोग्राम हमारी सरकार ने 20-सूत्री कार्यक्रम के तहत किये हैं । उन प्रोग्रामों को इम्पलीमेंट करने के लिए आपने पैसा भी काफी दिया है, मगर उसमें ऐसी शर्त लगा दी कि जिसमें आधा पैसा राज्य सरकार को देना पड़ता है । राज्य सरकारों के हालात तो आपने देखे होंगे । बहुत सी राज्य सरकारों के पास ओवर-ड्राफ्ट हैं । ओवर ड्राफ्ट की वजह से चाहे आई०आर०डी०पी० का कार्यक्रम हो, चाहे एन०आर० ई०पी० का हो, चाहे रूरल लैंडलेस इम्पलायमेंट गारंटी स्कीम हो, इन सारे कार्यक्रमों में 50 परसेंट राज्य सरकार को खर्च करना पड़ता है और 50 परसेंट भारत सरकार देती है । इससे इस प्रकार की योजनायें कार्यान्वित नहीं हो पाती क्योंकि राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, जिसकी वजह से यह कार्यक्रम ठीक से इम्पलीमेंट हो सकें । इसलिए आंकड़ों के आधार पर जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, सफलतापूर्वक वह लक्ष्य उन राज्यों में पूरा नहीं कर पाते । इस संबंध में पिछले साल के बजट में भी हमने कहा था कि राज्य सरकारों की हालत ऐसी नहीं है कि राज्य

सरकारें इन सारे प्रोग्रामों को अपना 50 परसेंट दे करके, उसकी पूर्ति कर सके, इसलिए पूरा पैसा भारत सरकार को देना चाहिए। अगर अनइम्पलायमेंट की समस्या को समाप्त करना है तो इस संबंध में निश्चित रूप से इस कार्य को हमें करना पड़ेगा।

दूसरे जो कार्यक्रम हैं जिन के जरिये से बहुत सारे काम काज आगे बढ़ाने की कोशिश की है उन के जरिये से भी बहुत बड़ा एम्पलायमेंट मिला है और उन से लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है चाहे वह खादी और ग्रामोद्योग के कार्यक्रम हों चाहे हैंडलूम के कार्यक्रम हों, चाहे छोटे-छोटे कल कारखाने स्थापित करने के, स्माल स्केल इंडस्ट्री के कार्यक्रम हों जिन को हम ने ग्रामीण क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उनके जरिये से भी बहुत बड़ा काम हुआ है और उस से भी एम्पलायमेंट की प्राबलम हल हुई है। मगर उसके साथ-साथ और भी बहुत सारे काम काज करने की आज आवश्यकता है। आप जानते हैं कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में कई दफा बात हुई। हमारी सरकार दिल से चाहती है कि यह डिस्ट्रीब्यूशन ठीक प्रकार से हो। मगर जो सीलिंग का कानून है या अन्य प्रकार के कानून आप ने लागू किए हैं वह ठीक प्रकार से इम्पलीमेंट नहीं हो पाये हैं। कुछ तो हमारी कोर्ट्स की वजह से भी नहीं लागू हो पाये। बहुत से मामले सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट्स में फंसे हैं। उन की वजह से लाखों एकड़ जमीन आज हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाये हैं। उस के अलावा ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कानूनों में लैकुना निकाल कर के बहुत सी जमीन अपने पास रख ली है। आज भी इस हिन्दुस्तान में ऐसे लोग मोजूद हैं जिन के पास हजारों एकड़ जमीन मोजूद है और गलत नामों से उन्होंने इन जमीनों को रख रखा है। उन के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमने बराबर पांच सालों से यहां पर इस चीज को कहा है। और ऐसे लोग एक ही प्रदेश में नहीं हैं, सभी प्रदेशों में ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं जिन के पास हजारों एकड़ जमीन आज भी मोजूद है और उस जमीन को आप के कानून के द्वारा उन से निकाला नहीं जा सकता। इसलिये आप ऐसी व्यवस्था कीजिये जिस से यह जमीन आप के पास में आये और लैंडलैस लोगों को इस से फायदा पहुंचे।

इसके साथ-साथ जिन लोगों को आप ने जमीन दी है.......... (**व्यवधान**) ...... जिनको आप ने जमीन एलाट की है उन को जब तक इनपुट नहीं देंगे और उनके लिए अन्य प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे उनको उस से कोई लाभ नहीं होगा। इनपुट्स की व्यवस्था आपको करनी चाहिये। आप थोड़ा बहुत पैसा देते हैं। लेकिन उस के संबंध में अभी बहुत से साथियों ने कहा है कि बैंकों ने किस प्रकार की हालत पैदा की है, गरीब लोगों को वह पैसा ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसलिये ये इनपुट्स सरकार के द्वारा या उसकी एजेंसीज के द्वारा उनको काइन्ड में मिलें ताकि वह जमीन को अच्छी तरह से डेवलप कर के अपनी पावर्टी को समाप्त कर सकें। इस तरीके से आप व्यवस्था करेंगे तो निश्चित तरीके से अनएम्पलायमेंट दूर करने में मदद मिलेगी।

एक निवेदन और खास तौर से करना चाहता हूं। जो अरबन अनएम्पलायमेंट की बात है उस में जो सिक इंडस्ट्रीज हैं वह बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही हैं। उनके ऊपर आप को खास तौर से ध्यान देना चाहिए। आप यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं। हर साल हजारों यूनिट खड़ी कर देते हैं। इस प्रकार से गलत लोग सरकार से यूनिट्स के नाम पर पैसा ले कर के उस का दुरुपयोग कर रहे हैं और बाद में वे उसको सिक बना कर उस का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो उस से

एम्पलायमेंट जितना मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिये सिक यूनिट्स जितनी भी हैं, आप उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त ऐक्शन लीजिये जिनके जिम्मे वह यूनिट्स थीं और उन्होंने ठीक कार्यवाही नहीं की। इस व्यवस्था को भी आप ठीक कीजिये, तब अनइम्पलायमेंट की समस्या हल होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री माला रेड्डी रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : सभापति महोदय, मैं प्रो० मधु दण्डवते द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 37 वर्षों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। यहां तक कि सर्वाधिक समृद्ध राज्य पंजाब में भी इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में यह 38 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 12 प्रतिशत है। कुल संख्या में 1500 लाख से 3250 लाख तक वृद्धि हुई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 37 वर्षों के बाद भी प्रति व्यक्ति आय केवल एक प्रतिशत बढ़ी है जबकि मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और थाइलैंड जैसे अन्य छोटे देशों में 6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है सरकार को कई योजनायें बनानी चाहिये थीं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, आदि जैसी सभी योजनाओं से धनी लोग और धनी तथा निर्धन लोग और निर्धन हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसान अपनी भूमि जोतने योग्य नहीं हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद किसानों को, विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसानों को ऋण नहीं दे रहे हैं। मैं सरकार से माननीय बैंकिंग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया नियमों को उदार बनायें, ताकि गांवों में छोटे किसान बिना किसी औपचारिकता के आसानी से ऋण प्राप्त कर सकें। और इस प्रकार भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिये कि स्वतन्त्रता के 37 वर्षों के बाद भी ऐसी स्थिति है और वे अब भी आशा करते हैं कि अगले पांच वर्षों के बाद 20 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जायेंगे। वे पांच वर्षों के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर कैसे आ सकते हैं?

हमारे मुख्य मंत्री के नेतृत्व में आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने गरीब लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई जैसे कि दो रुपये किलो चावल योजना, बड़ी आवास योजना और मध्याह्न भोजन योजना, आदि। भारत सरकार इन योजनाओं में केवल बाधा डाल रही है और उनका समर्थन नहीं कर रही है। वह सभी प्रकार की बाधाएं डाल रही हैं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकारों को उदारता से धन दे और श्री एन० टी० रामाराव द्वारा चलाई गई योजनाओं को अपनाएं। इससे किसानों और आम लोगों की रोटी, कपड़े और मकान की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। इन योजनाओं को यदि लागू किया जाएगा तो निर्धन लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : सभापति महोदय, प्रो० दंडवते तथा अन्य वक्तागण, जिन्होंने इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में

प्रकाश डाला है उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि प्रो० दंडवते जी ने जो सवाल उठाया है वह एक बहुत बड़ी समस्या है और इसीलिए जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रधान मंत्री का पद सम्हाला तो उन्होंने सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का काम किया क्योंकि गरीबी दूर करने की दिशा में उन्होंने यह महसूस किया कि जब तक बैंकों की रकम गांव में नहीं पहुंचेगी तब तक गांवों की या देश की गरीबी दूर नहीं हो सकती है । इसीलिए उन्होंने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था । उससे पहले बैंकों का एक, डेढ़ या मुश्किल से दो प्रतिशत पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच पाता था लेकिन अब बैंकों का लगभग 40 प्रतिशत पैसा, चाहे ऋण के रूप में या विकास के कार्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहा है । उसके बाद एक के बाद दूसरी योजना आती गई लेकिन 1980 में जब छठी पंचवर्षीय योजना बनी तो उसको श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गरीबी दूर करने की बुनियाद पर ही बनाया क्योंकि कुल 97,500 करोड़ की योजना में लगभग 40 हजार 90 करोड़ की रकम ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए पब्लिक सेक्टर में रखी गई । इसी से आप महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने खासकर देहाती क्षेत्र की गरीबी दूर करने की ओर कितना अधिक ध्यान दिया था ।

इसी प्रकार से एक के बाद एक तमाम कदम उठाए जाते रहे जिनसे कि गरीबी दूर हो लेकिन कुछ वर्ष पहले एक मिनिमम नीड्स प्रोग्राम चालू किया गया था जिसके अन्तर्गत, जो कम से कम आवश्यकतायें होती हैं, उनको पूरा किया जा सके, उसके अन्तर्गत कई किस्म के काम चलाए गए—जैसे ग्रामीण सड़कों को बनाना, गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करना, शिक्षा का प्रबन्ध करना और जो लैंडलेस लेबरर्स थे उनमें न्यूट्रिशन की पूर्ति करने के लिए स्वस्थ भोजन देने का प्रोग्राम चलाया गया ।

श्री चन्दुपाटला जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : मिनिमम नीड्स प्रोग्राम से गरीबी ऊपर कैसे उठती है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : इसका मतलब यह है कि आप मिनिमम नीड्स को आप नहीं मानते हैं . . . . . **(व्यवधान)** . . . यदि आपकी दृष्टि में गरीबों को पानी देना, गरीबों को सड़कें देना, गरीबों को रोजगार देना, उनकी गरीबी दूर करना नहीं है, तो आपमें और हम में इस बात में बेसिकली यह फर्क है . . . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बीच में टोकिए मत । उन्हें अपनी बात कहने दीजिए ।

[व्यवधान]

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैं समझता हूं कि रेड्डी जी इस बात को महसूस करेंगे कि जनता पार्टी की सरकार के समय में अन्त्योदय कार्यक्रम शुरू किया गया था, एक गांव में पांच गरीबों को मदद करने के सिलसिले में और वह भी सब राज्यों में शुरू नहीं किया गया था ।

5.21 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उसके पश्चात् 1980 में एक गांव में पांच गरीबों को मदद देने के कार्यक्रम के बदले में इन्टिग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था । हमारे देश में 5,011 ब्लाक्स हैं और हर एक ब्लाक में छः सौ ऐसे व्यक्तियों का जो गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए धन की व्यवस्था की गई । छठी पंचवर्षीय योजना में जबकि अन्दाजा डेढ़ करोड़ लोगों को सहायता देने का था, वस्तुतः एक करोड़ 42 लाख लोगों को छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए रकम दी गई । इसमें कोई शक नहीं है कि सभी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठे हैं । इस चीज को हम महसूस करते हैं कि हमारे कार्यक्रम में कमी है और हम उसमें सुधार कर रहे हैं । जिन राज्यों में हमने ऋण या सब्सिडी देने की व्यवस्था की थी उनमें से किसी राज्य में बीस प्रतिशत लोग उठे हैं, किसी राज्य में 40 प्रतिशत उठे हैं और किसी में 50 प्रतिशत उठे हैं । इस प्रकार लगभग तीस से चालीस प्रतिशत के बीच में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग ऊपर उठे हैं ।

इसी तरह से दंडवते जी ने रिपोर्टों के आधार पर बताया है कि इन दिनों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की तादाद बढ़ी है । एक मद्रास की रिपोर्ट का भी उन्होंने ज़िक्र किया था, लेकिन रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों की रिपोर्टों के अनुसार अनुमान है कि 1979-80 में छठी पंचवर्षीय योजना के पहले गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 31 करोड़ 68 लाख थी । जब 1981-82 में छठी पंचवर्षीय योजना का मिड-टर्म एप्रेज़ल हुआ, तो उसमें अनुमान लगाया गया कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 28 करोड़ 20 लाख है । इसी प्रकार जो अनुमान लगाया था 1979-80 में वह 1971 की आबादी के आंकड़ों के मुताबिक था और 1981-82 में जो अनुमान लगाया गया वह 1980-81 के आंकड़ों के मुताबिक था ।

इस लिये यह कहना कि अब हमारे देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ रही है,—सही नहीं है । फिर भी जैसा प्रो० दण्डवते जी ने स्वयं कहा है—नैशनल सेम्पल सर्वे ने जो काम 1983 में किया था, उस का डैटा कलेक्शन हो रहा है और मुझे अन्दाज़ा है, दो-ढाई महीने में उन की रिपोर्ट आ जाएगी, तब सही आंकड़े हमारे सामने आयेंगे ।

अभी इन दिनों में जो हिसाब लगाया गया है उस के अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की, पूअर की जो डेफिनीशन है, उस में जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उन को 2400 कैलोरीज़ मिलनी चाहिए और जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हैं उन को 2100 केलोरीज़ मिलनी चाहिए, इस के मुताबिक छठी पंचवर्षीय योजना में जितने स्पेशल प्रोग्राम्ज़ चालू किए गए, जैसे आप सभी जानते हैं, आई०आर०डी०पी०, एन०आर०इ०पी०, आर० एल०ई०जी०पी०, स्पेशल काम्पोनेंट्स प्लान्ज़ शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए, ड्राउटप्रोन डेवलपमेन्ट एरिया प्रोग्राम्ज़ और डेज़र्ट डेवलपमेन्ट प्रोग्राम्ज़, इन में काफ़ी काम हुआ

है। इन के आंकड़े 1981, 1982, 1983, 1984 के बताने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन कुल मिला कर मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि आम तौर पर जैसे आई०आर०डी०पी० में, जो छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी और जैसा मैंने कहा था कि 15 मिलियन फैमिलीज को काम देने का प्रोग्राम था, उस में 14.43 मिलियन फैमिलीज को काम दिया गया ।

इसी तरह से एन०आर०इ०पी० के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में टारगेट था कि 1500 मिलियन मैन-डेज लोगों को काम दिया जाएगा । उस के अन्तर्गत वस्तुतः 1625 मिलियन मैन-डेज काम दिया गया । इसी तरह आर०एल०इ०जी०पी० का काम 15 अगस्त, 1983 से शुरू किया गया । इस में 1983-84 में वस्तुतः कुछ कम काम हो सका क्योंकि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने 15 अप्रैल को घोषणा की थी और उस के बाद करीब डेढ़ साल काम हुआ । उस में ऐसा अन्दाजा था कि 360 मिलियन मैन डेज काम दिया जा सकेगा, लेकिन नवम्बर तक सब राज्य सरकारों से जो रिपोर्ट हमें मिली है उस के अनुसार 119.78 मिलियन मैनडेज काम दिये जाने की जानकारी हम को मिली है ।

इस में कोई शक नहीं, बहुत से सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि लैंड सीलिंग से जो भूमि मिली थी उस का वितरण सही नहीं हुआ है या सभी जमीनें प्राप्त नहीं की गई हैं जो भी है, इस में कई किस्म के मतभेद हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीज को मानते हैं कि ऐसा बिलकुल नहीं है कि इस से लाभ नहीं हुआ है । देश में जहां जमींदारी प्रथा थी या जहां जहां लोग जमीन पर कब्ज़ा किए बैठे थे, उस में से जो सरप्लस लैंड हमें मिली है—वह है 42.82 लाख एकड़ और उस में जो वितरण की गई है वह है 21.22 लाख एकड़ । और जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जमीन दी गई, वह 8.78 लाख एकड़ है । इस में से कुछ जमीन ऐसी है, लगभग छः, साढ़े छः और 7 लाख एकड़, जिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं और इसी तरह से कुछ जमीन फारेस्ट डेवलपमेंट, सोशल फारेस्ट्री के लिए रखी गई है ।

इसी तरह से लैंड रिफार्मस में जो लोगों को उम्मीद थी कि बहुत अधिक जमीन उपलब्ध होगी, उतनी नहीं हुई और जो जमीन 1972 को नेशनल गाइड लाइन्स के बाद सरप्लस डेकलेयर की गई है वह केवल 42.82 लाख एकड़ है ।

इन कार्यक्रमों को लागू करने में चाहे वे आई०आर०डी०पी० के प्रोग्राम हों या और जितने भी स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उन में एक चीज़ मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि जो पैसा हम खर्च करते हैं या जो पैसा राज्य सरकारें खर्च करती हैं, वह सही ढंग से खर्च हो । राज्य सरकार 50 परसेन्ट इस में खर्च करती हैं और बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है कि उस धन का सही उपयोग नहीं हो रहा है । हम समझते हैं कि दो चीजों को इस में और अधिक शक्तिशाली या स्ट्रोंग बनाने की जरूरत है । एक है इन्फ्रास्ट्रक्चर । चाहे सड़कों का काम हो, चाहे स्कूलों का हो और चाहे नहरों का हो इन के लिए जो इंजीनियर्स या ओवरसियर्स काम करें, वे ठीक काम करें । इस के अलावा प्रोपर इस्टीमेट्स हों और रुपये का सही और प्रोपर इस्तेमाल करने में हम को एडमिनिस्ट्रेटिव

स्ट्रक्चर को और भी मजबूत करना पड़ेगा । इसी तरह से जो मोनीटरिंग है, जो अभी तक जांच-पड़ताल का काम होता है, उस को भी बहुत सघन रूप से हम को करना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि ये जो चीजें हैं, जो कमजोरियां हैं इन को हमारा मंत्रालय अनुभव करता है और इन में जो खामियां हैं, उन को दूर करने का बहुत स्कोप है । इसी दृष्टिकोण को ख्याल में रख कर जो सातवीं पंचवर्षीय योजना आ रही है उस में और भी ज्यादा धन गरीबी दूर करने के लिए रखा जा रहा है, ऐसा हम समझते हैं और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को और भूमिहीनों को जो धन दिया जा रहा है, निःसंदेह सातवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक धन मिलेगा और उस का सही ढंग से उपयोग हो, उस के लिए हम अभी से मोनीटरिंग सिस्टम को ठीक कर रहे हैं । हम यह नहीं कह सकते कि वह फूलप्रूफ हो सकता है लेकिन अधिक से अधिक कोशिश इस बात की की जाएगी कि उस में लूपहोल्स न रहें ।

हमने छटी पंचवर्षीय योजना में करीब 1 करोड़ 42 लाख लोगों को धन दिया है चाहे वह सब्सीडी के रूप में हो या ऋण के रूप में । कितने लोगों ने सही सही इस का फ़ायदा उठाया और कितने लोगों को सही सही इस का लाभ मिला, इस के आंकड़े हमें इकट्ठा करने पड़ते हैं । माडर्न इक्विपमेंट का लाभ उठा कर इन आंकड़ों को इकट्ठा करें, । तो हम को तत्काल जानकारी मिल सकती है और जैसे सदन में चर्चा हुई, तो उस समय तक हम को मालूम हो सके कि जितने लोगों को पैसा दिया गया था उस में से कितने लोगों ने उस का लाभ उठाया । एक एक आंकड़ा हमें उस दिन तक का मिल सके कि कितने लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गये, तो अच्छा होगा । करीब डेढ़ करोड़ लोगों का जब सवाल होता है, तो जब तक माडर्न इक्विपमेंट नहीं रहेगा, तो उस में हमें सही आंकड़े मिलने में दिक्कत हो सकती है । अब कुछ लोग इस की आलोचना कर सकते हैं कि हर जगह माडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल होगा, तो सही नहीं होगा लेकिन हम समझते हैं कि जहां जहां बहुत बड़े पैमाने पर काम होगा तो वहां हम को यह करना पड़ेगा । हर कोई जानता है कि गरीबी दूर करने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बीस-सूत्री कार्यक्रम शुरू किया था और निःसंदेह ये सब के सब कार्यक्रम किसी न किसी रूप में किसी न किसी पहलू से गरीबी दूर करने के लिए थे । चाहे वह सिंचाई का काम हो, चाहे वह बेरोजगारों को काम देने का कार्य हो, चाहे वह पीने का पानी देने का काम हो, चाहे शिक्षा प्रदान करने का काम हो, इन सब चीजों में ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बीस सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया है । इसके अन्तर्गत सभी राज्यों में अब काम हो रहा है । पहले एक ऐसा राज्य था जो कि कुछ देर तक इसको शुरू ही नहीं कर पाया था । उसके पश्चात् यह सभी राज्यों में चालू हो गया है ।

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि अब हरेक राज्य में इस बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत काम चल रहा है । कहीं अच्छे ढंग से, कहीं बहुत ही अच्छे ढंग से, कहीं साधारण ढंग से चल रहा है । लेकिन इस बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमें गरीबों को ऊपर उठाना है । यह कार्यक्रम अच्छे ढंग से चल रहा है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसको और भी सुचारू रूप से संचालित करने की अभी गुंजाइश है ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर अपने अपने सुझाव दिये हैं और सवाल भी उठाये हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि समय कम है, इसलिए मैं अभी उनमें नहीं जाऊंगा। मैं चाहता था कि मैं उन पर चर्चा करूं लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए यह संभव नहीं है। जिन माननीय सदस्यों ने जो जो सुझाव दिये हैं उन सुझावों से हम सातवीं योजना में लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना का तो उद्देश्य ही गरीबी दूर करना था। सातवीं योजना में भी लगभग आधी रकम इस गरीबी को दूर करने के लिए रहेगी।

इसलिए मैं माननीय मधु दंडवते जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लें और इस भावना के साथ वापस ले लें कि इस सरकार का उद्देश्य ही गरीबी दूर करने का है। छठी योजना में हमने करके भी दिखाया है। सातवीं योजना में और बड़े पैमाने पर इसको करने की बात है। इस प्रस्ताव में जहां तक सिद्धांत की बात है उसको मैं मान लेता हूं और इसमें स्कोप बढ़ाने की बात भी हो सकती है। मैं समझता हूं कि इन बातों को दृष्टि में रखते हुए माननीय दंडवते जी इसको वापस ले लेंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री वृद्धि चन्द्र जैन कम से कम अपने संकल्प को प्रस्तुत करेंगे और इसे अगले सत्र में पेश करेंगे। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

अपने प्रारम्भिक भाषण में जब मैंने इस संकल्प पर बहस आरम्भ की थी, मैंने चार स्पष्ट प्रश्न पूछे थे। परन्तु मंत्री के बारे में यह कहा जाता है कि मंत्री वह है जो छोटे-छोटे प्रश्नों के उत्तर दे दे और कुछ स्पष्ट और बड़े प्रश्नों के उत्तर न दे। इसी परिभाषा के अनुसार उन्होंने उन विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं जिन पर तीखे जवाब की आशा थी। परन्तु मैं उन्हें दोष नहीं देता।

चर्चा के दौरान अधिकांश सदस्यों ने चाहे वे शासक दल के थे अथवा विपक्ष के, इस संकल्प के पीछे जो भावना थी, उसका स्वागत किया है। उन्होंने संकल्प के संवेदनशील भाग की आलोचना की और संकल्प के दूसरे भाग का समर्थन किया जिसमें मैंने गरीबी दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने और ठोस उपाय करने की मांग की थी। अपने प्रारम्भिक भाषण के अन्त में मैंने जो कहा था उसे मैं दोहराता हूं—मुझे आशंका है कि वर्तमान नया प्रशासन संभवतः विशिष्ट वर्गवादी, परिष्कृत और कम्प्यूटरीकृत प्रशासन है जो अत्यन्त समृद्ध वर्ग की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और विकास के लाभ को छन कर नीचे आने देगा। नीचे के वर्ग को वही लाभ मिलेगा जो ऊपर से छन कर नीचे आएगा। यह नया गांधी पुराने गांधी का बिल्कुल उल्टा है। मै नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं। मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी यदि नए गांधी के राज में पुराने गांधी को न उल्टा जाए। और मैं उनका स्वागत करूंगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा। यह समय पूर्व दी गई टिप्पणी है। परन्तु मैं चेतावनी देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय इस चेतावनी पर गौर करेंगे। मैंने जब यह कहा और जब मैंने परिष्कृत कम्प्यूटरीकृत प्रशासन की बात की तो मेरे मित्र श्री दासमुन्शी ने समस्या की गहराई में

जाने का प्रयास किया और मेरी टिप्पणी का यह अर्थ निकाला कि मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिल्कुल विरुद्ध हूं । मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विरुद्ध नहीं हूं । मैंने जीवन भर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समर्थन किया । मैं इसका समर्थन करता हूं । परन्तु साथ ही मैं गांधीवादी सिद्धांन्तों का भी समर्थक हूं । गांधी ने कहा था :

> "मैं मशीन चाहता हूं परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि मशीन की प्रतिष्ठा और मशीन का गौरव मनुष्य की प्रतिष्ठा के खण्डहर पर खड़ा हो ।"

और इस प्रकार मैं विज्ञान के विरुद्ध नहीं हूं । मैं प्रौद्योगिकी के विरुद्ध नहीं हूं । मैं तो केवल यह चाहता हूं कि इस देश में मानव और मशीन के बीच एक सन्तुलन बना रहे, विशेष रूप से इसलिए कि यह गांधी का देश है। और मैं स्वीकार करता हूं कि कभी-कभी युक्तिसंगत बात करना आवश्यक होता है । आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए । परन्तु इसका उपयोग करते समय आपको यह निश्चय करना होगा कि आप किस क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहते हैं और आप किस सीमा तक मशीनों का युक्तियुक्तकरण करते हैं । आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी नहीं होगी ? इस संदर्भ में मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस वाद-विवाद में न सही परन्तु बाद में कभी विभिन्न क्षेत्रों के लिए वस्तुएं आरक्षित करने की समस्या पर विचार करें । इस देश में कुछ बड़े उद्योग हैं । उदाहरण के लिए सीमेन्ट, इस्पात और रेलवे के वैगन उद्योग । ये छोटे उद्योग नहीं हो सकते हैं । हो सकता है यह बड़ा उद्योग न हो । देश में लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और कुटीर उद्योग मिल कर रहेंगे । परन्तु यदि आप इन तीनों क्षेत्रों में खुली प्रतिस्पर्धा होने देंगे तो लघु उद्योग कुटीर उद्योग को समाप्त कर देगा । और बड़े उद्योग लघु उद्योग को समाप्त कर देंगे । और इसलिए मैं चाहता हूं कि वस्तुएं आरक्षित करने की नीति अपनाई जाए और चरणबद्ध तरीके से लागू की जाए । मैं उनमें से नहीं हूं जो यह कहते हैं "कपड़ा मिलों को बन्द कर दीजिए ।"

केवल पहुंचगामी व्यक्ति ही ऐसा दृष्टिकोण रखता है । मेरा इस तरह का दृष्टिकोण कतई नहीं है । परन्तु मैं इन तीनों क्षेत्रों में सन्तुलन चाहूंगा, प्रतिस्पर्धा से बचा जाना चाहिए और कम से कम इस नीति को स्वीकार करना चाहिए कि जो वस्तुएं कुटीर उद्योग क्षेत्र में बनाई जा सकती हैं उन्हें लघु उद्योग क्षेत्र में बनाने की अनुमति न दी जाए । और जो वस्तुएं लघु उद्योगों में बन सकती हैं उन्हें बड़े उद्योगों में निर्मित करने की अनुमति न दी जाए तथा यदि आप इन तीन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को रोक पाते हैं तो मेरे विचार से आप इन तीनों क्षेत्रों की स्थिरता को सुनिश्चित कर पायेंगे तथा बड़े उद्योग ग्रामीण लोगों की बेरोजगारी को दूर नहीं कर पायेंगे ।

देश के वित्त मंत्रियों में से एक, जोकि कांग्रेसी मंत्रिमंडल में थे, श्री सी० डी० देशमुख ने कहा था :

> "जब देश के सांख्यिकीविद् एवं विशेषज्ञ बेरोजगारी के आंकड़े देते हैं तो वे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी पर प्रायः कतई ध्यान नहीं देते हैं और इस तरह वहां की बेरोजगारी के आंकड़े स्थायी रूप से अप्रकट ही रहते हैं ।"

मैं ग्रामीण क्षत्रों संबंधी न प्रकट की गई अथवा छिपाई गई बेरोजगारी से अधिक चिन्तित हूं तथा यदि आपने उस विशेष बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है तो आपको कुटीर

उद्योगों को संरक्षण देना होगा, लघु उद्योग क्षेत्र को संरक्षण देना होगा तथा बड़े उद्योगों को संरक्षण देना होगा जोकि निःसन्देह अत्यन्त आवश्यक है, तथा मेरा सुझाव है कि इस तरह की औद्योगिकी-करण सन्तुलित नीति का ही अनुसरण करना होगा तथा क्रमिक ढंग से कुछ सीमा तक आरक्षण लागू करना होगा। क्षमता को क्रमिक ढंग से सीमित करना होगा, उसे क्रमशः लागू करते हुए उत्पादन नीति तैयार करना संभव होगा। इस विशेष पहलू पर ध्यान देना होगा। इस संदर्भ में मैंने एक चेतावनी दी थी।

मैंने बहुत से सुझाव दिये थे जिन्हें सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने भी स्वीकार किया है। उन्होंने आलोचना नहीं की है परन्तु उन्होंने कमियां बताई हैं। हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम हैं। यह सभी साधन ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान में भारी सहायता करेंगे। परन्तु बहुत से विशेषज्ञों ने बताया है कि इसमें भी काफी भ्रष्टाचार है, ऐसा सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने भी सभा में बताया है कि इस मशीनरी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। उसे समाप्त किया जाना चाहिए। मैंने विशिष्ट प्रश्न पूछे हैं। लेकिन उनका उत्तर नहीं दिया जाता है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्य-क्रम के अधीन किसी भी ग्रामीण श्रमिक को, जरूरी नहीं कि वह भूमिहीन ही हो सम्मिलित किया जाना चाहिए। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था से संबद्ध व्यक्तियों के अनुभव पर आधारित मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को पूर्णतः मिला दिया जाना चाहिए। इससे सरकार को लाभ होगा तथा वह बेहतर कार्य-कुशलता ला पायेगी तथा बहुत सी समस्याएं हल हो जायेंगी। यह एक बड़ी बाधा है जिसे दूर किया जाना चाहिए।

मैंने एक और सुझाव दिया था, परन्तु उसका उल्लेख नहीं हुआ है। जनता सरकार के शासन के समय में हमने 50 लाख टन अनाज "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किया था और आबंटित किया था। अब वह केवल 5 लाख टन अनाज तक सीमित है। 2.10 करोड़ टन अनाज का रक्षित भण्डार (बफर स्टाक) रखने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। अतः "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के लिए अधिक मात्रा आबंटित की जा सकेगी। चूंकि सुझाव विपक्ष की ओर से आया है अतः केवल उसी कारण उसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यदि सरकार इस विशेष सुझाव अर्थात् "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 लाख टन के बदले 50 लाख टन अनाज आबंटित करती है तो इससे लोगों को काफी सहायता मिलेगी।

भ्रष्टाचार का उन्मूलन होना चाहिए। सभी ग्राम्य योजनाओं जिनका कि मैंने उल्लेख किया है, विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 60 प्रतिशत लाभ वास्तविक लाभार्थियों को नहीं मिल रहे, केवल 40 प्रतिशत ही उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। अतः भ्रष्टाचार का भी उन्मूलन करना होगा।

अन्त्योदय योजना को लें। यह भूल जाइए कि इसे किसने शुरू किया। मैं इस तर्क को फिर दुहराना चाहूंगा जो मैंने पिछली बार दिया था कि इस बात पर ध्यान न दें कि "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम को किस सरकार ने शुरू किया था, "अन्त्योदय कार्यक्रम" कौन सी सरकार लायी थी। योजना आयोग जिसके अध्यक्ष आपके दल के हैं, ने गरीबी उन्मूलन उपायों पर मूल्यांकन समिति नियुक्त की थी, उक्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि "काम के बदले अनाज" योजना तथा "अन्त्योदय" योजना से वास्तविक रूप से गरीब से गरीब व्यक्ति को सहायता मिली है।

यह उनका कथन है। यदि ऐसी बात है, योजना आयोग का निष्कर्ष यह है तो इस पर पक्षपातपूर्ण रवैया न अपनाइए, इन योजनाओं को हाथ में लेकर उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करें।

जहां तक कृषि समस्याओं का संबंध है मैं उनका संक्षेप में वर्णन करना चाहूंगा क्योंकि मन्त्री महोदय ने उस पर चर्चा नहीं की है। कृषकों की समस्या के कारण देश में गरीबी बढ़ी है। हमें कृषि उत्पादों को सस्ता करने की चेष्टा करनी चाहिए तथा किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने तथा कृषि मजदूरों को उचित मजदूरी देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा तभी संभव है यदि कृषि संबंधी पूरी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का समेकित रूप से अध्ययन किया जाता है। हमें किसानों को अपेक्षित सामग्री सस्ते मूल्य पर देने का प्रयास करना चाहिए, कृषकों को सस्ता डीजल, सस्ती बिजली, सस्ते उर्वरक तथा अन्य आदान दिये जाने चाहिएं। यदि उन्हें कृषि पदार्थों के वर्तमान मूल्य भी दिये जाते हैं तो उन्हें संतोष होगा क्योंकि उन्हें कच्चा माल तथा अन्य वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जायेंगी, तो वर्तमान कृषि मूल्य भी उनके लिए लाभप्रद रहेंगे। अतः इस रचनात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा।

जहां तक भूमि के पुनः वितरण का प्रश्न है बहुत से राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून केवल कागजों तक सीमित है तथा उनका घोर उल्लंघन होता रहता है। मध्य प्रदेश विधान सभा में मन्त्री महोदय द्वारा स्वीकार किया गया कि जब भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों की क्रियान्विति की जाने लगी तथा भूमि का पुनः वितरण होने को था तब वास्तव में भमि बहुत से व्यक्तियों के नामों में दिखाई हुई पाई गई जिनमें से कुछ नाम कुत्ते बिल्लियों के थे तथा जांच से यह सिद्ध हो गया। मन्त्री महोदय द्वारा यह बात मध्य प्रदेश विधान सभा में वस्तुतः स्वीकार की गई। ऐसा हो रहा है, क्योंकि......

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : यह अत्यन्त हास्यास्पद बात है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं केवल वही बात कह रहा हूं जो मन्त्री महोदय द्वारा बताई गई है।

प्रो० एन० जी० रंगा : भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों का मुख्य उद्देश्य भूमि का उन व्यक्तियों के नाम जमा होना रोकना है जिनके पास पहले ही काफी भूमि है।

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक है। यदि उन्होंने मेरे भाषण के शब्दों को बुरा मनाया है तो मैं "बिल्लियां और कुत्तों" शब्दों को हटाने को तैयार हूं। परन्तु मैं आपको इतना अवश्य बताना चाहूंगा कि भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों में बहुत सी कमियां हैं तथा जब तक उन कानूनों को समुचित रूप से कठोर नहीं बनाया जाता तथा उन्हें प्रभावीं रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता तब तक कोई अतिरिक्त भूमि पुनः वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होगी और जब भी पुनः वितरण हो आदिवासियों अनुसूचित जातियों को अवश्य ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यही संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय नीति है जिसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि उन प्रभावी योजनाओं, जिन्हें हम ग्रामों के तथा नगरों के गरीब लोगों में क्रियान्वित करते हैं वे तब तक हमारी अर्थ-व्यवस्था को अस्त व्यस्त और अस्थिर करती रहेंगी जब तक देश में काला धन विद्यमान है। इस बात को भपपूर्व वित्त मन्त्री श्री वाई० बी० चव्हाण ने अपना बजट भाषण देते समय संसद में बताया कि दुर्भाग्य से देश में काले धन की समानान्तर अर्थ व्यवस्था विद्यमान है

तथा जब तक उसका उन्मूलन नहीं किया जाता तब तक हम अर्थ-व्यवस्था की बहुत सी समस्याओं का समाधान नहीं कर पायेंगे । इसके भिन्न भिन्न प्राक्कलन हैं । एक अनुमान जो श्री रंगनेकर द्वारा दिया गया था कि काला धन 50,000 करोड़ रुपए है और यदि काले धन की इतनी अधिक मात्रा विद्यमान है तो सरकारी अर्थ-व्यवस्था सर्वथा भंग हो जाती है तथा उसके परिणामस्वरूप देश में कृत्रिम मुद्रा स्फीति, कृत्रिम मूल्य वृद्धि होती है तथा कृत्रिम अभाव पैदा होते हैं जिससे समृद्ध लोग प्रभावित नहीं होते अपितु गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हमेशा प्रभावित होते हैं । अतः ये सतर्कताएं बरती जानी चाहिएं । मुझे खुशी है कि मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जिसका कि मैंने उल्लेख किया है, संभवतः जब नमूना सर्वेक्षण उपलब्ध होता है तो उससे प्रकट होगा कि देश में गरीबी और भी गम्भीर है । हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े सभा पटल पर रखे जायें । पिछली बार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े सभा पटल पर रखे गयें थे । मैं मांग करता हूं कि 2—3 महीनों के भीतर बजट सत्र के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े सभा पटल पर रखे जाएं जिससे कि पता चले कि क्या हमारी अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता आई है अथवा क्या देश में गरीबी में वृद्धि हुई है तथा क्या गरीबी उन्मूलन के लिए जो विभिन्न उपाय किये गये हैं वे सफल हुए हैं अथवा नहीं । तभी इस पर प्रभावी रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है । इन पहलुओं पर विचार किया जाना है, मुझे विश्वास है कि यदि वह दोनों पक्षों की ओर से सदस्यों द्वारा की गई कठोर आलोचना पर ध्यान देते हैं तो संभवतः वे देश में गरीबी उन्मूलन में सफल होंगे । जब तक गरीबी का उन्मूलन नहीं होता देश के विकास की किसी समस्या का समाधान न होगा । लोगों को गरीबी की रेखा से उठाने का एक तरीका यह है कि गरीबी की रेखा की परिभाषा बदल कर कलम की एक लाईन सी लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले आयें हम चाहते हैं गरीबी की रेखा के स्वीकृत मानदण्ड बने रहें । जैसा कि मन्त्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा वर्तमान मूल्य ढांचे के अनुसार ही उसकी परिभाषा होनी चाहिए । यदि ऐसा किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए काफी सीमा तक गरीबी का उन्मूलन किया जा सकेगा ।

मुझे विश्वास है कि सरकार इन सभी सुझावों पर उचित कार्यवाही करेगी । उन्होंने निवेदन किया है कि मैं अपना संकल्प वापस ले लूं, मैं मात्र दिखावे के लिए संकल्प पेश नहीं करना चाहता ।

बेशक उन्होंने इसकी भावना को स्वीकार कर लिया है उन्होंने इस संकल्प को अस्वीकार कर दिया है । प्रायः आप कहते हैं कि हम भावना को स्वीकार करते हैं परन्तु मूल को नकारते हैं । उन्होंने यही कहा है । मैंने केवल दिखावे के लिए संकल्प नहीं रखा । अतः मैं संकल्प पर आग्रह करता हूं । मैं इसके मत-विभाजन के लिए नहीं कहता हूं । लेकिन इसे मतदान के लिए तो रखा जाना चाहिए । इसका निर्णय होने के बाद 4-5 मिनट बचेंगे तथा श्री वृद्धि चन्द जैन का संकल्प लिया जा सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री डागा के संशोधन को मतदान के लिए रखता हूं । श्री डागा उपस्थित नहीं हैं । अतः मैं इसे रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

कि संकल्प में,—

"वर्ग को" के पश्चात्

"जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार", अन्तःस्थापित किया जाये । (1)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : इससे पहले कि आप इस संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखें, मुझे कुछ शब्द बोलने की अनुमति दी जाये ।

माननीय सदस्य ने अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं । मुझे उनके संकल्प पर कोई आपत्ति नहीं है । यह अत्यन्त अच्छा संकल्प है । इसे नामंजूर करने अथवा इसे अस्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं है । इस संकल्प को जिस भावना के साथ लाया गया है मैं उससे सहमत हूं । जैसा उन्होंने स्वयं कहा है, इस बात पर सभा में मत विभाजन क्यों किया जाये ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं सभा में मत विभाजन के लिए नहीं कह रहा हूं । मैं केवल ध्वनि मत की मांग करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब प्रो० मधु दण्डवते द्वारा पेश किये गये संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"यह सभा जनता के विशाल वर्ग को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में सरकार की असफलता पर चिन्ता व्यक्त करती है और मांग करती है कि देश से गरीबी को समाप्त करने के लिए ठोस उपाय किये जायें" ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

5.56 म०प०

रेगिस्तान विकास कार्यक्रम के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा श्री वृद्धि चन्द्र जैन द्वारा प्रस्तुत किये गये रेगिस्तान विकास कार्यक्रम संबंधी संकल्प को लेगी । इस संकल्प को लेने से पूर्व हमें इसके लिए समय निर्धारित करना है । क्या हम इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित करें ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इसे आगामी सत्र में क्यों नहीं रखते हैं ? वह आगामी सत्र में भी इसे जारी रख सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हम इसके लिए फिलहाल दो घंटे का समय निर्धारित कर सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : फिलहाल हमने दो घंटे का समय निर्धारित किया है। श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

"इस सभा की राय है कि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बीच सातवीं पंचवर्षीय योजना में निधियां, सुविधाएं तथा रियायतें देने के मामले में समानता रखी जानी चाहिए।"

इस प्रस्ताव के बारे में मैं यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र की स्थिति पहाड़ी क्षेत्र से भी बदतर है। हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान के 11, हरियाणा के 4, गुजरात के 2 जिले आते हैं। कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश और काश्मीर का भी इसमें आता है। उस क्षेत्र में पीने के पानी का गंभीर संकट है। वहां वर्षा बहुत ही कम होती है, 5 से लेकर 7 दिन तक वर्षा होती है। 5 सालों में कहीं 3 साल और कहीं 4 साल अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ता है। अकाल का मुकाबला करने के लिए वह क्षेत्र सक्षम नहीं है, उसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार किसानों को मदद देती है, परन्तु जो मदद मिलती है वह अपर्याप्त होती है। लोगों को अपने घर छोड़कर अपनी रोजी के लिए दूसरे क्षेत्रों, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में जाना पड़ता है। वह लोग किसी भी सूरत में इस रेगिस्तानी क्षेत्र में अपनी रोजी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं।

वहां पर पीने के पानी का भयंकर संकट है। यद्यपि हमारी केन्द्रीय सरकार और राजस्थान की सरकार ने कोशिश की है। केन्द्रीय सरकार ने 5 वर्षों में 30 करोड़ रुपए हमारे बाड़मेर जिले के लिए, और 15 करोड़ रुपए जैसलमेर जिले के लिए प्रावधान किये हैं परन्तु यह समस्या अभी तक भी बनी हुई है।

क्षेत्रफल के हिसाब से मेरा लोक सभा का क्षेत्र 70 हजार वर्ग किलोमीटर में आता है जो कि पंजाब प्रान्त के बराबर है, हरियाणा से ड्योढे से भी अधिक है और केरल से दुगुना है। उसमें गांव 25 वर्ग किलोमीटर से लेकर 200 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। अगर किसी गांव में पीने के पानी की व्यवस्था की भी गई है तो उस गांव के किसान और मजदूर को 5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है तब जाकर पीने के पानी की व्यवस्था होती है। परिवार को एक आदमी, ऊंट और कैटल पीने के पानी को लाने के लिए ही लगे रहते हैं और इसी में उस परिवार की सारी शक्ति लग जाती है।

6.00 म० प०

यह स्थिति पैदा हो गई है, पीने के पानी की। वहां जो हट्स हैं और जो खेतों में रहते हैं, वे लोग मांग कर रहे हैं कि हम 5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की दूरी पर पीने के पानी के

लिए जायें, उसके लिए व्यवस्था करें। हम ढाई सौ की जनसंख्या के समूह को इकाई मानकर पीने के पानी की व्यवस्था करें। हमने इस बात को राजस्थान गवर्नमेंट के सामने भी रखा और केन्द्रीय सरकार के सामने भी रखा है।

हर क्षेत्र इस प्रकार के हैं जो 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैले हैं, इसलिए उनके लिए जब तक ढाई सौ की जनसंख्या को इकाई नहीं माना जायेगा, तब तक व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है। इस सम्बन्ध में पीने के पानी के लिए नलकूप खोदे गये हैं। कुछ नलकूप तो सफल हुए हैं, इस सफलता के कारण पीने के पानी की व्यवस्था हुई है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जैन, आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

6.02 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 29 जनवरी, 1985/9 माघ, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रभातमुनी—349/लोक सभा/85—28-9-85—250 पुस्तकें।